


आपस्तम्बधर्मसूत्र का समीक्षात्मक अध्ययन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल्० उपाधि के लिए
प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

अनुसन्धाता
हर्षवर्द्धन मिश्र

निर्देशक
डा० सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
संस्कृत विभाग, इ० वि० वि०



संस्कृत-विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
१९६२

किञ्चित्प्रास्ताविकम्

विश्व वाङ्मय में संस्कृत साहित्य की प्राचीनता एवं विशालता कभी भी विवादास्पद नहीं रही है । विशाल संस्कृत वाङ्मय के कई पक्ष ऐसे भी हैं जो विद्वद्‌जनों के मध्य में चर्चा के विषय तो सर्वदा रहे हैं किन्तु जनसामान्य में लोकप्रिय नहीं हो सके । वैदिक साहित्य में परिणत काल में सम्बन्धित सूत्र साहित्य भी उन्हीं पक्षों में से एक है । सूत्रसाहित्य में भी धर्मसूत्रों का अपना विशिष्ट स्थान है । इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला स्नातकोत्तराध्वर्य श्री संस्कृत में दर्शन वर्ग का विद्यार्थी होने के कारण मुझे पूर्वमीमांसा पत्ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महर्षि जैमिनि के " अध्यातो धर्मजिज्ञासा " सूत्र के पत्ने के अनन्तर ही मेरे मन में धर्म के स्वरूप की जिज्ञासा उत्पन्न हुई ।

धर्मसूत्र मनुष्य की प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक स्थिति के काचरण का प्रतिपादन करता है, व्यक्ति के सामाजिक, पारिवारिक, वैधोक्तक और पारिलौकिक सभी पक्षों पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप से विचार करता है । धर्मसूत्र की दृष्टि सुख- दुःख सम्पत्ति तथा विषत्ति पर भी है । यह व्यक्ति के लिए कर्तव्यों की दिशा देता है, जीवन के लक्ष्यों को प्रदर्शित करता तथा मनुष्य की शक्तियों और उनके अनुसार दायित्वबोध का महनीय कार्य करता है ।

गुरुजनों की प्रेरणा से जब मेरी प्रवृत्ति शोध कार्य में हुई तो मुझे "आपस्तम्ब धर्मसूत्र का समीक्षात्मक अध्ययन" विषय पर शोध कार्य सम्पादित करने का अवसर मिला ।

प्रकृत शोध प्रबन्ध में मेरा लक्ष्य यही है कि धर्मशास्त्रीय विचारों के व्यापक बोध में कुछ योगदान कर सकूँ । प्राचीन मान्यताओं का अध्ययन कर उनकी युगसापेक्ष व्याख्या करने से ही हमारी अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सकता है । अतीत के ऐतिहासिक अध्ययन का यह अर्थ कदापि नहीं है कि परिवर्तन के पहिए को पीछे घुमाने का निष्फल प्रयत्न किया जाय । अपितु परम्परागत धर्मशास्त्रीय सिद्धान्तों की उपयोगिता उनके उत्तम पहलू एवं नैतिकता के जीवनदर्शन को समझने एवं व्यवहार में अनुदित करने में ही निहित है ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के सूत्रधार पदवाक्य प्रमाणान्त विद्वद्वरेण्य परमश्रद्धेय गुरुवर्य प्रो० सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्व-विद्यालय हैं। जिन्होंने अपने अत्यधिक व्यस्त समय में से मेरे लिए समय निकाल कर मेरे इस कार्य को सरल एवं दीप्तिपूर्ण बना दिया। आपके अमूल्य निर्देशन का ही परिणाम है कि मैं प्रकृत शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर सका। उन पूज्यपाद के प्रति किन् शब्दों में कृतज्ञता ज्ञापित करूँ भावातिरेक में शब्दों एवं भावों की अभिव्यक्ति अवरुद्ध

सी प्रतीत होती है । तथापि उनके पुत्रवत् वात्सल्य एवं पवित्र ज्ञान दान का स्मरण कर, धन्य हूँ ।

मैं परमादरणीय व्याकरण एवम् दर्शन के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् डा० राम किशोर शास्त्री जी प्राध्यापक, सस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्व-विद्यालय के चरणों में नत हूँ जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझावों को देकर मेरे प्रति अपने वात्सल्य भाव को प्रकट किया है ।

किसी भी व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक योगदान उसके माता-पिता का होता है । इस सर्वस्वीकृत मान्यता का मैं भी अपवाद नहीं हूँ । अज मैं प्रकृत शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर पा रहा हूँ, यह वस्तुतः मेरे पूज्यपाद पिता डा० वेदपति मिश्र एवम् पूजनीया माता श्रीमती सिया मिश्रा के सहज-स्नेह का ही परिणाम है । इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की औपचारिकता का निर्वह इसके निस्सीम गौरव एवम् सहजता का विधातक होगा ।

श्रद्धेय डा० ब्रजनाथ सिंह यादव जी, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर एव अध्यक्ष, प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रति मैं कृतज्ञता से श्रद्धावनत हूँ, जिन्होंने शोध कार्य में आने वाली अनेक समस्याओं का समाधान किया एवं अपने पुस्तकालय में से दुर्लभ पुस्तकों की यथेच्छ

सुविधा प्रदान की ।

अग्रज डा० राम सेवक दुबे जी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समय-समय पर प्रोत्साहन देकर मुझे अपने शोध कार्य में निरन्तर गतिशील रखा ।

इसके अतिरिक्त संस्कृत विभाग के शोध छात्रवृद्ध श्री रवि राज प्रताप मल्ल, श्री अरविन्द मिश्र तथा श्री जय शंकर मिश्र एवं श्री प्रभाकर मिश्र का आभारी हूँ जिन्होंने अपने अनुभव का सम्यकस्मरण निरवाह किया है । यही नहीं, शोध कार्य को निर्विघ्न सम्पादित करने में मेरी अविद्यतीया सहजा कुमारी राज्यश्री भी सर्वथा धन्यवादार्ह हैं, जिसे ज्ञात किये बिना मैं अपने को अनृणा नहीं मान सकता ।

मैं उन समस्त परोक्ष-अपरोक्ष मनीषियों के प्रति भी मैं ऋणी एवं कृतज्ञ हूँ, जिनके ग्रन्थों का इस शोध प्रबन्ध में यथोचित अनुशीलन एवं अनुसरण किया गया है ।

अन्त में, शोध प्रबन्ध को शीघ्रतापूर्वक सुन्दर, स्पष्ट और यथासम्भव शुद्ध टाइपिंग कार्य हेतु श्री कमलेश यादव को धन्यवाद देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ ।

सूत्र शैली विशिष्ट तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली के कारण
दुरूह होती है । मैंने गुरुकृपा एवम् अध्यवसाय के बल पर यथाशक्य आपस्तम्ब
धर्मसूत्र का समीक्षात्मक अध्ययन करने का प्रयत्न किया है । मेरा यह प्रयत्न
विद्वज्जनों को कितना संतुष्ट कर सकेगा ? इस अतिप्रश्न को सुधीजनों के उमर
छोड़ते हुए मैं प्रकृत शोध प्रबन्ध को नीरक्षीर विवेक हेतु प्रस्तुत करने का कर्तव्य
निभा रहा हूँ ।

विजयादशमी 6 अक्टूबर, 1992

विदुष्मावशंवद
हरिवर्धन मिश्र
॥ हरिवर्धन मिश्र ॥
शोधच्छात्र
संस्कृत विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद ।

विषयानुक्रमिका

प्रथम अध्याय

विषय	पृष्ठ संख्या
वैदिक वाङ्मय में सूत्र साहित्य का परिचय	1-46
कल्पसूत्र के भेद	
श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, शुल्वसूत्र, धर्मसूत्र	
धर्मसूत्रों का रचनाकाल एवं उनकी संख्या	

द्वितीय अध्याय

व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व	47-70
आपस्तम्ब कल्प के रचयिता का निर्धारण,	
आपस्तम्ब धर्मसूत्र का काल, आपस्तम्ब का जन्मस्थान,	
आपस्तम्ब धर्मसूत्र के उपलब्ध संस्करण, आपस्तम्ब	
धर्मसूत्र में सूत्रों की पुनरावृत्ति, आपस्तम्ब धर्मसूत्र	
में उद्धृत एवं उल्लिखित साहित्य	

तृतीय अध्याय

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में प्रतिपादित धर्म का स्वस्य विवेचन	71-82
---	-------

वर्णव्यवस्था

वर्ण व्यवस्था का स्वरूप, वर्णों के कर्तव्य,
अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार, शूद्र की स्थिति,
वर्णसंकर जातियों का वर्णन

संस्कार

उपनयन, समावर्तन, विवाह

समाज में स्त्रियों की स्थिति

शिक्षा का स्वरूप

शिक्षा का प्रारम्भ, आचार्य की योग्यता
एवं कर्तव्य, शिष्य के कर्तव्य और आचार,
गुरु शिष्य सम्बन्ध, आचार्य की आय, विद्यार्थी
के प्रकार, अनुशासनहीन छात्र के प्रति आचार्य
का व्यवहार, अनध्यायों का विवरण

भोजन-पान

भोजन विधि, मांसभक्षण, दुग्ध प्रयोग, शाकभाजी
का प्रयोग, वर्जित पक्व पदार्थ, त्याज्य भोजन,
विहित भोजन एवं भोज्यान्न, भोजन

आश्रम

ब्रह्मचर्याश्रम

ब्रह्मचारियों के प्रकार, ब्रह्मचारियों की
वेशभूषा, ब्रह्मचारियों का जीवन, ब्रह्मचारियों
के धर्म

गृहस्थाश्रम

गृहस्थाश्रम के कर्म एवं दायित्व

वानप्रस्थाश्रम

वानप्रस्था के नियम एवं कर्तव्य

सन्यासाश्रम

प्रायश्चित्त

अभिज्ञस्त का प्रायश्चित्त, गुस्तल्पग का
प्रायश्चित्त, सुरापान का प्रायश्चित्त,
स्तेन का प्रायश्चित्त, शूद्रवध का प्राय-
श्चित्त शूद्रवधवत् प्रायश्चित्त, अवकीर्णी
का प्रायश्चित्त, अभक्ष्य भक्षण प्रायश्चित्त,
पतित सावित्रीक का प्रायश्चित्त, अन्य प्रायश्चित्त

षष्ठ अध्याय

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में आये हुये दार्शनिक विचार

248-267

विषय प्रवेश, आत्मतत्त्व का स्वरूप, आत्मतत्त्व की व्यापकता, आत्मतत्त्व के लक्षण आत्मतत्त्व के ज्ञान का महत्त्व, स्वर्ग एवं मोक्ष की अवधारणा, मोक्ष का स्वरूप, मोक्षप्राप्ति के उपाय, आध्यात्मिक योग, आध्यात्मिक योग के साधन, उपसंहार

सप्तम अध्याय

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में चित्रित राजनैतिक एवं आर्थिक विचार

268-309

राजनीतिक विचार

राजा- राजा के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व,
अमात्य, पुरोहित, सभा का स्वरूप, न्याय व्यवस्था,
दण्ड व्यवस्था - आपराधिक विधि, व्यावहारिक
विधि

आर्थिक विचार

व्यवसाय, कृषि, भूमि व्यवस्था, पशुपालन, आय के साधन, व्यापार, विनियम, व्याज, रहन-बन्धक

अष्टम अध्याय

उपसंहार

310-325

सहायक ग्रन्थ सूची

326-329

सकेत-सूची

अ०वे०	-	अभर्ववेद
आ०गृ०सू०	-	आपस्तम्बगृह्यसूत्र
आ०ध०सू०	-	आपस्तम्बधर्मसूत्र
आश्व०गृ०सू०	-	आश्वलायनगृह्यसूत्र
उ०स्मृ०	-	उशनस स्मृति
ऋ०	-	ऋग्वेद
ऐ०आ०	-	ऐतरेयारण्यक
ऐ०ब्रा०	-	ऐतरेय ब्राह्मण
कौ०	-	कौटिलीय अर्थशास्त्र
काम०	-	कामन्दकीय नीतिसार
गौ०ध०सू०	-	गौतम धर्मसूत्र
छा०उप०	-	छान्दोग्योपनिषद्
तै०उ०	-	तैत्तिरीयोपनिषद्
ना० स्मृ०	-	नारद स्मृति
तै०ब्रा०	-	तैत्तिरीय ब्राह्मण
पूर्वमा०सू०	-	पूर्वमीमांसासूत्र
बृ०उ०	-	बृहदारण्यकोपनिषद्
बौ०ध०सू०	-	बौधायन धर्मसूत्र
भवि० पु०	-	भविष्यपुराण
मत्स्य०	-	मत्स्यपुराण
मनु०	-	मनु स्मृति

यट०	-	गात्रवल्क्य स्मृति
वसिष्ठ०	-	वसिष्ठधर्मसूत्र
विष्णु०	-	विष्णुधर्मसूत्र
शत्रुघ्न०	-	शतपथब्राह्मण
शख०	-	शखस्मृति
हिरण्य०	-	हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र

प्रथम अध्याय

वैदिक वाङ्.मय में सूत्र साहित्य का परिचय

प्रथम अध्याय

सूत्र साहित्य भारतीय वाङ्मय का एक अनूठा वर्ग है और यह अपनी विशिष्ट शैली के कारण अन्य सभी प्रकार की रचनाओं से भिन्न है। वैदिक साहित्य में सूत्रों का काल अध्ययन और चिन्तन की परम्परा का प्रतिनिधि है। भारतीय मनीषियों के लिए अपनी समृद्ध परम्परा, आचार, व्यवहार एवं कर्मकाण्ड से संबंधित ज्ञान को सतत रखना एक समस्या थी, क्योंकि लेखन के अभाव में लुप्त होने की सम्भावना अधिक थी तथा वृद्ध मन्त्रों को कण्ठस्थ रखना एवं शुद्धता को बनाये रखना भी असम्भव था। अतएव इन कठिनाइयों के निराकरण स्वरूप सूत्र साहित्य की स्थापना की गई।

सूत्र का अर्थ है धामा और सूत्रों में छोटे, चूस्त, अर्धगर्भित वाक्यों को मानों एक धागे में पिरोकर रखा जाता है। वस्तुतः इस प्रकार की रचनाओं में यथासम्भव छोटे से शब्दों में सिद्धान्त को व्यक्त करना ही रचयिता का उद्देश्य होता है। सूत्र साहित्य के सन्दर्भ में अनेक आलोचनाएँ प्राप्त होती हैं कि इन रचनाओं में अन्विति या अर्थ के विकास की कोई सम्भावना ^{नहीं} है, रचना की जटिलता इसकी सरलता को लुप्त कर देती है। तथा ये अत्यधिक

गिरस है । इस सबध में यह कहा जा सकता है कि सूत्रों को व्यवस्थित रूप में सक्षिप्त शैली में प्रस्तुत किया जाता है जिससे उसे याद किया जा सके, भले ही स्पष्टता और बोधगम्यता का बलिदान करना पड़े। व्याकरण पतञ्जलि का यह कथन प्रायः उद्धृत किया जाता है कि "सूत्रकार आधी मात्रा की बचत पर उतना ही आनन्दित होता है जितना पुत्रजन्म पर " ।

सूत्र रचनाओं की शैली के विषय में जितनी आलोचना क्यों न हो, इस विषय में दो मत नहीं हो सकते कि मौखिक उपदेश के समय इनकी सक्षिप्त शैली एक आवश्यकता बन गयी है और इनकी विशिष्ट शैली के कारण ही इनमें से अधिकांश की रक्षा हसे सकी, अन्यथा लेखन के अभाव में इनका सर्वथा लोप ही हो गया होता । इसके अतिरिक्त प्राचीन व्याकरण के नियमों को अक्षुण्ण बनाये रखने में सूत्र शैली एक महत्वपूर्ण कारक बनी अन्यथा व्याकरण संबंधी नियमों के ज्ञान के अभाव में वैदिक साहित्य का अर्धवोध असम्भव था ।

वस्तुतः सूत्र साहित्य में

अनेक शताब्दियों

के ज्ञान का भण्डार एकत्र किया गया है । वे शताब्दियों के चिन्तन, मनन और अध्ययन के परिणाम हैं और उन्हें जो रक्ष प्राप्त हुआ है

वह भी अनेक शताब्दियों की अनवरत परम्परा का परिणाम है ।

सूत्र साहित्य में कल्पसूत्र प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के ज्ञान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है । कल्प को 'वेदाङ्ग' के अन्तर्गत रखा गया है । ऋण्यभूट के अनुसार शिखा, कल्पो, व्याकरणं निरुक्त एन्द्रे, ज्योतिषम् ये वेदाङ्ग है । आपस्तम्ब ने इन्हें इस क्रम में गिनाया है + "षडङ्गो वेद । एन्द्रेकल्पो व्याकरणं ज्योतिषं निरुक्तं शिखा एन्द्रेविवित्तिरिति ॥ §2/4/8/10-11॥

कल्प सबसे पूर्व वेदाङ्ग है, इसके अन्तर्गत सूत्रों का विशाल भण्डार समाहित है । 'कल्प' का अर्थ है वेद में विहित कर्मों का क्रमपूर्वक व्यवस्थित कल्पना करने वाला शास्त्र 'कल्पो वेद विहितानां कर्मणामानुपूर्वेषा कल्पना-शास्त्रम्' ^१ ^१ अतः पितृ यज्ञ यागादि का विवाहोपनयनादि कर्मों का विशिष्ट प्रतिपादन वैदिक ग्रन्थों में किया गया है । उन्हीं का क्रमबद्ध वर्णन करने वाले सूत्र-ग्रन्थों का सामान्य अभिधान कल्प है । कल्पसूत्र अपने विषय प्रतिपादन में ब्राह्मण तथा

आरण्यक के साथ साक्षात् सम्बद्ध है । ऐतरेक आरण्यक में ऐसे सन्दर्भ हैं जो कि शुद्ध रूप से सूत्र ही हैं परम्परा से भी उनके ऋषेता सूत्रकार आश्वलायन और शौनके माने जाते हैं । तथा इन्हें ईश्वरीय ज्ञान भी नहीं माना जाता । उक्त के अतिरिक्त सामवेद साहित्य में कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिन्हें भ्रमवश ब्राह्मण नाम दिया गया है वस्तुतः वे सूत्र हैं ।

ब्राह्मण-युग के प्रभावानुसार यज्ञ ही वैदिक आर्यों का प्रधान धार्मिक कृत्य था , परन्तु उसके बहुत ही विस्तृत होने से याग विधान के नियमों को सक्षेप तथा व्यवस्थित रूप में ऋत्विजों के व्यावहारिक उपयोग के लिए प्रतिपादक ग्रन्थों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी और इसी की पूर्ति के लिए कल्पसूत्रों का निर्माण प्रत्येक शाखा में सम्बन्ध हुआ

कल्प सूत्र के महत्त्व के विषय में मैक्समूलर¹ ने ठीक लिखा है "कल्पसूत्रों का वैदिक साहित्य के इतिहास में अनेक कारणों से महत्त्व है वे न केवल साहित्य के एक नये युग के द्योतक हैं और भारत के साहित्यिक एवं धार्मिक जीवन के एक नये प्रयोजन के सूचक हैं अतः उन्कोने

1. मैक्समूलर- हिस्ट्री ऑफ एशियन्ट इण्डियन लिटरेचर पृ० 166

अनेक ब्राह्मणों के लोष में योग दिया, जितना अब केवल नाम ही ज्ञात है "।

कुमारिल ने भी कल्पसूत्र में महत्व के विषय में कहा है --

वेदादृतेऽपि कुर्वन्ति कल्पै कर्माणि याज्ञिकाः ।

न तु कल्पैर्विना केचिन्मन्त्र ब्राह्मण मात्रकात् ॥

कल्पसूत्रों के महत्व के कारण ही इनके रचयिता स्वयं नहीं शाखाओं के संस्थापक बन गये और उनकी शाखा में उनके सूत्र का ही प्रधान स्थान हो गया तथा ब्राह्मण और वेद का महत्त्व कुछ सीमा तक कम हो गया ।

कल्पसूत्र मुख्यतः चार प्रकार के हैं :-

§1§ श्रौतसूत्र- जिनमें श्रौत अग्नि से होने वाले बड़े यज्ञों का विवेचन किया गया है ।

§2§ गृह्यसूत्र- गृह्य अग्नि से होने वाले घरेलू यज्ञ का, उषनयन विवाह आदि संस्कारों का विवेचन करने वाले सूत्र ।

§3§ धर्मसूत्र- चारों आश्रमों, चारों वर्णों तथा उनके धार्मिक आचारों का तथा राजा के कर्तव्यों का वर्णन करने वाले सूत्र ।

४४१ श्रुत्वसूत्र- यज्ञ में वेदि आदि के निर्माण विधि का वर्णन करने वाले सूत्र ।

श्रौतसूत्र

श्रौतसूत्र का मुख्य विषय श्रुति- प्रतिपादित महत्त्वपूर्ण यज्ञों का क्रमबद्ध वर्णन है । इन यागों के नाम हैं - दर्श, पूर्णमास, षिण्ड- षितृयज्ञ, आग्रयणीषिण्ड, चातुर्मास्य, निरुद्ध- षशु, सोमयाग सत्र, गवामयन, वाजपेय, राजसूय, सौत्रामणी अश्वमेध, बुरसमेध, एकाध्याग, अहीन इत्यादि एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों, विधिनिबन्धों का वर्णन भी श्रौत सूत्र में प्राप्त होता है । अतएव श्रौतसूत्र का स्वरूप कर्मकाण्डीय है ।

ऋग्वेद से संबंधित श्रौतसूत्र- ऋग्वेद से संबंधित दो श्रौतसूत्र उपलब्ध हैं । १११ आग्वलायन तथा १२१ शाङ्.खायन ।

शाङ्.खायन श्रौतसूत्र की रचना सुब्रह्म शाङ्खायन ने की है वर्तमान में इसके १८ अध्याय उपलब्ध हैं । शाङ्.खायन ब्राह्मण ग्रन्थों में सम्बद्ध यह श्रौतसूत्र विषय तथा शैली की दृष्टि से प्राचीनतर प्रतीत होता है । शाङ्.खायन श्रौतसूत्र में कौषीतिक ब्राह्मण के अनेक

विषय ग्रहण किये गये है ।

आश्वलायन श्रौतसूत्र में 12 अध्याय हैं जो दो शतक पूर्व शतक एव उत्तर शतक में विभक्त है प्रसिद्ध है कि आश्वलायन ऋषि शौनक ऋषि के शिष्य थे तथा ऐतरेक आरण्यक के अन्तिम दो अध्यायों को गुरु और शिष्य ने मिलकर बनाया था ।

सामवेद से संबंधित 4 श्रौतसूत्र उल्लेख हैं ॥ १ ॥ आर्षेय श्रौतसूत्र ॥ 2 ॥ लाट्यायन श्रौतसूत्र ॥ 3 ॥ द्राह्यायण श्रौतसूत्र ॥ 4 ॥ जैमिनीय श्रौतसूत्र ।

आर्षेय श्रौतसूत्र अपने रचयिता के नाम पर मशक श्रौतसूत्र के नाम से भी पुकारा जाता है । लाट्यायन श्रौतसूत्र ॥ 8/9/14 ॥ में मशक गार्ग्य का उल्लेख प्राप्त होता है । इसमें साम गानों का तत्त्व विशिष्ट अनुष्ठानों में विनियोग का विवरण है । तथा यह ष चीवश ब्राह्मण के यौगन्ध का अनुसरण करता है । तथा इससे स्वच्छतः सम्बन्ध है ।

लाट्यायन श्रौतसूत्र में 10 प्रपाठक है लाट्यायन श्रौतसूत्र सामवेद से संबंधित मुख्य श्रौतसूत्र है । इस सूत्र में लाट्यायन ने न केवल अपने वेद एव चरण से संबंधित शिक्षा एव कर्मकाण्डीय वरम्बरा का

उल्लेख किया है अर्थात् अन्व वेदों से सम्बन्धित कर्मकाण्डीय शिक्षा एवं परम्पराओं का उल्लेख किया है । कात्यायन श्रौतसूत्र ऋग्विंश ब्राह्मण से सम्बन्धित है । तथा अनेक स्थलों पर उसने ऋग्विंश ब्राह्मण से सम्बन्धित मन्त्रों को उद्धृत किया है । इसका सम्बन्ध कौथुमशाखा से है ।

दाह्यायन श्रौतसूत्र राधायनीय शाखा से सम्बन्धित है तथा जैमिनीय श्रौतसूत्र का सम्बन्ध जैमिनी शाखा से है । जैमिनीय श्रौतसूत्र सबसे छोटा श्रौतसूत्र है एवं उसमें केवल 26 खण्डिका या खण्ड हैं जिनमें से अधिकांश अत्यधिक छोटे हैं ।

शुक्ल यजुर्वेद से सम्बन्धित एकमात्र कात्यायन श्रौतसूत्र प्राप्त होता है जो परिमाण में बर्धित बड़ा है, इसमें 26 अध्याय हैं । इसकी ऋणाली शतपथ ब्राह्मण में निर्दिष्ट प्रयोगक्रम के अनुसार है । 2-18 अध्याय शतपथ ब्राह्मण के खण्ड 1-9 पर आधारित है एवं कात्यायन श्रौतसूत्र के अध्याय मुख्यतः ऋग्विंश ब्राह्मण के 16-25 अध्याय पर आधारित है । इस प्रकार हम देखते हैं कि कात्यायन ने अपने कृत्य को प्रामाणिक एवं पूर्ण बनाने के लिये यथासम्भव उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करने का प्रयास किया है ।

कात्यायन श्रौतसूत्र के प्रथम अध्याय में दस खण्डिकाएँ हैं जिनमें

याग सम्बन्धी विविध विषयों का विवेचन है। तृतीय अध्याय में आठ आठ कण्डिकारं हैं जिनमें अम्बुपस्थावन, अग्निहोत्र पिण्डपितृ यज्ञ दाक्षायजा, आग्रायण आदि विषय वर्णित हैं। षष्ठ अध्याय में चातुर्मास्य और मित्रविद इष्टि का विधिपूर्वक वर्णित है। अष्ट अध्याय में निरुद पशुबन्ध का वर्णन है। सप्तम से दशम अध्याय तक अग्निष्टोम याग का विस्तृत विवेचन है। एकादश अध्याय में ब्रह्मा नामक ऋत्विज के कार्य एवं उद्योग वर्णित हैं। द्वादश अध्याय में द्वादशाह, त्रयोदश में गवामयन, चतुर्दश में वाजपेय, पञ्चदश में राजसूय षोडश से अष्टादश तक अग्निवयन, एकोनविंश में सौत्रामणी तथा विंशति अध्याय में अश्वमेध, एकविंश में बुरुषमेध, सर्वमेघ तथा बितुमेघ का विधिवत् विवेचन है बाइससे ते चौबीसवें अध्याय तक एकाहअहीन ओर सत्र से सम्बन्धित विषय वर्णित हैं। बचीसवें में त्रायश्चित्त तथा छब्बीसवें में ब्रवर्ग्य याग का विवरण वर्णित है।

कृष्णमजुर्वेद से सम्बन्धित छ श्रौतसूत्र उल्लेखित हैं। १। बौधायन
[३]
२। आश्वस्त्यब्रह्मिण्यकेशी ४। बैरवानस ५। भारव्दाज और ६। मानव
श्रौतसूत्र। इनमें से मानव श्रौतसूत्र का सम्बन्ध मैत्रायणी संहिता से

तथा शेष का सम्बन्ध तैत्तिरीय संहिता से है ।

बौधायन श्रौतसूत्र का सम्पादन डा० कैलेण्ड ने किया है तथा गोविन्द स्वामी के भाष्य के साथ यह मैसूर से भी प्रकाशित हुआ है । इसमें चौदह भाग हैं ।

आपस्तरब कल्पसूत्र तीस प्रश्नों में विभक्त है । इसमें षाच विभाग है- श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, गृह्यमन्त्र, धर्मसूत्र और शुल्बसूत्र । सायण से अर्वाचीन याज्ञिक विद्वान- चौण्डपाचार्य ने ब्रयोग रत्नमाला में आपस्तम्बकल्प सूत्र के विषय में लिखा है -

त्रिंशत्प्रश्नान्मक सूत्रमापस्तम्बमुनीरितम् ।

श्रौतगार्हस्मार्तकर्म बोधक्यं तत्रष चभि ॥

आपस्तम्ब कल्प के प्रथम तेइस प्रश्न श्रौतसूत्र है, 24वाँ प्रश्न षरिभाषा है, 25 तथा 26 प्रश्नों में गृह्यमन्त्र कथित है । 27वाँ प्रश्न गृह्यसूत्र है । 28 तथा 29 प्रश्न धर्मसूत्र है तथा अन्तिम 30वाँ प्रश्न शुल्ब सूत्र है ।

23 प्रश्नपर्यन्त श्रौतभाग की मुख्य विषय सूची इस प्रकार है -

- ॥1॥ तीन ऋश्नों में - दर्शपूर्णमास यज्ञ
- ॥2॥ चतुर्थ ऋश्न में - याजमान
- ॥3॥ षष्ठम ऋश्न में - अग्निधेय, बुनराधान
- ॥4॥ षष्ठ ऋश्न में - अग्निहोत्र
- ॥5॥ सप्तम ऋश्न में - निरल्पशुबन्ध
- ॥6॥ अष्टम ऋश्न में = वैश्वदेव, वसुधाध्यास, साकमेध, शुनासीरीय और चातुर्मास्यत्
- ॥7॥ दश से द्वादश ऋश्न में- अग्निष्टोम
- ॥8॥ त्रयोदश ऋश्न = मध्यदिन और तृतीय सवन
- ॥9॥ चतुर्दश ऋश्न में - उक्थ्य, षोडशी, आप्तोर्यामि और अतिरात्र
- ॥10॥ षोडश ऋश्न में - प्रवर्ग्य
- ॥11॥ षोडश और सप्तदश में- अग्निचयन
- ॥12॥ अष्टादश में - वाजपेय और राजसूय
- ॥13॥ उन्नीसवें ऋश्न में - सौत्रामणी और ऋश्विष्ट
- ॥14॥ बीसवें ऋश्न में - अश्वमेध, बुरुषमेध और सर्वमेध
- ॥15॥ इक्कीसवें ऋश्न में- द्वादशाह, गवामयन
- ॥16॥ बाईसवें ऋश्न में - अहीन और सव
- ॥17॥ तेईसवें ऋश्न में - सत्र

हिरण्यकेशी श्रौतसूत्र आष्वस्तम्ब की अपेक्षा अर्वाचीन माना जाता है इसीलिए इसकी रचना आष्वस्तम्ब श्रौतसूत्र के आधार पर विशेषतः प्रतीत होती है । इसे सत्याबाद श्रौतसूत्र भी कहते हैं । इस कल्बसूत्र में अष्टारह अध्याय है जो नानाविध यज्ञीय विधानों से सम्बन्धित है ।

वैरवहनस श्रौतसूत्र, बैखानस कल्बसूत्र के प्रश्न 12-32 के अन्तर्गत है । प्रश्न 1-8 में गृह्यसूत्र है, प्रश्न 8-10 में धर्मसूत्र और प्रश्न 11 में प्रवरसूत्र हैं । इन सूत्रों की विषय वस्तु के निर्धारण एवं आष्व में आये उद्धरणों से यह अनुमानित होता है कि यह सम्पूर्ण कल्बसूत्र एक ही लेखक की रचना है ।

बैखानस श्रौतसूत्र में अनेक बातें आष्वस्तम्ब, बौधायन और हिरण्यकेशी श्रौतसूत्र के आधार पर प्रतीत होती है ।

भारव्दाज श्रौतसूत्र के वर्तमान में 15 प्रश्न ही उल्लेख्य है । तथा अनेक महत्वपूर्ण यागों का वर्णन उल्लेख्य नहीं है यथा-अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय । भारव्दाज श्रौतसूत्र के आन्तरिक साक्ष्यों से यह ध्वनित होता है कि इसमें मूलतः अनेक प्रश्न थे क्योंकि भारव्दाज

हिरण्यकेशी श्रौतसूत्र आष्वस्तम्ब की अपेक्षा अर्वाचीन माना जाता है इसीलिए इसकी रचना आष्वस्तम्ब श्रौतसूत्र के आधार पर विशेषतः प्रतीत होती है । इसे सत्याषाढ श्रौतसूत्र भी कहते हैं । इस कल्मसूत्र में अष्टारह अध्याय हैं जो नानाविध यज्ञीय विधानों से सम्बन्धित हैं ।

वैरवहंस श्रौतसूत्र, बैखानस कल्मसूत्र के प्रश्न 12-32 के अन्तर्गत हैं । प्रश्न 1-8 में गृह्यसूत्र है, प्रश्न 8-10 में धर्मसूत्र और प्रश्न 11 में ऋक्सूत्र हैं । इन सूत्रों की विषय वस्तु के निर्धारण एवं आष्वस्तम्ब में आये उद्धरणों से यह अनुमानित होता है कि यह सम्पूर्ण कल्मसूत्र एक ही लेखक की रचना है ।

बैखानस श्रौतसूत्र में अनेक बातें आष्वस्तम्ब, बौधायन और हिरण्यकेशी श्रौतसूत्र के आधार पर प्रतीत होती हैं ।

भारव्दाज श्रौतसूत्र के वर्तमान में 15 प्रश्न ही उल्लेख्य हैं । तथा अनेक महत्वपूर्ण यागों का वर्णन उल्लेख्य नहीं है यथा-अश्वमेध, राजसूय और वाजवेय । भारव्दाज श्रौतसूत्र के आन्तरिक साक्ष्यों से यह ध्वनित होता है कि इसमें मूलतः अनेक प्रश्न थे क्योंकि भारव्दाज

श्रौतसूत्र §14/26/12 में कहा गया है कि सोम याग से सम्बन्धित अनेक कृत्यों का वर्णन राजसूय के वर्णन के समय कर दिया गया है।

मानव श्रौतसूत्र कृष्णयजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से सम्बद्ध है। इसमें षाच अध्याय है और ऋत्येक अध्याय खण्डों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में आठ खण्ड है जिनमें दर्शनाभिर्षमास, ऋण्डाभितृयज्ञ, अग्न्याधान, अग्निहोत्र, आग्रयण, अग्न्युपस्थान, पुनराधान, चातुर्मास्य, षितृयज्ञ, षशुबन्ध, षञ्चसावत्सारिक आदि विषयों का प्रतिपादन है। द्वितीय अध्याय के षांच खण्डों में अग्निच्छोम का विषद वर्णन है। तृतीय अध्याय के आठ खण्डों में प्रायश्चित्त, चतुर्थ अध्याय के आठ खण्डों में षुवर्ग्य और षञ्चम अध्याय के दो खण्डों में इच्छि का वर्णन है। इसकी शैली वर्णनात्मक है और कृष्णयजुर्वेद के ब्राह्मणभाग के समान है। अन्तर केवल इतना ही है कि इसमें केवल षुयोग विधि का ही वर्णन है, आध्यानादि का विवरण नहीं है।

अधर्ववेद से सम्बन्धित श्रौतसूत्र बेतान श्रौतसूत्र है। इस श्रौतसूत्र में आठ अध्याय है जो 43 कण्डिका में विभक्त है। यह श्रौतसूत्र न तो ष्राचीन और न ही ष्रौतिक माना जाता है तथा ष्रुतीय होता है कि यह किसी अधर्ववेदीय शाखा का श्रौतसूत्र का जिसका उद्देश्य

श्रौत ऋग्भरणा से अपने शिष्यों को अवगत कराना । वैतान नाम से भी यह सिद्ध होता है । वैतान का अर्थ है= त्रिविध अग्नि-सम्बन्धी ग्रन्थ।

वैतान श्रौतसूत्र अनेक स्थलों पर गोबध ब्राह्मण का अनुसरण करता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यज्ञ यागादि विधानों को श्रौत-सूत्रों में प्रस्तुत किया गया है ।

गृह्यसूत्र

गृह्यसूत्रों में मुख्यतः उन घाञ्जिक कर्मों और संस्कारों का वर्णन है जिनका सम्बन्ध मुख्यतः गृहस्थ से है । इनमें गर्भाधान से लेकर मृत्यु-पर्यन्त और मृत्यु के बाद किये जाने वाले संस्कारों तथा अनुष्ठान विधियों का विवरण प्राप्त होना है । उक्त के अतिरिक्त अनेक सामाजिक क्रियाओं और रीति-रिवाजों के भी वर्णन गृह्यसूत्रों में प्राप्त होते हैं । बन्ध-महायज्ञ, श्राद्धकर्म तथा अभिवारिक क्रियाओं के भी वर्णन है ।

इस प्रकार गृह्यसूत्रों में एक और तो हिन्दू जीवन में गृहस्थ के व्यक्तिगत जीवन के संस्कारों का विवेचन मुख्य रूप से हुआ है किन्तु

इनके साथ प्रात एवं सायंकाल की दैनिक आहुतियों का प्रतिमाह किये जाने वाले बलिर्कर्मों का प्रतिदिन की बलियों का वर्णन है । इनके साथ ही वार्षिक कर्मों के विवेचन को भी गृह्यसूत्रों में स्थान मिला । इस प्रकार के कर्म हैं --वर्षबलि, पृथ्वी पर शयन का आरम्भ, नये अन्नों के प्रयोग के समय किये जाने वाले कर्म, अष्टका कर्म तथा पितृकर्म ।

वार्षिक कर्मों के अतिरिक्त कुछ ऐसी क्रियाओं का विवेचन भी गृह्यसूत्रों में हुआ है जिनका जीवन के साधनों से तात्पर्य है जैसे घर बनाने के लिए भूमि का चुनाव, घर बनाने की विधि, स्तम्भ रखने की विधि, स्नाध्याय के आरम्भ की क्रिया ।

इन क्रियाओं के अतिरिक्त अन्त्येष्टि और पितृकर्म की क्रियाओं के साथ साथ अभिचारिक क्रियाओं का भी वर्णन गृह्यसूत्रों में मिलता है । जैसे पुत्र या पत्नी को रोग होने पर किये जाने वाले अभिचार, पत्नी को परपुरुषगामिनी होने से बचाने के लिए अभिचार ।

प्रायश्चित्तों का भी वर्णन प्राप्त होता है एवं छोटे-छोटे विभिन्न या अवसर पर किये जाने वाले अभिमन्त्रण का भी बीच-बीच में उल्लेख है ।

इस प्रकार गृह्यसूत्रों के विषयों को हम इन बर्गों के अन्तर्गत

रख सकते हैं -

- ११॥ जीवन से सम्बद्ध संस्कार ।
- १२॥ दैनिक जीवन के होमकर्म तथा अन्न की बलि ।
- १३॥ मासिक पर्वों पर किये जाने वाले कर्म ।
- १४॥ वार्षिक कर्म ।
- १५॥ जीवन से सम्बद्ध कर्म ।
- १६॥ श्रातकर्म ।
- १७॥ आभिचारिक कर्म ।
- १८॥ प्रायश्चित्त के कर्म ।
- १९॥ अभिमन्त्रण के निर्देश ।

ऋग्वेद से सम्बन्धित गृह्यसूत्र - ऋग्वेद से सम्बद्ध प्रकाशित गृह्यसूत्र

निम्न है -

- १॥ शाखायन गृह्यसूत्र
- २॥ कौषीतकि गृह्यसूत्र
- ३॥ आश्वलायन गृह्यसूत्र

शाखायन गृह्यसूत्र - शाखायन गृह्यसूत्र ऋग्वेद की शाखायन शाखा से सम्बन्धित है । वर्तमान में शाखायन गृह्यसूत्र में 6 अध्याय हैं । जिनमें से 5वां सब छठा अध्याय बाद का माना जाता है क्योंकि शाखायन

गृह्यसूत्र के व्याख्याकार नारायण ने शांखायन गृह्यसूत्र के पाचवें अध्याय को परिशिष्ट कहा है¹ ।

इस गृह्यसूत्र की रचना सुयज्ञ ने की है । इस सम्बन्ध में ओल्डन-वर्ग ने नारायण की एक कारिका² उद्धृत की है जिससे स्पष्ट होता है कि शांखायन गृह्यसूत्र के रचनाकार सुयज्ञ है ।

इसके प्रथम अध्याय में गर्भाधानादि संस्कारों एवं पार्वण का वर्णन है । द्वितीय अध्याय में उपनयन एवं ब्रह्मचर्य आश्रम का विवरण है । तृतीय में स्नान, गृहनिर्माण, मृहप्रवेश, वृषोत्सर्ग आगृहायणी और अष्टका का वर्णन है । चतुर्थ अध्याय में श्राद्ध श्रावणी, आश्व-युजी और चैत्री का उल्लेख है । पंचम और षष्ठ में प्रायश्चित्तों का वर्णन है ।

1. अथ परिशिष्टाख्य प्रथमोऽध्याय आरभ्यते ।

- नारायण की व्याख्या सहित शांखायन
गृह्यसूत्र पृ० 210

2. अत्रारणि प्रदात यदध्वर्युं कुरुते क्वचित् ।

मत्तं तन्न सुयज्ञस्य मधित सोऽत्र नेच्छति ॥

- से०बु०आ०ई०भाग 29 पृ०-8

कौषीतिक गृह्यसूत्र - कौषीतिक गृह्यसूत्र ऋग्वेद की कौषीतिक शाखा से सम्बन्धित है। प्रायः शाखायन और कौषीतिक शाखा को एक ही माना जाता रहा है, किन्तु शाखायन शाखा के गृह्यसूत्र के अतिरिक्त कौषीतिक शाखा का भी गृह्यसूत्र उपलब्ध है। यद्यपि दोनों के विषय विवेचन में समानता मिलती है तथापि दोनों सर्वथा भिन्न हैं।

कौषीतिक गृह्यसूत्र में 5 अध्याय हैं। इसके रचयिता शाम्भव्य माने गये हैं अतएव इस आधार पर इस गृह्यसूत्र को शाम्भव्यगृह्यसूत्र भी कहा जाता है।

आश्वलायन गृह्यसूत्र - ऋग्वेद की आश्वलायन शाखा से सम्बन्धित इस गृह्यसूत्र में चार अध्याय हैं, जिनका विभाजन कई खण्डों में किया गया है।

आश्वलायन इस गृह्यसूत्र के रचयिता माने जाते हैं। परम्परा के अनुसार आश्वलायन, शौनक के शिष्य थे जिन्होंने अन्य रचनाओं के अतिरिक्त प्रथम कल्पसूत्र की रचना की। परन्तु जब आश्वलायन ने सूत्र रचना की तथा शौनक को सुनाया तब शौनक ने अपने सूत्र को नष्ट कर दिया तथा घोषित किया कि उस वैदिक शाखा के शिष्य आश्वलायन

के सूत्र को स्वीकारेगे । ।

उक्त के अतिरिक्त हम आश्वलायन गृह्यसूत्र में नम शौनकाय का तथा शौनक के मत का उद्धरण पाते हैं² ।

उक्त से यह स्पष्ट है कि आश्वलायन, शौनक के शिष्य थे।

आश्वलायन गृह्यसूत्र के प्रथम अध्याय में विवाह, पार्वण, पशुयज्ञ, चैत्ययज्ञ, गर्भाधानादि तस्कारों का वर्णन है । द्वितीय अध्याय में श्रावणी, आश्वयुजी, आग्रहाश्रणी, अष्टका, गृहनिर्माण और गृह प्रवेश का वर्णन है। तृतीय अध्याय में वेदाध्ययन के नियम एवं श्रावणी का वर्णन है । चतुर्थ अध्याय में अत्येष्टि और श्राद्ध का विवेचन है । इस पर जयन्तस्वामी, देवस्वामी, नारायण एवं हरदत्त की व्याख्या, वृत्ति सब भाष्य है ।

1. शौनकस्य तु शिष्योऽमूद् भगवानाश्वलायन । स तस्माच्छ्रुत-सर्वज्ञ-सूत्रं कृत्वा न्यवेदयत् ॥ प्रबोधपरिशुद्धयर्थं शौनकस्य प्रियं त्विति । सहस्रत्रयण्डं स्वकृतं सूत्रं ब्राह्मण-तन्निभम् ॥ शिष्याश्वलायनप्रीत्यै शौनकेन विषादितम् । उक्तं तत्तत्कृतं सूत्रमस्य वेदस्य चास्ति त्विति ॥ व्दादशाध्यायकं सूत्रं चतुष्कं गृह्यमेव च चितुर्धारण्यकं चेति ह्याश्वलायनसूत्रकम् ॥ षड्गुरशिष्यस्य ।

-मेक्समूलर, हिस्ट्री आफ् संस्कृत लिटरेचर पृ० 120 में उद्धृत

2. नोद्धरेत् प्रथमं पात्रं पितृणामक्वंपातितम् । आबृतास्तत्र तिष्ठन्ति पितर शौनको ब्रवीत् ॥

सामवेद से सम्बन्धित गृह्यसूत्र - सामवेद से सम्बन्धित निम्न गृह्यसूत्र

इस समय उपलब्ध है -

१। गोभिलगृह्यसूत्र

२। खदिर गृह्यसूत्र

३। जैमिनीय गृह्यसूत्र

गोभिलगृह्यसूत्र - सामवेद से सम्बन्धित गृह्यसूत्रों में गोभिलगृह्यसूत्र प्रमुख

यह सामवेद की कौथुमशाखा से सम्बन्धित है । इसमें सामवेद और मन्त्र-

ब्राह्मण के मन्त्रों के उद्घरण है । इसमें चार प्रपाठक हैं । प्रथम

प्रपाठक में ब्रह्मयज्ञ, दर्शपूर्णमासादि का वर्णन है । द्वितीय में

विवाह तथा गर्भाधानादि तस्कारों का विवेचन है । तृतीय में ब्रह्मचर्य

गोपालन, गोयज्ञ, अश्वयज्ञ, श्रावणी आदि का वर्णन है । चतुर्थ में

अष्टका, गृह निर्माण आदि विधियों का वर्णन है ।

खदिरगृह्यसूत्र - खदिर गृह्यसूत्र राणाप्रनीय शाखा से सम्बन्धित है । यह

गोभिल गृह्यसूत्र से मिलता जुलता है । ओल्डनबर्ग के अनुसार

यह गोभिल गृह्यसूत्र का संक्षिप्त तस्करण प्रतीत होता है ।

जैमिनीय गृह्यसूत्र - यह गृह्यसूत्र सामवेद की जैमिनीय शाखा से सम्बन्धित है। यह गृह्यसूत्र दो खण्डों - पूर्व एवं उत्तर में विभक्त है। प्रथम खण्ड में 24 कण्डिकाएँ हैं और द्वितीय खण्ड में 9 कण्डिकाएँ हैं इसमें सामवेद के अनुसार ही मन्त्रों के उद्धरण हैं। इसे डा० कैलेण्ड ने सुबोधिनी टीका और विस्तृत भूमिका के साथ 1922 में लाहौर से प्रकाशित किया है।

कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्धित गृह्यसूत्र - कृष्णयजुर्वेद के नौ गृह्यसूत्र हैं -

- १। १ बौधायन गृह्यसूत्र,
- १। २ आपस्तम्ब गृह्यसूत्र,
- १। ३ भारद्वाज गृह्यसूत्र,
- १। ४ तिरिण्यकेशी गृह्यसूत्र,
- १। ५ वैश्वानर गृह्यसूत्र,
- १। ६ काठक गृह्यसूत्र,
- १। ७ वाराहगृह्यसूत्र,
- १। ८ मानव गृह्यसूत्र,
- १। ९ बाधूल गृह्यसूत्र,

बौधायन गृह्यसूत्र- बौधायन गृह्यसूत्र कल्पसूत्र का ही एक भाग है इसमें

चार प्रश्न हैं, किन्तु अश्विनी भारतीय संस्करण में 4 के स्थान पर 9

प्रश्न मिलते हैं। इसके रचयिता बौधायन ऋषि थे। यह मैसूर गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल लाइब्रेरी संस्कृत सीरिज से 1920 ई० में गोविन्द स्वामी के भाष्य के साथ प्रकाशित है।

आपस्तम्ब गृह्यसूत्र :- आपस्तम्ब ऋषि का 27वा प्रश्न गृह्यसूत्र है। यह 8 पटलों में विभक्त है तथा इन पटलों के अन्तर्गत 23 खण्ड हैं। आपस्तम्ब गृह्यसूत्र का प्रथम संस्करण जर्मन विद्वान, बिण्टरनिट्स ने 1887 में विपना से प्रकाशित कराया। जर्मनी के ही डा० ओल्डेनबर्ग ने सेक्रेड बुक्स आफ दी ईस्ट ग्रन्थमाला के अन्तर्गत इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराया। हरदत्त की अनाकुला वृत्ति और सुदर्शनाचार्य की तात्पर्य दर्शन टीका के साथ 1928 ई० में आपस्तम्ब गृह्यसूत्र का संस्करण चौखम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस में प्रकाशित हुआ।

भारव्दाज गृह्यसूत्र - कृष्यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का गृह्यसूत्र

भारव्दाज गृह्यसूत्र है। यह लाइडेन के डा० सालोमन व्दारा 1913ई० में प्रकाशित हुआ। इस गृह्यसूत्र में तीन प्रश्न हैं।

हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र- कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से हिरण्यकेशी

गृह्यसूत्र भी सम्बन्धित है। हिरण्यकेशी कल्पसूत्र का उन्नीसवाँ और बीसवाँ अध्याय हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र है। इसको सत्याबाट गृह्यसूत्र

भी कहते हैं। इसका प्रथम संस्करण डा० क्रिष्णे ने वियना से निकाला था और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी सेक्रेड बुक्स आफ दी ईस्ट ग्रन्थमाला में हुआ है एव मातृदन्त की व्याख्या एव परिशिष्ट के साथ 1889 ई० में प्रकाशित हुआ ।

वैखानस गृह्यसूत्र - यह भी तैत्तिरीय शाखा से सम्बन्ध है । यह परबतीपुग की रचना मानी गई है क्योंकि इस गृह्यसूत्र के अन्तर्गत ऐसे विषयों का समावेश है जो परिशिष्ट के अन्तर्गत आते हैं । डा० कैलेण्ड ने इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया है ।

काठक गृह्यसूत्र - काठक गृह्यसूत्र कठशाखा से स्पष्टतः अपना सम्बन्ध रखता है । इसे लौगाक्षि गृह्यसूत्र भी कहते हैं । इसमें दो प्रकार के विभाग मिलते हैं- एक विभाग के अनुसार इसमें आरम्भ से लेकर अन्त तक 73 कण्डिकाएँ हैं, दूसरे प्रकार में इसमें पाँच अध्याय हैं । इसी अर्थाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम गृह्य षड्विंशिका है । इसकी तीन टीकाएँ उपलब्ध हैं । इन तीन टीकाओं के सारांश के साथ डा० कैलेण्ड ने इसका संस्करण लाहौर से प्रकाशित कराया था ।

बाराहगृह्यसूत्र - बाराहगृह्यसूत्र मैत्रायणी शाखा से सम्बन्ध है । इस गृह्यसूत्र में केवल आधे गृह्यकृत्यों का वर्णन है तथा इसका बहुत

सा अंश मानवगृह्यसूत्र तथा काठक गृह्यसूत्र के सामान है ।

बाधूल गृह्यसूत्र .- बाधूल गृह्यसूत्र का रचयिता अग्निवेश है अतः इसे अग्निवेश्य गृह्यसूत्र भी कहते हैं यह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से सम्बन्धित है । भाषा, शैली और विषय वचन के आधार पर यह अन्य गृह्य सूत्रों से भिन्न है।

शुक्ल यजुर्वेद से सम्बन्धित गृह्यसूत्र :- शुक्ल यजुर्वेद का एक मात्र प्रकाशित गृह्यसूत्र पारस्कर गृह्यसूत्र है । यह कातीय गृह्यसूत्र भी कहलाता है । इसमें तीन काण्ड हैं । प्रथम काण्ड में आबस्य अग्नि का आधान तथा गर्भधारण से आरम्भ कर अन्नप्राशन तक का वर्णन है । द्वितीय काण्ड में चूड़ाकरण, उपनयन, समावर्तन, षष्ठ्यमहायज्ञ, श्रवणाकर्म, सीताकर्म का विवरण है । अन्तिम काण्ड में श्राद्ध, अबकीर्ण प्रायश्चित्त की विधियों का वर्णन है । इस गृह्यसूत्र की कई व्याख्यायें हुई हैं । इसके पाँच व्याख्याकार हैं कर्म, जयराम, हरिहर, गदाधर तथा विश्वनाथ पावो भाष्यों के साथ इसका एक संस्करण 1917 ई० में गुजराती प्रेस बम्बई से प्रकाशित है ।

अथर्ववेद से सम्बन्धित गृह्यसूत्र .- अथर्ववेद से सम्बन्धित केवल कौशिक

गृह्यसूत्र उपलब्ध है । यह शौनक शाखा से सम्बन्धित है । इसमें

14 अध्याय हैं । इस गृह्यसूत्र की दो व्याख्यायें उपलब्ध होती हैं ।

जिनके लेखक हारिल ओर केशव है । इसमें प्राचीन काल के जादू की अनेक क्रियाओं का वर्णन है एवं वैद्यक शास्त्र के विषयों पर भी इस गृह्यसूत्र से प्रकाश पडता है । इसका संस्करण ब्लूमफील्ड ने 1890 में अमेरिका से प्रकाशित कराया । ब्लूमफील्ड के अनुसार यह गृह्यसूत्र दो प्रकार के सूत्रों - गृह्यसूत्रों एवं अथर्वसूत्रों का मिश्रण है यह ज्ञान इसके सूत्रों की शैली विषयवस्तु के आधार पर ज्ञात होती है । ।

शुल्ब सूत्र

शुल्बसूत्र कल्पसूत्र का प्रमुख अंग है । शुल्ब शब्द का अर्थ है- रज्जु अर्थात् रज्जु के द्वारा मापी गई वेदि की रचना शुल्बसूत्र का प्रतिपाद्य है। यह भारतीय ज्योतिषि शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है । शुल्ब सूत्रों में ज्योतिषि का सम्पूर्ण विषय रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज वृत्तादि प्रमेय आदि का वर्णन प्राप्त होता है ।

सिध्दान्त की दृष्टि से जो प्रत्येक वैदिक शास्त्र का अपना विशिष्ट शुल्बसूत्र होता है, परन्तु व्यवहारतः ऐसी बात नहीं है सम्प्रति केवल यजुर्वेद

से सम्बद्ध शुल्ब सूत्र मिलते हैं ।

शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध केवल कात्यायन शुल्ब सूत्र उपलब्ध है । इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग में सात कण्डिकाएँ और नब्बे सूत्र हैं । इसमें वेदियों की रचना के लिए आवश्यक रेखा गणितीय तथ्य, वेदियों का स्थानक्रम तथा उनके परिमाण का पूर्ण वर्णन प्राप्त होता है । द्वितीय भाग श्लोकात्मक है इसमें 40 या 48 श्लोक मिलते हैं । यहां नापने वाली रज्जु का वेदिनिर्माता के गुणों एवं कर्तव्यों का वर्णन है तथा साथ ही प्रथम भाग में वर्णित रचना पध्दति का भी विवरण प्राप्त होता है । इसके उपर दो टीकायें उपलब्ध होती हैं -

॥ १ ॥ महीधर ॥ २ ॥ राम या रामताजपेय

कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध छ. शुल्ब सूत्र उपलब्ध है- बौधायन ,
आषस्तम्ब मानव, मैत्रायणीय, वाराह और वाधूल । इनके अतिरिक्त आष-
स्तम्ब शुल्ब ॥ ११/११ ॥ टीका में करीबन्द स्वामी ने यशक शुल्ब तथा हिरण्य-
केशी-शुल्ब का उल्लेख किया है जो आज कल उपलब्ध नहीं है ।

बौधायन शुल्ब सूत्र इन उपलब्ध शुल्ब सूत्रों में सबसे बड़ा तथा

सम्भवतः सबसे प्राचीन शुल्ब सूत्र है । इसके तीन परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेद

में 116 विद्वतीय में 86 तथा तृतीय में 323 सूत्र है । इसके प्रथम परिच्छेद में मंगलाचरण के अनन्तर शुल्ब में प्रयुक्त विविध मानों, यज्ञवेदियों के निर्माण के लिए रेखागणित सम्बन्धी त्रय एव वेदियों के स्थान एवं आकार का वर्णन है । विद्वतीय परिच्छेद में 86 सूत्र है, जिनमें वेदियों के निर्माण के नियम एव मन्त्रों द्वारा निर्मित वेदि के वर्णन प्राप्त होते हैं । तृतीय परिच्छेद में 323 सूत्र है। इनमें काम्य दृष्टियों के 17 प्रभेदों के लिए वेदि के निर्माण का विशद विवरण है । डा० घीबो ने अंग्रेजी अनुवाद के साथ इसका प्रकाशन किया है । इसके प्रमुख टीकाकार व्दारकानाथ यज्वा एव बेंकटेश्वर दीक्षित हैं।

आषस्तम्ब शुल्बसूत्र आपस्तम्ब कल्ब का अन्तिम और तीसरा प्रश्न है । इसमें 6 षटल, 21 अध्याय तथा 223 सूत्र है । प्रथम षटल में वेदियों को रचना के आधारभूत रेखागणितीय सिद्धान्तों का निर्बचन है । विद्वतीय षटल में वेदि के क्रमिक स्थान तथा उनके सूत्रों का वर्णन है । अन्तिम चार षटलों में काम्य दृष्टि के लिए आवश्यक विभिन्न वेदियों के आकार प्रकार का विशद विवेचन है । इसके उपर- §1§ कषर्दिस्वामी §2§ करविन्द स्वामी §3§ सुन्दर-राज §4§ गोपाल की टीकायें उपलब्ध हैं ।

इसके अतिरिक्त मानव शुल्बसूत्र भी उपलब्ध होता है जो गद्य तथा षड्य में मिश्रित छोटा ग्रन्थ है इसमें अनेक नवीन वेदियंत्रों का वर्णन मिलता है जो पूर्वोक्त ग्रन्थों में नहीं मिलता । इसमें सुवर्ण चित्त नामक प्रसिद्ध वेदि

का वर्णन है ।

उक्त के अतिरिक्त मैत्रायणीय और बाराह शुल्ब सूत्र भी प्राप्त होते हैं । मैत्रायणीय शुल्ब सूत्र, बाराह शुल्ब सूत्र, मानव शुल्ब सूत्र के ही सामा है । इसमें विषय की समानता के साथ-साथ श्लोकों की समानता भी प्राप्त होती है । सम्भवतः कृष्णयजुः से सम्बन्ध होने के कारण इन तीनों में समानता है ।

धर्मसूत्र

धर्मसूत्र वैदिक साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग हैं क्योंकि धर्मसूत्र सामाजिक जीवन के नियमों, रीति रिवाजों, धार्मिक क्रिया कलाओं आचार विचारों एवं राजाओं के कर्तव्यों का विवेचन करते हैं । भारतीय कानून के ये आदिग्रन्थ हैं । इनमें बर्णाश्रमधर्म, चारों बर्णों के आचार एवं कर्तव्य, प्रजा के साथ राजा का व्यवहार, दण्डविधान, व्यवहारोपनिषद् आदि विषयों का विस्तृत विवेचन है । राज्य व्यवस्था कर विधान, दाय भाग, स्त्रीधन, उत्तराधिकार दण्ड व्यवस्था आदि धर्मसूत्रों के मुख्य विषय हैं । इनके अतिरिक्त खानपान की व्यवस्था, आत्मा का स्वरूप, पुनर्जन्म का सिद्धान्त का विवेचन भी धर्मसूत्रों में प्राप्त होता है । लौकिक आचार एवं व्यवहार की सामग्री भी इसमें बर्णित मात्रा में है ।

धर्मसूत्रों का रचनाकाल

धर्मसूत्रों के रचनाकाल के सन्दर्भ में विभिन्न मत प्राप्त होते हैं ।

कतिपय उल्लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि श्रौत एवं गृह्यसूत्रों से पहले धर्मसूत्र विद्यमान थे । श्रौतसूत्र में ऋणोष्णीत धारणा की विधि नहीं बताया गया है और इसका संकेत किया गया है कि यह विधि धर्मसूत्र से ज्ञात है । इसी प्रकार मुखशुद्धि, आचान्त, और सन्ध्यावन्दन के नियमों के ज्ञात होने का संकेत है । परन्तु ये तर्क निर्बल हैं ।

निरुक्त ३/४/५ से प्रकट होता है कि यास्क से पहले पुत्री के रिक्का-धिकार के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हुए थे । इस सन्दर्भ में यास्क ने वैदिक मन्त्र को उद्धृत किया है और एक ऐसे श्लोक का निर्देश किया है जिससे धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों का पहले विद्यमान होना स्पष्ट है ।

इस तर्क के आलोक में श्रीकाणो ने निष्कर्ष निकाला कि "धर्मशास्त्र यास्क के पूर्व उपस्थित थे, कम से कम ई०पू० ६००-३०० के पूर्व तो वे थे ही और ईसा पूर्व की विद्वतीय शताब्दी में वे मानव आचार के लिये सबसे बड़े प्रमाण माने जाते थे।" 2

1. तदेतादृक् श्लोकाम्यामभ्युक्तम् । अद्गादिद्गात्सम्भवति स जीव शरद शतम् ।
अबिशोषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मत । मिथुनानां बिसर्गादो मनु
स्वायम्भुवोऽब्रवीत् ।

2 . धर्मशास्त्र का इतिहास पृ० १

ई०पू० 600-300 के पूर्व धर्मशास्त्रों की उदरस्थिति इस तर्क से पुष्ट हो जाती है कि धर्मसूत्रों में प्राचीनतम धर्मसूत्र गौतम, बौधायन एवं आश्वस्तम्ब धर्मसूत्रों में धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्रकारों का बहुश उल्लेख हुआ है। उदाहरणार्थ मनु के मत का नामत उल्लेख हुआ है¹। इसी प्रकार राजा के व्यवहार के साधन बताते समय कहा गया है कि राजा के व्यवहार के साधन हैं- वेद धर्मशास्त्र, वेदांग, उपवेद और बुराण²।

एवं गौतम ने कई स्थलों पर दूसरे आचार्यों के मतों का निर्देशा एके एवं आचार्या कहकर किया है³।

गौतम धर्मसूत्र के अतिरिक्त अन्य धर्मसूत्रों में भी धर्मशास्त्रकारों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में भी कण्व, काण्व, कुषिक, कुत्स, कौत्स, बुष्करसादि, बाह्ययिणि, श्रेतकेतु, हारीत आदि ऋषियों के नाम आते हैं।

बौधायन ने भी धर्मशास्त्र शब्द का प्रयोग किया है⁴।

-
1. त्तीणि ब्रह्मान्यनिर्देश्यान्मनु गो०ध०सू० 3/3/7
 2. तस्य च व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राराय गा न्युबवेदा बुराणम् गो०ध०सू० 2/2/19
 3. गो०ध०सू० 1/2/15, 1/3/35, 1/4/18
 4. तदेतद्धर्मशास्त्रं ना भक्ताय ना पुत्राय ना शिष्याय ना संबन्धरो धिताय दधात् 4/5/9

उक्त के अतिरिक्त मत जलि ने 'धर्मशास्त्र च तथा' एवं जैमिनि ने भी पूर्वमीमांसा # §6/7/6 § में शूद्राश्च धर्मशास्त्रत्वात् कहकर धर्मशास्त्रों के अस्तित्व को स्वीकारा है ।

उक्त के अतिरिक्त प्राचीन धर्मसूत्रों गौतम, बौधायन एवं आश्वस्तम्ब में अषाणनीय शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है इससे सिद्ध होता है कि ये धर्मसूत्र पाणिनि से पूर्ववर्ती थे । पाणिनि का समय डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने षाँववी शती ई०पू० के मध्य माना है । आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र एवं बौधायन तथा गौतम धर्मसूत्र में निश्चित रूप से अनेक वर्षों का अन्तर रहा होगा ऐसा उनमें बर्णित सामाजिक स्थिति के अध्ययन से बता चलता है । अतएव गौतम बौधायन इत्यादि धर्मसूत्रों की उभरी समय सीमा 800 ई० के आस पास रखना असंगत न होगा ।

ब्रह्मिष्ठ धर्मसूत्र ने म्लेच्छभाषा के शिक्षण का निषेध किया है- न म्लेच्छभाषा शिक्षेत §6/41 § इससे भासित होता है कि यूनानानियों का सम्पर्क जब भारत से हुआ, उस समय वे विद्यमान थे। यूनानी भाषा से संस्कृत को श्रेष्ठ ठहराने का प्रयोजन और क्या हो सकता है । इस प्रमाण से इस धर्मशास्त्र का समय ई०पू० 300 के आस पास रखा जा सकता है ।

याज्ञवल्क्य ने 20 धर्मवक्ताओं के नाम दिये हैं। याज्ञवल्क्य का समय 100 ई०पू० से 300 ई० माना गया है। अतएव धर्मसूत्र की निचली समय सीमा 200 ई०पू० तक मानी जा सकती है।

गौतम धर्मसूत्र

उपलब्ध धर्मसूत्रों में गौतम धर्मसूत्र प्राचीनतम माना जाता है। इसकी प्राचीनता के कई प्रमाण हैं। यद्यपि गौतम धर्मसूत्र में कोई प्रमाण ऐसा प्राप्त नहीं होता कि जिससे उसकी तिथि निश्चित की जा सके। अतः आन्तरिक एवं बाह्य प्रमाणों के आधार पर हम उसकी केवल ऊपरी एवं निचली समय सीमा ही निर्धारित कर सकते हैं। सर्वप्रथम गौतम धर्मसूत्र का वेदाग बुराण, उपनिषद्, वेद, वेदान्त आदि से अनभिज्ञ न थे इनका हवाला गौतम धर्मसूत्र में कई जगह मिलता है। यथा "उपनिषदो वेदान्तः सर्वच्छन्दः सहिता मधुन्यधम-
र्षणामर्षिशरो रुद्रा बुरुषसूक्त राजतरौहिणे सामनी बृहद्रथन्तरे बुरुषगतिर्महा-
नाग्नयो महाबैराजं महादिवाकीर्त्यं ज्येष्ठसाम्नामन्यतमद् बहिष्मन्मानं कूष्मा-
ण्डानि षाबमान्य सावित्री वेति षाबमाननानि" 2 ।

-
1. मन्बत्रिबिष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽदिमहा ।
यमावस्तम्बसवर्ता. कात्यायनबृहस्पती ॥
बराशरव्यासशङ्खलिखिता दक्षगौतमौ ।
शातातको बलिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजका ॥

पुराण का उल्लेख ब्राह्म होता है -

लोकवेदवेदाङ्गगबित् ।

वाकोवाक्येतिहासपुराणकुशल 2

अन्य धर्माचार्यों में केवल मनु के मत का उल्लेख महाभारतकों का बर्णन करते समय गौतम ने किया है ।

" त्रीणि प्रथमान्यनिर्देश्यान्यनु"3

इसके आधार पर कहा जा सकता है कि गौतम धर्मसूत्र का प्रणयन मनुस्मृति के बश्चात् हुआ परन्तु मनुस्मृति के आन्तरिक प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान में उपलब्ध मनुस्मृति वह मनुस्मृति नहीं है जिसका उल्लेख गौतम ने किया है क्योंकि मनुस्मृति ३/15४ में गौतम का उल्लेख किया गया है और उन्हें उत्पन्न का पुत्र बताया गया है ।

गौतम धर्मसूत्र १/4/17४ में यवन शब्द का प्रयोग हुआ है जिससे यह भासित होता है कि गौतम धर्मसूत्र सिकन्दर के आक्रमण की तिथि अर्थात्

1. गौ०ध०सू० 1/8/5

2. वही 1/8/6

3. वही 3/3/7

326 ई०पू० के बाद की रचनक है पर अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि यवनों से इस देश के लोगों का परिचय 1000 ई०पू० से ही था।

सिकन्दर का आक्रमण 326 ई०पू० में हुआ किन्तु प्लेटे के §479 ई० पू० § युद्ध में भारतीय कौर्जे डेरियस की सेना की अंग थी। इतना ही नहीं सिकन्दर के आक्रमण से शताब्दियों पहले आर्यों को शक §सीदियन§ मद या मद्ग §मीडस§, असुर या असूर्य §असीरियन§ भारतीय और बल्लब §बार्थियन§ ज्ञात थे।

जहां तक गौतम के काल का ग्रहन है यह बिबादास्पद है किन्तु निम्न तर्कों के आधार पर उसके प्रणयन काल का अन्दाज लगाया जा सकता है।

§1. § गौतम का सर्वप्रथम उल्लेख बौधायन धर्मसूत्र में मिलता है। यहाँ तक कि गौतम धर्मसूत्र का उन्नीसवा अध्याय विना परिवर्तित रूप में बौधायन धर्मसूत्र में मिलता है और दोनों के बहुत से सूत्र एक दूसरे से मिलते जुलते हैं—यथा

बौधायन 3/10

उक्तो वर्णधर्मश्चाश्रमधर्मश्च §1 §
अथ खल्वब्रह्म बुरभो याप्येन कर्मणा §2 §
तत्र ब्राह्मश्चित्तं कुर्वान्न कुर्वादिति §4 §
न हि कर्म क्षीयते इति §5 §

गौतम 3/1

उक्तो वर्णधर्मश्चाऽऽश्रमधर्मश्च ।
अथ खल्वब्रह्म बुरभो याप्येन कर्मणा
लिप्यते--- §2 §
तत्र ब्राह्मश्चित्तं कुर्वान्न कुर्वादिति
मीमांसन्ते §3 §
न हि कर्म क्षीयते इति §5 §

इसी प्रकार बौधायन ने गौतम के सूत्रों को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया तथा समूचा अध्याय उद्धृत कर दिया है। इसके अतिरिक्त बौधायन धर्म-सूत्र के 1/3/24-34 तक के सूत्रों से मिलते जुलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बौधायन धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र के बाद के समय की रचना है। डा० काणे ने बौधायन का समय 500-200 ई०पू० माना है। अतः इससे गौतम की निचली समयसीमा निर्धारित होती है।

§2§ बसिष्ठ धर्मसूत्र में भी गौतम धर्मसूत्र से सामग्री ली गयी है जिससे यह अनुमान किया जाता है कि यह गौतम के बाद की रचना है। बसिष्ठ धर्मसूत्र में दो स्थानों 4/34 एवं 4/36 में गौतम का उल्लेख है एवं गौतम धर्म-सूत्र का उन्नीसवाँ अध्याय अल्पपरिवर्तित रूप में बसिष्ठ धर्मसूत्र में मिलता है। इसके अतिरिक्त बसिष्ठ धर्मसूत्र के कई सूत्र गौतम धर्मसूत्रों में आये हुए सूत्रों के समान हैं। अतः बसिष्ठ धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र से बाद की रचना है। बसिष्ठ ने अपने धर्मसूत्र में म्लेच्छ भाषा के शिक्षण का निषेध किया है " न म्लेच्छभाषां शिक्षेत §6/4। § इससे स्पष्ट होता है इस धर्मशास्त्र का समय ई०पू० 300 के आस पास रखा जा सकता है। अतएव उक्त से स्पष्ट है कि गौतम धर्मसूत्र 300 ई०पू० से पहले की रचना है एवं गौतम धर्मसूत्र में कई एक अपाणिनीय रूप पाये जाते हैं, तथा व्दानिशात् के स्थान पर व्दानिंशते आया है।

एवं गौतम धर्मसूत्र में ब्राह्मणवाद पर बुद्ध आवा उनके अनुयायियों द्वारा किये गये धार्मिक आश्लेषों की ओर कोई संकेत नहीं मिलता ।

उक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि गौतम धर्मसूत्र ई०पू० 400-600 के बहले रचा जा चुका था । कुमारिल भट्ट के अनुसार गौतम धर्मसूत्र का सम्बन्ध सामवेद से था¹ । गौतम का सामवेद से सम्बन्ध आन्तरिक प्रमाणों से भी स्पष्ट होता है । गौतम धर्मसूत्र के अध्याय 26 के सूत्र शब्दशः सामवेद के सामविधान ब्राह्मण से उद्धृत किये गये हैं एवं गौतम धर्मसूत्र में §1/52§ में वाच व्याहृतिया साम से उद्धृत की गयी हैं ।

एवं वरणाव्यूह §3/1§ की टीका से बता चलता है कि गौतम सामवेद की राषायनीय शाखा के नौ उष्विभागों में से एक उष्विभाग के आचार्य शाखाकार थे । एवं सामवेद के गोभिलगृह्यसूत्र ने भी गौतम को प्रमाण स्वरूप माना है एवं सामवेद के लाट्यायन श्रौतसूत्र तथा द्राह्यायण श्रौतसूत्र §1/4/17, 9/3/15§ में गौतम का उल्लेख मिलता है । उक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि गौतम धर्मसूत्र का सामवेद के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था ।

गौतम धर्मसूत्र का कई बार प्रकाशन हुआ है । डा०स्टेनजलर ने इसका सम्पादन दि इन्स्टीट्यूटस आफ गौतम नाम से लन्दन से 1876 में किया और

कलकत्ता में भी 1876 में आनन्दाश्रम संस्करण जिसकी हरदत्त की टीका है । प्रकाशित हुआ । इसका एक संस्करण मैसूर से भी निकला जिसमें मस्करी का भाष्य है एवं गौतम धर्मसूत्र का अंग्रेजी अनुबाद ~~व्युहलर~~को भूमिका के साथ सेक्रेड बुक्स आफ दी ईस्ट सीरीज की दूसरी जिल्द में प्रकाशित है ¹ । इसके अति-रिक्त कुछ अन्य टीकाकारों का भी उल्लेख पाया जाता है । हारलता में अनिरुद्ध ने जो अद्भुत सागर के लेखक बगराज बल्लालसेन के पुर धे, लिखा है कि असहाय ने गौतम धर्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा है एवं याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्व रूम्ने भी यही बात कही है² ।

बौधायन धर्मसूत्र

बौधायन धर्मसूत्र के रचयिता के विषय में यह उल्लेखनीय है कि स्वयं इस धर्मसूत्र में बौधायन के नाम का कई स्थानों पर उल्लेख हुआ है ³ । तथा बौधायन धर्मसूत्र में एक स्थल पर भगवान् विशेषण का प्रयोग बौधायन के लिये हुआ है ⁴ । एवं एक स्थल पर §2/9/14§ कण्व बौधायन का नामोल्लेख भी हुआ है । इससे स्पष्ट है कि बौधायन धर्मसूत्र की रचना के पहले कण्व बौधायन नाम

1. काणो- धर्मशास्त्र का इतिहास पृ० 10

2. काणो- धर्मशास्त्र का इतिहास पृ० 66

3. बौ०ध०सू० 1/5/13, 1/6/16, 3/5/8

4. बौ०ध०सू० 3/6/20

के आगर्त हो चुके थे । अतएव धर्मसूत्र में बौधाघन के अनेकश. नामोल्लेख होने से यह भासित होता है कि इस धर्मसूत्र का रचयिता कण्व बौधाघन का वंशज था । गोविन्द स्वामी ने भी बौधाघन को काण्वाघन कहा है¹ ।

गौतम धर्मसूत्र के बाद की रचना बौधाघन धर्मसूत्र को माना गया है क्योंकि इस धर्मसूत्र में दो बार गौतम का नामोल्लेख है । प्रथमत उत्तर और दक्षिण की ब्रुधाओं के सन्दर्भ में गौतम के इस मत को उद्धृत किया गया है कि देश में प्रचलन के आधार पर नियम प्रामाणिक नहीं होते² । एव आषट्काल के सन्दर्भ में गौतम के मत का उल्लेख किया गया है³ । उक्त के आधार पर हम बौधाघन की ऊपरी सीमा निर्धारित कर सकते हैं । जहाँ तक निपली समय सीमा का ब्रुहन है उसका निर्धारण निम्न तर्कों के आधार पर किया जा सकता है ।

बौधाघन धर्मसूत्र में बाण्डिन के नियमों का बरिबालन हर स्थल पर नहीं किया गया है । एवं इस सूत्र का प्रभाव आषट्काल धर्मसूत्र पर बडा है जो इसके बाद की रचना मानी जाती है एवं जिसका समय 600 ई० पू० से 300 ई० पू० माना जाता है ।

1. बौ०ध०सू० 1/5/13 पर गोविन्द स्वामी की टीका

2. बौ०ध०सू० 1/2/7

3. बौ०ध०सू० 2/5/17

व्यूहतर ने बौधाघन धर्मसूत्र को आशस्तम्ब की अपेक्षा लगभग 200 वर्ष पहले का माना है । इस प्रकार सामान्यतः बौधाघन धर्मसूत्र का समय 500-200 ई०पू० माना गया है ।

बौधाघन कहां के निवासी थे इस सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है । व्यूहतर¹ ने निम्न तर्कों के आधार पर दक्षिण भारत का माना है ।

§1 § बौधाघनीय ब्राह्मण दक्षिण भारत में पाये जाते हैं ।

§2 § बौधाघन ने समुद्रयात्रा एवं समुद्र व्यापार पर लगने वाले कर का उल्लेख किया है² ।

§3 § बौधाघन ने समुद्र सयान को बतनीय कर्म माना है जिन्हें उत्तर के लोग करते हैं³ ।

डा० काणे का विचार है कि "बौधाघन ने दक्षिणावध के लोगों को मिश्रित जातियों में गिना है, अतः वे दक्षिणी नहीं हो सकते, क्योंकि वे अपने को नीच जाति में क्यों रखते" परन्तु यह मत समीचीन नहीं है अतः बौधाघन दक्षिण भारतीय थे क्योंकि दक्षिण भारत के अनेक राजाओं ने बौधाघनीय शाखा में ब्राह्मणों के नाम कई दान पत्र लिखे हैं । इससे बौधाघनीयों

1. सेक्रेड बुक्स आफ दी ईस्ट खण्ड 14 पृष्ठ 13

2. बौ०ध०सू० 1/18/13

का दक्षिण भारतीय होना सिद्ध होता है एवं बौधायन ने तैत्तिरीय आरण्यक के आध्र बाठ का ही उद्योग किया है ।

सर्वप्रथम 1884 ई० में डा० हूल्ल ने तिमजिंग में बौधायन धर्मसूत्र प्रकाशित किया । आनन्दाश्रम स्मृति संग्रह । मैसूर संस्करण 1907 में छपा । इस संस्करण में गोविन्द स्वाधी की विवरण नामक टीका समविष्ट है एवं इसका अंग्रेजी अनुवाद भूमिका के साथ व्यूहलर ने किया है जो सेक्रेड बुक ऑफ दी ईस्ट सीरिज के भाग 14 में प्रकाशित है ।

हिरण्यकेशि धर्मसूत्र

हिरण्यकेशि धर्मसूत्र हिरण्यकेशि कल्ब का 26वां एवं 27वां प्रश्न है। आबस्तम्ब धर्मसूत्र से अनेको सूत्र ज्यों के त्यों हिरण्यकेशि ने अपने धर्मसूत्र में ग्रहण कर लिये है । अतः यह स्वतन्त्र सूत्र ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता ।

डा० काणे के अनुसार¹ "हिरण्यकेशियों का सम्बन्ध तैत्तिरीय शाखा के खाण्डिकेय भाग के चरण से है । इनकी शाखा आबस्तरबीय शाखा के बाद की है । चरणबुह के भाष्य में उद्धृत महार्णव के अनुसार हिरण्यकेशी लोग सह्य बर्बत तथा वरशुराम क्षेत्र {अर्थात् कोंकण} के निकट के समुद्रतट से दक्षिण

दक्षिण दिशा में जाये जाते थे । आज के रत्नागिरि जिले के बहुत से ब्राह्मण अपने को हिरण्यकेशी कहते हैं।"

परन्तु हिरण्यकेशी सूत्र में दक्षिण भारत के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है अथितु हिरण्यकेशी गृ०सू० ने सीमन्तोपनिषद् सस्कार के सन्दर्भ में गंगा का उल्लेख किया है ।

बलिष्ठ धर्मसूत्र

मनु एवं याज्ञवल्क्य ने बलिष्ठ को धर्म प्रमाण माना है और स्मृति-कार एवं टीकाकारों ने बहुधा इस धर्मसूत्र से धर्म के सन्दर्भ में उद्धरण दिये हैं ।

गौतम, बौधायन एवं आश्वस्त्य की श्रृंखला में यह धर्मसूत्र एक बाँध की कड़ी है क्योंकि बलिष्ठ धर्मसूत्र ने अपने से पूर्व रचे गये उक्त धर्मसूत्रों से अनेक सामग्रियाँ ग्रहण की हैं ।

यह धर्मसूत्र अनेक तन्त्रों का संग्रह है । वैदिक संहिताओं के अलावा ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद् एवं वेदाङ्गों से उद्धरण मिले हैं एवं व्याकरण, ज्योतिष, आचार एवं व्यवहार का अद्भुत सम्बन्ध इस सूत्रग्रन्थ में है ।

1. लोम एवं नो राजे ब्राह्मिण्यणीः प्रजाः ।

विबृन्तवक्रा आसीनास्तीरे तुम्बं गंगे ॥ हि०गृ० 2/1/3

कुमारिल के मतानुसार बसिष्ठ धर्मसूत्र का अध्ययन विशेषतः ऋग्वेद
अनुसार
के विद्यार्थी किया करते थे । काण्डों के मूलतः बसिष्ठ धर्मसूत्र एक स्वतन्त्र रचना
थी कालान्तर में ऋग्वेद के विद्यार्थियों ने उसको अपना लिया क्योंकि ऋग्वेद के
केवल आश्वलायन, श्रौत एवं गृह्यसूत्र मिलते हैं ।

बसिष्ठ धर्मसूत्र में श्रौतम धर्मसूत्र से सामग्री ली गयी है । इसमें दो
स्थानों 4/34 एवं 4/36 में गौतम धर्मसूत्र का उद्धरण है । इसके अतिरिक्त
गौतम धर्मसूत्र का उन्नीसवाँ अध्याय बसिष्ठ धर्मसूत्र में बाइसवें अध्याय के रूप
में आता है । इससे यह सिद्ध होता है कि बसिष्ठ धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र से बाद
का है ।

इसी प्रकार बसिष्ठ धर्मसूत्र आश्वलायन, शाखायन श्रौतसूत्र एवं भार-
स्कर गृह्यसूत्र के बाद की रचना सिद्ध होती है कि क्योंकि उक्त रचनाओं के
बहुत से सूत्र बसिष्ठ धर्मसूत्र में प्राप्त होते हैं ।

एवं बसिष्ठ ने अपने धर्मसूत्र में म्लेच्छ भाषा के शिक्षण का निषेध
किया है- न म्लेच्छभाषा शिक्षेत ॥6/4॥ इससे ज्ञात होता है कि यूनानी आक्र-
मण के बाद यूनानियों का सम्पर्क जब भारत से हुआ, उस समय वे विद्यमान थे
अतएव उनका समय ई०पू० 300 के आस पास रखा जा सकता है ।

बिष्णु धर्मसूत्र

बिष्णु धर्मसूत्र में 100 अध्याय है । यह धर्मसूत्र भरमदेव द्वारा
प्रणीत माना गया है जब कि यह बात अ- य धर्मसूत्र के साथ नहीं बायी जाती
है । यह धर्मसूत्र यजुर्वेद की कठ शाखा से सम्बन्धित है ।

बिष्णु धर्मसूत्र का काल निर्धारण अत्यन्त दुरूह कार्य । यह महत्व-
पूर्ण है कि मनुस्मृति और इस धर्मसूत्र में 160 स्थल बिल्कुल समान है । इसलिए
कुछ विद्वान यह मानते हैं कि मनुस्मृति से अनेक उद्धरण बिष्णु ने लिये हैं ।
इसी प्रकार बिष्णु धर्मसूत्र के बहुत से सूत्र याज्ञवल्क्यस्मृति के समान हैं । इस
सम्बन्ध में डा० जाली का मत है कि बिष्णु से याज्ञवल्क्य ने शरीर विज्ञान
सीखा, किन्तु सच्चाई यह है कि चरक एवं सुश्रुत पहले ही शरीर शास्त्र पर अपना
ग्रन्थ लिख चुके थे । सम्भव हो सकता है इन दोनों ने चरक एवं सुश्रुत संहिता से
शरीर विज्ञान सम्बन्धी सूत्र उद्धृत किये हों । बस्तुतः यह मनु एवं याज्ञवल्क्य
के बाद की रचना है क्योंकि बिष्णु धर्मसूत्र के बहुत से अध्याय यथा तृतीय एवं
चतुर्थ से मनु एवं याज्ञवल्क्य से मिलते सिद्धान्त के सूत्र निकाल दिये जायें तो
बिष्णु धर्मसूत्र के इन अध्यायों में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं रह जायेगी ।

बिष्णु धर्मसूत्र की वैजकन्ती नामक टीका जिसके लेखक मन्द बणिष्ठ
है एकमात्र ज्ञात टीका है । परन्तु काणे ने मत व्यक्त किया है कि कदाचित्त

को बाते सरस्वती तिलास ने कई बार उद्धृत की है ।

अन्य लघु धर्मसूत्र

४। हारीत धर्मसूत्र - धर्मसूत्रों की परम्परा में हारीत का नाम प्रमुख धर्मशास्त्र-कारों के साथ आदर पूर्वक लिया जाता है । बौधायन, आपस्तम्ब एवं वसिष्ठ जैसे ऋत्विक्कारों ने भी हारीत के सूत्रों को प्रमाण स्वरूप उद्धृत किया है ² ।

हारीत धर्मसूत्र पूरा नहीं प्राप्त है फिर भी इसकी प्राचीनता एवं विशिष्टता का आभास इससे मिल जाता है । कुमारिल ने तन्त्र-बार्हिद में गौतम के साथ हारीत की गणना की है । इससे लगता है कि यह प्रमुख धर्मसूत्र रहा होगा।

हारीत धर्मसूत्र में ककेल्ल नामक कश्मीरी शब्द आया है जिस आधार पर हारीत को कश्मीरवासी माना जाता है ³ । डा० पी०बी०काणे ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में लिखा है कि एक हस्तलिखित प्रति हारीत धर्मसूत्र की

1. काणे- धर्मशास्त्र का इतिहास पृ० 30

2. धर्मशास्त्र का इतिहास पृ० 25

3. बालङ्क्या -नालिका-बौतीक-शिगु-सुसुक-बातकि-भूस्तृण-ककेल्ल माध-मसूर-

कृतलबणानि च श्र गध्दे न दद्यात् हारीतइस पर हेत्रादि का कथन है-ककेल्ल

नास्तिक निन्दागी स्व० दामनशास्त्री इस्लामपुरकर को मिली थीं जो अभी तक प्रकाश में नहीं आई है ।

हारीत को कृष्ण यजुर्वेद का सूत्रकार माना जाता है, किन्तु उन्होंने सभी वेदों से उद्धरण लिये हैं । इससे ज्ञात होता है कि वे किसी एक वेद से सम्बन्धित नहीं थे ।

हारीत धर्मसूत्र में गद्य के अनुष्टुप् एवं त्रिष्टुप् छन्द का प्रयोग है । इसका रचनाकाल 500 ई० पू० से 300 ई० पू० माना गया है ।

बैखानस धर्मग्रन्थ

महादेव ने सत्याबाद-श्रौतसूत्र पर लिखित अपनी वैजयन्ती नामक व्याख्या में कृष्ण यजुर्वेद के छ. श्रौतसूत्रों के अन्तर्गत बैखानस की चर्चा की है। अन्य धर्मसूत्रों में बैखानस शब्द बानस्पृथ के लिए आया है²। किन्तु मनु के

1. डा० काणे धर्मशास्त्र का इतिहास पृष्ठ 25

2. ब्रह्मचारी गृहस्थोम भिक्षुबैखानस इगौ०ध०सू० 3/2/1३

अनुसार वैखानस वद है जो वैखानस शास्त्र का मानने वाला हो¹ । इस धर्मसूत्र में तीन प्रश्न है एवं 4। अध्याय है । प्रथम प्रश्न में चारो वर्णों, चारो आश्रम और ब्रह्मचारी तथा गृहस्था के कर्तव्य वर्णित है । दूसरे प्रश्न में वानप्रस्थ आश्रम का विस्तार बूर्बक वर्णित है । तीसरे प्रश्न में गृहस्था एवं सन्यासी के आचार नियम वर्णित हो ।

उक्त धर्मसूत्रों के अतिरिक्त अत्रि, उशना, कण्व एवं काण्व, कश्यप, गार्ग्य, च्यवन, जात्कर्ष्य, देवल, बैठनसि, बुध, बृहस्वति, भरव्दाज एवं शातात्मन के धर्म सूत्रकार के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है ।

1. वैखानसमते स्थित । मनु 6/2।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
द्वितीय अध्याय
व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

द्वितीय अध्याय

आषस्तम्ब धर्मसूत्र का सम्बन्ध कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से है। आषस्तम्बीय कल्पसूत्रों के समग्र सकलन में तीस प्रश्न है। प्रश्न 1 से 24 तक श्रौतसूत्र, प्रश्न 25 में परिभाषा। प्रश्न 26 में गृह्यसूत्र के मन्त्र प्रश्न 27 में गृह्यसूत्र एवं प्रश्न 28-29 में धर्मसूत्र एवं प्रश्न 30 में शूल्बसूत्र है।

शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध चरणव्यूह के अनुसार आषस्तम्ब शाखा खाण्डिकीय शाखा की षाच शाखाओं में से एक थी -तत्र खाण्डिकेया नाम षचभेदा भवन्ति कालेता, हैरण्यकेशी, भारव्दाजी, आषस्तम्बी चक्षुरण व्यूहः।

अब आषस्तम्ब धर्मसूत्र पर विचार करने से पहले यह प्रश्न उठता है कि क्या आषस्तम्ब के नाम से उल्लेख्य श्रौत, गृह्य तथा धर्मसूत्रों का रचयिता एक ही व्यक्ति है। इस विषय पर षाचवात्य लेखकों ने भ्रष्ट एवं भ्रामक कल्पनायें की हैं वे गृह्यसूत्र, श्रौतसूत्र एवं धर्मसूत्र आदि के रचयिताओं को षुधक - षुधक आचार्य मानते थे। उनके मत में आषस्तम्बाचार्य, सम्पूर्ण कल्पसूत्र के रचयिता नहीं है। षाचवात्यो के ये मत श्रद्धेय एवं विश्वसनीय नहीं है। अतः आषस्तम्ब सम्पूर्ण कल्प के रचयिता है। इसकी भुष्टि में निम्न तर्क

दिये जा सकते हैं -

§1 § गृह्यसूत्रों में सामान्यतः आने वाले अनेक विषय जापस्तम्ब गृह्यसूत्र में संक्षिप्त रूप से आये हैं एवं अनेक विषयों को छोड़ दिया गया है ।

§2 § धर्मसूत्र में अनेक स्थलों¹ पर यथोक्तम्, यथोपदेशम्, यथापुरस्तात् आदि शब्दों का प्रयोग गृह्यसूत्र को सन्दर्भित करता है ।

1. §क § अग्निमिधवा ऋरिसमृद्ध्य समिध आदध्यात्सायप्रातर्पथोपदेशम्

- अ०ध०सू० 1/1/4/16

§ख § उभयत ऋरिषेचनं यथा पुरस्तात्

- अ०ध०सू० 2/2/3/17

§ग § सप्तावृत्तं चेदाचार्योऽभ्यागच्छेत्तन्निमुखोऽभ्यागम्य तस्योपसङ्गः गृह्य न

वीभत्समान उदकमुपसृशेत् पुरस्कृत्योपस्थाप्य यथोपदेशं पूजयेत्

- अ०ध०सू० 2/2/5/4

§घ § अथाप्युदाहरन्ति

- अ०ध०सू० 2/7/17/7

§3§ इसी प्रकार गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र को अनेक स्थलों पर सन्दर्भित करता है । यथा मासिक श्राद्ध के सम्बन्ध में गृह्यसूत्र §8/21/1§ में आया है- " मासिक श्राद्धस्यापरमक्षे यथोद्देश काला ।।" अर्थात् मासिक श्राद्धकर्म के लिए उत्तरमक्ष में जैसा विधान किया गया है उसके अनुसार समय होता है । परन्तु गृह्यसूत्र में मासिक श्राद्ध के विधान का कोई उल्लेख नहीं मिलता अतः धर्मसूत्र §2/7/16/4-22§ में उक्त कथित मासिक श्राद्धकर्म के सम्बन्ध में विस्तृत विधान मिलता है ।

§4§ गृह्यसूत्र तथा आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में अनेक सूत्र अक्षरशः एक है यथा आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र §1/1/2/38 में ब्रह्मचारी के दण्ड का वर्णन " बालाशो दण्डो ब्राह्मणस्य नैव गोधस्केन्द्रजोऽबाहूँ. गो राजन्यस्य बादर औदुम्बरो वा वैश्यस्य बभ्रुवो दण्ड इत्यवर्णसंयोगेनैक उषदिशन्ति ।।" मिलता है । यह सूत्र आश्वस्तम्ब गृह्यसूत्र में अक्षरशः वर्णित है । इसी प्रकार आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र के अनेक सूत्र §1/1/1/8, 1/1/4/14§ का आश्वस्तम्ब गृह्यसूत्र के सूत्रों से साम्य है ।

§5§ आश्वस्तम्ब ने अपने गृह्यसूत्र में उषनयन के सम्बन्ध में केवल मुख्य मुख्य बातें कहीं हैं जब कि उषनयन गृह्यसूत्रों का एक मुख्य वर्णन विषय है ।

परन्तु आश्वस्तम्ब अपने धर्मसूत्र में उक्तकथन की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत करते हैं ।

§6 § इसी प्रकार श्रौतसूत्रों एवं धर्मसूत्र में भी अनेक समानता है ।

आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र 2/2/5/17 एवं आश्वस्तम्ब श्रौतसूत्र 8/4/6 अक्षरज्ञ एक है ।

अतएव उक्त तर्कों के आधार पर यह कथन कि सम्पूर्ण आश्वस्तम्ब कल्प के रचयिता एक ही व्यक्ति हैं असंगत न होगा ।

आश्वस्तम्बधर्मसूत्र का काल - आश्वस्तम्ब सूत्र का वास्तविक काल निर्णय एक दुरुह कार्य है परन्तु हम उसकी ऊपरी एवं निचली समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं । आश्वस्तम्ब के समय निर्धारण में निम्न तर्क प्रस्तुत है जिनके आलोक में एक मोटी समय सीमा निर्धारित की जा सकती है ।

§1 § आश्वस्तम्ब, गौतम धर्मसूत्र के बाद की रचना है । ऐसा आश्वस्तम्ब के आन्तरिक साक्ष्य से स्पष्ट है । यद्यपि आश्वस्तम्ब ने गौतम का नाम उल्लेख नहीं किया है तथापि गौतम के मत की ओर संकेत कई स्थानों पर किया गया है यथा गौतम धर्मसूत्र §1/2/1 § में कहा गया है "ब्राह्मणवात्कामचार. कामवाद. कामभक्ष." किन्तु आश्वस्तम्ब इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि "श्रुतिर्हि बलीयस्वानुमानिकदाचारात्" इसके अतिरिक्त आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र के

कई सूत्र गौतम धर्मसूत्र से मिलते जुलते हैं यथा-

आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र

गौतम धर्मसूत्र

काषायां चैके वस्त्रमुषदिशन्ति ॥

काषायमप्येके ॥

-1/1/2/41

-1/2/19

दृष्टो धर्मव्यतिक्रमस्ताहस व पूर्वेषाम् ॥

दृष्टो धर्मव्यतिक्रम साहसं वमदताम् ।

-2/6/13/7

-1/1/3

बत्सतन्तीं च नोपरि गच्छेत् ॥

नोपरि बत्सतन्तीं गच्छेत् ॥

-1/11/31/15

-1/9/52

ज्वलितानां वा सूर्मा परिष्वज्य समाप्नुयात् ॥ सूर्मा वा श्रुलब्धेज्ज्वलन्तीम् ॥

-1/9/24/2

- 2/5/9

अतएव गौतम धर्मसूत्र के बाद की रचना आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र है गौतम धर्मसूत्र का रचना काल 600-400 ई०पू० माना जाता है ।

इसी प्रकार बौधायन धर्मसूत्र भी आश्वस्तम्ब से पूर्ववर्ती है इसका प्रबल प्रमाण यह है कि आश्वस्तम्ब ने बौधायन के कई मतों की आलोचना की

1. डा०काण्डे- धर्मशास्त्र का इतिहास भाग । पृ० 13

है एवं आश्वस्तम्ब द्वारा उद्दिष्ट विचार बौधायन के विचारों की अपेक्षा अर्वाचीन और विकसित हैं । उदाहरणार्थ मुत्र के उत्तराधिकार के विषय में बौधायन ने जो मत व्यक्त किये हैं उसकी आलोचना आश्वस्तम्ब ने की है नियोग के सम्बन्ध में भी आश्वस्तम्ब का मत बौधायन की अपेक्षा विकसित है क्योंकि बौधायन नियोग की अनुमति देते हैं । परन्तु आश्वस्तम्ब इस क्रिया का विरोध करते हैं ।

एवं आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र एवं बौधायन धर्मसूत्र के अनेक सूत्रों में समानता है ।

नाप्सु श्लघमानस्नायात्- बौ०ध०सू०- 1/2/3/40

नाप्सुश्लघमानः स्नायाद्यदि स्नायाद्दण्डवत् प्लवेत् ॥

- आ०ध०सू० 1/1/2/30

मिथ्येवदिति हारीतो दधिधानीसधर्मा. स्त्रियस्त्रुयो हि

दधिधान्यामहायत यय आतच्च मन्थति न तच्छिष्टा

धर्मकृत्योबधुम-बोजवन्ति ॥ बौ०ध०सू० 2x1/2/11

मिथ्येतदिति हारीतः। दधिधानीसधर्मा स्त्रीभवति ॥

-आ०ध०सू० 1/11/29/13-13

अतएव बौधायन धर्मसूत्र के बाद की रचना आपस्तम्ब धर्मसूत्र है ।

डा०काण्णे ने बौधायन धर्मसूत्र का समय 500 ई०पू० से 200 ई० पू० माना है ।

आपस्तम्ब पूर्वमीमांसामृत से परिचित थे । मीमांस के बहुत से पारिभाषिक शब्द एवं सिद्धान्त इस धर्मसूत्र में पाये जाते हैं अतएव पूर्व मीमांसा आपस्तम्ब धर्मसूत्र से पहले की रचना है ।

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब धर्मसूत्र में अनेक अपाण्णनीय प्रयोग प्राप्त होते हैं तथा पाणिनि के विदादि गणपाठ §4/1/104§ में आपस्तम्ब का नामोल्लेख प्राप्त होता है जिसके आधार पर यह मत प्रमाणित होता है कि आपस्तम्ब वाणिनि से पूर्ववर्ती थे । पाणिनि का समय डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाचवीं शताब्दी ई०पू० के मध्य माना है इससे यह स्पष्ट है कि आपस्तम्ब धर्मसूत्र 500 ई०पू० के पूर्व अस्तित्व में था ।

एव आपस्तम्ब धर्मसूत्र में श्वेतकेतु का उल्लेख अबरा के उदाहरण के रूप में किया गया है²। इससे प्रतीत होता है कि वे आपस्तम्ब से बहुत

1. डा० काण्णे धर्मशास्त्र का इतिहास पृ० 16

2. तस्माद्दृष्यो वरेषु न जायन्ते नियमातिक्रमात्। यथा श्वेतकेतुः।।

बहले के नहो है ।

एत के अतिरिक्त आषस्तम्ब धर्मसूत्र में बौद्ध धर्म का कोई उल्लेख नहो प्राप्त होता है । अत इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना अलगत नहीं होगा कि यह भारत में बौद्ध धर्म का परिष्कृत होने से पूर्व की रचना है ।

आषस्तम्ब धर्मसूत्र में यवनों, कम्बोपों, शकों बहलबा आदि पुनाना जाक्रमण के बाद, भारत के सम्बर्क में आने वाली जातियों का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इससे यह निष्कर्ष निकालना समीचीन होगा कि यह 300 ई० पू० से बहले की रचना है ।

याज्ञवल्क्यस्मृति ४।१४ में आषस्तम्ब को धर्मशास्त्रकारों में गिनाजा गया है । याज्ञवल्क्यस्मृति की प्रथम सोमा विद्वतीय शताब्दी ई० पू० मानी गयी है ।

अतएव उक्त विवेचन के आधार पर आषस्तम्ब धर्मसूत्र की समयसीमा

1. डा० लक्ष्मी दत्त ठाकुर प्रमुख स्मृतिज्ञों का अध्ययन- पृ० 32

600 ई० पू० से 300 ई०पू० मानना असंगत नहीं होगा ।

आतस्तम्ब का जन्मस्थान.- जन्मस्थान के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है । ब्रूहतर ने आतस्तम्ब को आन्ध्रदेशीय माना है¹ । इस कथन के प्रमाण में वे निम्न तर्क देते हैं -

१।४ चरजात्पूह में महार्णव नाम की रचना से उद्धृत श्लोकों के अनुसार आतस्तम्ब शाखा नर्मदा के दक्षिण में प्रचलित थी-

नर्मदादक्षिणे भागे आतस्तम्बाश्रवनाग्नी ।

राणाग्नी विष्णुता च प्रसकन्याग्निभागीन ॥

माध्यन्दिनी शाङ्खायनी कौथुमी शौनकी तथा ।

उक्त के अतिरिक्त महार्णव में आतस्तम्बीय शाखा को स्पष्टत आन्ध्रदेशीय बताया गया है -

आन्धादिदक्षिणाग्नेयीगोदासागर आबधि ।

यजुर्वेदस्तु तैत्तिर्या आतस्तम्बी व्रतिष्ठिता ॥

1. सेक्रेड बुक्स आफ् दी ईस्ट माग 2 भूमिका पृ० 33

§2§ आषस्तम्ब के धर्मसूत्र में¹ आध्व के प्रकरण में ब्राह्मणों के हाथ में जल गिराने की प्रथा उत्तर के लोगों में प्रचलित है, कहा गया है ।

परन्तु उक्त तर्कों के आधार पर आषस्तम्ब का आन्ध्रदेशीय होना सिद्ध नहीं होता है अतितु तन्त्रकाल में आन्ध्र जनपद में आषस्तम्ब शाखा प्रचलित थी केवल यही तथ्य महार्णव से ज्ञात होता है ।

जहा तक उदीच्य शब्द का प्रश्न है ब्यूलहर ने इसका अर्थ नर्मदा के उत्तर के सम में किया है परन्तु इसका कोई सबत प्रमाण नहीं है । अतितु अमरकोशकार §2/1/6-7§ के अनुसार उदीच्य भूमि शरावती नदी के उत्तर पश्चिम में स्थित थी । इसकी पुष्टि काशिका वृत्ति से भी होती है² ।

1. उदीच्यवृत्तिस्तबासनगतानां हस्तेषूदयात्रानयनम् ॥

- आ०ध०सू० 2/7/17/17

2. प्रागुद्वौ विभजते हंस क्षीरोदके यथा ।

विदुषां शब्दसिद्धयर्थं सा न मातु शरावती ॥

-का०वृ० 1/1/75

इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शरावती के आधार पर उदीच्य शब्द का अर्थ निर्धारण किया जा सकता है । डा० जासुदेव शरण अग्रवाल ने शरावती का तादात्म्य दृष्यवती के साथ किया है जो आजकल बग्घर या चिताग नदी हो सकती है जो बजाब के अमवाला जिले से बहती है ।

अतएव यह कहना कि आबस्तम्ब आध्रदेशीय थे सगत नहीं है अतः आबस्तम्ब गृह्यसूत्र से यह ज्ञात होता है कि आबस्तम्ब का जन्म स्थान युगन्धर जनपद था क्योंकि गृह्य सूत्र में आबस्तम्ब ने निम्न श्लोक कहा है -

यौगन्धरिरित्येव नो राजा शाल्बीरवादिषु ।

निवृत्तचक्रा आसीनास्तीरेण यमुनेतव ॥

अर्थात् हे यमुने । यौगन्धरि हमारा राजा है, ऐसा गीत विशाल क्षेत्र चक्रवाली शाल्बीस्त्रिया यमुना के तट पर बैठकर गाती थी।

प्राचीनकाल में शाल्बी जनपद के 6 अक्षय धे² उदरबुर, तिलखल मद्रकार युगन्धर, भिलिंग और शरदण्ड ।

1. डा० अग्रवाल काण्डिकाकालीन भारतवर्ष पृ० 32

2. उदुम्बरास्त्रिलखला मद्रकारा युगन्धरा । * काशिका 4/1/173

महाभारत से विदित होता है कि युगन्धर श्रेष्ठ राज्य था और उन्होंने पाण्डवों के साथ युद्ध में भाग लिया था । मैगस्थनीज^{ने} युगन्धर का गन्दरितन नाम से उल्लेख किया है जो भद्रकारो श्वारिभद्रक = नातिबोध्या के साथी थे । इन्हीं प्रभुद्रक या बरिभद्रक जनपद में किसी चन्द्रकेतु राजा के यहां मैगस्थनीज रहा था । युगन्धरों ने प्रभुद्रकों के साथ सिन्धु नदी से युद्ध किया था । ये सभी वर्तमान बजाब और हरियाणा प्रदेश के अन्तर्गत हैं ।

इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आबस्तमब का सम्बन्ध उत्तर भारत से था न कि आंध्र प्रदेश से ।

1. द्रष्टव्य- भारतवर्ष का बहूद् इतिहास भाग 2 पृ० 182

तथा पाणिनिनामनीन भारतवर्ष⁵ पृ० 71-74

आनस्तम्ब धर्मसूत्र के उपलब्ध सस्करण :-

आनस्तम्ब धर्मसूत्र के दो सस्करण उपलब्ध है एक ब्यूहलर वदारा लेक्रेड बुक्स आंक दी ईस्ट भाग 2 में अग्रेजी अनुबाद के साथ तथा दूसरा हरदत्त की उज्ज्वला वृत्ति के साथ बनारस से प्रकाशित है । दोनों के सूत्रों की संख्या में अनेक कण्डिकाओं में बिभेद है । यथा -

प्रश्न-1

<u>कण्डिका संख्या</u>	<u>ब्यूहलर सूत्र सं०</u>	<u>बनारस सस्करण सूत्र सं०</u>
1	36	37
2	41	41
3	45	45
4	29	29
5	26	26
6	38	37
7	31	31
8	30	31
9	28	28

कण्डिका स०	व्यूलहर सू० स०	बनारस संस्करण सूत्र स०
10	30	30
11	38	34
12	15	15
13	22	22
14	31	28
15	26	23
16	33	33
17	39	39
18	33	33
19	15	15
20	16	16
21	20	20
22	8	8
23	6	14
24	25	26
25	13	14
26	14	15

कण्डिका सू०	व्यूलहर सू० सू०	बनारस संस्करण सू० सू०
27	11	11
28	21	21
29	18	18
30	23	26
31	23	27
32	29	29

ग्रन्थ-2

1	23	23
2	9	11
3	23	23
4	27	28
5	19	18
6	20	20
7	17	17
8	24	14
9	13	13

<u>कगडका</u> <u>स०</u>	<u>वुलहर</u> <u>सू०स०</u>	<u>बनारस सस्करण</u> <u>सू०स०</u>
10	16	17
11	20	20
12	23	23
13	12	12
14	20	20
15	25	25
16	28	27
17	25	24
18	19	20
19	20	16
20	23	23
21	21	20
22	24	24
23	12	12
24	14	17
25	15	15

कण्डिका सं०	ब्रूलहर सू०सं०	बनारस संस्करण सू०सं०
26	24	24
27	21	21
28	13	14
29	15	16

इस प्रकार हम देखते हैं कि 35 कण्डिकाओं में सूत्र संख्या में कोई अन्तर नहीं है जब कि 26 कण्डिकाओं में सूत्र संख्या भिन्न है ।

कण्डिका सं०	वधूलहर सू०सं०	बनारस संस्करण सू०सं०
26	24	24
27	21	21
28	13	14
29	15	16

इस प्रकार हम देखते हैं कि 35 कण्डिकाओं में सूत्र सख्या में कोई अन्तर नहीं है जब कि 26 कण्डिकाओं में सूत्र सख्या भिन्न है ।

आषस्ताम्ब धर्मसूत्र में सूत्रों को पुनरावृत्ति -

आषस्ताम्ब धर्मसूत्र में अधोलिखित सूत्रों की पुनरावृत्ति हुई है ।

<u>सूत्र</u>		<u>पुनरावृत्त सूत्रोंके क्रम में</u>
आऽऽध्याप्य ॥	1/1/1/31	1/1/2/4
प्रोष्य च सनागमे ॥	1/2/5/14	1/4/14/8
मनसा चाऽनध्याये ॥	1/2/5/25	1/3/11/24
स्वैरिर्ब्रह्मसु च ॥	1/2/8/4	1/3/11/10
तच्छास्त्रैर्बिप्रतिषिद्धम् ॥	1/4/13/21	2/6/14/10
विद्विरत्येके ॥	1/5/16/4	1/5/16/6
यच्चाऽन्यत् परिरक्षतो ॥	1/5/17/27	1/11/32/29
नाऽत्यन्तमन्बबस्येत् ॥	1/6/18/7	1/7/21/3
एबन्धुभौलोकाबभिजयति ॥	1/7/20/9	2/8/20/23
मिथ्वैतदिति हारीत ॥	1/10/28/16	1/10/29/12
अतएव ब्रह्मयज्ञवान् ब्रह्मजति ॥	2/9/21/8	2/9/21/19
ततोऽभ्रूलै फलै ऋणैस्तृणैरिति वर्त रेत् ॥ अन्नत. प्रवृत्तानि ॥	2/9/22/2-5	2/9/23/2
ततोऽग्नौ बाधुभाकाशमित्त्वमिनिश्रयेत् ॥		
तेषामुत्तर उत्तरसंयोगः फलतो निशिष्ट ॥		

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में उद्धृत एवं उल्लिखित साहित्य.- आपस्तम्ब धर्मसूत्र में

पूर्ववर्ती व्यापक साहित्य के उल्लेख या उद्धरण मिलते हैं । यद्यपि ऋग्वेद और सामवेद से उद्धृत मन्त्रों की संख्या अत्यल्प है तथापि सभी वेदों के मन्त्र इस धर्म सूत्र में उद्धृत या निर्दिष्ट हैं । जहां तक ऋग्वेद एवं सामवेद के उद्धरणों का सम्बन्ध है निम्न उदाहरण दृष्टव्य है:-

सप्तभिः पावमानीभिर्दयान्ति यच्च दूरक इत्येताभिर्यजुष्यवित्रेण
साम्यवित्रेणाऽऽहि. गरसेनेति¹ ॥

त्रिमधुस्त्रिसुपणा विवेक्तश्चतुर्मध. ष चाग्निर्ज्येष्ठसामिको
वेदाध्याध्यनूवानमुत्र. श्रोत्रिय इत्येते प्राध्दे भुञ्जाना.
षड् क्तपाक्ता भवन्ति² ॥

अग्निवेद का आधर्वण वेद नाम से उल्लेख है-

आधर्वणस्य वेदस्य शेष इत्युपदिशन्ति³ ॥

-
- | | |
|------------|------------|
| 1. आ०ध०सू० | 1/1/2/2 |
| 2. वही | 2/7/17/22 |
| 3. वही | 2/11/29/12 |

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब के तैत्तिरीयचरण का आवार्य होने के कारण, तैत्तिरीय संहिता के अनेक मन्त्रों को आपस्तम्ब ने उद्धृत किया है । यथा-आपस्तम्ब धर्म के सूत्र 1/2/2/2, 2/6/14/11, 1/9/26/7 क्रमशः तैत्तिरीय संहिता के सूत्र 1/2/1, 3/9/4, 2/5/2 पर आधारित है ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण और आरण्यक के मन्त्रों को भी उद्धृत किया गया है । यथा 2/2/3/16, 2/2/4/1-9 ।

वाजसनेयचरण आपस्तम्ब का प्रतिवन्दी था, अतः आपस्तम्ब ने वाजसनेयों के मतों के उद्धरण दिए हैं । वाजसनेयी ब्राह्मण का निम्न उद्धरण दृष्टव्य है -
अथाथि वाजसनेयिब्राह्मणाम् ब्रम्ह्यज्ञो ह वा एष यत्स्वाध्यायस्त-
स्यैते वषट्कारा यत्स्तनयति यिध्द्योतते यदवस्फूर्जति यध्दातो
वायति । तस्मात् स्तनयति विद्योतमानेऽवस्फूर्जति वाते वा
वायत्यधीयीतैव वषट्काराणामच्छम्बट्कारायेति¹ ॥

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में उषनिषदों का भी उल्लेख प्राप्त होता है-

सर्वविद्यानामप्युपनिषदामुषाकृत्या नध्ययनं तदह² ॥

1. आ०ध०सू० 1/4/12/3

2 वही 2/2/5/1

आपस्तम्ब ने निम्न आचार्यों का अपने धर्मसूत्र में स्मरण किया

है- काण्व §1/6/19/7§, कण्व §1/6/19/3§, कुत्स §1/6/19/7§, कौत्स
§1/6/19/4§, पुष्करसदि §1/10/28/1§, 1/6/19/7 § , वाघ्ययिणी
§1/6/19/5§, हारीत §1/4/14/11§, श्वेतकेतु §1/2/5/6§, मनु §2/6/14/11§,
प्रजापति §2/10/24/7§ ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में निम्न ग्रन्थों का भी उल्लेख प्राप्त होता

है- ब्राह्मण §1/2/7/7, 1/2/7/11, 1/3/10/8, 1/4/12/1, 1/4/12/13,
1/5/17/28, 1/6/18/26, 1/7/20/11, 2/7/17/11, 2/3/7/11, 2/3/7/15,
2/6/13/5§, पुराण §1/6/19/13, 1/10/29/7, 2/9/22/24, 2/9/23/3§,
भविष्यत्पुराण का नामता उल्लेख है और उसके श्लोक धर्म सूत्र §2/9/24/6§ में
उदाहृषी है -

अथ पुराणे श्लोकावुदाहरति-

अष्टाशीतिसहस्राणि ये प्रजानेषिर ऋषयः।

दक्षिणाणां र्यम्णः पन्थानं ते श्मशानानिभेजिरे ।

अष्टाशीतिसहस्राणि ये प्रजा नेषिर ऋषयः।

उत्तरेणाऽर्यम्णः पन्थानं तेऽमृतत्व हि कल्पते।।

"बुनस्सर्गे बीजार्था भवन्तीति भविष्यत्पुराणे"

इसी प्रकार उपनिषदों का भी उल्लेख इस सूत्र में मिलता है-

"सर्वविधानामप्युपनिषदामुपाकृत्या नध्ययनं तदह " 2/2/5/1. अध्यात्मपटल

की अधिकांश सामग्री उपनिषदों से गृहीत है । और वेद के छः अङ्गों के विषय

में भी आपस्तम्ब को निश्चित रूप से ज्ञान है 2/4/8/10-11 "ऋद्दङ्गो वेद ।"

"छन्द .कल्पो व्याकरणं ज्योतिषं निरुक्त शीक्षा छन्दोविचितिरिति"।

इसके अतिरिक्त निम्न पद्य महाभारत, अनुशासनपर्व का आपस्तम्ब

ने धर्मसूत्र §2/7/7/8§ में उदाहृत किया है-

सम्भोजनी नाम पिशाचमिक्षा नसा पितृन् गच्छतिनो ध देवान्।

इहैव सा चरति क्षीणामुष्या शालान्तरे गौरिव नष्टवत्सा ।।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अध्यात्मपटल में आत्मा के स्वरूप पर जिस

प्रकार विचार किया गया है उससे सामान्यतः यह धारणा भी बनती है कि

आपस्तम्ब वेदान्त दर्शनपद्धति से भी परिचित थे ।

किन्तु सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं आपस्तम्ब का पूर्वमीमांसा और

न्याय के सिद्धान्तों से सम्बन्ध उल्लेख । इन सूत्रों में न्यायविदः या न्याय-

वित्सम्प्रः प्रयोग द्रष्टव्य हैं -

अह गाना तु प्रधानैरव्यपदेश इति न्यायवित्समयः

2/4/8/13

अधाधि नित्यानुवादमविधिमाहुन्यार्थविद .

2/6/14/13

इस अंशों से मिलते- जुलते सूत्र जैमिनि के पूर्वमीमांसा सूत्रों में भी मिलते हैं,
उदाहरणार्थ--

अर्धवादो वा विधिषोषत्वात्तस्मान्नित्यानुवादः

पू०मी०सू० 6/7/30

इसी प्रकार इन दो उदाहरणों की समानता भी दृष्टव्य है--

तस्यां क्रयशब्दः संस्तुतिमात्रम् धर्माधि

क्रयस्य धर्ममात्रत्वम् पू०मी०सू०

सम्बन्धः। आ०ध०सू० 2/6/13/11

6X2/15

विद्यां प्रत्यनध्याय . श्रूयते न कर्मयोगे

विद्यां प्रति विधानाब्दा सर्वकालं प्रयोग

मन्त्रापाम् । वही 1/4/12/9

स्यात्कर्माधित्वात्प्रयोगस्य 13/3/19

श्रुतिर्हि बलीयस्यानुमानिकादावारात्

विरोध स्वनपेक्ष्यं स्यादसति ह्यनुमानम्

वही 1/1/4/8

यस्मिन्प्रीतिः पुरुषस्य तस्य लिप्सार्थ-

यत्र तु प्रीत्युपलब्धत . प्रवृत्तिर्न तत्र

लक्षणाविभक्तत्वात्

शास्त्रमिति

इन समानताओं के आधार पर डा० काणे ने यह मत प्रस्तुत किया है कि आपस्तम्ब जैमिनि के मीमांसासूत्र से परिचित थे । संभव है कि वे जिस मीमांसासूत्र से परिचित थे वह उस समय तक वर्तमान रूप न प्राप्त कर सका हो ।

उक्त के अतिरिक्त पूर्ववर्ती धर्माचार्यों के मतों का उल्लेख आपस्तम्ब ने एके शब्द के प्रयोग द्वारा किया है इस सम्बन्ध में निम्न सूत्र द्रष्टव्य हैं -

1/1/2/41, 1/1/4/17, 1/2/5/22, 1/2/6/4, 1/2/6/33,
1/2/7/21, 1/2/8/7, 1/3/9/3.10.24, 1/3/10/7.12, 1/3/11/3.22.24,
1/4/13/14, 1/4/14/21, 1/5/13/19, 1/5/16/4.6.13 1/6/18/3 ,
1/7/21/10.8, 1/11/30/1.3, 2/3/6/8.9.11, 2/5/12/15.23 ,
2/6/14/6.9, 2/6/15/10, 2/7/17/14, 2/9/21/12, 2/9/22/6.15,
2/9/23/18, 2/11/29/16

एवं अध्यायुदाह रन्ति शब्द का प्रयोग भी निम्न सूत्रों में प्राप्त होता है -

2/6/19/15. 1/9/25/10. 1/11/30/26. 1/11/32/23

इस प्रकार हम देखते हैं कि आपस्तम्ब धर्मसूत्र.पूर्ववर्ती साहित्य के अनेक उद्धरणों एवं उल्लेखों से संवलित है ।

तृतीय अध्याय
धर्म का स्वरूप

तृतीय अध्याय

भारतीय संस्कृति का मूलाधार धर्म^१ जो भारतीयों के वैयक्तिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में पूर्णरूप से प्रतिबिम्बित है । अब यहां यह प्रश्न उभरिष्ठत होता है कि यह धर्म क्या है ?

धर्म शब्द धृ धारणे धातु से मन् प्रत्यय लगाने से बनता है ।

विद्वान् इसकी व्युत्पत्ति तीन ढंग से करते हैं ।

॥१॥ प्रियते लोकः अनेन, अर्थात् धर्म वह है जिससे लोक का धारणा किया जाय।

॥२॥ धरति धारयति वा लोकम् अर्थात् धर्म वह है जो संसार को धारणा करे ।

॥३॥ प्रियते लोक यात्रा निर्वाहार्थं यः सः धर्मः अर्थात् धर्म वह है जिसे लोकयात्रा निर्वाहार्थं सभी धारणा करे ।

इस प्रकार 'धर्म' शब्द अपने शब्द का परिचय स्वयं देता है । फिर भी विविध शास्त्रों में इसकी प्रशंसित परिभाषायें पायी जाती हैं ।

ऋग्वेद की ऋचाओं में 'धर्म' शब्द विशेषण या संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रायः यह शब्द 'धर्मन्' है और इसका प्रयोग नपुंसकलिङ्ग में हुआ है¹। बहुत कम ऋचाओं में पुलिङ्ग रूप में धर्मशब्द प्रयुक्त है।

अधिकतर वैदिक साहित्य में धर्म का अर्थ है- धार्मिक विधि, धार्मिक क्रिया, निश्चित नियम, आचरण नियम जैसा कि इन प्रयोगों से स्पष्ट है-

॥१॥ आ ष्टा रजासि दिव्यानि नार्थिवा इलोक देवः,
कृणुते स्वाय धर्मणे²।

उक्त स्थल पर धर्म अलौकिक शक्ति का बोधक है।

॥२॥ अचित्ती यत्र व धर्मा युयोषिम मा
नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः³।

1. धर्मन् शब्द का प्रयोग निम्नलिखित स्थलों पर हुआ है- ऋग्वेद-1/22/18, 1/16/4, 43, 59, 3/3/1, 3/17/1, 3/60/6, 5/26/6, 5/63/7, 5/72/2, अथर्ववेद में 14/1/5। वाजसनेयि संहिता में 10/29 इत्यादि।

-दृष्टव्य गौतम धर्मसूत्र की भूमिका पृ० 15

2. ऋ० वे० 4/53/3

3. वही 7/89/5

यहाँ धर्म नियम या व्यवस्था का द्योतक है । इससे आचरण सम्बन्धी नियम की द्योतित होता है ।

अथर्ववेद में धर्म शब्द का प्रयोग धार्मिक संस्कारों से अर्जित गुण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है¹ ।

उपनिषद् साहित्य में वैदिक अर्थों के अतिरिक्त धर्म शब्द वर्णाश्रम धर्म के अर्थ में प्रयुक्त हुआ और इस शब्द से आश्रम के आधार एवं नियमों का बोध होने लगा । यह तत्र्य छान्दोग्योपनिषद् से सिद्ध होता है² । ऐतरेय ब्राह्मण में धर्म शब्द समस्त धार्मिक कर्तव्यों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है³ ।

1. ऋतं सत्यं तपो राजद्रुं श्रमो धर्मश्च कर्म च ।

भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीर्यं लक्ष्मीर्बलं जले ॥

-अर्थ० ॥१/१/१४

2. त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति ब्रह्मस्तप एवेति त्रिद्वितीयो
ब्रह्मचार्याचार्य कुलवासी तृतीयोऽत्यन्तभात्मानमाचार्य कुलोऽवसादयन् ।
सर्व एते षुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसास्थोऽमृत त्वमेति ॥

-छा० उ० २/२३/१

3. धर्मस्य गोप्ता जनीति तमश्च्युत्कुष्ठमेव विदमि वेक्ष्यन्नेतयर्चाभि मन्त्रयेत् ॥

-ऐ० ब्रा० ८१७

कालक्रम से धर्मन् शब्द का अर्थ व्यापक होता गया एवं आर्य जाति के आचार विचार का परिचायक बन गया। मानव जीवन के लिए कोई अधिकार, कर्तव्य हो, अनुशासन एवं आचरण सहित हो, समस्त नैतिक कार्य धर्म के अर्थ में समाहित हो गये। अमरकोषकार की दृष्टि में धर्म शब्द के अनेक अर्थ हैं- स्याद्धर्मम स्त्रियां पुण्य श्रेयसी सुकृतं वृषः धर्मस्तु तिविदिधः धर्मा. पुण्य-मन्यायस्क्रमावाचारसोभषा ।

निरुक्त ने धर्म शब्द का अर्थ 'नियम' बतलाया है। कणाद ने धर्म को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिसके द्वारा लौकिक सुख और अंतिम लक्ष्य की सिद्धि हो सके वही धर्म है¹।

उक्त के अतिरिक्त मीमांसा सूत्रकार महर्षि जैमिनि ने धर्म की व्याख्या करते हुए वेदविहित ऋक लक्षणों को धर्म के स्म में स्वीकार किया है²।

श्रीमद्भागवतकार के अनुसार वेद ने जो नियम बनाया है वही धर्म है, उसके विषयीत अधर्म है ।

1. यतोऽभ्युदय नि श्रेयससिद्धिः स धर्मः॥

2. चोदना लक्षणो धर्मो धर्मः॥

उक्त के अतिरिक्त हमारे शास्त्रकारों ने बार- बार उद्घोषित किया है कि "यागादिरेव धर्मः", "वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मा", "श्रुति प्रमाणको धर्मः", श्रुति स्मृति विहितो धर्मः" ।

अतएव इस प्रकार भारतीय धर्म का मूल वेद स्मृति को ही माना जाता है । इनके आधार पर जो आचरण आचरित होते हैं, वे ही धर्म हैं ।

आषस्तम्ब ने भी इसी अर्थ में धर्म को लिया है । उनके अनुसार धर्म को जानने वाले, वेद का मर्म समझने वाले व्यक्तियों का मत ही वेद का प्रमाण है ¹ । इससे यह भासित होता है कि आषस्तम्ब ने यद्यपि धर्म का मूल प्रमाण वेद को ही माना है तथापि उसके साथ ही धर्मज्ञों की संविदा या सहस्रित द्वारा की गई आचार व्यवस्था को मुख्य रूप से प्रमाण माना है परन्तु इसके साथ ही आषस्तम्ब ने आचार के सम्बन्ध में सदैव विवेक से काम लेने की सलाह दी है क्योंकि महान पुरुषों में भी कई दुर्बलताएँ होती हैं । पूर्वजों या ऋषियों के कर्मों में धर्म उल्लंघन तथा साहस कर्म का उदाहरण देखने को मिलता है किन्तु उनमें अधिक तेज होने के कारण उनका कर्म बाधकर्म नहीं होता है परन्तु सामान्य मनुष्य में तेज का अभाव होता है इसलिए सामान्य मनुष्य को उनके उदाहरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए । उनका अनुकरण करने से

मनुष्य षाड का भागी होता है । अतः सदैव धर्म के सम्बन्ध में स्वविवेक का आश्रय लेना आवश्यक है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म के सम्बन्ध में आपस्तम्ब का विचार अधिक आधुनिक और व्यावहारिक है उनकी दृष्टि में वेद, स्मृति का अन्धानुकरण आचरण मात्र धर्म नहीं अपितु स्वविवेक का आश्रय लेकर उसके बन्ध एवं विषय पर सम्यक्स्मरण विचार करना ही धर्म है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में धर्म के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि धर्म का आचरण केवल सांसारिक उद्देश्य से अर्थात् यश, लाभ, सम्मान के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब धर्म का आचरण इस ध्येय से किया जाता है तब वह फल देने के समय निष्फल हो जाता है । जिस प्रकार फल के लिए आम का पेड़ लगाया जाता है किन्तु उससे छाया और सुगन्धि भी प्राप्त होती है , इसी प्रकार धर्म का आचरण करने पर लौकिक फल भी गौण स्तर से उत्पन्न

1. दृष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च पूर्वेषाम् । तेषां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते । तदन्वीक्ष्य प्रयुञ्जानस्सीदत्यवरः ॥

-आ०ध०सू० 2/6/13/7-9

2. वही 1/7/21/1-3

होते हैं । अतएव यदि उक्त प्रकार धर्म का आचरण करने पर लौकिक फल उत्पन्न हो जाते हैं तो सूत्रकार का मन्तव्य है कि इस प्रकार के उत्पन्न लौकिक फल , यश, लाभ, सम्मान आदि को गौण रूप में ही स्वीकार करना चाहिए प्रमुख फल के रूप में नहीं । अपितु प्रमुख फल तो आत्मा का साक्षात्कार है ।

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब का कथन है कि यदि धर्मों के आचरण से लौकिक फल नहीं उत्पन्न होते तो भी धर्म की हानि नहीं होती अपितु धर्म का आचरण धर्म के लिए करना चाहिए । इससे यह स्पष्ट होता है कि आपस्तम्ब की दृष्टि में यदि व्यक्ति अपने आचरण में तत्पर रहता है और उसे यश लाभ, सम्मान इत्यादि लौकिक फल प्राप्त नहीं होते हैं तो यह नहीं समझा जा सकता है कि वह अपने धर्म में निष्ठ नहीं है ।

आपस्तम्ब ने अपने धर्मसूत्र में धर्म का आडम्बर करने वालों से सतर्क और सावधान किया है । उनका कथन है कि दुष्टों, शठों, नास्तिक, वेद-ज्ञानहीन व्यक्तियों के वचनों से कुपित नहीं होना चाहिए और उनके धोखे में नहीं पडना चाहिए ।

1. अनसूयुर्दुष्प्रलम्भः स्यात् कुहकशठनास्तिकबालवादिषु ॥

इसके अतिरिक्त आपस्तम्ब धर्म एवं अधर्म के पार्थक्य में स्वविवेक पर जोर देते हैं क्योंकि उनके अनुसार धर्म अधर्म स्वयं आकर इस प्रकार नहीं कहते हैं कि हम यहाँ हैं अर्थात् धर्म और अधर्म अपना परिचय स्वयं नहीं देते धर्म एवं देवता गन्धर्व और पितृगण भी यह नहीं बताते कि यह धर्म और यह अधर्म तथा धर्म और अधर्म का स्वस्म प्रत्यक्ष आदि से नहीं जाना जाता¹ है ।

अब यहाँ प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि धर्म एवं अधर्म में पार्थक्य कैसे सम्भव है जिसके आधार पर कष्ट आचरण करने वालों के वचनों से बचा जा सके । इसका समाधान करते हुए आपस्तम्ब का कथन है कि जिस कार्य को आर्य लोग उत्तम कहते हैं, वह धर्म है और जिस कार्य की निन्दा करते हैं वह अधर्म है² ।

1. न धर्माधर्मौ चरत 'आवं स्व' इति, न देवगन्धर्वा न पितर इत्याचक्षतेऽयं धर्मोऽयमधर्म, इति ॥

-आ०ध०सू० 1/7/20/6

2. य० त्वार्या क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मो, यं गर्हन्ते सोऽधर्मः ॥

-वही 1/7/20/7

इससे स्पष्ट है कि आर्य लोगों की दृष्टि में जो उत्तम आचरण है वे धर्म है तथा जिन आचरणों की वे निन्दा करते हैं वह अधर्म है ।

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब धर्मसूत्र में धर्म उस आचार को माना गया है, जिसे सभी स्थानों पर विनयशील वृद्ध, जितेन्द्रिय, लोभहीन, दम्भहीन आर्यों द्वारा एकमत से स्वीकार किया गया हो¹।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आपस्तम्ब की दृष्टि में धर्म की आधार शिला आचार है ।

भारतीय संस्कृति का मूल आधार आचार ही माना गया है । आचार के आधार पर ही हिन्दू समाज का निर्माण हुआ था और जब तक व्यावहारिक जीवन में इस आधार को प्राधान्य मिला तब तक समुन्नति तथा समृद्धि का समय बना रहा । वस्तुतः सम्मान दीर्घ जीवन एवं सुख का कारण आचार ही है । इसी कारण हमारे धर्मशास्त्र बार-बार आचारबान् बने रहने की शिक्षा देते हैं² ।

1. सर्वजनपदेऽप्येकान्तसमाहितमार्याणां वृत्तं सम्यग्गनीतानां वृद्धानामात्मवतामलोलुषानामदाग्निभकानां वृत्तसादृश्यं भजेत् ।।

-आ०ध०सू० 1/7/20/8

2. आचारो भूति जनन आचारः कीर्ति वर्धन .। आचाराद् वर्धते ह्यायुराचारो हन्त्य लक्षणम् ।।

ऋषियों की वाणी से यह सिद्ध है कि आचार हमारी स्वा-
भाविक शक्ति का सम्बर्धन करता है । सदाचार से पुष्ट शरीर की प्राप्ति होती
है बुद्धि का संमार्जन होता है । चित्त की हंचलता का निवारण होता है ।
मनु का कथन है कि-

सर्वलक्षणाहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः ।

श्रद्धानो नसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥

-मनु० स्मृ० 4/158

आचारात्तन्मते ह्यायुराचारादीप्सता . प्रजाः।

आचाराद्धनमक्षयमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥

- मनु०स्मृ० 4/156

वस्तुतः इसी कारण "आचारः परमोर्धम ॥" व०ध०सू० 6/1

कहा गया है ।

इसी कारण से आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी सदाचार पर अत्यधिक
जोर दिया गया है और सूत्रकार ने कहा है कि क्रोध, रोष, लोभ, मोह, दम्भ,
द्रोह, असत्य भाषण, अतिभोजन, दूसरे पर मिथ्या दोष रोषण, दूसरे के गुणों
से जलना, काम, व्देश, इन्द्रियों को वश में न रखना, मन को समाहित न करना

प्राणियों को विनाश करने वाले दोष हैं और इन दोषों को दूर करने के लिये योग को माध्यम बताया है तथा क्रोधहीनता, हर्ष का अभाव रोष न करना, अलोभ, मोह का अभाव दम्भ का न होना, प्रेह न करना, सत्य वचन भोजन में सयम, पर-दोष कथन से विमुक्त होना, असूया का अभाव, स्वार्थहीन उदारता, दान आदि न लेना, सरलता, कोमलता भावावेगों का शमन, इन्द्रियों को वश में करना, सभी प्राणियों के साथ प्रेम आत्मा के चिन्तन में मन को समाहित करना, आर्यों के नियम के अनुसार आचरण, क्रूरता के त्याग, सन्तोष को श्रेष्ठ आचरण बताया है तथा कहा है कि जो व्यक्ति इन उक्त सदाचारणों का शास्त्रोक्त विधि से आचरण करता है वह विश्वात्मा को प्राप्त करता है¹।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आषस्तम्ब ने आचरण को ही परम-लक्ष्य ॥मोक्ष॥ का साधन माना है। यही कारण है कि उनके धर्मसूत्र में सदाचार पर अत्यधिक जोर दिया गया है।

पाप और प्रायश्चित्त की धारणा के पीछे भी आचार के अतिरिक्त क्या हो सकता है ? समाज में जीने और दूसरों को जीने देने का मन्त्र ही

इस लोक में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है । हमारे धर्मसूत्र में व्यक्ति को पर्याप्त महत्व मिला है । किन्तु इस महत्व की शर्त यह है कि वह आचार या धर्म का पालन करे यदि वह आचार का उल्लंघन करता है तो उसे जीने का अधिकार नहीं, उसे पाप से तभी मुक्ति मिल सकती है, जब वह प्रायश्चित्त करे, अर्थात् पाप गम्भीर हो तो जीवन का अन्त कर दे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज के अन्य लोगों के लिए एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। प्रायश्चित्त के पीछे सूत्रकार की यह भावना है कि तप, उषवास, होम, धर्म में आस्था उत्पन्न करके पुनः उत्तम आचरण की प्रेरणा देता है ।

वस्तुतः आष्वस्तम्ब ने प्रत्येक प्रसंग में आचरण की शुद्धता पर जोर दिया है जैसा कि हम आश्रम व्यवस्था के वर्णन एवं वर्णों के कर्तव्यों के प्रसंग में देखेंगे ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आष्वस्तम्ब धर्मसूत्र में धर्म का स्वरूप कोरा आदर्शवादी नहीं है बल्कि नैतिकता, सदृष्टारिता, ज्ञानता और बौद्धिकता का समन्वय है ।

XXX
चतुर्थ अध्याय
सामाजिक जीवन
XXX

चतुर्थ अध्याय

वर्ण व्यवस्था

भारतीय समाजिक इतिहास में वर्णव्यवस्था का वर्णवर्ण स्थान है, जो समाजिक विभागों के रूप में है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था को कल्पना नास्तिक मतवालों ने समाज को प्रतिष्ठित करने अंतिम लक्ष्य के रूप में, गणित देव विद्या है कर्मेति प्रवृत्त अपने वर्णगत कर्म का अनुसरण उनके स्वयं निर्माण में अपना वर्णवर्ण योग प्रदान करना है। समाज वर्णों के प्रतिष्ठित करने के लिए स्थापित करने के लिए समाजिक व्यवस्था का निर्माण करने है। फिर, तब वर्ण समाजिक विभाजन के मार्ग पर निर्वर्ण्य लोग विभाजित होकर होता है तथा वर्ण कर्म के आधार पर वैश्विक एवं व्यवस्थित निर्माण का अनुसरण करने के लिए समाज तथा परम एक का प्राप्ति का मार्ग तथा है। तब पर उग्रतर होकर वह समाजिक व्यवस्था अनुभूति करता है। जनता प्रवृत्त समाज और देश के निर्माण तथा अनुभवान में वर्ण व्यवस्था का योगदान अत्यन्त परिमामय है। वर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में ज्ञान मत प्रचलित है। प्रथम के अनुसार केवल जन्म ही वर्ण का निर्धारक है। द्वितीय मतानुसार कर्म से ही वर्ण का निर्धारण होता है। गणित और जिस किसी व्यक्ति में जिस वर्ण के गुण कर्म होंगे वह उन्ही वर्ण का माना जाय। तृतीय मत दोनों स्थितियों को आवश्यक मानता है। इसके अनुसार जन्म भी उसी वर्ण में होना चाहिए तथा उसी वर्ण के अनुरूप गुण और कर्म होने चाहिए।

इस प्रकार अस्तम्ब धर्मसूत्र का जन्म है अस्तम्ब ने वर्ण का आधार जन्म को माना है। इसके लक्ष्य होता है कि अस्तम्ब युग में यदि व्यवस्था सुदृढ़ हो गयी थी तथा युग के वर्णों के तुल्य भाग मिले जाने वाला "वर्ण" प्रथम जन्मदा वर्ण के रूप में स्वीकार हो गया। अस्तम्ब वर्णविभाजन का ठोसता इस बात है कि कौटिल्य के अस्तम्ब के अनुसार यदि कोई वर्णमात्र है तो प्राप्ति ही नहीं हो सकती तथा है तो एकात्म प्राप्तिमान्त गढ़ होता है जो वेदक प्राप्ति का होता है²।

यद्यपि अस्तम्ब धर्मसूत्र³ द्वारा वर्णों के वर्णवर्ण का जन्म करने के शुद्धादि वर्णों जन्म के पूर्व-पूर्व वर्णों को प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि जन्म के पूर्व-पूर्व वर्णों को कब प्राप्त करते हैं 9 इस प्रश्न का समाधान अस्तम्ब ने "जातिपरिवृत्तौ" कहकर किया है अर्थात् जन्मान्तर में इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध इसी जन्म

1. अतारो वर्णा ब्राह्मणश्चित्रवैश्यादा । तेना पूर्व पूर्वो जन्मतरश्रेयान् ॥

-अधोबुध 1/1/14-5

2. ब्राह्मणमात्रं च ॥

-वही 1/9/24/7

3. धर्मवर्षगा जघन्वो वर्णा पूर्व पूर्व वर्णमावृत्ते जातिपरिवृत्तौ ॥

-वही 2/5/11/10

ने इस शरीर के जो कर्तव्य कर्म तो करना हुआ वैदिकदि वर्णों के, प्राप्त नहीं कर पाया है। तब यदि वह इस जन्म में जाने कर्तव्य कर्मों का सम्पूणतया निर्वहण करे तो जन्मान्तर से वैश्य हो सकता है। उस जन्म में भी अपने धर्म का निर्वहण करता हुआ पुनः जन्मान्तर में क्षत्रिय हो जाता है, और उस जन्म में भी अध्यात्मात् अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ अगले जन्म में ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विद्वानी आश्वस्तम्ब के अनुसार कर्म का प्राप्ति करने पर श्रेष्ठ वर्णों के व्यक्ति आगे जन्म में उत्तरोत्तर जाने से ही वर्णों में उत्थान होते हैं।

इससे यह भासित होता है, आश्वस्तम्ब वर्णों का आधार कर्म भी मानने से अरन्तु आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में अनेक स्थलों पर जन्म के आधार पर वर्ण-विभेद परिलक्षित होता है। इससे अतिरिक्त वर्णपरिवर्तन कितने जन्म जन्मान्तरों में होता है, इस विषय में आश्वस्तम्ब सर्वथा मौन हैं एवं आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र के अन्दर कर्म के आधार पर जात्युत्कर्ष और जात्यधकर्ष का एक भी उदाहरण उल्लेख नहीं होता है। इससे यह निष्कर्ष निकालना असंभव नहीं होगा कि

1. अधर्मवर्षया ब्रूवो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमाश्रयते जातिपरिवृत्तौ।।

आश्वस्तम्ब ने वर्णव्यवस्था का आधार मात्र जन्म माना है तथा इस विवक्षितता पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों का अधिभागों का वर्णन किया है ।

वर्णों के कर्तव्य, योग्यताएँ एवं विशेषाधिकार - आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में वर्णों के कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों के विषय में विशिष्ट वर्णन मिलता है ।

आश्वस्तम्ब ने अध्यापन, यज्ञ करना या दान देना ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए आवश्यक कर्तव्य माने हैं । अध्यापन, अध्यापन, यज्ञ करना तथा यज्ञ करना, दान देना तथा दान लेना, अथवा उत्तराधिकार तथा खेतों में अन्न के कणों को बीनना आश्वस्तम्ब के अनुसार ब्राह्मण के धर्मसम्मत कर्म हैं¹ । क्षत्रिय के कर्म विधेयन में क्षत्रिय के लिये अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना, उत्तराधिकार तथा खेतों में अन्न के कणों को बीनना, दण्ड देना एवं बुद्ध करना, आश्वस्तम्ब ने धर्मसम्मत कर्म माने हैं² । उक्त के अतिरिक्त अध्ययन, यज्ञ करना, दान देना, उत्तराधिकार तथा खेतों में अन्न के कणों का बीनना

1. स्वकर्म ब्राह्मणस्याऽध्ययनमध्यापनं यज्ञो याजनं दानं प्रतिग्रहणं दायाश्च

शिलोच्छ्रितं ॥

-आश्वस्तम्ब 2/5/10/5

2. एतान्बेब क्षत्रियस्याऽध्यापनयाजनप्रतिग्रहणानोति करिहाप्य दण्डसध्दाधिकारि

खेती, पशुपालन तथा व्यापार को श्रेष्ठ या धर्म बताया है¹।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ज्ञान लेना, प्रश्न करना, ज्ञान देना, उत्तराधिकार तथा श्रेष्ठों में ज्ञान के लोगों का ज्ञानाधिकार मात्र धर्म (धर्म) का धर्म है।²। किन्तु ज्ञान, प्रश्न करना, ज्ञान लेना ब्राह्मणों के ही अधिकार हैं। एवं ज्ञान देना श्रेष्ठों के तथा श्रेष्ठ पशुपालन व्यापार श्रेष्ठों के विशेषाधिकार है।

अध्याय - आश्वस्तम्ब ने ज्ञान ब्राह्मणों का विशेषाधिकार माना है²

किन्तु उन्होंने ब्राह्मण मात्र को ज्ञानाधिकार में श्रेष्ठ या श्रेष्ठ से ज्ञानाधिकार को अनुमति दी है³। इससे यह विदित होता है कि श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठ आचार्य

1. शत्रिपत्तद्वैतस्य दण्डुधदत्तं कृषिगोरक्षानिजाऽधिकम्॥

-अध0सू0 2/5/10/8

2. ब्राह्मण आचार्य स्मरति तु॥

-बही 2/2/4/25

3. आचार्य ब्राह्मणेन राजन्वे वैश्वे वाऽध्ययनम्॥

-बही 2/2/4/26

या वर्गिक भी थे किन्तु वे उपान्यस्त निम्न प्रतिष्ठा के पात्र थे । यह उक्त
 रूप के सम्बन्ध है कि पादस्तम्भ ने ऐसे ब्राह्मण विष्णु को जो क्षत्रिय या वैश्य
 गुरु के विद्या पात्र रहा है उन्मा तल गुरु के जाटे- पीटे करने को अनुमति का है
 जब तक वह उनका शिक्षण करते । अन्ततः समाप्त के उपान्यस्त उसे जाने क्षत्रिय या
 वैश्य गुरु के जागे चलने का विशेष विद्या है । ने ही निम्न गौतम मनु में भी
 तो पाये है 2 ।

पादस्तम्भ ने उपान्यस्त कार्य का जीवितरक्षण करने देना स्वयं जान लेना
 भी ब्राह्मण के विविधम्भत तर्क माने है । यद्यपि पादस्तम्भ ने जादे धर्म में
 वर्तमान तान वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय इ. वैश्य) से ही जान लेने की अनुमति
 ता है 3 किन्तु पादस्तम्भ ने पादस्तम्भ के पक्ष में धर्म में वर्तमान शूद्र का
 उन्नत भोज्य बताया है 4 । करने पर उद्बन्धित होना है कि यदि ब्राह्मण जाध-
 न्तिकाल में है तो ऐसा शूद्र को स्वधर्म का पालन करता है से दानग्रहण किया

1. अनुगमन च शत्रात् । तत उर्ध्वं ब्राह्मण एवाऽग्रे गतौ स्यात् ॥

-आ०ध०सू० 2/2/4/27-28

2. गो०ध०सू० 7X2/3, मनु०स्मृ० 10/2, 2/24।

3. सर्ववर्णानां स्वधर्मं वर्तमानानां भोक्तव्यं शूद्रवर्जमित्येके ।।

-आ०ध०सू० 1/6/18/13

4. तस्याऽऽधिधर्मोऽनतस्य ॥

-बही 1/6/18/14

जाना है ।

इसके अतिरिक्त आश्वस्तम्ब ने सभा सुण्य जाकर जाड़े व्यक्तिगणों, दानशील व्यक्तियों से दान लेने की अनुमति माँ ली है¹ । यहाँ यह दृष्टव्य है कि सुण्य जाकर जातान्तर्य, अत्येक वर्ण का स्पर्ध में वर्तमान होना है ।

आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र के मत से यदि दान पिना मागे मिले तो अस्वीकार नहीं करना चाहिए भले वह जात कर्म करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो । परन्तु आश्वस्तम्ब ने इस सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध लगाया है कि इस प्रकार के दान की घोषणा करते में न हो एक विकित्तक, बहेलिया, शल्पकृत, भाशिन कुतटा स्त्री और नपुंसक द्वारा देय दान अस्वीकार कर देना चाहिए² । उक्त से यह अभिहित होता है कि समाज में बहेलिया, कुतटा स्त्री, पीठ काट करने वालों की सामाजिक स्थिति अत्यन्त ही नीची थी तभी तो जहाँ जाकर कर्म करने वालों का अन्न भोज्य पताया है वही उक्त व्यक्तियों का अन्न अन्नो ज्य कहा है ।

1. सुण्य इति जौत्स । य कश्चिद्दद्यादिति बाब्यात्रिणि ॥

-शतधोसू 1/6/19/4-5

2 विकित्तकस्य मृगयोश्शल्पकृतस्य भाशिन । कुतटायाश्छण्डकस्य व तेषामन्नमनाथम् ॥

- बही

1/6/19/14-15

जास्तम्ब धर्मरूत्र ने दान देना ही आदर्श माना है तथा जास्तम्ब ने व्यवस्था ला दी है कि कोई जातार्थ के लिए, दक्षिणा, विवाह, यज्ञ, माता तथा पिता के भरण पोषण का बच्चा, अथवा यदि के लिये दान मागे तो दान देना चाहिए। परन्तु उन्होंने दान क्रिया के उभर प्रतिबन्ध का समाधान था तथा लिखा है कि अपने जाश्रितों की भरण पोषण करना अपना विशिष्ट उत्तरदक्षिणत्व है। नौकरों एवं दासों की चिन्ता न करके अन्विधियों को भोजन बाट देना अनुचित है²।

जास्तम्ब के अनुसार सभी प्रकार के दानों में पितृ भ्रमेण एतेन है। श्लोक वैदिक यज्ञों को छोड़कर, जिनमें वैदिक उद्दिष्टों के अनुसार कृत्य किये जाते हैं, सभी प्रकार के दानों में दक्षिणा देना भी अनिवार्य है³।

1. मिश्रणे निमित्तमाचार्यो विवाहो यज्ञो मातापित्रोर्भुभूर्वाडर्हतश्च नियम विलोप ॥

-आ०ध०सू० 2/5/10/1

2. आ०ध०सू० 2/4/9/10-12 द्रष्टव्य, बौ०ध०सू० 2/3/19, याज्ञ० 2/175, मनु 11/9-10

3. यथाश्रुति विहारे । ये नित्या भाजित्कास्तेभामनुषरोधेन संविभागो विहितः ॥

-आ०ध०सू० 2/4/9/9-10

जाता, गौरीविराज ही जिन वृत्तियों को ब्राह्मणों की ही
ने शक्ति नहीं थी। — न्य ब्राह्मण न नोन जीवन वृत्तियों के अतिरि-
क अन्य रूप में जाते थे। आरतम्ब ने इस सम्बन्ध में व्याख्या की है।

जातान्ता के कुछ ब्राह्मणों को कुजस्त क्षेत्रा जाता है। गौतम
का लौधान ने ब्राह्मणों को जातान्त में अत्रियवृत्ति देने को अनुमति दी
है।¹ रन्तु पाण्डित्य का अर्थ है कि अशुभा के लिए भी ब्राह्मण को जातान्त
नहीं प्रवृत्त करना चाहिए²। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाण्डित्य ब्राह्मण
द्वारा आजातस्थिति में भी अत्रिय वृत्ति बनाने के अर्थ में नहीं है। रन्तु
नन्तरमय ब्राह्मण अत्रियवृत्ति बनाने थे क्योंकि पाण्डित्य ने एक स्थल पर³
अत्रिय र्भ करने वाले ब्राह्मण- पुत्र का उल्लेख किया है।

1. गौ०ध०सू० 1/25, जौ०ध०सू० 2/2/30

2. यो विहसार्थमभिजानतं तन्त मन्पुरेव मन्यु स्पृशति न तस्मिन् दोष
इति पुराणो ॥

-गौ०ध०सू० 1/10/29/7

3. शिवत्रिशिष्यविरचिते. परतल्हगाम्पापुकीपुत्रशुद्धोत्कन्नो ब्राह्मणप्रामित्ते
थाधदे सुञ्जाना श्रीकृतदूषणा भविन्तः॥

- बही 2/7/17/21

जाता ब्राह्मण कृषि कर सन्ने थे 9 अर्थात् राजादिनामों के सम्बन्ध में प्रतीति नहीं है। अर्थात् अर्थात् में ब्राह्मण को छूट प्राप्त है परन्तु मनु [10/93/84] ब्रह्मण 1/5/10/1 ने कृषि कर्म से ब्राह्मण को छूट करने की प्रतीति दी है। यथा तक आशस्तम्ब धर्मसूत्र में प्रतीति है उसके ब्राह्मण व्यास कृषि निषेध का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है अर्थात् सूत्र² में स्पष्ट उल्लेख नहीं, परन्तु वेद के विद्वानों को धर्मसम्मत माना है जिससे अविनिवृत्त होता है कि आशस्तम्ब को अर्थात् में ब्राह्मण द्वारा कृषि कर्म वर्ज्य नहीं था।

उक्त के अतिरिक्त आशस्तम्ब द्वारा ब्राह्मण को आशस्तम्ब में व्यापार एवं वाणिज्य की अनुमति प्रदान की है परन्तु मनु बिक्रय के सम्बन्ध में अनेक निषेध प्रदान थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि ब्राह्मण आशस्तम्ब के समय में उन्हीं वस्तुओं का व्यापार करे जिनका बिक्रय करना विहित है अर्थात् कि वस्तुओं का क्रय विप्राय विहित नहीं है उनका व्यापार न करे³।

1. ऋग्वेद- 10/34/13

2. अक्रीतमण्यैर्व्यवहरेत् ॥

-आशस्तम्ब 1/7/20/16

3. आशदि व्यवहरेत् मण्यानामण्यानि व्यदस्यन्*।

- बही 1/7/20/11

आश्वस्तम्ब ने इस सम्बन्ध में ऐसी सूची दी है जिन्हां विभिन्न
द्रव्यमण के लिए निर्दिष्ट है यथा- मनुज, द्वार, तारा, रस, रज, सुगन्धि,
अन्न, जम्हा, गो, शरु, जह, जिना या अन्नरत्ना, उमोर जीकेनिल
हुई वस्तुओं विषय, शराब या सुराह गोबर, मरिचा, धान्य, वॉस, जायंघ
और अच्छे अम्र करने के कारण अनाधि, प्रशस्त अन्न जादि के निन्दे को आता।
इसके अतिरिक्त आश्वस्तम्ब ने तिल एवं जवल के विक्रय की विशेष दण्ड दे दर्जना
भी है²। ये ही नियम गौतम §7/8-14, मनु §10/92, बौधायन §2/1/77-78
में भी पाये जाते हैं।

विनिमय के विषय में भी आश्वस्तम्ब ने उपर्युक्त नियमों के समान
नियम जनाये हैं एवं बेजित वस्तुओं का विनिमय भी वर्जित माना गया है³
किन्तु आश्वस्तम्ब ने इस सम्बन्ध में कुछ गिरीशष्ट दूटे भी दी हैं यथा अन्न से
अन्न का मनुष्यों से मनुष्यों का रसों से रसों का मन्धों से मन्धों का, बिधा
से बिधा ला⁴। इसी प्रकार कुछ उलट कर एवं नयी वस्तुओं को सम्मिलित

1. मनुष्यान् रसान् शगान् मन्धानन्नं चर्म गर्भा बशां इलेभ्योदके तोक्मकिण्ठे
विष्यलीमरोवे धान्य मासमागुध मुकृताशा च ॥

-आ०ध०सू० 1/7/20/12

2. तिलतण्डुलांस्तबेव धान्यस्य विशेषेण न विक्रोणीयात् ॥

- बही 1/7/20/13

3. अविहितप्रवैतेषां मिथो विनिमय ॥

- बही 1/7/20/14

जगहों का निम्न स्तरों में विभाजित है ।

उक्त के अतिरिक्त आस्मिन्व ने उन विभिन्न स्तरों को पिनकी
अंशों में गणना की है। उदाहरण के लिए, मुख्य बल्यध धार, पूरा, न्त,
दृष्टी और अंत का विस्तार पॉट-पॉट कर ही जगहों का स्तर न जाना गया
है। ये आस्मिन्व ने विस्तार देने में अनुमति का है² ।

उक्त विवेक से यह स्पष्ट है कि आस्मिन्व ने आस्मिन्व ने जिसे
आस्मिन्व में बैरा वृत्ति को अनुमति देने के लिए उक्त दृष्टि में एक कार्य
आस्मिन्वों के लिए स्वीकार नहीं है तथा आस्मिन्व ने योग आस्मिन्व
सुलभ होते ही एक प्रकार के व्यापार का परिणाम कर दे³ ।

1. गीता 7/16-21, मनु 10/94 बसि 2/37-39

2. तृणा का छैरीकृतै ॥

—आठधूसू 1/7/21/2

3. आठधूसू 1/7/21/3-5, प्रकृत्य गौ 7/22-23, मनु सू 10/104

आपस्तम्ब धर्मशूत्र ने विवेकन के ज्ञान डोला है कि आपस्तम्ब ने भा
ब्राह्मणों को वैदिक काल में ही पाने वरत्ता आरम्भ स्वतंत्र तो है ।

आपस्तम्ब ने ब्राह्मण को सबका गुरु माना है और उसे यह श्रद्धा-
द जन्म से दिया है । उनकी दृष्टि में 10 वर्ष को अवस्था का ब्राह्मण
100 वर्ष वाले अत्रिय से अधिक सम्माननीय है¹ ।

आपस्तम्ब ने ब्रह्महत्या को अत्यन्त कर्म माना है² यह कि अन्त
वर्णों को हत्या महापातकों को श्रेणी में नही मानी है ।

उक्त के तिलिक्त ब्राह्मण को अपराधों के परिणामस्वरूप अन्त
वर्णों की अपेक्षा कम दण्ड का उत्प्रेषण आपस्तम्ब धर्म शूत्र में मिलता है । यह
उन्की दृष्टि में किसी बुराई का वह करने पर, चोरी, नृपिण पर तूर्णिक काल
करने पर शूद्र की सम्पूर्ण सम्पत्ति का अहरण किया जाना चाहिए तथा
अन्तर्गत देना चाहिए किन्तु यदि एक ब्राह्मण के अन्तर्गत आता

1. कुशलमन्त्रबगसं वृषस्य वा वृच्छेत् ॥

-आ०ध०सू० 1/4/14/23

2. स्तेयमाग्निशस्त्रं ब्रह्मबधो ब्रह्मोज्ज्वं गर्भशाक्तं मातु विदुःश्रित योनि-
सम्बन्धे सहायन्ते स्त्रीगमनं सुराधानमसंबोगसयोग ॥

- बही 1/7/21/8

विद्या प्राप्त नो अर्थात् जो रोजगार नहीं करता वह जीवन भर न देव रहे।

ब्राह्मण अनुष्ठान² तथा ब्राह्मण को राज्य मार्ग में करने जाने पर राजा ने विष्णु, सुकृष्ण राज³, बटी दात गौतम 6/21-22 के जौगो धर्मो [2/3/57] के मा है।

ब्रह्मा ही राज ब्राह्मण को शक्ति, ज्ञान का स्रोत के योगदान अत्यधिक नागरिक ब्रह्मण, राज था। यदि ब्राह्मण वा ब्राह्मण को उत्था करना है तो दोष अत्यधिक होता था परन्तु ब्राह्मण को उत्था किसी अन्य वर्ण के व्यक्ति के द्वारा जी जानो है तो ऐसे व्यक्ति के लिये तद-स्तम्भ ने आदेश दिया है कि वह युद्ध में जाकर दोनों पक्षों के बीच प्रता हो

1. गुरुबन्धे स्तेगे भूम्यादान इति स्वान्दावाय नश्य । यक्षुनिरोऽस्तवेतेषु ब्राह्मणस्य ॥

- अतोधोसू 2/10/27/16-17

2. राज्ञ श्रोत्रिय ॥

- बटी 2/10/26/10

3. राज्ञ शन्या ब्राह्मणोनाऽसमेत्य ॥

- बही 2/5/11/5

जाय जहाँ सैनिक उसका बंध करे तो ऐसा जबराधी जाय से मुक्त होगा¹।

उक्त के अतिरिक्त ब्राह्मण के लिये अन्य वर्णों की अपेक्षा प्राय-
श्चित्त की अनधिकारी भी कम थी। तथा ब्राह्मण के लिये घर स्त्री से मैथुन
करने पर अन्य वर्णों के व्यक्ति के लिये विहित बारह वर्षों के प्रायश्चित्त
के स्थान पर केवल 3 वर्षों के प्रायश्चित्त का उल्लेख है²।

उक्त के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना असंगत नहीं होगा कि
समाज में ब्राह्मण को सर्वप्रमुख स्थान प्राप्त था तथा अनेक विशेषाधिकार
प्राप्त थे परन्तु इतना सब होते हुए भी आजस्मन्व की दृष्टि में उक्त विशेष-
ाधिकार केवल योग्य ब्राह्मण के लिये है तभी तो एक स्थल पर उन्होंने कहा
है कि जो ब्राह्मण वेदाध्ययन से सम्बन्ध न हो उसे बैठने का स्थान, बस तथा
अन्न देना चाहिए किन्तु उसके जाने पर उठकर उसके प्रति सम्मान न
प्रदर्शित किया जाय³।

1. प्रथमं वर्णं परिरहाप्य प्रथमं वर्णं हत्वा सह.ग्रामं गत्वा वसिष्ठत
तत्रैतं हन्वु.॥

- आ०ध०सू० 1/9/25/12

2. सवर्णाभामन्वभूर्वाङ्गा सकृत्सन्निवासे वादः पततीत्युवादिशन्ति॥

- बही 2/10/27/11

शुद्र की स्थिति - धर्मसूत्रों का अवलोकन करते समय वर्णाश्रमस्था के सम्बन्ध में जो बात सबसे अधिक सटकने वाली है वह है शुद्र के प्रति उनका अन्धकार और भर्त्सना से भरा हुआ दृष्टिकोण । वैदिक काल से ही शुद्र इच्छानुसार पीटा और मारा जाने वाला तथा केवल सेवानृत्ति में नियुक्त किया जाने वाला बताया गया है । उसके जीवन की यह नगण्य स्थिति धर्मसूत्रों में और भी अधिक तुच्छ बन जाती है और वह अपने समूचे अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है और अन्ध वर्णों की सेवा ही उसका धर्म घोषित कर दिया गया ।
इसमें भी वैश्य की श्रमणा से शूद्रों की श्रमणा और उसकी अनेका ब्राह्मण की श्रमणा शुद्र के लिये अधिक बुण्य देने वाली बतायी गयी है² ।

धर्मशास्त्र युग में वेदों का अध्ययन शूद्रों के लिये निषिद्ध हो गया था जब कि वैदिक युग में उसको यह अधिकार प्राप्त था । ऋग्वेद वाक-सनेयी³ संहिता में आता है- ऋभु कहते हैं कि मेरे भक्तों । तुम ऐसा मार्ग नकडो जिससे मेरी यह पवित्र कल्पाणी वेदवाणी मनुष्यमात्र तक पहुंचे ।

1. श्रमणा शुद्रस्वतरेण वर्णानाम् ॥

- आ०ध०सू० 1/1/17

2. पूर्वस्मिन् पूर्वस्मिन् वर्णो निहरेवर्णं भूयः ॥

- बही 1/1/18

3. ऋग्वेद 26/2

ब्राह्मण , क्षीत्रज, शूद्र, वैश्य तुम्हारे अपने और बराबरे सब तक पहुंचे । इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां बर वेदों के अध्ययन का अधिकार निश्चित रूप से शूद्रों को दिया गया है ।

आश्वस्तम्ब के अनुसार शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं था वस्तुतः उनकी दृष्टि में वेदाध्ययन का अधिकार उनको ही प्राप्त था जिनका उद्वनवन संस्कार हो चुका हो । उन्होंने स्पष्टतः शूद्र के लिये उद्वनवन संस्कार का निषेध किया है¹ । इतना ही नहीं आश्वस्तम्ब ने शूद्र की सन्निधि में अध्ययन का निषेध किया है और शूद्र को श्मशानवत् कहकर उसको निन्दित ठहराया है² ।

उक्त के अतिरिक्त आश्वस्तम्ब ने शूद्र के लिये अग्नि आधान का निषेध किया है³ । इससे स्पष्ट होता है कि शूद्र वैदिक यज्ञ नहीं कर सकते थे।

शूद्रों के अपराध करने पर अन्व वर्ण के व्यक्तिवर्गों की अपेक्षा अधिक दण्ड

1. अशुद्राणामदुष्टकर्मणामुपायज्ञं वेदाध्ययनमग्नाधेनं क्लबन्ति च कर्माणि ॥

-आ०ध० सू० 1/1/1/6

2. श्मशानवच्छूद्रवर्तितौ ॥

- बही 1/3/9/9

3.

- बही 1/1/1/6

दिया जाता था¹। जहाँ शूद्र वर्ण के बुरुह द्वारा अन्व वर्ण की स्त्री से मैथुन करने पर मृत्युदण्ड का विधान था वहीं अन्व वर्ण के बुरुह द्वारा शूद्र वर्ण की स्त्री से मैथुन करने पर केवल देश निकाला का विधान था²।

इतना ही नहीं शूद्र जीवन नगण्य माना जाता था जहाँ क्षत्रिय हत्या पर 1000 गावों व बैल का दान एवं वैश्य हत्या पर 100 गावों तथा बैल के दान का विधान था वहीं शूद्र की हत्या का प्रावशिचत्त था केवल 10 गावों तथा बैल का दान³। इसके अतिरिक्त जायस्तम्ब ने शूद्र के जीवन को बशु वीक्षकों के जीवन के तुल्य स्वीकारा है। तथा जायस्तम्ब का कथन है कि कौआ, गिर-गित्त, मोर, चक्रवाक, हंस, कुत्ता आदि के मारने पर शूद्र के बध के समान प्रावशिचत्त करना चाहिए⁴।

1. बुरुहबधे स्तेवे भूमिवादान इति स्वान्वादाय बध्वः। वधुनिरोधस्तेवेतेषु ब्राह्मणास्व।।

- आ०ध०सू० 2/10/27/16-17

2. निवमारम्भणो हि बर्षीवान्भुद्व एवमारम्भणादवत्वात्।
नाश्व भार्गवशूद्राणाम्।।

- बही 2/10/27/7-8

3. क्षत्रियं हत्या गन्धं सहस्रं वैश्यात्तार्थं दयात्। शतं वैश्ये। दश शूद्रे।
ऋषिश्चाऽत्राधिकः सर्वत्र प्रावशिचत्तार्थः।।

-बही 1/9/24/1-4

4. आ०ध०सू० 1/9/25/14 एवं 1/9/26/1

उक्त के अतिरिक्त प्रथम तीन वर्णों के गुणवान व्यक्ति की निन्दा करने या उसको बर्णशब्द कहने पर आश्वस्त्य ने भीम काटने का उल्लेख किया है¹ । आश्वस्त्य ने कहा है कि जो शुद्र अन्य वर्णों के घरों के साथ वात्ता-लाभ में, मार्ग में, चलने में शब्दा पर बैठने के आसन पर तथा अन्य कर्मों में समानता का व्यवहार करे उसे छपडे से पीटने का दण्ड दिया जाना चाहिए² । उक्त से स्पष्ट होता है कि समाज में शुद्र की स्थिति अत्यधिक दबनीच हो गयी थी ।

इतना सब होते हुए भी आश्वस्त्य धर्मसूत्र में अनेक स्थलों पर शुद्र के प्रति उदारता एवं मानवता के दर्शन होते हैं । आश्वस्त्य धर्मसूत्र³ का कहना है कि ब्राह्मण को अनिष्ट शुद्र के उदारा लाया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए परन्तु साथ ही वह शुद्र को अपने उच्च वर्ण के स्वामी के लिए किसी

1. विद्वाच्छेदज्ञं शुद्रस्वाऽऽर्ष धार्मिकमाक्रोशतः ॥

- आ०ध०सू० 2/10/27/14

2. नाचि वाधि शब्दायामासन इति समोभवतो दण्डस्ताडनम् ॥

- बही 2X00/27/15

3. अग्रवतेन तु शुद्रेणापहतममोज्वम् ॥

- बही 1/5/16/22

त्रैवीर्णिक आर्च की अद्यतता में उसकी देख रेख में भोजन बनाने की भी अनुमति देता है तथा उस समय उसके लिये विहित आचमन के स्थान पर उसी प्रकार के आचमन का विधान था जिसके लिए कि वह बैरबदेव पर भोजन बना रहा है¹।

उक्त के अतिरिक्त आश्वस्तम्ब ने शूद्र का अन्न भोजन बताया है यदि वह धर्म की प्राप्ति के लिए आश्रित हो²। इतना ही नहीं आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र³ ने ब्रह्मचारी को अन्नपात्र और अभिशस्त इउपनातकी इ को छोड़कर सभी वर्णों के व्यक्तियों के घरों से भिक्षा मांगने की अनुमति दी है ।

आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र⁴ कहता है कि कुछ आचार्यों के अनुसार अतिथि के बैरों को दो शूद्रों को धोना चाहिए । इनमें से एक शूद्र तो उसके बैरों को धोये और दूसरा शूद्र उसके बैरों पर पानी डाले ।

1. आर्वाधिष्ठिता वा शूद्रास्त्रंस्कर्तारः स्तुः। तेषां च एवाऽऽचमनकत्वः।।

-अ०ध०सू० 2/2/3/4-5

2. तस्वाऽपिघर्मोपनसस्व।।

- बही 1/6/18/14

3. सर्व लाभमाहरन् गुरवे साहं प्रातरमत्रेण भिक्षाचर्चं चरेदिभक्षमाणाऽन्वत्रा-
ऽन्नपात्रेभ्योऽभिस्ता च्व ।।

- बही 1/1/3/25

4

- बही 2/3/6/9-10

उक्त से प्रतीत होता है आश्वस्तम्ब के समान ब्राह्मण को शूद्र के भी घर में बने हुए भोजन को ग्रहण करने की अनुमति थी और वह ब्राह्मण के घर रसोइया भी हो सकता था और ब्राह्मण को स्पर्श करने के विषय में शूद्र को किसी प्रकार का निषेध नहीं था।

इतना ही नहीं एक स्थल पर¹ आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र कहता है कि जो विद्या स्त्रियों और शूद्रों की होती है वही विद्या की अन्तिम सीमा है। उसका ज्ञान प्राप्त करने पर ही सभी विद्याओं का ज्ञान पूरा होता है तथा स्त्रियों और शूद्रों की विद्याएं अर्धवेद के ज्ञान का परिशिष्ट अंग होती हैं।

इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आश्वस्तम्ब की दृष्टि में शूद्र घृणित न था बलतना की परवर्ती युग में होता गया।

वर्णहंकर:- वर्णहंकर वा हंकर एक ऐसा शब्द है जो जातिवर्णों और उपाजातियों के लिए धर्मशास्त्रों में खुलकर प्रयुक्त हुआ है। मनुस्मृति² में बहुवचन

1. सा निष्ठा वा विद्या स्त्रीषु शूद्रेषु वा। आधर्षणास्व वेदस्व शेष इत्युपदिशन्ति।।

में प्रयुक्त वर्णसंकर शब्द मिश्रित जातियों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है किन्तु मनु ॥ 10/40 तथा 5/89॥ में संकर शब्द मिश्रण या वर्णों के मिश्रण या वर्णों के मिश्रण अर्थ में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । गौतम¹ ने संकर शब्द का प्रयोग किया है और कहा है कि दोनों ॥ ब्राह्मण और राजन्व ॥ वर ॥ मनुष्यों की समृद्धि, रक्षण वर्णों के वरस्वर मिश्रण होने से रक्षा ॥ और गुण ॥ गुणों का एकत्र हो या धर्मपालन ॥ निर्भर करते हैं । मिताक्षरा ॥ वाज० 1/96॥ ने अनुलोम एवं प्रतिलोम सन्तानों के लिए वर्णसंकर शब्द का प्रयोग किया है ।

आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र ने भी वर्णसंकर जातियों का उल्लेख किया है जो निम्नवत् है । आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में अनुलोम जाति के रूप में केवल उग्र का उल्लेख प्राप्त होता है ।

॥१॥ उग्र:- आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में एक स्थल पर आया है कि आचार्य के आश्वस्त होने की अवस्था में शिष्य "उग्र" के ब्रह्म से दीक्षणा ले सकता है तथा धन भी प्राप्त कर सकता² वरन्तु आश्वस्तम्ब ने "उग्र" की उल्लेख के सम्बन्ध

1. गौ० ध०सू० 8/3

2. निषमगते त्वाचार्य उग्रतः शूद्रतो वाऽऽहरेत् ।।

में कुछ नहीं कहा है। व्याख्याकार हरदत्त के अनुसार¹ वैश्व बुरुह और शूद्रा स्त्री से उत्पन्न सन्तान उग्र कहलाती है²। बोधायन धर्मसूत्र¹ का भी वही मत है। गौतम धर्मसूत्र² के अनुसार वैश्व से शूद्रा स्त्री से उत्पन्न होने वाली सन्तान उग्र कहलाती है तथा इसको "दौष्पन्त" नाम दिया है। साथ ही कुछ आचार्यों के मत का उल्लेख से इसको ब्रह्म ऋगौ०ध०सू० 4/17³ भी कहा है।

सह्याद्रिखण्ड एवं शूद्रकमलाक में उग्र को राजपूत तथा जातिबिनेक में शबुत कहा गया है³। मनु⁴ के अनुसार उग्र जाति के व्यक्तियों की शारीरिक चेष्टाओं तथा बाणी व्यापार कुर होते हैं एवं इसका व्यवसाय बिलों

1. बौ० ध० सू० 1/9/4

2. गौ०ध० सू० 4/14

3. डा० काणे- ध० शा० का इति० । पृष्ठ 127

4. मनु स्मृ० 10/9, 10/49-50

रहने वाले जातिवालों को बकलना और इनको मारना तथा इसका निवास चैत्यबृक्ष के नीचे, श्मशान पर्वत और बनों के पास है । किन्तु अश्वत्¹ ने इसको ब्राह्मण के संसर्ग से शुद्धा स्त्री में उत्पन्न सन्तान कहा है तथा यह राजा के दण्ड को धारण करने वाला, अवराधियों को दिखे गये दण्ड को क्रियात्मक रूप में प्रारणत करने वाला बतलाया है ।

जहाँ तक प्रतिलोभ जातिवालों का वर्णन है आश्वस्तम्ब ने केवल चण्डाल, बौत्कस और वैण का नामना निर्देश किया है²।

इकट् चाण्डाल- आश्वस्तम्ब के अनुसार चोर तथा जातकी ब्राह्मण नरक में अनेक जातनाओं को भोग कर इस जन्म में चाण्डाल पैदा होता है । इस पर व्याख्याकार हरदस्त ने चाण्डाल की उत्पत्ति शुद्ध बुरुष और ब्राह्मणी स्त्री से मानी है । वही मत गौतम एवं बौधायन का है³ ।

विष्णु धर्मसूत्र⁴ के अनुसार चाण्डाल मृत्युदण्ड प्राप्त अवराधियों को मारकर अपनी जीविका निर्वाह करता है तथा इनका निवास ग्राम के बाहर और इनके वस्त्र मृत व्यक्तियों के वस्त्र होते हैं । मनु॥10/12॥ ने इसको मनुष्यों

1. उ०सू० 4।

2. स्तेनोऽभिज्ञस्तो ब्राह्मणो राजन्वो वैश्वो वा परीस्मत्सर्वैः शरीरमिते निरभे वृस्ते जायते चण्डालो ब्राह्मणः बौत्कसो राजन्वो वैणो वैश्वः॥

-आ०ध०सू० 2X2X2/6

3. गौ०ध०सू० 4/15-16, बौ०ध०सू० 1/9/9

अधम कहा है । वा०३० ॥ १/१३ ॥ और स्मृत्वर्धसार के अनुसार चाण्डाल सर्वधर्मवीहकृत. है अर्थात् वह चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण के धर्मों को करने का अधिकारी नहीं है । जाब्यद् इस्त्रीशुंस ॥ ४ ॥ ने इसको चाण्डाल कहा है । संक्षेप में कहा जा सकता है कि चाण्डाल शूद्र की श्रेणी में भी नहीं आता था तथा इसकी स्थिति शूद्र से भी निकृष्ट थी । इसीलिए आश्वस्तम्ब^१ ने चाण्डाल को कुत्तों और कौबों की श्रेणी में रखा है ।

ख॥ बौलक - आश्वस्तम्ब^१ के अनुसार चोर तथा जातकी अत्रिजा परलोक में अपने जातों के फल भोगने के बाद 'बौलक' जाति में उत्पन्न होते हैं । व्याख्याकार हरदत्त के अनुसार यह शूद्र बुरुज से अत्रिजा स्त्री में उत्पन्न सन्ती है^२ परन्तु बौधायन धर्मसूत्र^३ के अनुसार निषाद ब्राह्मण बुरुज + शूद्र स्त्री बुरुज और केशवा स्त्री में उत्पन्न सन्तान 'बुलक' कहलाती है परन्तु अन्य सूत्र में उन्होंने निषाद और शूद्रा स्त्री के संसर्ग से उत्पन्न माना है । विष्णु धर्मसूत्र^४ के अनुसार यह नेश्व बुरुज से अत्रिजा स्त्री में उत्पन्न सन्तान है और इसकी वृत्ति

१. वा०३० सू० २/१/२/६

२. शूद्रात्त्रिजायां जातः बुलकः - हरदत्त सूत्र २/१/२/६ की व्याख्या

३. बौ०३० सू० १/८/११ एवं १/९/१३

४. वि०३० सू० १६/५

शिकार करना है । मनु¹ ने निबाह से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न हुए को बुल्कस कहा है एवं इसका व्यवसाय विबल में रहने वाले सर्प, नकुल और गोधा आदिबो को बकड़ना और मारना है ।

।ग। बेण .- आश्वस्तम्ब² के अनुसार चोर तथा वातकी वैश्य बरलोक में अपने वायों के फल को भोगने के बाद फलों के नष्ट होने पर बेण वासि में उत्पन्न होते है । व्याख्याकार हरदत्त ने शूद्र और वैश्य की सन्तान बेण कही है ।

मनु³ एवं बोधावन के अनुसार यह कैदे तक ।कैश्य बुरुष + ब्राह्मण स्त्री। बुरुष से अम्बष्ठ ।ब्राह्मण बुरुष + वैश्य स्त्री। में उत्पन्न होने वाली सन्तति है। तथा इसका व्यवसाय वाय वन्त्रों का बसाना है । कुल्क ।मनु 4/2/5। ने वासि को फाडने के उदारा अपनी आजीविका चलाने वाले को बेण कहा है।

उक्त प्रतिलोभन वासियों का नामना निर्देश के अतिरिक्त एक स्थल पर आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में आया है कि ब्राह्मणों के ग्राम के अन्दर आने पर उस दिन अनध्याय रहना चाहिए⁴ । व्याख्याकार हरदत्त ने उग्र निषादादि

1. मनु० स्मृ० 10/49, 10/18

2. आ०ध०सू० 2/1/2/6

3. मनु० स्मृ० 10/9, 10/49-50

4. तदहरागतेषु च ग्राह्यं ब्राह्मेषु ॥

को बाह्य कहा है¹ । विष्णु धर्मसूत्र में बाह्य शब्द का अर्थ प्रतिलोमव किया गया है । बाह्य की उत्पत्ति के विषय में मनु² का कथन है कि ऋषि प्रकार शुद्ध ब्राह्मणी में बाह्य भाति के चण्डाल को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ब्राह्मचाण्डालादि चातुर्बर्ण्य में चाण्डालादिकों से भी बाह्यतर भाति के व्यक्तियों को उत्पन्न करते हैं । इस प्रकार इन बाह्यों की संख्या 60 प्रति-पादित की है ।

1. बाह्याः उग्रनिषादादयः - आ०ध०सू० 1/3/9/18 पर हरदत्त की टिप्पणी ।

2. वि०ध० 10/30-31

संस्कार

आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में स्वतंत्र रूप से केवल उषनयन, समावर्तन एवं विवाह संस्कारों का ही उल्लेख किया गया है ।

इका उषनयन:- उषनयन का मौलिक अर्थ है आचार्य के द्वारा बालक का छात्र के रूप में ग्रहणा किया जाना यह हिरण्यकेशि गृह्यसूत्र के निम्न कथन से स्पष्ट होता है "तव गुरु बच्चो से यह कहलवाता है मै ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो गया हूँ ,मुझे इसके पास ले वलिये । सविता देवता द्वारा प्रेरित ब्रह्मचारी होने दीजिये।"।

अतः अन्य शब्दों में विद्यार्थी के आचार्य के द्वारा ब्रह्मविद्या की शिक्षा देने के लिए स्वीकार किये जाने की विधि उषनयन संस्कार है ।

उषनयन के सम्बन्ध में आश्वस्तम्ब का कथन है कि उषनयन एक संस्कार है, जो उसके लिए किया जाता है जो विद्या सीखना चाहता है, यह ऐसा संस्कार है जो विद्या सीखने वाले को गावत्री मन्त्र सिखाकर किया जाता है² । इससे

1. अथेनमभिव्याहारयति "ब्रह्मचर्यामागामुष मा न्यस्व ब्रह्मचारी भवानि देवेन सवित्रा प्रसूतः"। इति॥ ऋ०गृ० 1/5/2

2. उषनयनं विद्यार्थस्य श्रुतितस्तसंस्कारः॥ सर्वेभ्यो वै वेदेभ्यस्ताविश्रयनुच्यत इति हि ब्राह्मणम्॥

स्पष्ट है कि उचनयन प्रमुखतया गावत्री उचदेश है । गावत्री उचदेश वेद अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक था इसीलिए आश्वस्तम्ब ने ओंकार को स्वर्ग का उदार माना है तथा वेद का अध्ययन इसी ओंकार शब्द से आरम्भ करने का उल्लेख किया है¹। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि आश्वस्तम्ब की दृष्टि में वेदाध्ययन के अधिकारी वे ही व्यक्ति हैं जिनका उचनयन संस्कार होता है । उन्होंने शूद्रवर्ण तथा दुष्टकर्म करने वालों को छोड़कर शेष व्यक्तियों के लिए उचनयन का विधान किया है²। इससे ध्वनित होता है कि शूद्रवर्ण के व्यक्ति का उचनयन संस्कार हो ही नहीं सकता तथा अब तीन वर्णों के व्यक्ति जो दुष्टकर्मरत हैं वे भी उचनयन संस्कार के अधिकारी नहीं हैं ।

उक्त के अतिरिक्त आश्वस्तम्ब ने "उचनयनं विद्यार्थस्व" ॥1/1/1/9॥ कहा है इससे यह निष्कर्ष निकालना असंगत नहीं है कि आश्वस्तम्ब ने केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए उचनयन की व्यवस्था की है जो विद्याग्रहण के अभिलाषी हैं । इस प्रकार आश्वस्तम्ब ने शूद्रवर्ण, दुष्टकर्म करने वाले एवं विद्याग्रहण की

1. ओंकारस्वर्गद्वार तस्माद्धर्माऽधेयमाणा एतदादि प्रतिषेधेत ॥

-आ०ध०सू० 1/4/13/6

2. शूद्राणामदुष्टकर्मणामुवाचतं वेदाध्ययनमग्न्वाधेनं फलवन्ति च कर्माणि ॥

- बही 1/1/1/6

अमिताभा से रहित व्यक्तियों के लिए उषनयन का निषेध किया है भरन्तु

मेक्समूलर¹ ने संस्कार गणवर्ति में उद्धृत आश्वस्तम्ब के सूत्र अथ शूद्राणामुषनयनम् । आश्वस्तम्ब 11' के आधार पर यह सिद्ध किया है कि आश्वस्तम्ब के अनुसार शूद्रों को भी उषनयन का अधिकार है, किन्तु मेक्समूलर की यह धारणा गलत है क्योंकि आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार वेदाध्ययन का अधिकारी बही व्यक्ति है जिसका उषनयन संस्कार हुआ हो । आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र 1/3/9/9 में शूद्र को श्मशानवत् समझा गया है तथा श्मशान में वेदाध्ययन वर्जित माना है । अतएव जिस व्यक्ति के समीप वेदाध्ययन नहीं किया जा सकता है वह व्यक्ति स्वयं कैसे वेदाध्ययन का अधिकारी हो सकता है ?

उषनयन संस्कार के पश्चात् प्राचीनकाल में बालक का ब्रह्मचर्याश्रम जीवन प्रारम्भ होता था प्राचीन काल में आचार्यों की धारणा थी कि विद्यार्थी को पूर्णरूप से जब तक अपना नहीं बना लिया जाता तब तक उसे समीचीन विधि से शिक्षा नहीं दी जा सकती । अतएव इसी धारणा के अनुसार संस्कार में आचार्य उक्त विद्यार्थी को एक नया जन्म देता है । विद्यार्थी आचार्य का पुत्र हो जाता है।

पुत्र बनाने की प्रक्रिया का वर्णन अथर्ववेद में इस प्रकार मिलता है "उपनयन करते हुए आचार्य ब्रह्मचारी को गर्भ में प्रतिष्ठित करता है तीन दिन तक उदर में उसका बोधण करता है । उसके उत्पन्न होने पर देवता उसे देखने आते हैं। "

अतः उक्त से ध्वनित होता है कि आचार्य विद्यार्थी को ज्ञान शरीर देता था। यही भावना आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में दृष्टिगोचर होती है आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र² का कथन है कि आचार्य उपनीत बालक को विद्या से उत्पन्न करता है । विद्या से उत्पन्न होने वाले जन्म श्रेष्ठ होता है तथा उपनयन से ही धार्मिक कृत्व करने का अधिकार आरम्भ होता है ।

वही कारण है कि आश्वस्तम्ब ने उपनयन संस्कार सम्बन्ध करने वाले आचार्य की खोजता पर विशेष बल दिया तथा अपेक्षा की है कि आचार्य ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जिसका जन्म वेदविद्याध्ययन की अभिच्छन्न परम्परा वाले के कुल में हुआ हो तथा वह सामहित इनिषिध्द कर्मों से विरत

1. आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणां कृणुते गर्भमन्तः।

तं रात्रीस्तिस्त्र उदरे विभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंबन्धित देवाः।।

-अथर्ववेद 11/5/3

2. आ०ध०सू० 1/1/1/16-17, 2/6/15/23-25

तथा विभिन्न कर्मों में मन लगाने वाला हो। क्योंकि यदि उक्त गुणों से रहित आचार्य के उद्वारा उपनयन कराया जाता है तो आश्वस्तम्ब की दृष्टि में उपनीत व्यक्ति अन्धकार से निकल कर अन्धकार में ही प्रविष्ट होता है²।

आश्वस्तम्ब ने उपनयन के लिए दो प्रकार की आयु निरूपण एवं काम्य का उल्लेख किया है। आश्वस्तम्ब ने ब्राह्मण, अश्वि एवं वैश्य के लिए उपनयन हेतु निरूपण आयु क्रमशः गर्भ में आठवें वर्ष में, गर्भ के बाहर होने पर बारहवें वर्ष में तथा वैश्य की गर्भ के बारहवें वर्ष में मानी³ है एवं काम्य आयु का उल्लेख निम्नवत् किया है— ब्रह्मवर्चस की कामना रखने वाले का सातवें वर्ष में, दीर्घजीवन की इच्छा वाले का आठवें वर्ष में, तेज की कामना से नवें वर्ष में, अन्न की अभिलाषा वाले को दसवें वर्ष में, इन्द्रियशक्ति चाहने वाले को ग्यारहवें वर्ष में और वशुसम्पत्ति के अभिलाषी का बाहरवें वर्ष में उपनयन किया जाना चाहिए⁴।

1. स्मिन्नभिषनविद्यासमुदेतौ समाहितं संस्कारिमीप्सेत्।।

-आ०ध०सू० 1/1/1/12

2. - बही 1/1/1/11

3. - बही 1/1/1/19

4. अथ काम्यानि । सप्तमे ब्रह्मवर्चसकामम् । अष्टमे तपुःकामम् ।

नवमे तेजस्कामम् । दशमेऽन्नाथकामम् । एकादश इन्द्रियकामम् ।

द्वादशे वशुकामम् ।।

आश्वस्तम्ब ने १।१।१।१११ में स्पष्ट रूप से कहा है कि उक्त आयु की गणना गर्भाधान से होगी, न कि बालक के जन्म से ।

इसी प्रकार गौतम एवं बलिष्ठ ने उषनयन के लिए नित्य एवं काम्य आयु का उल्लेख किया है परन्तु बौधायन धर्म सूत्र में केवल नित्य आयु का ही उल्लेख है, काम्य आयु का नहीं^१ ।

आश्वस्तम्ब के अनुसार यदि उक्त उषनयन की अवस्था में किन्हीं कारणों से बालक का उषनयन संस्कार नहीं हो सकता है तो ब्राह्मण बालक के लिए १६ वर्ष, क्षत्रिय के लिए बाइस वर्ष तथा वैश्य के लिए चौबीस वर्ष की आयु उषनयन के लिए अन्तिम अवधि है^२। इस समयावधि के भीतर उषनयन संस्कार न कराने वाला व्यक्ति बतित सावित्रिक कहलाता है तथा समाज में वह विगर्हित

१. बौ०ध०सू० १/२/८-१०, गौ०ध०सू० १/६-८, १२

२. आश्व०ज्ञा०ब्राह्मणस्यानात्स्य आब्दाविंशत्क्षत्रियस्याऽऽचतुर्विं-

शाब्दशेषश्च यथा ब्रूतेषु समर्थः स्याद्यानि वक्ष्यामः।।

हो जाता है¹। अतएव आश्वस्तम्ब ने ऐसे व्यक्ति के लिये वेदाध्ययन का निषेध किया है तथा यज्ञों में जाने एवं षतित सावित्रीक व्यक्तियों के साथ सामाजिक सम्बन्ध यथा मिलने जुलने, भोजन और विवाह का वर्जन किया है² परन्तु आश्वस्तम्ब ने इन षतितसावित्रीक व्यक्तियों के लिये ग्रायश्चित्त का विधान किया है जिसको कर लेने पर वे उषनयन संस्कार के अधिकारी हो सकते थे³।

उषनयन के लिये वर्णानुसार भिन्न-भिन्न समय का उल्लेख धर्मसूत्र में प्राप्त होता है। यथा वसन्त ऋतु में ब्राह्मण, ग्रीष्म में क्षत्रिय, शरदऋतु में वैश्य का उषनयन किया जाना चाहिए⁴।

1. अत उध्द्वर्ब त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः।

सावित्रीषतिता ब्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः॥

- मनु०स्मृ० 2/39

2. तेषामभ्यागमज्ञं भोजनं विवाहमिति च वर्जयेत्तेषामिच्छतं
ग्रायश्चित्तं व्दादशसर्पाणि त्रैविद्यकं ब्रह्मचर्यं वरेदधोषनयनं
तत उदकोषस्पर्शनं वाबमान्यादिभिः॥

-आ०ध०सू० 1/1/2/6

3. आ०ध०सू० 1/1/2/5-11, 1/1/1/28-37

4. - वही 1/1/1/19

उपनयन विधि का उल्लेख आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में प्राप्त नहीं होता है ।

संभवतः इसका कारण यह है कि आश्वस्तम्ब ने अपने गृह्यसूत्र में इसका

विषय बर्णन किया है ।

॥३॥ समावर्तन :- समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है, गुरुगृह से वेदाध्ययन के अनन्तर गुरु को लौटना इसे स्नान भी कहा जाता है क्योंकि स्नान, समावर्तन संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तथा यह इस बात का द्योतक है कि छात्र ने विद्या-सागर को पार कर लिया । आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र ॥१/२/७/१५ एवं ३॥ में समावर्तन शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है ।

सूत्रकारों ने वेदाध्ययनोपरान्त ब्रह्मचारी के लिये समावर्तन संस्कार के प्रतीक रूप में स्नान क्रिया का बर्णन किया है । इस स्नान के पश्चात्, स्नान किया हुआ व्यक्ति स्नातक कहलाता था । आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में स्नातक की तीन कोटियों का उल्लेख प्राप्त होता है^२ । ॥३॥ विद्यास्नातक- विद्या स्नातक वह व्यक्ति कहलाता था जिसने वेदाध्ययन समाप्त कर लिया हो, किन्तु व्रत न विधे

१. आश्वस्तम्ब गृह्य सूत्र चतुर्थः पटल ।

२. विद्या स्नाती त्वेके । तथा व्रतेनाऽऽच्छाद्यत्वारिंशत्परीमाणेन । विद्या

व्रतेन वेत्वेके ॥

हो ¹ ॥३॥ व्रतस्नातक- जिसने व्रत कर लिये हो किन्तु वेदाध्ययन समाप्त न किया हो, वह व्रत स्नातक कहा जाता है- इस सम्बन्ध में आश्वस्तम्ब ने कहा है कि अठतालीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य बालन कर स्नान करना चाहिए ² ॥३॥ विद्याव्रत स्नातक- समाप्त स्नातक वह कहलाता था जिसने व्रत एवं वेदाध्ययन दोनों की परि- समाप्त कर ली हो ।

इस प्रकार समावर्तन संस्कार गुरु गृह्य से शिष्य की बावसी का पौतक है, इससे स्पष्ट होता है कि समावर्तन संस्कार नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए नहीं होता था, जो गुरु गृह में रहकर जीवन बर्षन्त अध्ययनरत रहता था । वस्तुतः समावर्तन संस्कार ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्त तथा गृहस्थाश्रम के प्रारम्भ का संस्कार है परन्तु स्नान तथा विवाह के बीच लम्बी अवधि बाकी जा सकती है । इसी कारण से आश्वस्तम्ब की धारणा है कि समावर्तन के बाद स्नातक विवाह के पूर्व तक ब्रह्मचारी की तरह ही आचरण करे ³ ।

-
- | | | |
|----|----------|-----------|
| 1. | -आ०ध०सू० | 1/11/30/1 |
| 2. | -बही | 1/11/30/2 |
| 3. | - बही | 1/2/8/1 |

आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में समावर्तन विधि का वर्णन नहीं प्राप्त होता है, अतः आश्वस्तम्ब गृह्यसूत्र¹ में प्राप्त होता है किन्तु आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में स्नातको के लिए विहित नियमों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है जो कि निम्नवत् हैं:- स्नातक गाँव में सामान्बत. पूर्व की ओर से अथवा उत्तर की ओर प्रवेश एवं निष्क्रमण करे² । प्रातःकाल तथा संध्या के समय ग्राम से बाहर बैठकर मौन होकर सन्ध्योवासन³ करे³ । मनु एवं गौतम ने भी प्रातः एवं सांघ्नं स्नातक के लिये सन्ध्योवासन करने का उल्लेख किया है⁴ ।

1. आ०गृ०सू० षड्चम षट्स

2. पूर्वैण ग्रामान्निष्क्रमणप्रवेशनानि शीलयेदुत्तरेण वा ॥

-बही 1/11/30/7

3. सन्ध्योश्च बहिर्ग्रामादासनं वाग्यतरुच ॥

-बही 1/11/30/8

4. मनु० स्मृ० 2/101, गौतम 2/17

आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में अग्निहोत्री स्नातक के लिये गाँव से बाहर, प्रात एवं सायं जाकर बैठना आवश्यक नहीं माना गया है क्योंकि सूत्रकार की दृष्टि में स्नातक व्दारा घर में अग्निहोत्र करना या गाँव से बाहर जाकर बैठना इन दोनों विकल्पों में विरोध उपस्थित है । ऐसी दृष्टि में वेद में आदिष्ट अग्निहोत्र कर्म ही प्रबल माना जायेगा क्योंकि स्मार्त नियम को श्रुति की अपेक्षा बरीयता नहीं दी जा सकती¹ ।

उक्त के अतिरिक्त आश्वस्तम्ब ने स्नातकों के लिये सभी प्रकार के रंगीन बस्त्रों एवं स्वभावतः कृष्ण वर्ण, अधिक चमकीले, भद्दे एवं गन्दे बस्त्रों का वर्जन किया है² । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आश्वस्तम्ब ने स्नातकों के लिये केवल श्वेत बस्त्रों को ही पहनने की अनुमति दी थी । वही नियम ब्राह्मणवल्क्य एवं मनु स्मृति में मिलता है³ ।

1. विप्रतिषेधे श्रुतिलक्षणां क्लीबः॥

आ०ध०सू० 1/11/30/9

2. सर्वान्नागान्वाससि वर्जयेत्। कृष्णं च स्वाभाविकम्। अनू द्वाससि वासो वसीत।
अ.वाल्क्ये च शक्तिवक्ष्ये॥

-बही 1/11/30/10-13

3. वाज० सू० 1/131, मनु 4/35

आश्वस्तम्ब ने मलमूत्र त्याग के सम्बन्ध में भी नियम दिये हैं ।

उनके अनुसार बृक्षों की छाया में मलमूत्र का त्याग न करें, शिर को ठँककर ही तथा बृथ्नी पर कुछ इतुण आदि रख कर ही मूत्र और मल का त्याग करें, धूते बहनकर, जोते गये खेत में, मार्ग के ऊपर, जल में, अग्नि, जल, ब्राह्मण, गौ, देव, प्रतिमा की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग न करें तथा बत्थर के टुकड़े, मिट्टी के ढेले से, बृक्षों तथा बनस्वतियों के तोड़े गये हरे बत्तों से शरीर में लगे मलमूत्र को न जोड़ें¹ । अतितु आश्वस्तम्ब ने व्यवस्था दी है कि दक्षिण निवास स्थान से दूर दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में जाकर मल मूत्र का त्याग करें। एवं दक्षिण की ओर मुख करके मल त्याग तथा उत्तर की ओर मुख करके मूत्र त्याग करें² । मनु एवं या०स्मृ० में उक्त मलमूत्र त्याग सम्बन्धी नियम कुछ अन्तर के साथ आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र सदृश ही प्राप्त होते हैं³ ।

1. शिरस्तु प्रावृत्य मूत्रपुरीषे कुर्वति भूम्यां किञ्चिदन्तर्धा। छायायां मूत्रपुरीषयोः कर्म बर्षेत्। स्वां तु छायामग्नेहेत्। न सोमानन्मूत्रपुरीषे कुर्वति। कृष्टे। बधि। अप्तु च। तथा ष्ठेवनमैधुनयोः कर्माऽप्तु बर्षेत्। अग्निमादित्यमणो ब्राह्मण गा देवताश्चाऽभिमुखो सूत्रपुरीषयोः कर्म बर्षेत्। अमाहं लोऽत्मादर्शनोऽधि- बनस्वतीनुर्ध्वानाच्छिथ मूत्रपुरीषयोः शुद्धने बर्षेत्।

-आ०ध०सू० 1/11/30×15-24

2.

-बही 1/11/31/1-2

3. मनु०स्मृ० 4/45-50, या०स्मृ० 1/131-137

आश्वस्तम्ब ने अभिन्न होने पर ब्रह्मण, गौ, बृज्यवस्तु, के स्पर्श एवं देव अभिधान का निषेध किया है तथा देवताओं एवं राजा के विषय में नि-
 न्दापरक बचन, गौ, यज्ञ की दक्षिणा एवं कन्धा के दोषों के कथन का निषेध
 किया है¹ एवं यदि गौ कसल को खा रही है या बछड़े को दूध पिला रही हो
 तो आश्वस्तम्ब ने किसी विशेष निमित्त के अभाव में स्वामी से कहने का निषेध
 किया है²।

इसके अतिरिक्त आश्वस्तम्ब ने स्नातक से अपेक्षा की है कि जो
 व्यक्ति भद्र हो उसे भद्र न कहे अभिसु बुण्य और प्रशस्त कह कर उसका उल्लेख करें
 तथा जो गाय दूध न दे रही हो उसे धेनुम्वव्य कहे, अधेनु न कहे³ तथा

जिन छम्भों के बीच झूला लटकाया गया हो उन दोनों के
 बीच से न जाये एवं समा में यह न कहे कि "यह व्यक्ति मेरा शत्रु है" यदि ऐसा

1. देवताभिधानं चाऽब्रूयतः। बरुर्ध्वो भयोर्देवतानां राजश्व। ब्राह्मणस्य गोरिति
 नदोषस्पर्शनं बर्षेत्। हस्ते चाऽकारणात्। गोर्दक्षिणानां कुमार्याश्च बरी-
 वादान् बर्षेत्।।

- आ०ध०सू० 1/11/31/4-8

2. -बही 1/11/31/9-10, गौ०१/24

3. -बही 1/11/31/15-17, गौ०१/52

कहता है कि वह व्यक्ति मेरा शत्रु है तो वह द्रोह करने वाले शत्रु को बैदा कर देता है¹ एवं स्नातक को इन्द्रधनुष देखने पर उसके विषय में दूसरे व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए । इस सम्बन्ध में गौतम धर्मसूत्र में आया है कि यदि इन्द्रधनु कहना हो तो मणिधनु कहें² । आश्वस्तम्ब ने स्नातक के लिये जब पक्षी एकत्र हों तो उनकी सख्या की गणना करने, उगते हुए तथा अस्त होते सूर्य का दर्शन करने का निषेध किया है तथा अमावस्या की रात्रि में आत्मसंभ्रम एवं ब्रह्मचर्य तथा देवा-र्चन वदारा प्रयत्नपूर्वक रक्षा करने को कहा है क्योंकि उस रात्रि सूर्य और चन्द्रमा एक साथ निवास करते हैं किन्ती कृत्स्न अर्थात् अग्रिमार्ग से ग्राम में प्रवेश न करें यदि किसी कारण से प्रवेश करें तो 'नमोऽस्त्राय वास्तोष्मत्ये' मन्त्र का जप करें³ । किसी ब्राह्मण को उच्छिष्ट अन्न न दें यदि दें तो, दाँतों को

-
1. -आ०ध०सू० 1/11/31/18, गौ 9/23
 2. - बही 1/11/31/19-21, मनु 4/37
 3. -बही 1/11/31/24

खरोचकर उनके मल को उस उच्छिष्ट अन्न में रखकर दें¹ तथा क्रोध आदि उन दोषों से दूर रहे जो योग की सिद्धि में बाधक होते हैं²।

उक्त के अतिरिक्त आश्वस्तम्ब ने अन्य धर्मज्ञों के मत का उल्लेख करते हुए स्नातक के गुरु के समीप माला आदि बहन कर जाने के अनुमति दी है³ परन्तु जहाँ तक आश्वस्तम्ब का मत है वह मत आश्वस्तम्ब को मान्य नहीं है क्योंकि उन्होंने एक सूत्र⁴ में स्वष्ट रज से आचार्य के सामने माला चन्दन आदि लगाकर जाने का निषेध किया है। उक्त के अतिरिक्त आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में स्नातक के ऐसे आसन पर बैठने का जिसमें गुरु के आसन की अपेक्षा अधिक ढाये हों तथा जिस पर गुरु बैठते हैं, का निषेध प्राप्त होता है⁵। अतः ऐसे

1. -आ०ध०सू० 1/11/31/25-27, मनु 4/80

2. -बही 1/11/31/27, मनु 4/63

3. स्नातस्यु काले यथाविध्यमिदृतमाहूतोऽभ्येतो वा न प्रतिहरेदित्येके।।

-बही 1/2/8/7

4. मात्वाल्लिप्तमुख उभाल्लिप्तकेशमश्रुरक्तोऽभ्यक्तो वेष्टित्युषवेष्टी
काञ्चुकुषानही षादुकी ।।

- बही 1/2/8/2-3

5. तथा बहुवादे । सर्वतः तिष्ठत । श्रद्धयासने चाऽऽचरिते नाविशेत्।।

-बही 1/2/8/9-11

आसन पर बैठे जो सभी ओर से षड्भुजी पर लगा हो¹ ।

इस प्रकार आश्वस्तम्ब ने स्नातकों के लिए आचरण सम्बन्धी
नियमों स्नातक धर्म एवं ब्रतों की विस्तृत विवेचना की है ।

॥ग॥ विवाह - वैदिक धारणा के अनुसार 'गृहबन्ध' ॥गृहस्थ जीवन॥ के लिए
वत्नी का होना अनिवार्य है²। शतब्रथ ब्राह्मण के अनुसार वत्नी अर्थात् विधवा
है । अतः जब तक व्यक्ति विवाह नहीं करता, तब तक वह अविवाहित रहता है³
तथा हिन्दू समाज में कोई धार्मिक कृत्य स्त्री के बिना पूरा नहीं होता⁴।

आश्वस्तम्ब के इस कथन⁵ से कि यदि वत्नी धर्मों में श्रद्धा रखने
वाली तथा पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम हो तो दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए

1. ऋग्वेद 10/45/34, 5/3/21

2. शतब्रा 5/2/1/10

3. मनु 9/28

4. धर्मशास्त्रों के दारे नाऽन्यां कुर्वीत ॥

-आश्वस्तम्ब 2/5/11/12

5. मनु 9/28

से ध्वनित होता है कि आश्वस्तम्ब की दृष्टि में विवाह के उद्देश्य है कि -
बत्नी बति को धार्मिक कृत्यों के योग्य बनाती है तथा सन्तानोत्पत्ति द्वारा
बति की नरक से रक्षा करती है । मनु¹ का भी मानना है कि विवाह का
उद्देश्य सन्तान प्राप्ति शास्त्रोक्त धर्मों का बालन है ।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि व्रतदिन की लोक यात्रा के लिए स्त्री
अनिवार्य, अकिमाज्य आवश्यकता है² । इसी कारण धर्मसूत्रकारों ने
विवाह को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लिये आवश्यक माना
है ।

विवाह के प्रकार :- आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में विवाह के केवल 6 प्रकारों- ब्रह्म,
आर्ष, दैव, गान्धर्व, आसुर, राक्षस का ही, ^{उल्लेख} प्राप्त होता है, वृषावत्य एवं
बैशाच का नामोल्लेख नहीं है जब कि लगभग सभी धर्मशास्त्रकारों ने आठ प्रकार
के विवाह बताये हैं³ । आश्वस्तम्ब द्वारा बैशाच विवाह का उल्लेख न करने का

1. क्योंकि धर्म के बालन के लिये बति बत्नी का सम्बन्ध होता है ।

-आ०ध०सू० 2/6/3/11

2. गौ० 4/3/13, आश्व गृ० सू० 1/6 बौ०ध०सू० 1/11 कौटिल्य 3/2,

मनु 3/40 याज्ञ० 1/59 नारद 38/39

3. महाभारत 13/44, मनु० 3/25, शंख, 4/2 ब्राह्मोदेवस्तोत्राऽऽर्धः

कारण सम्भवतः वैशाख विवाह का धर्मशास्त्र ग्रन्थोक्तित्यन्त निन्दनीय और गर्दित माना जाना है¹। जहाँ तक ब्राह्मण्य विवाह प्रकार का प्रश्न है ब्राह्मण विवाह ब्रह्मणी और ब्राह्मण्य विवाह ब्रह्मणी में कोई विशेष अन्तर न था दोनों ही विवाह प्रकारों में पिता वेदज्ञ ऋषि वर को अपने यहाँ आमन्त्रित करके कन्या को दान करता था। यही कारण है जिससे आश्वस्तम्ब ने ब्राह्मण्य विवाह ब्रह्मणी का उल्लेख नहीं किया।

आश्वस्तम्ब² के अनुसार ब्राह्मण्यविवाह में पिता अपनी कन्या को ब्रह्मण्य की उत्पत्ति तथा धर्म कर्म एक साथ करने शक्ति एवं बत्नी के प्रयोजन के से वर के कुल, चरित्र, धर्म में आस्था, विद्या, स्वास्थ्य के विषय में जानकारी प्राप्त करके, अपनी शक्ति के अनुसार कन्या को आभूषणों से अलंकृत कर कन्या प्रदान करे।

आर्षः:- इस विवाह में वधू का पिता अपने जामाता से धार्मिक यज्ञों के लिये गाय तथा बैल प्राप्त करता था³। आश्वस्तम्ब ने इस उपाहार को वधू के मूल्य के रूप में नहीं स्वीकार है, इससे यह भासित होता है कि प्रायः सभी माता पिता

1. -आ०ध०सू० 2/5/11/17, मनु 3/27,
या० 1/58

2. - बह०ध०सू० 2/5/11/18, मनु 3/29,
याज्ञ० 1/59

3. डा० जय शंकर मिश्र - प्राचीन भा०का सा०इति० पृ० 333

अपना विवाह ऋषियों से करना चाहते थे क्योंकि लोगों का विचार था कि ऋषि से उत्पन्न संतान ब्रह्मावान होती है। फलतः कन्या का पिता विवाह के प्रति इच्छुक ऋषि से एक गाय बैल का जोड़ा लेता था ताकि यह प्रमाणित हो जाय कि अब ऋषि विवाह के लिये उत्सुक है। अतः वर से प्राप्त वह उपहार कन्या का मूल्य नहीं बल्कि भेट होता था¹।

देव :- अपनी कन्या को विवाहित करने के लिए पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था। जो व्यक्ति उस यज्ञ को विधिपूर्वक सम्पन्न कर लेता था, उसी से उस कन्या का विवाह किया जाता था। इस सम्बन्ध में आश्वस्तम्ब का कथन है कि इस विवाह में पिता कन्या को ऐसे ऋत्विज को प्रदान करे जो श्रौत यज्ञ करा रहा हो²।

गान्धर्व:- आश्वस्तम्ब के अनुसार जब कन्या और वर परस्पर काम के वशीभूत होकर विवाह करते हैं तो वह गान्धर्व विवाह कहलाता है³। वस्तुतः यह

1. देवे यज्ञतन्त्र ऋत्विजे प्रतिपादयेत्।।

-आ०ध०सू० 2/5/11/19

2. आ०ध०सू० 2/5/11/20, बौ०ध०सू० 1/11/6, गौ०ध०सू० 1/4/8

3. ऋग्वेद 10/27/12- 1/12/23/11

विवाह हिन्दू समाज में अत्यन्त प्राचीन काल से विद्यमान है वैदिक साहित्य में इसका विवरण मिलता है*।

आसुर :- आश्वस्तम्ब ने जब वर कन्या के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन प्रदान कर विवाह करे तो उसको आसुर विवाह माना है¹। इस प्रकार आर्ष और आसुर विवाह में अन्तर यह था कि आर्ष विवाह में वरम्बरा के अनुसार गाय बैल का जोड़ा भेट स्वरूप वर ब्रह्म वदारा कन्या ब्रह्म को प्रदान किया जाता था किन्तु आसुर विवाह में कन्या ब्रह्म को कन्या का मूल्य धन के रूप में चुकाया जाता था ।

राक्षस :- शक्ति या बल प्रयोग वदारा युद्ध और संघर्ष के माध्यम से किसी कन्या का अन्वहरण करके विवाह करना राक्षस विवाह था । इसमें क्रूरता के साथ क्लृट और बल पूर्वक कन्या का अन्वहरण किया जाता था इसलिये इसे राक्षस विवाह कहा जाता था। आश्वस्तम्ब के अनुसार कन्या ब्रह्म वाले को वरास्त करके यदि वर कन्या का अन्वहरण करे तो वह राक्षस विवाह कहलाता है²।

1. शक्तिविषयेण द्रव्याणि दत्त्वाऽऽवहेरन् स आसुरः॥

- आ०ध०सू० 2/5/३2/1

2. दुहितुमतः प्रोथयित्वाऽऽवहेरन् स राक्षसः॥

यद्यपि आषस्तम्ब ने इस प्रकार 6 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है परन्तु उनकी दृष्टि में ब्राह्म, आर्ष और दैव ही मान्य विवाह गणाली थी इन्हीं तीनों को ही उन्होंने श्रेष्ठ माना है तथा इनमें भी दैव विवाह से आर्ष और आर्ष से ब्रह्म विवाह को उत्तम कहा है¹ तथा विवाह की उत्तमता पर जोर दिया है क्योंकि उनका मानना है जैसा विवाह होगा, उसी प्रकार की सन्तान होगी अर्थात् यदि विवाह अत्युत्तम ढंग का होगा यथा ब्राह्म होगा तो सन्तान सच्चरित्र होगी तथा विवाह निन्दित होगा यथा राक्षस, गान्धर्व आसुर इनमें से किसी गणाली ऋद्धारा होगा तो सन्तान निन्दित चरित्र की होगी²। इसी स्वर में मनु ने भी कहा है³।

1. तेषां त्रय आधाः श्रेष्ठाः पूर्वः पूर्वः श्रेयान्॥

- आ०ध०सू० 2/5/12/3

2. यथायुक्तो विवाहस्तथा युक्ता व्रजा भवति॥

- वही 2/5/12/4

3. मनु० सू० 3/41-42

वर के चुनाव के लिए निर्धारित गुण

हिन्दू व्यवस्थाकारों ने वर के गुणों को विस्तृत वर्णन की है¹ ।

इस सम्बन्ध में आश्वस्तम्ब का कहना है कि वर को अच्छा कुल, सत् वीरत्र, शुभ गुण, ज्ञान एवं सुन्दर स्वास्थ्य का होना चाहिए²। जहाँ तक कन्या के गुणों का प्रश्न है आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता परन्तु आश्वस्तम्ब गृह्यसूत्र के अनुसार " जो कन्या वर के वरणार्थ आने पर सोती है, रोती है या घर से निकल जाती है, जो कन्या दूसरे वर की वाग्दस्ता हो, प्रयत्न पूर्वक रक्षित हो, धौता [विषमदृष्टि या नीले नेत्रों वाली] शम्भा [बैल की तरह चलने वाली या शरीर वाली], शम्भा [नीकी कान्तिवाली, नीले रोओं वाली या कुम्भा] हो, हुके हुए शरीर वाली हो, विकट जाँघों वाली, गजे सिर वाली, मेढक की तरह त्वचा वाली, [दूसरे कुल में उत्पन्न] दाता [अधिक भोग विलास में रमण करने वाली], बछड़ों और खेत की रखवाली करती हो, अनेक सखियों और मित्रों वाली हो, जिसकी छोटी वहन अधिक सुन्दर हो,

1. नारद स्मृ० 5/31, मनु० 9/203

2. 2/5/11/7, आश्वस्तम्ब 1/3/20

जिसकी अवस्था वर से बहुत समीप हो, तथा जिन कन्याओं का नाम नक्षत्र, नदी या वृक्ष का नाम हो तथा जिन कन्याओं के नाम में अन्त्य वर्ण से पूर्व रेक या लकार हो तो ऐसी कन्याओं का वरण नहीं करना चाहिए¹।

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब धर्मसूत्र में सगोत्र एव सविण्ड कन्या के साथ विवाह निषेध का उल्लेख प्राप्त होता है² एव आपस्तम्ब ने माता और पिता के योनिसम्बन्ध वाली स्त्रियों यथा माता की बहन, पिता की बहन तथा उनकी पुत्रियों के साथ मैथुन को पातकीय क्रियाओं में गिना है इससे स्पष्ट है कि आपस्तम्ब मामा या बुआ की लडकी से विवाह का निषेध करते हैं³। वौधायन धर्मसूत्र⁴ के अनुसार दक्षिण में पाच प्रकार की विलक्षण रीतियाँ पायी जाती हैं बिना उपनयन किये लोगों के साथ बैठकर खाना, अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना, उच्छिष्ट भोजन करना, मामा तथा फूफी की लडकी

1. आ०गृ०सू० 1/3/10-13

2. सगोत्राय दुहितरं न प्रवच्छेत् । मातुश्च योनिसम्बन्धेभ्य ॥

-आ०ध०सू० 2/5/11/15-16

3. वही 1/7/21/8

4. बौ०ध०सू० 1/19/26

से विवाह करना । इससे स्पष्ट है कि बौधायन से पहले से दक्षिण में मात्रा तथा ब्रूमि इषिता की बहिनई की लड़की से विवाह होता था, जिसे बौधायन एवं आश्वस्तम्ब निन्द्य मानते थे ।

ऋग्वेद ११/१०/१२ निरुक्त ६/९वे० ब्रा० १/७/१० के अवलोकन

से विदित होता है कि प्राचीन काल में लड़कियों का क्रय विक्रय होता था परन्तु आश्वस्तम्ब ने कन्या क्रय की मर्त्सना की है । इस विषय में आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र का कथन अवलोकनीय है- पुत्र को दान देने या दान लेने का अथवा उसे बेचने और खरीदने का नियम विहित नहीं है, विवाह में वेद द्वारा आज्ञा-भित जो भेंट कन्या के पिता को दी जाती है इयथा १०० गायें एवं एक रथ कन्या के पिता को दिये जाने चाहिए और वह भेंट विवाहित जोड़े की है, वह कन्या के पिता की अभिलाषा मात्र है । ऐसे विवाहों में क्रय शब्द का केवल लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है क्योंकि धर्म के बालन के लिए ही भित बस्ती का सम्बन्ध होता है ।

इसके अतिरिक्त आश्वस्तम्ब ने बड़े भाई से ब्रूमि विवाह तथा बड़ी

१. दानं क्रयधर्मश्चाऽवत्यस्य न विधते । विवाहे दुहितृमते दानं काम्यं धर्मार्थं श्रूयते तस्माद्दुहितृमतेऽतिरुं शक्तं देवं तन्मिथुयाकुर्यादिति तस्यां क्रयशब्दस्संस्तुं मात्रं धर्माधि सम्बन्धः ।।

बहन के अविवाहित रहते छोटी बहन से विवाह का निषेध किया है। उनके अनुसार यदि छोटा भाई बड़े भाई के पूर्व विवाह कर ले तथा बड़ा भाई छोटे भाई के विवाह के बशचात् विवाह करता है तथा जो बड़ी बहिन के रहते छोटी बहिन से तथा जो छोटी बहिन का विवाह हो जाने के उपरान्त बड़ी बहिन से विवाह करता है वह पापी है¹ ।

अतः इस प्रकार आश्वस्तम्ब ने विवाह में प्रतिबन्धों का विस्तृत वर्णन किया है ।

गुरुषु एवं स्त्री की विवाह अवस्था के बारे में स्पष्ट रूप से धर्मसूत्र में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है । आश्वस्तम्ब धर्म सूत्र में ज्ञात होता है कि वेदाध्ययन के उपरान्त गुरुषु विवाह करता था, यद्यपि धर्मसूत्र में वेदाध्ययन की अवधि ब्रह्मचारी होने के बशचात् 12, 24, 36 या 48 वर्ष मानी गयी है । आश्वस्तम्ब ने बारह की अवधि आचार्य कुल में निवास की न्यूनतम मानी है² । एवं उपनयन की अवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रमशः आठवें वर्ष, ग्यारहवें वर्ष तथा बारहवें वर्ष में मानी है । अतः इस आधार पर यह

1. अभिनि, क्ताभ्यदितकुनखिश्यावदाग्निदिधुदिधिभूतिषयर्हितव-
रीष्टपरिवित्तपरिवन्धपरिवि...नेहु चोत्तरोत्तरस्मिन्नशुचिकरनिर्वेषो
गरीयान् गरीयान् ।

निष्कर्ष असंगत न होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रमशः 20 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष की अवस्था, विवाह के लिए एक सामान्य अवस्था थी ।

कन्याओं के विवाह की अवस्था का प्रश्न है, आश्वस्तम्ब गृह्यसूत्र के मत से विवाहित व्यक्तियों को विवाह के उपरान्त तीन रातों तक संभोग से दूर रहना चाहिए तथा आश्वस्तम्ब ने विवाहोपरान्त चतुर्थी कर्म का उल्लेख किया है जो पश्चात्कालीन गर्भाधान का द्योतक है¹ । उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कन्या का विवाह युवती होने पर ही किया जाता था, नहीं तो संभोग किस प्रकार सम्भव हो सकता था जैसा कि चतुर्थीकर्म से प्रकट होता है ।

विवाह विधि एवं विवाह में होने वाले धार्मिक कृत्यों का वर्णन धर्मसूत्र में प्राप्त नहीं होता है । सम्भवतः इसका कारण यह है कि आश्वस्तम्ब गृह्यसूत्र में उक्त का विस्तृत वर्णन किया गया है² ।

-
- 1. आ० गृ० सू० 8/8-12
 - 2. आ० गृ० सू० विद्यतीय षष्ठ्य

समाज में स्त्रियों की स्थिति:- धर्मशास्त्र युग में नारी की समाज में स्थिति अत्यन्त विचित्र थी । एक तरफ उसे सर्वशक्तिमान, विधा, शील, ममता, यज्ञ और सम्पत्ति की भूतिक समझा गया वहीं दूसरी तरफ उसको हेय दृष्टि से देखा गया उसको सभी मामलों में आश्रित एवं भरतन्त्र माना गया¹ । धर्मसूत्रों में पति का अनुसरण करना ही स्त्री का धर्म माना गया है वह भरतन्त्र थी । आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में गृह्यकर्म में और धार्मिक क्रियाओं में गृहिणी की हैसियत से, वह गौरवपूर्ण ढर्र पर प्रतिष्ठित है, किन्तु उसके इस रूप के विषय में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है । जहाँ तक पारिवारिक या सामाजिक जीवन में नारी के स्थान का प्रश्न है उसके जीवन का लक्ष्य है पुत्र या सम्मान की प्राप्ति ।

पवित्र सन्तान के लिए स्त्री की पवित्रता अनिवार्य है और इसका सम्बन्ध कुल की शुद्धता, वैवाहिक सम्बन्ध की धर्मसम्मतता और आचरण की श्रेष्ठता से है । सन्तान के जीवन विकास में माता का प्रभाव और योगदान सबसे अधिक होता है और इसी कारण धर्मसूत्र नारी की पवित्रता पर बहुत गौरव देते हैं । आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र ने स्पष्टतः कहा है कि वैवाहिक पवित्रता सभी प्रकार से श्रेयस्कर है और उसका लोक परलोक में अधिक फल मिलता है । गृहस्थ के लिए, धर्म

की रक्षा के लिये तथा जीवन एवं समाज के सन्तुलन के लिए विवाह एक श्रेष्ठ संस्था है, अतः धर्मसूत्रविवाह के प्रकार, योग्यता और वैधता पर विस्तार से विचार करता है । आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में भी बत्नी की योग्यता, उसके भिन्न प्रकार के होने, मातृ एवं पितृवृद्ध से रक्त सम्बन्ध से दूर होने का विचार करके विवाह के भिन्न भेदों पर दृष्टिपात किया है और ब्रह्म, आर्ष और देव को प्रशस्त माना है¹ ।

आश्वस्तम्ब ने विवाह की शक्तिता पर जिस कारण अधिक विचार किया है वह स्वच्छतः यही है कि जैसा विवाह होता है, वैसा ही पुत्र होता है² ।

आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र की दृष्टि में स्त्री और पुरुष के सम्बन्धों का मुख्य प्रेरक धर्म होना चाहिए । इसी धर्म की छाया में नारी को धर्मसूत्र ने यथोचित गौरव दिया है, परिवार और समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया है । आचार्य की बत्नी आचार्य के समान पूज्य मानी गयी है³ ।

1. तेषां त्रय आद्याः प्रशस्ताः पूर्वः पूर्व. श्रेदान् ।।

-आश्वस्तम्ब 2/5/11/3

2. यथायुक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा भवति ।।

-वही 2/5/11/4

3. अन्यत्रोपसह. गहणादुच्छिष्टा शनाच्चाऽऽचार्य क्वाचार्यदारे वृत्तिः ।।

-वही 1/2/7/27

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब धर्मसूत्र का कथन है कि विवाहोप-
रान्त पति एवं पत्नी धार्मिक कृत्य साथ करते हैं, पुण्यफल में समान भाग पाते
हैं धन सम्पत्ति में समान भाग रखते हैं तथा पत्नी पति की अनुपस्थिति में
अवसर बढ़ने पर भेट आदि दे सकती है¹ । इससे यह स्पष्ट होता है कि आप-
स्तम्ब ने पति-पत्नी को धार्मिक कृत्यों में समान माना है । किन्तु आपस्तम्ब
धर्मसूत्र ने व्यावहारिक एवं कानूनी बातों में यह समानता नहीं मानी । आप-
स्तम्ब धर्मसूत्र ने सामान्य रूप से कहा है कि पुत्राभाव में आसन्न सपिण्ड उत्तरा-
धिकारी होता है² किन्तु इसने पत्नी को स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारी घोषित
नहीं किया है, यद्यपि पुत्री को एक सम्भव उत्तराधिकारी घोषित किया है³ ।

परन्तु आपस्तम्ब ने अपने कुछ पूर्ववर्ती लेखकों का मत दिया है कि
आभूषण तथा अपने वन्धु वान्धवों से प्राप्त धन पत्नी का होता है⁴ । किन्तु यह
स्पष्ट नहीं है कि इसे वह स्वीकार करते हैं कि नहीं ।

1. जायोषत्योर्न विभागो विद्यते । वाणिग्रहणादि सहस्रं कर्मसु । तथा पुण्य
फलेषु द्रव्यधारिगृहेषु च ॥

- आ०ध०सू० 2/6/13/16-18

2. पुत्राभावे यः प्रत्यासन्नः सपिण्डः ॥

-वही 2/6/14/2

3. दुहिता वा ॥

-वही 2/6/14/4

4. अलङ्कारो भार्यायाः ज्ञातिधनं चेत्येके ॥

-वही 2/6/14/9

उक्त के अतिरिक्त स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि वे उषनयन के लिए अयोग्य थीं । इतना ही नहीं वेदाध्ययन तथा वैदिक मन्त्रों के साथ संस्कार सम्पादन के सारे अधिकारों से वंचित थीं ।

धर्मसूत्रों में नारी पर सर्वाधिक दृष्टिगत यौव विषयक नैतिकता के सन्दर्भ में किया गया । आषस्तम्ब धर्मसूत्र भी इससे अछूता नहीं है । हमारे धर्मसूत्र में कहा गया है कि ब्रह्मचारी को किसी स्त्री पर दृष्टिगत नहीं करना चाहिए यहां तक कि यदि गुरुमत्नी भी युवती हो तो उसका चरण नहीं छूना चाहिए ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्री सम्बन्ध विषयक नैतिकता का विचाराधिक्य स्त्री की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाता है ।

आषस्तम्ब धर्मसूत्र में यदि कुछ बातों में स्त्रियां भारी असमर्थताओं एवं अयोग्यताओं के वशीभूत मानी जाती थीं, तो कुछ विषयों में बुराओं की अपेक्षा अधिक अधिकार एवं स्वत्व रखती थीं । स्त्रियों की हत्या नहीं की जा सकती थी और न वे व्यभिचार में पकड़े जाने पर त्यागी जा सकती थी । मार्ग में उन्हें बहले आगे निकल जाने का अधिकार प्राप्त था । बलित की

1. यानस्य आरामिनिहितस्या तुरस्य स्त्रियां इति सर्वैदतिव्यः ॥

कन्या षतित नहीं मानी जाती थीं, किन्तु षतित का पुत्र पतित माना जाता था¹। इतना ही नहीं आषस्तम्ब धर्मसूत्र का कथन है कि यदि माता षतिता है तो भी पुत्र को उसकी सेवा सदैव करनी चाहिए²।

उक्त के अतिरिक्त स्त्रियों की जो अवस्था हो, उन्हें षति की अवस्था के अनुसार आदर मिलता था³ इतना ही नहीं वेदज्ञ ब्राह्मणों की भाँति सभी वर्णों की स्त्रियाँ कर से मुक्त थी⁴। परिवार की सम्पत्ति पर पत्नी को समान अधिकार प्राप्त था⁵। आषस्तम्ब ने स्त्रियों के ज्ञान को विद्या की अन्तिम सीमा माना है⁶।

1. तथाऽपि दोषवान् पुत्र एव ॥

-आ०ध०सू० 2/6/13/4

2. माता पुत्रत्वस्य भूयङ्गं सि कर्माण्यारमते तस्यां शुश्रुषा नित्याषतितायामपि ॥

-वही 1/10/28/9

3. षतिकवसः स्त्रिय ॥

-वही 1/4/14/18

4. अकरः श्रोत्रियः। सर्ववर्णानिङ्गं च स्त्रियः ॥

-वही 2/10/26/10-11

5. कुटुम्बिनौ धनस्येशाते ॥

-वही 2/11/29/3

6. सा निष्ठा या विद्या स्त्रीषु शूद्रेषु च ॥

-वही 2/11/29/11

शिक्षा

समाज में शिक्षा के महत्त्व को कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता समाज का उत्थान, विकास एवं धन शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर आधारीत रहता है । सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा वैज्ञानिक प्रगति शिक्षा की समुचित व्यवस्था के अभाव में सम्भव नहीं है । इसी कारण से भारतीय मनीषियों ने शिक्षा की व्यापकता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखकर उसे महत्त्व प्रदान किया है । वैदिक धारणा के अनुसार ज्ञान के द्वारा मानव का व्यक्तित्व दिव्य हो जाता है तथा ज्ञान सम्बन्ध होने पर वह देवता बन जाता है¹ । स्वाध्याय और प्रवचन करने से मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है । वह स्वतंत्र बन जाता है, नित्य उसे धन प्राप्त होता है । वह सुख से सोता है, अपना धर्म चिकित्सक है । उसे इन्द्रियों पर संयम होता है । उसकी प्रज्ञा बढ़ जाती है । उसे यश मिलता है । वह लोक को अयुद्ध की ओर लगा देता है वह ज्ञान के द्वारा ब्राह्मण का समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसे पूरा करता है । समाज अपनी आदर भावना से दान से और सुरक्षा से उसे सन्तुष्ट करता है । वैदिक विषयों का अध्ययन करने वाले लोग देवताओं को सन्तुष्ट करते हैं और प्रसन्न होकर देवता उनकी सभी कामनाएँ पूरी कर देते हैं² ।

1. शतबध 3/7/3/10, 2/2/2/6 तैत्तिरीय ब्रंहिता 1/7/3/11

2. शतबध 11/5/7/7/1-5

शिक्षा शब्द का व्योत्पत्तिक अर्थ लेने पर उर्ध्वक्त कथन स्वयमेव स्पष्ट हो जाता है । शिक्षा अभ्यास, विशेष शक्ति और इच्छा विशेष तथा सहन शक्ति की इच्छा ईसुस, दुःख, प्रिय, अप्रिय आदि के इन्द्रात्मक भावों में सहन शक्ति दिखलाना अर्थात् इनको गम्भीरता पूर्वक समझना आदि के अर्थ में प्रयुक्त होती है¹ । इसके अतिरिक्त शिक्षा शब्द अनुशासन के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है । इस प्रसंग में अनुशासन के पुनः दो भाग थे, पहला बौद्धिक अथवा मानसिक अनुशासन और दूसरा शारीरिक अनुशासन । इस प्रकार शिक्षा की बराकाष्ठा के लिये दोनों ही स्वरूप अवशिष्ट है । आशस्तम्ब ने इन्हीं दोनों अर्थों को लेकर शिक्षा के विषय में विवेचन किया है ।

शिक्षा का प्रारम्भ ब्रह्मचर्याश्रम से माना जाता है, जो उषनयन संस्कार के उपरान्त होता है । प्राचीन काल में आचार्यों की धारणा थी की विद्यार्थी को पूर्णरूप से जब तक अपना नहीं बना लिया जाता, तब तक समीचीन विधि से उसे शिक्षा नहीं दी जा सकती । इस धारणा के अनुसार उषनयन संस्कार में आचार्य उस विद्यार्थी को एक नया जन्म देता है और विद्यार्थी

1. भौवादिकाभ्यासकर्मणः शिक्षतेभावे, सौवादिकाच्छमि कर्मणः शक्नोते, देवादिकाभ्यासकर्मणः शक्यते च शिक्षा शब्दोभ्यास विशेष शक्ति इच्छा विशेषं मर्षणेच्छा विशेषं च स्वार्थं सममर्षयति । शिक्षा शब्देद निषवाच्य कुशो निश्चिष्यन्ते । संस्कृत व्याकरण "शिक्षक" 1940

आचार्य का पुत्र हो जाता है¹ । यही भावना आष्वस्तम्ब धर्मसूत्र में भी पायी जाती है कि आचार्य अपनी त बालक को विद्या से उत्त्वन करता है²।

उपनयन के बश्चात् ब्रह्मचारी बालक आचार्य कुल में निवास करता था³ । आष्वस्तम्ब का कथन है कि विद्या ग्रहण करने की अभिलाषा रखने वाले को दूसरे के समीप निवास नहीं करना चाहिए⁴ । इससे स्पष्ट होता है कि आचार्य के साथ गुरुकुल में निवास करके ही छात्र विद्या ग्रहण करते थे, अन्यत्र से विद्यार्जन की व्यवस्था न थी । जहाँ तक आचार्य कुल में निवास अवधि का प्रश्न इस सम्बन्ध में आष्वस्तम्ब ने अनेक विकल्प रखे हैं- यथा 48 वर्ष तक, छत्तीस वर्ष तक, चौबीस वर्ष तक, अथवा बारह वर्ष तक⁵ । उन्होंने स्पष्टरूप से बारह

1. अघर्ववेद 11/7/3

2. आ०घ० सू० 1/1/1/16

3. उभेतस्याऽऽचार्यकुले ब्रह्मचारिवासः॥

-आ०घ०सू० 1/1/2/22

4 न ब्रह्मचारिणो विद्यार्थस्य बरोनवासोऽस्ति॥

-वही 1/1/2/27

5 अष्टावत्वारिंशद्वर्षाणि । नादूनम् । अर्धेन । त्रिभिर्वा ॥

-वही 1/1/2/12-15

वर्ष की अवधि आचार्यकुल में निवास की न्यूनतम अवधि मानी है¹।

उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि तत्समय शिक्षण स्रस्थान आवासीय प्रकृति के थे । छात्र उषनयन संस्कार के बश्चात् गृह त्यागकर गुरु के सानिध्य में आता था तथा वहीं रहकर विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करता था ।

आचार्य की योग्यता एवं कर्तव्य :- आचार्य की योग्यता के सम्बन्ध में आश्व-
स्तम्ब का कथन है कि छात्र को ऐसे आचार्य के पास उषनयन संस्कार एवं वेदा-
ध्ययन हेतु जाना चाहिए जिसका जन्म वेदविद्याध्ययन की अविच्छिन्न परम्परा
वाले कुल में हुआ हो तथा जो स्वयं वेदों के अर्थज्ञान से युक्त हो, समाहित हो
और धर्म के मार्ग से भ्रष्ट न हो² ।

यथैव स्मृतियों में कहा गया है कि केवल ब्राह्मण ही आचार्य
हो सकता है परन्तु आश्वस्तम्ब ने आश्वत्काल में जब ब्राह्मण आचार्य न मिले
तब क्षत्रिय या वैश्य को आचार्य बनाने की अनुमति दी है³।

1. द्वादशावराध्यम् ॥

-आ०ध०सू० 1/1/2/16

2. अष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि। षादूनम् ॥

- वही 1/1/1/12-13

3. आशादि ब्राह्मणेन राजन्ये वैश्ये वाऽध्ययनम् ॥

- वही 2/2/4/26

अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या शुद्र को आचार्य बनाया जा सकता है ? इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि आश्वस्तम्ब जहाँ जंगल में शव भ्रमा-चाण्डाल दिख जड़ने पर तथा उग्र निषादादि वाह्य जातियों के ग्राम के अन्दर आ जाने पर वैदिक अध्ययन को बन्द करने का आदेश देते हैं वहाँ शुद्र की शिक्षक के रूप में कल्पना व्यर्थ है परन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र कहता है कि जो विद्या स्त्रियों और शुद्रों की होती है वही विद्या की अन्तिम सीमा है । उसका ज्ञान प्राप्त करने पर ही सभी विद्याओं का ज्ञान बूरा होता है तथा स्त्रियों और शुद्रों की विद्यार्थे अथर्ववेद के ज्ञान का परिशिष्ट अंश होती है¹ । इतना ही नहीं अन्य स्थल पर आश्वस्तम्ब ने अन्य आचार्य के मत का उल्लेख करते हुए कहा है कि कुछ धर्मज्ञों का मत है कि बिना अवशिष्ट नियमों का विधान नहीं किया गया है उन कर्मों का ज्ञान स्त्रियों से तथा सभी वर्ण के बुरुषों से प्राप्त करना चाहिए² । इससे यह भासित होता है कि

1. सा निष्ठा या विद्या स्त्रीषु शुद्रेषु च । आथर्वणास्य वेदस्य शेष इत्युच्यते इति ।

- आ०ध०सू० 2/11/29/11-12

2. स्त्रीभ्यस्सर्ववर्णभ्यश्च धर्मशेषान्भृतीयादित्येक इत्येके ॥

- वही 2/11/29/16

आश्वस्तम्ब शूद्र से शिक्षा ग्रहण की अनुमति देते हैं परन्तु एक स्थल पर आश्वस्तम्ब ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि शूद्र वर्ण को छोड़कर शेष के लिए उन्नयन वेद का अध्ययन, अग्नि का आधान है¹। अतएव जहाँ शूद्र वेद का अध्ययन नहीं कर सकता अध्यापन कार्य कैसे सम्भव है ? वस्तुतः आश्वस्तम्ब शिक्षा के दो भाग मानते थे पहली वह साहित्यिक शिक्षा जिसके अन्दर वैदिक वाङ्मय का ग्रहण होता है जो केवल विद्वजातियों तक सीमित थी जिसे शूद्र ग्रहण नहीं कर सकता था तथा जिसका अध्यापन कार्य शूद्र के लिए वर्जित था और दूसरे प्रकार की वह शिक्षा थी, जिसको शिल्प सम्बन्धी शिक्षा कह सकते हैं जिसका अध्ययन-अध्यापन शूद्र एवं स्त्रियों के लिए विहित था।

आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में आचार्य को निर्देश दिया गया कि वह शिष्य को पुत्रवत् मानते हुए उससे कुछ भी न छिपाये। छात्र के अध्ययन के लिये वह मार्ग प्रशस्त करे अध्यापन में वह उदासीनता न दर्शित करे, अपने परम्परागत भाण्डित्य और ज्ञान से वह शिष्य को लाभान्वित करे²।

1. अशूद्राणामदुष्टकर्मणामुपायनं वेदाध्ययनमग्न्याधेयं कृतवन्ति च कर्माणि ॥

- आ०ध०सू०

1/1/1/6

2.

- वही

1/2/8/24-27

इसके साथ- साथ आचार्य में अनुशासन सत्याचरण, सत्यभाषण तथा छात्र के प्रति प्रेम होना अत्यावश्यक है । इस सम्बन्ध में आश्वस्तम्ब का कथन है कि गृहस्था होते हुए भी आचार्य ऐसा जीवन विताये कि शिष्यों के मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो उसका रहन सहन गरिमामय हो। वर्षा और शरद ऋतुओं में वह स्त्री के साथ मैथुन कर्म से विरत रहे, लेटकर अध्या-
पन कार्य न करे एवं उस शय्या पर बैठकर अध्यापन न करे जिस पर रात्रि में बत्नी के साथ शयन करता हो इसके अतिरिक्त वह माला आदि से सजाकर या लेप आदि करके अपने शरीर को प्रदर्शित न करे । जल में सिर के साथ सम्पूर्ण शरीर को डुबाकर - स्नान न करे, सूर्य अस्त के पश्चात् स्नान करे¹। क्षुद्रजनों के समीप अथवा क्षुद्रजनों से युक्त देश में न जावे, सम्राजों में तथा भीड़ के स्थानों पर न जावे, यदि लोगों के समूह में बहुच गथा हो तो उसकी प्रदीक्षणा करके वहाँ से प्रस्थान करे, नगर में प्रवेश का वर्जन करे²। गदहे से सीधे जाने वाले यान पर न चढे, विष्णु स्थानों में रथ पर आरोहण तथा रथ से अवरोहण का वर्जन करे । नदी को तैर कर पार न करे, संशय उत्पन्न करने वाली नांव पर

1.

-आ०ध०सू० 1/11/32/1-8

2.

- वही 1/11/32/18-21

न चटें, बिना कारण घास काटने देजा फोडने, धूकने का वर्जन करें।

इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब ने आचार्य के लिए अर्धरात्रि के षष्चात् शयन का निषेध किया। अतः उसे अध्ययन एवं अध्यापन कार्य करने का निर्देश दिया है परन्तु रात्रि के तृतीय ब्रह्म में अध्ययन अध्यापन तथा शयन का वर्जन किया है। यदि अध्यापक शयन करना चाहे तो किसी छमे आदि का सहारा लेकर बैठे-बैठे शयन करे अथवा यदि अध्ययन करना तृतीय ब्रह्म में चाहे तो मन में ही अध्ययन करे²।

आषस्तम्ब ने आचार्य के कर्तव्यों के उल्लेख में आचार्य से अपेक्षा की है कि वह किसी ऐसे प्रश्न का जिसका उत्तर निर्धारण कठिन है सीधे निर्णय के साथ उत्तर न दे इस सम्बन्ध में आषस्तम्ब ने उद्धृत किया है³ कि जो व्यक्ति गलत निर्णय देता है उसका मूर्खतापूर्ण निर्णय उसके पूर्वजों को, भावी समृद्धि, सन्तान, पशु और घर को हानि पहुंचाता है। मृत्यु ने रोते हुए ऋषि के प्रश्न का उत्तर दिया था "धर्म ब्रह्माद् न कुमालनाय"।

1. आ०ध०सू० 1/11/32/25-28

2. -वही 1/11/32/14-17

3. मूलं तूल वृहति दुर्विवक्तुः ब्रजा पशूनायत्नं हिनिस्ति।
धर्मब्रह्माद् न कुमालनाय खदन् ह मृत्युर्व्युवाच प्रश्नम्॥

-वही 1/11/32/29

"धर्मग्रहलाद न कुमालनाय" इस आख्यायन का जो सन्दर्भ आष-
स्तम्ब ने उक्त घट्ट में किया है उसको हरदत्त ने निम्नवत् व्याख्यायित किया
है कि किसी ऋषि के धर्मग्रहलाद और कुमालन दो शिष्य थे वे दोनों एक दिन
बंगल से ईधन के दो गट्ठर लाये और बिना देखे असावधानीवश गुरु के घर में
बेक दिये । उनमें से एक गट्ठर से गुरु के ब्र छोटे बालक को चोट लगी और
उसकी मृत्यु हो गयी । तत्पश्चात् गुरु ने उन दोनों शिष्यों से पूछा कि किसने
इसे मारा है दोनों ने उत्तर दिया कि मैंने नहीं, मैंने नहीं । तदनन्तर किसको
बतित समझ कर बरित्याग करना चाहिए तथा दोषहीन समझ कर किस शिष्य
को रक्षना चाहिए ऐसा निर्णय करने में असमर्थ ऋषि ने मृत्यु को बुलाकर पूछा
कि "इन दोनों में किसने इसे मारा है धर्मसंकट में बडकर रोते हुए मृत्यु ने कहा
"धर्मग्रहलाद, न कुमालनाय" इहे धर्मग्रहलाद दोष कुमालन का नहीं है किन्तु
इसका यह भी अर्थ निकला कि धर्मग्रहलाद ने नहीं, बल्कि दोष कुमालन का
है ।

इस प्रकार आषस्तम्ब ने आचार्य को निर्देशित किया है कि
आचार्य किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर जिसका निर्धारण कठिन है तत्काल सीधे

निर्णय के साथ उत्तर न दे अधिस्तु उसके सभी पक्षों पर पूर्ण विचार कर निर्णय दें ।

उक्त आचार्य के कर्तव्य विवेचन से स्पष्ट होता है कि आश्व-
स्तम्ब ने आचार्य के अनुशासनमय जीवन की रूढ़रेखा प्रस्तुत की है और इस बात
पर जोर दिया है कि आचार्य आचारनिष्ठ हो तभी आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र¹ का
कथन है कि "विद्यार्थी आचार्य से अपने कर्तव्य आचार एकत्र करता है,
इसीलिए वह आचार्य कहलाता है" । अतएव आचार्य तभी आचार ग्रहण करा
सकता था, जब वह स्वयं आचारनिष्ठ हो । यही कारण है कि आश्वस्तम्ब ने
सर्वाधिक बल आचार्य के आचारनिष्ठ होने पर दिया है ।

शिष्य के कर्तव्य और आचार:- भारतीय शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थी जीवन
तपोमय माना गया है लोगों की धारणा है कि तप के द्वारा ही मनुष्य की
चित्तवृत्तियाँ ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो सकती हैं । विद्याप्राप्ति के मार्ग में
संसारिक बन्धन, भोग विलास अथवा मनोरंजन को वाधक भोग विलास अथवा
मनोरंजन को वाधक माना गया है । इसी कारण धर्मसूत्रों में विद्यार्थी के तपो-
मय जीवन की रूढ़रेखा स्पष्ट की गयी थी क्योंकि अध्ययन एक तप है, अतः

1. यस्माद्धर्मानाकिनोति स आचार्यः।।

इसके लिये वातावरण की अनुकूलता मानसिक शान्ति और एकाग्रता, भवित्रता, आचरण के नियमों का बालन एवं ब्रह्मचर्य अत्यावश्यक है । इसीलिए आष-स्तम्ब ने छात्र को क्षमाशील , लज्जाशील अपने कर्तव्यबालन में तत्पर, इन्द्रियों को अनुचित विषयों से नियन्त्रित रखने वाला उत्साहसम्बन्धन एवं धैर्य से युक्त होने का उपदेश दिया है¹।

आषस्तम्ब ने शिष्य के मुख्यतः तीन प्रकार के कर्म बताये हैं-

गुरु को ब्रह्मसन्ध रखने वाले, कल्याण प्राप्ति के कर्म तथा वेद का परिश्रमपूर्वक अभ्यास²। इसीलिए शिष्यों का गुरुओं के शिष्यत्वव्यवहार के सम्बन्ध में आषस्तम्ब ने अनेक नियम बनाये जिससे शिष्य गुरु को ब्रह्मसन्ध कर ज्ञान की प्राप्ति कर सकें ।

अतएव उन्होंने अनुचित बातों को छोड़कर गुरु के सभी आदेशों का बालन करने की शिष्य से अपेक्षा की है³। उनके अनुसार शिष्यों को गुरु का

1. मूढः । शान्तः । दान्तः । ह्युत्तमान् । दृढवृत्तिः । अग्रास्तुः । अक्रोधनः ॥

- आ०४०सू० 1/1/3/17-23

2. गुरसादनायानि कर्माणि स्वस्त्ययनमध्ययनसंवृत्तिरिति ॥

- वही 1/2/5/४

3. आचार्याधीनस्स्यादन्यत्र बतनायेम्यः ॥

- वही 1/1/2/19

हितकारी होना चाहिए और उनको किसी बात के विषयीत नहीं बोलना चाहिए¹ । अतः गुरु के समीप आराध्य देव के प्रति भावना जैसी श्रद्धा के साथ जाने का निर्देश दिया है² ।

उक्त के अतिरिक्त आश्वस्तम्ब ने शिष्यों को उन स्थलों पर जहाँ गुरु प्रायः आते जाते हैं वहाँ अपने सुख का कोई कार्य करने का वर्जन किया तथा निर्देश दिया कि शिष्य रात्रि को गुरु के चरणों को धोकर तथा उनके शरीर का मर्दन करके गुरु के शयन करने के पश्चात् उनकी आज्ञा प्राप्त कर ही शयन करें और गुरु की ओर अपने पैरों को न बसारे । इसके अतिरिक्त आश्वस्तम्ब का कथन है कि शिष्य गुरु के समीप बैठकर गुरु की आज्ञा प्राप्त किये बिना बात न करे तथा यदि गुरु झूठे होकर कुछ कह रहे हों तो झूठे होकर उत्तर दें यदि चल रहे हों तो उनके पीछे चले । शिष्य के गुरु के समीप जाने के सम्बन्ध में सूत्रकार का मत है कि शिष्य गुरु के समीप जाता पहन कर, सिर को वेष्टित करके अथवा हाथ में कोई औजार लेकर न जाय किन्तु यदि छात्र किसी कार्य को कर रहा है अथवा यात्रा में है तो उक्त अवस्थाओं में भी गुरु के पास जाने की अनुमति आश्वस्तम्ब ने दी है³ ।

1. हितकारी गुरोरप्रतिलोमयन् वाचा ॥

-आ०ध०सू० 1/1/2/20

2. देवमिवाचार्यमुखासीता विकल्पन्नविमना वारं शुश्रूषमाणो स्य ॥

- वही 1/2/6/13

उक्त के अतिरिक्त आशस्तम्ब ने शिष्य को गुरु के समीप एक टॉग के ऊपर दूसरी टॉग रखकर बैठने का निषेध किया है तथा यदि वायु शिष्य की ओर से गुरु की ओर बह रही हो तो दिशा बदलने का तथा बैठते समय किसी वस्तु के सहारे अथवा हाथों को धृष्टी पर टिकाकर बैठने का निषेध किया है¹।

आशस्तम्ब के अनुसार आचार्य के अपनी ओर न देखने पर भी शिष्य आचार्य की ओर मुख करके न तो बहुत निकट अथवा न बहुत दूर बैठे अथवा जितनी दूरी पर बैठने से आचार्य का दोनों बाहुओं से स्पर्श कर सके उतनी दूरी पर बैठे परन्तु आशस्तम्ब ने शिष्य के जिस ओर से वायु बह रही है उस ओर बैठने का निषेध किया है¹। इसके अतिरिक्त आशस्तम्ब ने गुरु के बैठने पर शिष्य के लेटने का भी निषेध किया है²।

आशस्तम्ब की दृष्टि में यदि एक ही शिष्य अध्ययन करने वाला है तो वह गुरु की दाहिनी ओर बैठे परन्तु अनेक शिष्य हों तो वे सुविधानुसार विधर स्थान प्राप्त कर सकें वहाँ बैठ सकते हैं। इसी संदर्भ में आशस्तम्ब का मत है कि यदि जिस स्थल पर गुरु को आसन के देकर सम्मानित नहीं किया गया हो तो वहाँ शिष्य स्वयं भी न बैठे³।

-
1. -आ०ध०सू० 1/2/6/12-17
 2. - वही 1/2/6/18
 3. -वही 1/2/6/19-23

इसी संदर्भ में आनस्तम्ब ने शिष्य से अपेक्षा की है कि यदि गुरु किसी काम को करना चाहते हैं जिसे शिष्य स्वयं कर सकता है तो उस कार्य को शिष्य को स्वयं करना चाहिए इतना ही नहीं शिष्य किसी भी समय गुरु के द्वारा कही भेजने पर तत्काल जाने के लिए तत्पर रहे । शिष्य यात्रा में गुरु के किसी वाहन पर चढ़ने के पश्चात् ही चढ़े तथा समा में ब्रवेश, निकष [घाटा] कट [वीरणानिर्मित शय्या] स्वस्तर [बलालशय्या] आदि पर गुरु के आदेश देने पर ही अपना स्थान ग्रहण करे ।

सूत्रकार के अनुसार शिष्य तब तक कुछ न कहे जब तक गुरु कुछ अभिभाषण न करें परन्तु उनके मत में यदि शिष्य गुरु से किसी प्रिय समाचार का कथन करना चाहता है तो वह गुरु के अभिभाषण के बिना भी कह सकता है¹ । आनस्तम्ब धर्मसूत्र में शिष्य को गुरु को अंगुली से छूने, कान में धीमे स्वर में कथन कहने, मुख की ओर मुख करके हंसने, उच्च स्वर में गुरु को संबोधित करने, गुरु का नाम लेने, आदेश देने का निषेध किया है परन्तु आपत्ति के समय उक्त, पतिबन्धों से मुक्ति प्रदान की है² ।

1. अ००५०सू० 1/2/8/8-14,

1/2/6/24-28,

1/2/7/25

2. व्युत्पत्तोदव्युत्पन्नान्यभिहासोदामन्त्रणानामप्येग्रहणं ब्रेषणानीति गुरोर्वर्जयेत् ।
आनर्थं ज्ञापयेत् ।।

सूत्रकार के अनुसार शिष्य गुरु के उठने, बैठने, चलने और मुस्कराने के बश्चात् ही उठे , बैठे, चले और मुस्कराये । इसके अतिरिक्त गुरु के समीप मल मूत्र का त्याग, अपान वायु का त्याग, ऊची आवाज में बोलना, हँसना, धूकना, दाँतों का साफ करना, भौहें टेढ़ी करना, ताली बजाना और अंगुलियों का चटखाना, आशस्तम्ब की दृष्टि में शिष्य के लिए वर्ज्य है ।¹ इसके अतिरिक्त आशस्तम्ब ने शिष्य के लिए गुरु के किसी वाक्य के सण्डन ,² गुरु के दोष कथन , आक्रोश अभिव्यक्ति , विद्या की अन्य विद्या से तुलना करके उसको हीन बताने का भी निषेध किया है तथा शिष्य से अपेक्षा की है कि वह आसन, भोजन तथा वस्त्र में गुरु से न्यूनता रखे² ।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आशस्तम्ब धर्मसूत्र में अत्यधिक विस्तृत रूप से छात्र के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है । सम्भवतः इसका कारण यह है कि आशस्तम्ब की दृष्टि में छात्र उक्त कर्तव्यों का अपने जीवन में पालन करते हुए सम्यक रूप से ज्ञानार्जन कर सकता है ।

1. सन्निरहिते मूत्रपुरीषवातकर्मोच्चैर्भाषाहासष्टोवनदन्तःशुभ्रःशृङ्ग-
मुञ्जेषणातासनांनष्टायानीति ॥

-आ०ध०सू० 2/2/5/9

2. आसने शयने भक्षये भोज्ये वाससि वा सन्निरहिते निहीनतरवृत्तिः स्यात् ॥

- वही 2/2/5/5

गुरु शिष्य सम्बन्ध :-

आषस्तम्ब धर्म सूत्र से ज्ञात होता है कि गुरु-शिष्य में भावनात्मक सम्बन्ध थे । आचार्य छात्र के साथ पुत्रवत् व्यवहार करता था तथा किसी विद्या को छिपाये बिना शिष्य को विद्यार्जन कराता था¹ । इतना ही नहीं आषस्तम्ब ने गुरु एवं शिष्यों के मध्य सम्बन्धों के विषय में एक व्यावहारिकता का परिचय दिया है तथा कहा है कि यदि गुरु ज्ञान बूझ कर अथवा प्रमाद से किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उसके विषय में शिष्य गुरु को एकान्त में ध्यान दिला सकता है और शिष्य गुरु के उन आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है जिनसे शिष्य का हानि होता है² । यद्यपि आषस्तम्ब ने एक स्थल पर गुरु के प्रति आराध्य देव की भक्ति के समान भक्तिभाव रखने का उल्लेख किया है किन्तु उक्त से स्पष्ट होता है कि आषस्तम्ब गुरु के प्रति अन्धभक्ति प्रदर्शन की अनुमति नहीं देते हैं । अतः विवेकपूर्ण ढंग से गुरु के आदेशों के पालन पर बल देते हैं ।

1. पुत्रमिवैनमनुकाङ्क्षन् सर्वधर्मेभ्यनवच्छादयमानः सुयुक्तो विद्यां ग्राह्येत् ॥

-आ०ध०सू० 1/2/8/25

2. प्रमादादाचार्यस्य बुद्धिपूर्व वा नियमातिक्रमं रहसि बोध्येत्।आचार्याधीन-
स्स्यादन्यत्र वतनोपेय्यः॥

-वही

1/1/4/25 एवं 1/1/2/19

विधिक दृष्ट्या गुरु शिष्य के मध्य सम्बन्धों के सन्दर्भ में आश्वस्तम्ब का मानना है कि सषिण्ड का अभाव होने पर दाय का अधिकारी आचार्य होता है , आचार्य के न होने पर उसका शिष्य उस दाय को ग्रहण कर सकता है तथा मृत व्यक्ति के नाम से ऋ धार्मिक कार्यों में उस धन का सदुपयोग कर सकता है अथवा स्वयं उस धन को ग्रहण कर सकता है¹ । इससे यह स्पष्ट होता है कि आश्वस्तम्ब ने गुरु शिष्य के नारस्वरिक सम्बन्धों को वैधानिकता दी है ।

उक्त के अतिरिक्त आचार्य का शिष्य के ऊपर बिता सदृश पूर्ण अधिकार का उल्लेख आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में प्राप्त होता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आश्वस्तम्ब की दृष्टि में गुरु और शिष्य का सम्बन्ध आदर्श जीवन के प्रमुख लक्ष्य की सिद्धि की ओर उन्मुख है , यह केवल जीविका या औपचारिकता का सम्बन्ध नहीं है ।

आचार्य की आय :- प्राचीनकाल में शिक्षा के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं था, शिष्यों द्वारा भिक्षाटन में लाया गया अन्न तथा दान-दक्षिणा में प्राप्त धन ही आचार्य की आय थी । आचार्य शिष्य से धन की मांग नहीं करता था

1. तदभाव आचार्य आचार्याभावेऽन्तेवासी हृत्वा तदर्धेषु धर्मकृत्येषु बोधयोजयेत् ।।

अभितु विद्वान्भिर्यो को निःशुल्क ज्ञानार्जन कराता था । यद्यपि शिष्य विद्या के अन्त में गुरु को दक्षिणा देता था किन्तु दक्षिणा देना गुरु को ब्रह्मन् मात्र करना था, वह शिक्षण शुल्क नहीं था क्योंकि वह शिष्य की इच्छा पर आधारित था। आष्वस्तम्ब धर्मसूत्र में भी विद्या की समाप्ति पर गुरु दक्षिणा देने का उल्लेख मिलता है । सूत्रकार का कथन है कि शिष्य को अपनी शक्ति के अनुसार तथा धर्मानुकूल विधि से अर्पित कर , विद्या के अन्त में गुरु दक्षिणा देनी चाहिए । इस दी गयी दक्षिणा के संदर्भ में आष्वस्तम्ब का विचार है कि, शिष्य गुरु को दी गयी दक्षिणा का स्मरण न करे तथा घमण्ड न करे।

उक्त से स्पष्ट होता है कि आष्वस्तम्ब के समय भी आचार्यों की आय का साधन दक्षिणा मात्र थी ।

विद्यार्थी के प्रकार :- सूत्रकाल में प्रायः दो प्रकार के विद्यार्थियों का उल्लेख प्राप्त होता है , एक वे विद्यार्थी , जो कुछ वर्षों तक गुरु के आश्रम में रह कर शिक्षा ग्रहण करते थे और शिक्षा समाप्ति पर समावर्तन संस्कार के पश्चात् गुरु को दक्षिणा के रूप में कुछ प्रदान कर घर लौटते थे । आष्वस्तम्ब धर्मसूत्र में

1. कृत्वा विद्यां यावतीं शक्त्यात् वेददक्षिणामाहरेध्दर्मतो याथाशक्ति।
दत्त्वा च नाऽनुकथ्येत् । कृत्वा च नाऽनुस्मरेत् ॥

उनकी तीन श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं - १। विद्यार्जित स्नातक २। विद्या स्नातक ३। व्रत स्नातक¹ ।

दूसरे प्रकार के ऐसे विद्यार्थी थे जो आश्रम आचार्य के आश्रम में रह कर विद्याध्ययन करते थे उनको अन्तेवासी कहा जाता था । आश्रम ने इस प्रकार के विद्यार्थियों की अत्यधिक प्रशंसा की है तथा कहा है कि ऐसे विद्यार्थी ब्रह्माचार्याश्रम में ही उन सभी गुण्यफल प्रदान करने वाले कर्मों को कर लेते हैं जो गृहस्थाश्रम में किये जाते हैं² ।

अनुशासहीन छात्र के प्रति आचार्य का व्यवहार:- कभी आचार्य को अनुशा-

सनहीन शिष्य प्राप्त हो जाते थे जो उनके निर्देशों और शिक्षा को समुचित रूप से नहीं ग्रहण करते थे। इस सम्बन्ध में आश्रम का निर्देश है कि शब्दों द्वारा अपराध करने पर शिष्य की भर्त्सना करना चाहिए और अपराध की गुरुता के अनुसार निम्न दण्ड में से कोई या कई दिये जा सकते हैं, धमकाना, भोजन न देना, शीतल जल में स्नान कराना, समीप न आने देना³।

1. -आ०ध०सू० 1/11/30/1-3

2. -वही 1/1/4/29

3. अपराधेषु कैः सततमुपालम्बे । अभिप्रास उपवास उदकोपस्पर्धनमदर्शनमिति दण्डा यथामात्रमानिवृत्ततेः ।।

- वही 1/2/8/29-30

उक्त से स्पष्ट होता है कि आषस्तम्ब ने छात्रों को दण्ड देने की व्यवस्था की है किन्तु कठोर दण्ड के वे समर्थक नहीं हैं। अतः उनका दण्ड विधान मनोवैज्ञानिकता पर आधारित था, विद्यार्थी के लिए इस प्रकार का कठोर दण्ड विधान नहीं था जिससे वह अन्य विद्यार्थियों के लिए उदाहरण बन जाय वरन् यह दण्ड विधान उस विद्यार्थी के सुधार को दृष्टि में रखकर ही किया गया था।

अध्याय वेदाध्ययन की बन्दी :- ब्रह्मचर्यावस्था का मुख्य लक्ष्य अध्ययन था।

अध्ययन एक तप माना गया है¹ अतएव इसके लिए वातावरण की अनुकूलता, मानसिक शान्ति और एकाग्रता, उचित स्थान और शिव्रता का होना अत्यावश्यक है इसीलिए आषस्तम्ब धर्मसूत्र में अध्याय प्रकरण का विस्तृत उल्लेख किया गया है। आषस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार अध्याय के नियम वैदिक मन्त्रों के विद्याग्रहण के लिए ही है यज्ञ एवं अन्य धार्मिक कृत्यों में वेद के मन्त्रों के प्रयोग में अध्याय लागू नहीं होता²।

1. तप. स्वाध्याय इति ब्राह्मणम् ॥

-आ०ष०सू०

1/4/12/1

2. विद्यां प्रत्ययनध्यायः श्रूयते न कर्मयोगे मन्त्राणाम् ॥

- वही

1/4/12/9

उक्त से स्पष्ट होता है कि आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में वर्णित अनध्याय प्रकरण केवल वेदाध्ययन से ही सम्बन्धित है । यज्ञ एवं अन्य धार्मिक कृत्यों में यदि वेदों के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो अनध्याय लागू नहीं होगा ।

अध्याय का वर्णन करते हुए सूत्रकार का कथन है कि चौराहों,

श्मशान में अध्ययन वर्ज्य है किन्तु यदि चौराहा गोबर से लिखा है तथा यदि श्मशान के स्थान पर ग्राम बना हो अथवा श्मशान को जोतकर खेत बना दिया गया हो तो वहाँ अध्ययन की अनुमति है ।

आश्वस्तम्ब ने कुछ तात्कालिक अनध्यायों की चर्चा की है ये थोड़े समय के लिये माने गये हैं । यथा शूद्रों तथा ऋषित के सामने होने पर यदि छात्र शूद्रा स्त्री को देख रहा है या शूद्रा स्त्री उसे देख रही है अथवा नीच वर्ण के के बुरुष के साथ यौन सम्बन्ध रखने वाली स्त्री एक दूसरे को देख रही हों गाँव में शव बड़ा है, जिस गाँव में चण्डाल रहता है, या बाह्य जाति के व्यक्ति गाँव में आ गये हैं, या महान बुरुष गाँव में आया हुआ है, विद्युत चमकने पर, मेघगर्जन होने

1. निगमष्वध्ययनं वर्जयेत्। आनइहतेन वा शकृत्त्वण्डेनोबलित्वे धीयीत।

श्मशाने सर्वतः शम्याप्रसात्। ग्रामेणाऽध्यवसिते क्षेत्रेण वा नाऽनध्यायः।

ज्ञायमाने तु तस्मिन्नेव देशे ना धीयीत ॥

बर, कुत्तों के भौंकने, गदहों के रेकने, भेड़िया के बोलने, सियार, उल्लू के शब्दों को सुनने तथा वादन यन्त्रों के शब्द सुनायी बज्जे बर रोना, गीत तथा सामगान के शब्दों के श्रवण, वमन, दुर्गन्ध होने पर, यदि वायु तेज बह रही है, वर्षा होने पर तथा जब गौए अवरुद्ध कर दी गयी हो या वध के योग्य का जब वध किया जा रहा तब तक आश्वस्तम्ब ने विद्यार्थी के उद्वारा अध्ययन का निषेध किया है²।

उक्त के अतिरिक्त आश्वस्तम्ब ने कुछ ऐसे अवसरों की भी चर्चा की है जब कि एक दिन, 24 घण्टे, एक मास छ. मास या साल भर तक अनध्याय चल सकता है ।

आश्वस्तम्ब के अनुसार वेदाध्ययन के विराम के समय, गुरु की मृत्यु पर अष्टका बर तथा उषाकर्म के समय एवं निकट सम्बन्धियों की मृत्यु पर तीन दिन का अनध्याय होता है ।³

-
1. -आ०धु०सू० 1/2/9/9-24, 1/3/10/9/10
2. -वही 1/3/10/20-29, 1/3/11/8,
1/3/11/27
3. वैरमणो गुरुष्वष्टाक्य औषाकरण इति श्रुताः। तथा सम्बन्धेषु ज्ञातिषु।।
- वही 1/3/10/2-3

माता श्रिता तथा आचार्य की मृत्यु पर 12 दिनों के अनध्याय का उल्लेख सूत्रकार ने किया है¹। परन्तु सूत्र 1/3/10/10 में आपस्तम्ब ने अन्य आचार्य के मत का उल्लेख किया जिसमें आचार्य की मृत्यु पर केवल तीन दिन का अनध्याय माना गया है एवं आपस्तम्ब ने श्रोत्रिय की मृत्यु का समाचार उसकी मृत्यु के एक वर्ष के भीतर सुनने पर एक दिन और एक रात का अनध्याय माना है। सूत्रकार ने उक्त संदर्भ में अन्य धर्मशास्त्रकारों का मत का भी उल्लेख किया है जिन्होंने श्रोत्रिय के सहाध्यायी होने पर ही उसकी मृत्यु का समाचार एक वर्ष के भीतर सुनने पर एक दिन और एक रात्रि के अनध्याय का नियम कहा है²।

कुछ अनध्याय कालों को आकालिक कहा जाता है आकालिक अनध्याय 60 घटिकाओं का अर्थात् चूरे 24 घण्टे का होता है। आपस्तम्ब ने विद्युत, मेघ गर्जन, वर्षा और सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण के समय, भूकम्प आने, आंधी चलने पर, उल्कापात होने पर आकालिक अनध्याय माना है।

इसके अतिरिक्त उषाकर्म के उपरान्त एक मास तक रात्रि के प्रथम चर में वेदाध्ययन का निषेध था³ एवं अमावस्या पर दो दिन और दो

1. मातरि श्रित्याचार्य इति व्दादशाहाः।।

-आ०घ०सू० 1/3/10/4

2. श्रोत्रियसंख्याया मपरिसंवत्सरायामेकाम्। उन्मन्त्रेणैवैत्येके।।

रात अध्ययन का निषेध किया है एवं शौषमास की पूर्णिमा तथा जिन मासों में चातुर्मास्य यज्ञ किये जाते हैं अर्थात् फाल्गुन, आषाढ और कार्तिक की पूर्णिमा में अनध्याय का उल्लेख प्राप्त होने के अतिरिक्त श्रावण की पूर्णिमा को वेदाध्ययन का उपाकर्म करके एक मास तक ऋदोष काल में अध्ययन का निषेध किया है एवं आषाढ महीने में और वसन्त के उत्सव के समय अनुवाक के अध्ययन का तथा ऋदोष में छन्द के किसी नये अंश के अध्ययन का निषेध आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में प्राप्त होता है¹।

इस प्रकार आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में विस्तृत रूप से अनध्याय का वर्णन किया गया है। कुछ अवसर विविध एवं अनावश्यक से लगते हैं परन्तु कुछ के कारण तो तर्कसंगत एवं समझे जाने योग्य सिद्ध मन्त्रों पर आधारित है। वैदिक अध्ययन पूर्णतः स्मृति-परम्परा पर आधारित था अतएव वैदिक मन्त्रों के अध्ययन के लिए चित्त का एकाग्र होना अत्यावश्यक है क्योंकि मन की चञ्चलता मन्त्रों के शुद्ध रूप से कण्ठस्थ में बाधक हो सकती है इसी कारण मन को स्थिर कर देने वाले अवसरों में वेदाध्ययन के अनध्याय की चर्चा की गयी है।

1. आ०ध०सू० 1/3/9/28, 1/3/10/1, 15, 1/3/9/1-2,

भोजन- नान

आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में भोजन सम्बन्धी नियमों एवं श्रुतिबन्धों के विषय में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है ।

भोजन विधि :- आश्वस्तम्ब के अनुसार पूर्व की ओर मुख करके अन्न का भक्षण किया जाय परन्तु माता के जीवित रहते दक्षिणामुख होकर भोजन किया जा सकता है¹। भोजन करने का स्थल लिम्बा शुद्ध एवं स्वच्छ होना अत्यावश्यक है²। भोजन बकरे के चर्म पर बैठकर करना अत्युत्तम माना है । सूत्रकार ने नौका, लकड़ी के मन्च पर भोजन करने का निषेध किया है³। भोजन पात्र त्वांबे का और उसका मध्य भाग सोने से अलंकृत होना आश्वस्तम्ब ने आवश्यक माना है किन्तु वे विकल्पा से मिट्टी के ऐसे पात्र जिसमें बहले भोजन न बका हो, यदि बका हो तो गर्म कर लिया गया हो, भोजन की अनुमति देते हैं । इसके अतिरिक्त लकड़ी के ऐसे पात्र में जो भीतर से भलीभाँति खरादा गया हो भोजन पात्र के सम में प्रयुक्त किया जा सकता था⁴ एवं आश्वस्तम्ब ने भोजन से पूर्व और भोजनोपरान्त दो बार

1. श्राद्ध.मुखोऽन्नानि भुञ्जीत्तोच्चरेद्दक्षिणामुखः।।

आ०ध०सू० 1/11/31/1, 2/8/19/1-2

2. कृतभूमौ तु भुञ्जीत ।।

-आ०ध०सू० 1/5/17/8

आचमन करने का निर्देश दिया है¹ इतना ही नहीं ः भोजन करते समय जनेउ
इयज्ञोषवीतः॥ अथवा उषवस्त्र धारण करना गृहस्थ के लिए आवश्यक था तथा
उत्तरीय वस्त्र को बाँये कन्धे के ऊपर तथा दाहिनी भुजा के नीचे लपेट कर भोजन
किया जाता था²।

आश्वस्तम्ब ने भोजन करते समय मुख से किसी प्रकार के शब्द तथा
दाहिना हाथ हिलाने का निषेध किया है³ तथा निर्देश दिया है कि - जितना
ग्रास एक बार में खाया जा सके उतने अन्न का षण्ठ बनावे, उसमें से थोडा भी
अन्न भूमि पर गिरने नहीं देना चाहिए तथा उस सम्पूर्ण ग्रास को अंगूठे को मुख
में डालते हुए एक बार में ही निगलना चाहिए⁴ ।

आश्वस्तम्ब के मतानुसार गृहस्थ को केवल दो बार भोजन करना

1. भोक्ष्यमाणस्तु ऋयतोऽपि विदिराचामेध्दिः परिमृजेत्सकृदुषस्मृशेत्॥

-आ०ध०सू० 1/5/16/9, 2/8/19/8

2. नित्यमुत्तरं वासः कार्यम्। अपि वा सूत्रमेवोषवीतार्थे॥

-वही 2/2/4/22-23

3. न च मुखशब्दं कुर्यात् । पाणि च नाऽवधूनुयात्॥

-वही 2/8/19/6-7

4. याक्द्ग्राहं सन्नयन्नस्कन्दयन्नाऽपिजहीताऽपिजहीत वा कृत्स्नं ग्राहं ग्रसति
सहाइ. गुष्ठम्॥

-वही 2/8/19/5

चाहिए । इतना ही नहीं भोजन के लिये जाने वाले ग्रास के सम्बन्ध में आश्वस्तम्ब की धारणा है कि सन्यासी 8 ग्रास, वानप्रस्थी 16 ग्रास गृहस्थ 32 ग्रास ग्रहण करे किन्तु ब्रह्मचारी जितना चाहे उतना ग्रास खा सकता है ।¹ अतः आश्वस्तम्ब ने 2/4/9/12 सूत्र में गृहस्थ को पर्याप्त भोजन की अनुमति दी है जिस कि वह अपना कार्य ठीक से कर सके ।

आश्वस्तम्ब ने रोटियों, फल मूल आदि को दांतों से टुकड़े करने का निषेध किया है अतः हाथ से तोड़ कर या काट कर भक्षण की अनुमति दी है² ।

आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में बहले अतिथियों को भोजन कराने तत्पश्चात् बालकों, वृद्धों, रोगियों, स्त्रियों तथा गर्भवती स्त्रियों को भोजन का उल्लेख प्राप्त होता है³ । भोजन के लिए निमंत्रण एक दिन बहले दिया जाता था दूसरे दिन पुनः निमंत्रण देने का उल्लेख प्राप्त होता है, उसी दिन जब भोजन प्रारम्भ होता था तो उससे पूर्व पुनः निमंत्रण दिया जाता था । आश्वस्तम्ब ने

1. आ०ध०सू० 2/4/9/13

2. वही 1/5/16/17

3. अतिथीनेवाऽग्रे भोजयेत् । बालान्वृद्धान्नोगसम्बन्धान्स्त्रीश्चान्तर्वत्नीः ॥

विना आग्रह के भोजन ग्रहण का निषेध किया है तथा जन्म चरित्र एवं विधा के कारण अयोम्य व्यक्तियों, श्वेत कुष्ठ के रोगी, गजे सिर वाले, भरस्त्रीगमन करने वाले, शत्रिय कर्म करने वाले ब्राह्मण के पुत्र तथा ऐसे ब्राह्मण का ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्र जो पहले शुद्धा बत्नी से विवाह करके शुद्ध बन गया है के साथ एक शक्ति में बैठकर भोजन करने का निषेध किया है। एव उन्होंने शक्तिवाक्य जो अपनी उबस्थिति से शक्ति में बैठने वालों को शक्ति करते हैं के साथ भोजन करने की सलाह दी है उनकी दृष्टि में 'मधुवाता श्रुतायते' आदि तीन-तीन बार मधु शब्द से युक्त वेद की तीन श्रुतियों का अध्ययन करने वाला तीन बार सुवर्ण शब्द से युक्त वेद के अंश का ज्ञान रखने वाला, तीन बार वाचिकेत् अग्नि का चयन करने वाला अश्वमेघ, बुरुष्मेघ, सर्वमेघ, श्रुतमेघ, चार यज्ञों पर उद्योग में आने वाले मन्त्रों का ज्ञान रखने वाला, पांच अग्नियों को ब्रज्वलित रखने वाला, ज्येष्ठ साम का ज्ञाता, दैनिक अध्यवसाय करने वाला, अह.गो सहित सम्पूर्ण वेद का अध्ययन करने में समर्थ ब्राह्मण तीन विधाओं के ज्ञाता का पुत्र तथा शत्रिय शक्तिवाक्य है। अतएव इनके साथ शक्ति में बैठकर भोजन करना चाहिए²।

इसके अतिरिक्त आश्वस्तम्ब ने किसी के जूठे भोजन के मक्षण अथवा

-
1. नाऽननियोगपूर्वमिति हारीतः। अनर्हदिभर्वा समानबह. क्ता। शिवत्रिशिषिविष्टः
 परतत्वगाम्यायुधीयबुद्धशुद्धोत्पन्नो ब्राह्मण्यामित्येते श्राद्धे भुञ्जानाः
 शक्तिः भवन्ति।।

किसी को जूठा भोजन देने का निषेध किया है परन्तु माता-पिता बड़े भाई एवं गुरु के जूठे खाने की अनुमति दी है किन्तु इस प्रकार की अनुमति उसी अवस्था में प्राप्त थी जब तक माता पिता, बड़े भाई गुरु का ^{आचरण} धर्म के विवरीत न हो यदि उनका आचरण धर्म के विवरीत हो तो जूठा खाने का निषेध किया है¹।

जहाँ तक किसी व्यक्ति को जूठा खाना देने का सम्बन्ध है आश्वस्तम्ब ने केवल अपने आश्रित शूद्र के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना जूठा भोजन देने का निषेध किया है²।

मांस भक्षण :- धर्मसूत्रों के काल में मांस भक्षण एक आम बात थी । आश्वस्तम्ब **॥2/3/7/4॥** धर्मसूत्र के अनुसार अतिथि को मांस देने से व्दादशाह यज्ञ करने का फल मिलता है ।

आश्वस्तम्ब ने मांस भक्षण के सम्बन्ध में निम्न नियम दिये हैं-एक सुर वाले बशुओं का, ऊँट का, गवय ग्राम्य सूकर, शरम एव गाय का मांस अमोज्य है **॥** एक सुर वाले बशु की त्रेणी में ऋव आता है तथा गवय से तात्पर्य गो के

1. माञ्जिष्ठं राजन्यस्य । पितुर्ज्येष्ठस्य च मातुर्ज्येष्ठं भोक्तव्यम् ।

धर्मविवृतिवत्तावमोज्यम् ॥

-आ०ध०सू० 1/1/3/1, 1/1/4/11, 12

2. नाऽब्राह्मणायोच्छिष्टं प्रयच्छेत् । यदि प्रयच्छेदन्तान् स्कुप्त्वा तस्मिन्नवधाय प्रयच्छेत् ॥

सदृश ऋशु अर्थात् नीलगाय इस त्रेणी के अन्तर्गत है ।

आश्वस्तम्ब ने वाजसनेयक के मत का उल्लेख करते हुए बैलों के मांस को षक्त्र माना है तथा गाय एवं बैल के मांस को मध्य बताया है¹।

यहाँ आश्वस्तम्ब द्वारा दो ऋशु विरोध मत प्रस्तुत किया गया है । आश्वस्तम्ब §1/5/17/29§ में गौ के मांस को अभोज्य मानते हैं वहीं अगले सूत्र में §1/5/17/30§ में धेनु एवं अनडुह के मांस को मध्य कहते हैं । यहाँ यह विचारणीय है कि, आश्वस्तम्ब ने अन्य धर्मसूत्रकारों की भाँति धेनु के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया अर्थात् 1/9/26/1 सूत्र में अकारण धेनु तथा अनडुह के वध का निषेध किया है इस प्रकार हम देखते हैं कि आश्वस्तम्ब ने धेनु तथा अनडुह के वध का निषेध नहीं किया, अर्थात् पहले अपने पूर्ववर्ती धर्मसूत्रकारों §गौ० धर्म०सू० 2/8/30§ से प्रभावित होकर गौ मांस मक्षण का निषेध किया बाद में उन्होंने अपने समय में प्रचलित मान्यताओं के कारण अनुमति दी है । उन्होंने अनेक स्थलों पर स्पष्ट रूप से गौ मांस मक्षण की अनुमति दी है यथा गौ का मांस एक वर्ष तक सन्तुष्टि देता है²।

1. एकशुरोच्छ्रगव्यग्रामसूकरशरभगवाम् ।

धेन्वनडुहोर्भक्ष्यम् । मेध्यमानडुहमिति वाजसनेयकम् ।

-आ०ध०सू० 1/5/17/29, 1/5/17/30-31

2. ष्वत्सरं गव्येन षीर्षितः॥

-वही

2/7/16/25

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब ने षोडश नख वाले षशुओ इनर, वानर, विल्ली इ के भक्षण का निषेध किया है परन्तु गोधा, कछुआ, श्वाविद, शल्बक, खड्ग, शशा, धूतिखष के भक्षण की अनुमति दी है¹। गौतम इ 2/8/27 इ से भी आपस्तम्ब के मत का समर्थन प्राप्त होता है परन्तु धूतिखष का उल्लेख नहीं किया है। हरदत्त इ 1/5/17/37 इ की व्याख्या में धूतिखष को हिमालय में पाया जाने वाला खरगोश सदृश जानवर बतलाया गया है।

इसके अतिरिक्त आपस्तम्ब ने हिंसा के लिए प्रयुक्त तलवार या चाकू से काटे गये मांस का भक्षण वर्जित माना है²।

षक्षियों की तीन श्रेणियों का उल्लेख आपस्तम्ब ने किया है।

इ 1 इ विकिरइ जो बैरों से खुरच कर कीड़ों को खाते है इ।

इ 2 इ प्रतुद इ जो षक्षी चोंच से अन्न इत्यादि फोडकर खाते है इ।

इ 3 इ कुव्य इ शव का भक्षण करने वाले षक्षी इ।

1. षचनञाना गोधाकच्छश्वाविदृष्यकखड्ग. गशशुओनरएनर इ इ।

2. हिंसार्थेनाऽसिना मांसं छिन्नमभोज्यम्।।

जहाँ तक प्रथम श्रेणी का सम्बन्ध है जिसमें मयूरादि की गणना होती है, मुर्गा को छोड़कर विकिर बछी को भोज्य बताया है¹।

प्रतुद श्रेणी के षष्ठियों में प्लव को छोड़कर अन्य षष्ठियों को भोज्य माना गया है ।

कृत्य श्रेणी के सभी षष्ठियों तथा गिध्द, चील आदि अभक्ष्य थे²।

इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब ने हसभास चक्रवाक, वाज, क्रञ्ज, क्रौञ्च को अभक्ष्य बताया है³।

मछली के भक्षण के विषय में आषस्तम्ब धर्मसूत्र⁴ के मत से चेतुर्मगर या घीड़्यालङ्घ वर्जित है तथा सर्ष की भाँति सिर वाली एवं मकर वर्जित है परन्तु शतबलि नामक मछली भोज्य है ।

1. कुक्कुटो विकिराणाम्॥

-आ०ध०सू० 1/5/17/32

2. प्लवः प्रतुदाम् । क्रव्यादः॥

-वही 1/5/17/33-34

3. हंसभासचक्रवाक्सुवर्णाश्च । कुञ्चक्रौञ्च वार्धाणासलक्ष्मणवर्जम्॥

-वही 1/5/17/25-36

4. आ०ध०सू० 1/5/17/38-39, 2/17/17/2

दुग्ध प्रयोग.- दुग्ध के विषय में आश्वस्तम्ब ने बहुत से नियम बनाये हैं। उनके अनुसार भेड उंटनी, हिरणी, सन्धिनी, गाय भैंस आदि, एक बार में कई बच्चे देने वाली एक सुर वाली मादा ऋशु का दूध अपेय है¹।

ब्रह्म० काण्डे के अनुसार सन्धिनी के तीन अर्थ हैं १। जो गाय गर्भवती होना चाहती है २। वह गाय जो दिन में केवल एक बार दूध देती है ३। वह गाय जो दूसरे बछड़े के लाने पर दूध देती है²। व्याख्याकार हरदत्त ने सन्धिनी का अर्थ गर्भिणी होते हुए दूध देने वाली अथवा एक समय दूध देने वाली किया है³।

आश्वस्तम्ब ने गाय भैंस अथवा बकरी का दूध व्याने के दस दिन तक अपेय कहा है⁴।

1. तथैलकं षयः। उच्छ्रोत्री रेमृगीक्षी रसन्धिनीक्षी रयमसूक्षीराणीति।।

-आ०ध०सू० 1/5/17/22-23

2. ब्रह्म० काण्डे- धर्मशास्त्र का इतिहास भाग 1 पृ० 424

3. आ०ध०सू० 1/5/17/23 पर हरदत्त की टिप्पणी

4. धेनोश्चाऽनिर्दशायाः।।

-आ०ध०सू० 1/5/17/24

गौतम ने भी §2/8/22-26§ अर्नदशा सन्धिनी एवं विवत्सा गौ

के दुग्ध का निषेध किया है ।

शाकभाजी का प्रयोग - अति प्राचीन काल से कुछ शाक भाजियाँ वर्जित अ
ठहरायी गयी है आश्वस्तम्ब के मत से वे सभी शाक जिनसे मदिरा निकाली जाती
है कल ज §लाल लहसुन§, बलाण्डु §प्याज§, परारीका §काला लहसुन§ तथा वे शाक
भाजियाँ जिन्हें भद्र लोग नहीं खाते है । भोजन के प्रयोग में नहीं लानी चाहिए
इसी प्रकार क्याकु §कक, कुकुरमुत्ता§ भी नहीं खाना चाहिए¹ ।

वर्जित भक्ष्य पदार्थः - आश्वस्तम्ब के अनुसार रातभर बनाकर रखा हुआ भोजन न
खाये न पीये एवं खट्टा बने हुए भोजन को ग्रहण न करें परन्तु काणित §ईस का
रस-सिरका § बृथुकण्डुल §चिड़ड़ा § करम्ब, भरुज §भुना हुआ यव§ सक्तु, शाक, मांस,
षिष्ट, क्षीर तथा क्षीर विकार§दूध से निर्मित पदार्थ दही आदि§ औषधि, वन-
स्वति फल और मूल के विषय में उक्त नियम नहीं होता है । अर्थात् इन्हें खाने
के काम में लाया जा सकता है² ।

1. तथा कीलालौषधीनां च । करज्जबलण्डुलपरारीकाः । यच्चाऽन्यत् परिचक्षते ॥

- आ०ध०सू० 1/5/17/25-27

2. कृतान्नं बर्युषितमखायापेयानाथम् । शुकृतं च । काणितबृथुकण्डुलकरम्ब
भरुजसक्तुशाकमांसषिष्टक्षीरविकारौषधिवनस्वतिमूलफलवर्जम् ॥

- वही

1/5/17/17-19

इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब ने उन वस्तुओं का निषेध किया है जो दूसरी वस्तु के साथ मिलाये बिना ही खट्टी हो गई हैं¹। इस प्रकार दही और दही से निर्मित पदार्थ भक्ष्य हैं क्योंकि ये दूध के विकार हैं इसी प्रकार खट्टे पदार्थ जो बुद्ध मूल व क्लों के सन्धान से बनते हैं भक्ष्य हैं ।

त्याज्य भोजनः-- आषस्तम्ब ने किसी व्यक्ति के कुल में यदि कोई मर गया है और अशौच का समय दस दिन का न बीता है तो उसके घर भोजन का निषेध किया है । इसी प्रकार ऐसे घर में जहाँ सूतिका स्त्री सूतिकागृह से न निकली हो जिस घर में शव हो, भोजन अमोज्य कहा है²।

उक्त के अतिरिक्त आषस्तम्ब ने जिस अन्न में केश, कीड़ा, चूहे का मल अथवा उसके अंग का टुकड़ा अथवा अन्य अविविन्न वस्तुये बड़ी हो अथवा अविविन्न वस्तुए, शूद्र द्वारा स्पर्श होने पर इस प्रकार का भोजन अमोज्य बताया है³ एवं बैर से हुआ गया, पहने हुए वस्त्र के छोर से स्पृष्ट कुत्ते अथवा अनात्र द्वारा

1. शुक्लं वा वरयोगम् ।।

-वसिष्ठसू० 1/5/17/20

2. यस्य कुले म्रियेत न तत्राऽनिर्दशे भोक्तव्यम् । तथाऽनुत्थितायुषं सूतकायाम् ।
अन्तः शवे च ॥

- वही 1/5/16/18-20

3. आ०ध०सू० 1/5/16/22-27, मनु० 4/207, याज्ञ० 1/167

छुआ गया, वस्त्र के आंचल में बाधकर लाया गया अन्न अमोज्य है¹।

आषस्तम्ब के अनुसार यदि भोजन करते समय शूद्र भोजन करने वाले व्यक्ति को छू ले तो वह व्यक्ति भोजन न करे एवं जहाँ तिरस्कार करके अन्न दिया गया हो वहाँ भोजन न करे तथा मनुष्यों व्दारा अथवा अषवित्त प्राणि-यों व्दारा निकट से व्दृष्टे गये तथा बाजार से खरीद कर अथवा बना हुआ प्राप्त भोजन को छानना नहीं चाहिए² एवं बहुत से व्यक्तियों के समूह से प्राप्त अथवा चारों ओर पुकार कर दिया गया एवं शिल्पकला से तथा शस्त्र से जीविका व्द्वित्रिय के अतिरिक्त व्द्वलाने वाला, मकान एवं भूमि किराये पर देने वाले, वैधव्द्वजो औषध से जीविका चलाता है, नशुंसक, व्याज लेने वाले का, राजा के संदेश वाहक का, बिना विधि सन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति का, अग्नि का परिर्त्याग करने वाले व्यक्ति का, स्वाध्याय न करने वाले ब्राह्मण तथा जिस ब्राह्मण की शूद्रा बत्नी जीवित हो, अथवा मदन्नान से मत्त, बागल, अपने पुत्र से वेद का अध्ययन करने वाला, ऋणी को ऋण लेने के लिए रोक कर बैठने वाले व्यक्तियों का भोजन अमोज्य होता है³।

1. आ०ध०सू० 1/5/16/28-31 मनु० 4/208

2. आ०ध०सू० 1/5/16/33, 1/5/17/1,4,5 एवं 1/5×17/14,
मनु० 4/212, याज्ञ० 1/167

3. आ०ध०सू० 1/6/18/16-33 एवं 1/6/19/1, गौ०ध०सू० 15/18 एवं
17/17-18, मनु० 4/205-220, याज्ञ० 1/160-165

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब ने पुराण में श्लोक को उद्धृत किया है जिसके अनुसार चिकित्सक, बहेलिया, वीडकाड करने वाला, जाल से मृग इत्यादि को पकड़ने वाला कुलटा स्त्री और नपुंसक का अन्न अभोज्य है¹।

समावर्तन के बाद ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के यहाँ भोजन नहीं कर सकता था। यदि ब्राह्मण इस कृत्य को करता है तो उसको प्रायश्चित्त करना पड़ता था, यदि ब्राह्मण द्वारा प्रायश्चित्त नहीं किया जाता था तो उस ब्राह्मण द्वारा दिया गया भोजन अभोज्य होता था परन्तु यदि वह प्रायश्चित्त कर ले तो उसके घर भोजन की अनुमति आपस्तम्ब ने दी है²।

निहित भोजन एवं भोज्यान्न.- आपस्तम्ब ने शूद्र को छोड़कर अपने धर्म में वर्तमान सभी तीन वर्णों का अन्न भोज्य माना है³। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि विद्वज अपने वर्णगत धर्मों में स्थित हैं तभी उनका भोजन ग्राह्य था, यदि

1. चिकित्सकस्य मृगयोश्शत्यकृन्तस्य वाशिनः॥

-आ०ध०सू० 1/6/19/14

2. एवमाषदि वृत्तिमुक्त्वा सुभिक्षेऽनाषदि वृत्तिमाह त्रयाणां वर्णानां क्षत्रियप्रभृतीनां समावृत्तेन न भोक्तव्यम्।

प्रकृत्या ब्राह्मणस्य भोक्तव्यमकारणादभोज्यम्। यत्राऽप्रायश्चित्तं कर्मा सेवते प्रायश्चित्तविति। वरितनिर्वेषस्य भोक्तव्यम्॥

-वही 1/6/18/9-12

3. सर्ववर्णानां स्वधर्मे वर्तमानानां भोक्तव्यं शूद्रवर्जमित्येके॥

-वही 1/6/18/13

विद्वज्ज अन्ने वर्णागत धर्मो से भिन्न कर्म करते हैं तो उनका भोजन त्याज्य था ।
जहाँ तक शूद्र के द्वारा दिये गये भोजन को ग्रहणा करने का सम्बन्ध है आश्वस्तम्ब
ने इसकी अनुमति उसी अवस्था में दी है जब वह धर्म के लिये आश्रित हो, तथा विद्वज्ज
आश्रित के समय ही शूद्र से अन्न ग्रहणा करें एवं सोने या अग्नि से स्पर्श कराकर
भोजन ही किया जाय और भोजन में विद्वज्ज विशेष रुचि न ले और अपनी यथो-
चित जीवनवृत्ति प्राप्त कर लेने पर शूद्र द्वारा प्रदत्त अन्न त्याग दे¹ ।

इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति भोजन के लिए प्रार्थना करता था उसी
का भोजन भोज्य होता था एवं कौत्स ऋषि के मत के आधार पर आश्वस्तम्ब ने
सभी ऋण्य आचरण वाले व्यक्तियों का अन्न भोज्य कहा है² । इससे यह ध्वनित
होता है कि यदि ऋण्य आचरण वाला व्यक्ति भोजन के लिए प्रार्थना नहीं करता
है तब भी उसका अन्न भोज्य होता है ।

आश्वस्तम्ब ने वाष्यायिणि के मत का उल्लेख करते हुए प्रत्येक
दानशील व्यक्ति के अन्न को भोज्य कहा है³ । यहाँ पर यह प्रश्न उठना स्वा-

1. तस्याऽऽधिधर्मोन्नतस्य ॥ न सुभिन्नाः स्युः । स्वयमप्यवृत्तौ सुवर्णं दत्त्वा वशुं
वा भुञ्जीत । नाऽत्यन्तमन्ववस्येत् ॥

-आ०ध०सू० 1/6/18/14, 1/6/18/5-7

2. य ईप्सेदिति ऋण्यः । ऋण्य इति कौत्सः ॥

- वही 1/6/19/3-4

3. यः कश्चिद्दद्यादिति वाष्यायिणिः ॥

-वही 1/6/19/5

भाविक है क्या दानशील व्यक्ति जो गुणी न हो तो भी उसके द्वारा प्रदत्त भोजन भोज्य है १ इस सम्बन्ध में विचारणीय ब्रह्म यह है आषस्तम्ब ने वर्णगत धर्म में स्थित व्यक्ति के भोजन को ही ग्राह्य कहा है, यदि दानशील व्यक्ति अपने वर्णगत धर्म में निष्ठ नहीं है तो भी उसका भोजन अग्राह्य है ।

भोजन बनाने एवं बरोसने वाले.- ऋचकों एवं बरोसने वालों के विषय में आषस्तम्ब ने अनेक नियम दिये हैं । आषस्तम्ब के अनुसार विद्वज् स्नान से षवित्र होकर भोजन बना सकते हैं एवं भोजन बनाने वाले का मुख जब तक अन्न की तरफ हो तब तक वह न बोले एवं उसके लिए खाँसना एवं धूकना भी वर्ज्य था। यदि वह भोजन बकाते समय शरीर के किसी अंग को अथवा वस्त्र को छू ले तो वह जल का स्पर्श करके अपने को षवित्र करने के पश्चात् ही पुनः अन्न का स्पर्श करे ।

यद्यपि आषस्तम्ब ने शूद्र को अन्य वर्णों के व्यक्तियों के लिये भोजन बनाने की अनुमति दी है परन्तु उस पर अनेक प्रतिबन्ध थे यथा वह भोजन केवल आर्यजनों की देखरेख में ही बना सकता था तथा प्रतिदिन वह अपने केशों, दाढ़ी, शरीर के बालों तथा नाखूनों को काटे, विकल्प से ब्रत्येक ब्रह्म की अष्टमी

1. आर्याः ब्रयता वैश्वदेवेऽन्नसंस्कर्तारः स्युः। भाषा कासं ब्रधुमित्यभिमुखोऽन्नं वर्जयेत् केशानङ्गं वासश्चाऽऽलम्बाऽन उषस्वृशेत्।।

तिथि या बर्बों पर केश, दाढी, नाखूनों को कटवाने की बात कही है तथा प्रत्येक दिन शूद्र को अपने सभी वस्त्रों के साथ स्नान करना अत्यावश्यक था । इस प्रकार उक्त प्रतिबन्धों के साथ शूद्र का भोजन भोज्य था । यदि शूद्र उक्त प्रतिबन्धों के साथ भोजन तैयार करता था तो गृहस्थ अन्न को अग्नि तथा जल छिड़कर देवताओं को अर्पित किये जाने योग्य बना सकता था ¹।

मद्यपान.- ऋग्वेद ने सोम एवं सुरा में अन्तर बताया है । सोम मदमत्त करने वाला मद्य मद्यार्थ था और इसका प्रयोग केवल देवगण एवं पुरोहित लोग कर सकते थे, किन्तु सुरा का प्रयोग अन्य कोई भी कर सकता था।

सोम के सम्बन्ध में आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र मौन है किन्तु उसने सभी प्रकार की मादक वस्तुओं को अपेय कहा है²। जहाँ तक सुरा का सम्बन्ध है आश्वस्तम्ब ने सुरा का पान एक महापातक माना है³ तथा प्रायश्चित्त के रूप में सुरापान करने वाले को अग्नि पर खौलायी गई सुरा पान का विधान किया है⁴।

-
1. आर्याधिष्ठिता वा शूद्रास्संस्कर्तारः स्युः। तेषां स एवाऽऽघमनकल्पः।
अधिकमहरहः केशश्मश्रुलोमनखवापनम्। उदकोषस्पर्शनं च सह वाससा।
अग्नि वाऽऽष्टमीभवेव बर्बसु वा ववरेन्। बरेऽघमन्तं ह्यंस्कृतमग्नावीधमित्रित्याऽऽदिमः
श्रोत्रेऽतद्देवमवित्रमित्याचक्षते।।

-आ०ध०सू० 2/2/3/4-9

2. सर्वं मद्यमपेयम् ।। आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र 1/5/17/21

3. आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र 1/7/21/8

4. सुरापानो अग्निस्वशा सुराग्निवेत्।। आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र 1/9/25/3

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
पचम अध्याय
धार्मिक स्थिति
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ऋषि ऋणीत आश्रम व्यवस्था हिन्दू सस्कृति का मुख्य स्तम्भ है । आश्रमों की कल्पना हमारे ऋषियों ने ज्ञान, जीवन को नियमित, सयमित एव आध्यात्मिक बनाने के लिए की है। इस व्यवस्था के बीछे समाज की उदात्त भावना छिपी थी । सबको कार्य करने का समय निर्धारित था ताकि समाज में असंगति, असन्तोष, अनुशासनहीनता एव असद् आचरण का जन्म न हो सके।

आश्रम व्यवस्था पर आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में बर्णित जोर दिया गया है । आश्रमों की व्यवस्था संस्कारों की आधारभूमि पर की गई है। आश्वस्तम्ब² का कथन है कि जिस प्रकार उत्तम और अच्छी प्रकार जोते हुए खेत में बौधों और बनस्पतियों के बीज अनेक प्रकार के बल उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार गर्भाधान आदि संस्कारों से युक्त व्यक्ति भी बल का भागी होता है ।

इसी वृष्टभूमि पर आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र³ में चार आश्रमों का निम्न क्रम में उल्लेख प्राप्त होता है §1§गृहस्थ्य §2§आचार्यकुल में निवास§3§मौन§अर्थात् सन्वासर §4§ वानप्रस्था ।

1. आश्राम्बन्तुषु श्रेयो धिन • बुरुभा इत्वाश्रमाः ।

2. बधौषधि बनस्पतीनां बीजस्य क्षेत्रकर्म विशेषे बलपीरवृद्धिद रेवम् ।।

इस प्रकार आश्वस्तम्ब द्वारा गृहस्थाश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है। सम्भवतः गृहस्थ धर्म की महत्ता के कारण ही गृहस्थाश्रम का प्रथमतः उल्लेख किया है। आश्वस्तम्ब के अनुसार त्रयीविद्या के बारगत विद्वानों के मत में वेद ही परम प्रमाण है। इसलिये वेद में ब्राह्मि, बभ, वशु, यज्ञ, वय क्वाल तथा बत्नी के साथ जिन कर्मों, यज्ञादि का विधान है उन्हें ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वेद में सन्तति धर्म को ही अमृतत्व कहा है¹।

बस्तुतः गृहस्थ धर्म की महत्ता के कारण ही आश्वस्तम्ब ने गृहस्थ धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। मनु का भी कथन है कि जिस प्रकार प्राण-वायु का आश्रय प्राप्त कर सभी जीव जीते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ का आश्रय प्राप्त कर सभी आश्रम चलते हैं²। तथा इत्येक आश्रम का अनुसरण अनुक्रम से होना चाहिए सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य गृहस्थ और गृहस्थ के उपरान्त वानप्रस्थ और अन्त में सन्नास। ऐसा नहीं है कि कोई एक या अधिक आश्रम को छोड़कर किसी अन्य को अपना ले या सन्नासी हो जाने पर गृहस्थ हो जाय³।

1. अपाय्यस्य प्रजातिममृतमाम्नाद्य आह-प्रजामनु प्रजायते तदु ते मर्त्याऽमृतिमिति।।

- अ०ध०सू० 2/9/24/1

2. यथावायु समाश्रिव्य वर्तन्ते सर्वे जन्तवः। तथा गृहस्माश्रित्व वर्तन्ते सर्वे आश्रमाः।।

- मनु 3/77

3. मनु सू० 4/1, 6/1, 6/33-37, 6/87-88

वरन्तु आश्रम धर्मसूत्र में ज्ञात होता है कि व्यक्ति को ज्ञान से तारों आश्रमों में निवास करना अनिवार्य नहीं था । अतः आश्रम की धारणा थी कि कोई व्यक्ति जिस आश्रम में रहना चाहे उसमें रह सकता था वरन्तु ब्रह्मचर्याश्रम में निवास सबके लिए अनिवार्य था¹ । अतएव ब्रह्मचर्य के बाद कोई सीधे प्रारिजातक हो सकता था अथवा वानप्रस्थ आश्रम में निवास कर सकता था² ।

ब्रह्मचर्य - ब्रह्मचर्याश्रम उषनघन संस्कार से आरम्भ होता है । उषनघन का मुख्य प्रयोजन विद्याग्रहण है । एतदर्थ ब्रह्मचर्यानिस्था का मुख्य लक्ष्य अध्ययन है ।

ब्रह्मचारिकों के प्रकार - आश्रम धर्मसूत्र में ब्रह्मचारिकों के दो प्रकार के विभाजन दिखलाई पड़ते हैं । प्रथम नैष्ठिक ब्रह्मचारी और द्वितीय उषनघन । नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य से ही गुरु के आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त करता था । तथा मोक्ष प्राप्ति की साधना में तत्पर रहता था तथा वह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता था । उसके लिए ज्ञान आश्रमों में प्रविष्ट होने

1. सर्वेषामुषनघनप्रभूति समान आचार्यकुलेवास ॥

सर्वेषामनुत्सर्गो विधायाः ॥

की आवश्यकता नहीं रहती थी । आश्वस्त्य ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी की अत्यधिक
श्रम की है एवं उनका ध्यान है कि जो ब्रह्मचारी अपने मन को आचार्य के कुल
में ही लगाता है वह उन सभी पुण्यफलवाले कर्मों को कर लेता है जो गृहस्थाश्रम
में किये जाते हैं । ।

उत्सर्गाण की कोटि में आने वाला ब्रह्मचारी भी गुरु के समीप
रहकर विद्याध्वयन करता है परन्तु यह कुछ काल समाप्त होने पर गुरु के वदारा
आदिष्ट होने पर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होता था उत्सर्गाण कोटि वाले ब्रह्म-
चारी स्नातकों की तीन श्रेणियों का उल्लेख आश्वस्त्य ने किया है - १। श्रिबिद्या
स्नातक² २। व्रत स्नातक³ ३। विद्याव्रत स्नातक⁴ ।

1. सद्य एवं श्रिणाहितात्मा ब्रह्मचार्यत्रैनास्य सर्वाणि कर्माणि फलवन्त्य-
नाप्तानि भवन्ति दान्द्विषि गृहमेधे ॥

- आश्वस्त्य 1/1/4/29

2. आश्वस्त्य 1/10/30/1
3. वही 1/10/30/2
4. वही 1/10/30/3

आश्वस्तम्ब ने ऐसे उभकुर्बाण विधाधियों के लिए अन्नेगारी शब्द का ही प्रयोग किया है । जो आचार्य कुल में निवास करते थे उन्होंने विधाधियों के लिए आचार्यकुल में निवास अत्यावश्यक माना है² । यद्यपि आश्वस्तम्ब आचार्य कुल में निवास की न्यूनतम अवधि 12 वर्ष मानते हैं बलन्तु उन्होंने विकल्प से अष्टात्रिंशत् वर्ष, छत्तीस वर्ष या चौबीस वर्ष तक ब्रह्मचारी के आचार्य कुल में निवास की अवधि का उल्लेख किया है³ ।

ब्रह्मचारियों की बेशभूषा - आश्वस्तम्ब ने ब्रह्मचारी की बेशभूषा का विषद्वरुण से वर्णन किया है । तत्समय ब्रह्मचारों की बेशभूषा में बस्त्र, दण्ड एवं मेखला थी ।

ब्रह्मचारी दो बस्त्र धारण करता था जिनमें एक अधोभाग के लिए श्वासु⁴ और दूसरा ऊपरी ऋ भाग के लिए श्उत्तरीय⁵। आश्वस्तम्ब के अनुसार

1. आ०ध०सू० 1/2/8/27

2. उषेवस्याऽऽचार्यकुले ब्रह्मचारिनास ॥

- आ०ध०सू० 1/1/2/11

3. अष्टावत्वारिशब्दवर्णिता । वादनम् । अर्धेन । त्रिभिर्वा । व्दादशावराध्यम् ॥

- आ०ध०सू० 1/1/2/12-16

ब्राह्मण, क्षत्रिय एव वैश्य ब्रह्मचारी के लिए वासु क्रम से बटुआ के सूत का
सत के सूत का एव मृगचर्म का होना चाहिए¹ । तथा ब्राह्मण या बन्धु लाल
रंग, क्षत्रिय का मजीठ रंग का तथा वैश्य का हल्दी के रंग का होना चाहिए² ।

उत्तरीय के रश्मि में आबस्तम्य ने केवल धर्मधारण की अनुमति दी
है³ । उनके अनुसार ब्राह्मण द्वारा धारण किया जाने वाला धर्म धारण
का हो अथवा काले रंग की मृगी का⁴ । क्षत्रिय द्वारा धारण किया जाने
वाला धर्म सुहृग [धबोलाते] का हो तथा वैश्य द्वारा बकरे का धर्मधारण
किया जाय⁵ । इसके अतिरिक्त बिकल्प से सभी वर्णों के लिए भेड का धर्म या
भेड की उन से निर्मित करबल आबस्तम्य ने स्वीकार किया है⁶ ।

1. वासु. । ज्ञात्वागोक्षौभाजिनानि ॥

- आ०ध०सू० 1/1/2/39-40

2. काष्माण्ड वैके बस्त्रमुषदिशन्ति । प्राञ्जिष्ठ राजन्यस्य । हारिद्र वैश्यस्य ॥

- आ०ध०सू० 1/1/2/41 एव 1/1/3/1-2

3. अजिनं त्वेवोत्तरं धारयेत् ॥

-बही 1/1/3/10

4. हारिणमैण्ये वा कृष्ण ब्राह्मणस्य ॥

-बही 1/1/3/3

5. शैवं राजन्यस्य । बस्त्राजिन वैश्यस्य ॥

-बही 1/1/3/5-6

6. आबिकं सार्वविणिकम् । करबलश्च ॥

-बही 1/1/3/7-8

इसके अतिरिक्त आश्वस्तम्ब ने ओझा को है कि जो ब्रह्मचारी प्रदशक्ति को वृद्ध चाहता है वह केवल अजिन् मांस ही धारण करे, क्षत्रिय को शक्ति की वृद्धि चाहने वाला वस्त्रों को ही धारण करे । तथा दोनों की वृद्धि चाहने वाले- अजिन् एवं वस्त्र दोनों को धारण करे ।

जटा तक मेखना वा ब्रह्मचर्य ने आश्वस्तम्ब ने ब्राह्मण की मेखला मूज की तथा ज्ञान गुण वाली बताया है तथा वे गुण दाहिनी ओर को बटे होने चाहिए तथा क्षत्रिय की मेखला धनुष की टोरी की तथा वैश्य की मेखला ऊन का धागा होनी चाहिए² । विकल्प से आश्वस्तम्ब ने क्षत्रियों के लिए अबसू के खण्ड से युक्त मूज की तथा वैश्यों के लिए जूने की रस्सी या तमाल वृक्ष की छाल से बटी गई रस्सी की मेखला के रूप में धारण करने की अनुमति दी है³ ।

ब्रह्मचारी के द्वारा प्रयुक्त दण्ड वर्ण के अनुसार विभिन्न वृक्षों की लकड़ी से निर्मित होता था। आश्वस्तम्ब ने ब्रह्मण के लिए बलाश का क्षत्रिय के लिये न्यग्रोध वृक्ष की नीचे की और निकलने वाली शाखा का तथा वैश्यक

1. आ०ध०सू० 1/1/3/9

2. मौञ्जी मेखला त्रिवृद् ब्राह्मणस्थ शक्तिविषये दीक्षणावृन्तानाम् ।।

ज्या राजन्मस्य । आनीसूत्र वैश्यस्य ।।

-बही 1/1/2/33-34, 36

3. मौञ्जी बाणवोमिश्रा ।। बही 1/1/2/35

ब्रह्मचारी के लिए बदर या उदुम्बर की लकड़ी के दण्ड का विधान किया है।

इसने अतिरिक्त आचरन्मन्त्र के अनुसार कुछ आचार्य जिना वर्ण के निर्देश के

ब्रह्मचारी का दण्ड घनीय वृक्ष को लकड़ों का बिहित करते हैं¹ ।

ब्रह्मचारी ने विधार्थियों के लिए के केशों के विषय में कहा है कि सभी केशों को जटा बाधकर धारण करें। अथवा शिखा को ही जटा बनाकर धारण करें एवं शेष केशों को मुटा डालें² ।

ब्रह्मचारी का जीवन - ब्रह्मचारी का जीवन अत्यन्त अनिश्चित संश्रित और नियन्त्रित था। अतएव आचरन्मन्त्र ने ब्रह्मचारी के प्रतिदिन की दिनचर्या को नियंत्रित करने हेतु अनेक नियम बिहित किये हैं यथा ब्रह्मचारी को आचार्य के सोने से पहले उठना चाहिए तथा आचार्य के सोने के बाद सोना चाहिए³ जगने बाद प्रतिदिन धर्मार्थ कर्मों में ब्रह्मचारी गुरु को सहायता करें⁴ । सांभकाल

1. बालाशो दण्डो ब्राह्मणास्य नैयग्रोधस्कन्धजोडवा ड.गो राजन्गस्य बादर ओदुम्बरो वा बैरघस्य वाक्षो दण्ड इत्यवर्णसंयोगेनैक उच्यदिशन्ति ॥

-आध0सू0 1/1/2/38

2. जीटल ॥ शिखाजटो वा बाधधेदितरान् ॥

-बही 1/1/2/31-32

3. अथ च ब्रह्मचारी जघन्यसवेशी तमाहुर्न स्वधित्तीति ॥

-बही 1/1/4/28

4. अथ ब्रह्मचारी गुरुसहायता कर्तव्यम् ॥

और प्रातः काल प्रसवद्वारा गुरु के शिष्य बटे में जल चामे¹ । प्रतिलिप्त बन से ईधन लाकर आचार्य के घर में नीचे रखे² एवं अग्नि जलाकर उससे चारों ओर जो भूमि साफ करके ऋह्यसूत्र में उक्त विधि सायं प्रातः समिधों का आधान करे³ । परन्तु आश्वस्तम्ब ने इस सम्बन्ध में अन्य जानार्थों के मत का उल्लेख किया है जिनका मत है कि अग्नि की पूजा केवल सायंकाल करे⁴ ।

उक्त के अतिरिक्त छात्र को भिक्षायात्र लेकर प्रातः और सायं भिक्षाटन करना अनिवार्य था⁵ । इस सम्बन्ध में आश्वस्तम्ब ने अनेक नियम दिये

1. सायं प्रातस्सुकुम्भमाहरेत् ॥

-आधोसू० 1/1/4/13

2.

-बही 1/1/4/32

3. अग्निमिधवा वरिसमूह्य समिध आदध्यात्सायंप्रातःसोमदेशम् ॥

-बही 1/1/4/16

4. सायमेवाऽग्निमबूजेत्येके ॥

-बही 1/1/4/17

5. सर्वं लाभमाहरन् गुरवे सायं प्रातरत्रेण भिक्षाचर्यं तरेदिभिक्षाणोऽन्य-

त्राऽववात्रेभोऽभिश्स्ताच्य ॥

- बही 1/1/3/25

है तथा ब्राह्मण इत्यादि शिष्या वागने तक भक्ति का प्रयोग करते वर
 अर्थात् "भक्ति शिष्या देहि" शिष्या "भक्ति" शब्द का प्रयोग है तथा वैश्य उन्त
 में "भक्ति" शब्द का प्रयोग करे अर्थात् शिष्या एवं वैश्य शिष्या वागने समय प्रथम
 "शिष्या भक्ति देहि" तथा "देहि शिष्या भक्ति" का प्रयोग करे¹। शिष्या जोकर
 गुरु के समीप रहकर उनसे निवेदन करे तथा उनके द्वारा आदेश देने पर भोजन
 करे²। यदि गुरु कहीं बाहर गये है तो उनके कुल के सदस्य भक्तों या पुत्रों
 को निवेदन करे किन्तु यदि गुरु अपने परिवार के सदस्यों के साथ अन्तर्गत गये
 हो तो आनस्तम्ब का निर्देश है कि यह दूरसे शिष्यों को अर्पित करे और उनके
 आदेशानुसार ग्रहण करे³।

1. भक्तपूर्वया ब्राह्मणो भिक्षेत ॥ भक्तमध्यया राजन्य ॥ भक्तान्त्यया वैश्य ॥

-आधिसू० 1/1/3/28-30

2. तत्समावृत्त्योनिधायाऽवाभिमि ब्रह्मात् ॥ तेन यदिष्ट भुञ्जीत ॥

-बही 1/1/3/31-32

3. विप्रवासे गुरोराचार्यकुलात् ॥ तैर्विप्रवासेऽन्वेभ्योऽपि शीत्रिभ्यम् ॥

-बही 1/1/3/33-34

सूत्रकार ने अनुसार ब्रह्मचारी अभ्यासों द्वारा पंडितों आदि एक
अभिज्ञानों को छोड़कर किता से भा भिक्षा ग्रहण कर सकता था इसके अति-
रिक्त ब्रह्मचारी उतना ही ग्रहण करे जितना वह भोजन कर सके। सूत्रकार
के अनुसार भिक्षा केवल आचार्य के लिए, दक्षिणा, विवाह, यज्ञ, माता या पिता
के भरण बोधण की इच्छा निमित्त ही मागनी चाहिए। भौतिक लुप्त की
शिष्या से भिक्षा नहीं मागनी चाहिए²।

ब्रह्मचारी के धर्म - ब्रह्मचारीस्था का मुख्य लक्ष्य अध्ययन था। अध्ययन एक
तब है, इसके लिए माताभरण की अनुकूलता मानसिक शान्ति और एकाग्रता,
उचित स्थान का होना अत्यावश्यक है इसीलिए अब्दुस्सम्ब ने ब्रह्मचारी के लिए
आयुष्य के नियमों के मातृ कर अत्यधिक जोर दिया है क्योंकि उनका मानना
है कि नियमों का उल्लंघन करने से आजकल ऋषि नहीं उत्पन्न हो रहे हैं³।

1. न वोपिच्छट कुर्वात् ॥

-माधुसू 1/1/3/37

2. इन्द्रिन्द्रितीत्यर्थस्य तु भिक्षणानिमित्तम् ॥

-बही 2/5/10/3

3. तस्माद्ब्रह्मचारेण न जायन्ते नियमातिवृत्तात् ॥

-बही 1/2/5/4

आश्वस्तम्ब के अनुसार ब्रह्मचारी क्षमाशील हो, नृत्य न देखें, इन्द्रियों को अनुचित विषयों से नियंत्रित रखे, अपने कर्तव्य काल में तत्पर रहे, लज्जाशील हो, धैर्य या आत्मसंबन्ध से युक्त हो, उत्साह सम्बन्ध हो, किसी बर भी क्रोध न करे दूसरे के अम्बुद्वय बर जलने वाला न हो, स्त्रियों से उतनी ही बात करे जितना प्रयोजन हो, घृतादि को सभा में या उत्सव आदि की भीड़ भाड़ में न जावे¹ । सूत्रकार के अनुसार ब्रह्मचारी के लिए अध्ययन के काम भागना अत्यधिक बाधक होती है तथा वह उसे अपने मुख्य कर्तव्य से प्रेरित करती है इसी कारण आश्वस्तम्ब ने ब्रह्मचारी के मनोविकारों बर नियंत्रण रखने हेतु अनेक कर्मों को ब्रह्मचारी के लिए वर्जित कर दिया यथा- पटपटा वदार्थ, नमकीन वस्तु मधु और मांस का भक्षण, दिन में शंखन, सुगन्धित द्रव्यों का सेवन, मैथुन सुख, सुगन्धित लेकों द्वारा सुन्दरता बटाने की इच्छा सुख के मिलने अगों का धोना,

1. अनृततदर्शी । सभा समाकाशवाऽगन्ता । अजनवादशीलः । रहशीलः ।

गुरोस्त्वाचारैश्चकर्त्ता स्वैरकर्माणि । स्त्रीभिर्वावर्धत्सम्भाषी ।

मृदु । शान्त । दान्त । हीमान् । दृढधी ।

अक्रोधः । अक्रोधनः । अनसूयुः ।

शरीर की शोभा बढ़ाने के उभर ध्यान देते हुए स्नान इत्यादि । इसके अति-
रिक्त आश्वस्त्य का कथन है कि झूठने के लिये किसी बृक्ष या वनस्थिति को बर्ता
या झूल न लोडे, पूजा, छाता रथ आदि का प्रयोग न करे, स्मित न करे, यदि
दर्शातिरेक से स्मित करे तो हाथ मुह को टककर करे, किन्ना स्त्रो को मुख से न
झूधे, मन से स्त्रो की श्राप्ति को कामना न करे, बिना कारण किसी स्त्रो का
स्पर्श न करे² ।

1. तथा क्षारलवणमधुमालानि । अदिवास्नाधी । अगन्धसेवी । मेथन न
वरेत् । उत्सन्नशलाघ । अह गानि न श्रक्षाल्योत । श्रक्षाल्योत
त्वशुचिलिप्तानि गुरोरसन्दर्शे । नाप्सु शलाघमान . स्नायाद्यदि
स्नायाददण्डवत् प्लवेत् ॥

- आ०ध०सू० 1/1/2/23-30

2. न ब्रेक्षेत नग्ना स्त्रिकम् । ओषधिवनस्वतीनामाच्छिष नोषजिघ्रेत् ।
उमानहौ छत्रं बानमिति बर्बवेत् । न स्मयेत । यदि स्मयेता विगृह्य
स्मयेतीति हि ब्राह्मणम् । नोषजिघ्रेत् स्त्रिकं मुखेन । न हृदयेन
शार्धयेत् ।
नाकारणादुपसृशेत् ॥

- बही 1/2/7/3-10

आपस्तम्ब ने गुरु को प्रसन्न करने वाले कर्म, कल्याण की प्राप्ति के कर्म तथा वेद का परिश्रम पूर्वक अभ्यास ब्रह्मचारी के मुख्य कर्म माने हैं तथा इन कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्म ब्रह्मचारी के लिये निषिद्ध किये हैं¹ ।

इस प्रकार आपस्तम्ब ने ब्रह्मचर्य के नियमों को विस्तृत उल्लेख किया है क्योंकि उनकी दृष्टि में नियम के पालन में रुचि रखने वाला, तपस्वी, सरल तथा क्षमावान् ब्रह्मचारी सिद्ध प्राप्त करता है²। इसके अतिरिक्त नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मचारी वेद के अतिरिक्त जो कुछ भी गुरु शिक्षण ग्रहण करता है उसका फल वेद के अध्ययन के फल के समान होता है तथा संकल्प करके जो कुछ भी वह मन से सोचता है, शब्दों में अभिव्यक्त करता है, चक्षु से देखता है वह भी वैसा ही हो जाता है³।

1. गुरुप्रसादनीयानि कर्माणि स्वस्त्ययनमध्ययनसंवृत्तिरिति। अतोऽन्यानि निवर्तन्ते ब्रह्मचारिणा कर्माणि॥

-आ०ध०सू० 1/2/5/9-10

2. स्वाध्यायधृग्धमंरुचिस्तपस्व्यूजुर्मदुस्सिद्धयति ब्रह्मचारी ॥

-वही 1/2/5/11

3. यत्किञ्च समाहितोऽब्रह्म प्याचार्यादुपयुह के ब्रह्मदेव तस्मिन् फल भवति।
अथो यत्किञ्च मनसा वाचा चक्षुषा वा सह. कल्पयन् ध्यायत्याहाऽभि-
विपश्यति वा तथैव तद्भवतीत्युपदिशन्ति॥

-वही 1/2/5/7-8

वही यदि ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य के नियमों का उल्लंघन करके विधा-
ध्ययन करता है तो उससे और उसके पुत्रों से भी पूर्व प्राप्त वेद का ज्ञान दूर हो
जाता है तथा वह नरक प्राप्त करता है और उसका आयु कम हो जाता है¹ ।
इस प्रकार आबस्तम्ब धर्म सूत्र में ब्रह्मचारी के धर्म, कर्तव्य एवं जीवन का विवेक
विबेधन वस्तुतः किया गया है क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम ही माननीय गुणों विकास
की आधारशिला है ।

गृहस्थाश्रम - भारतीय समाज में गृहस्थ आश्रम का अत्यधिक मान रहा । आब-
स्तम्ब ने आश्रमों के वर्णन में सर्वप्रथम गृहस्थ आश्रम की ही चर्चा की है² । आब-
स्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार "तीन प्रकार की विधाओं के ज्ञाता आचार्यों का मत
है कि वेद ही परम ब्रह्मण है, इस कारण वेदों में ब्रीहि, यज, यज्ञशु, आज्य,
दुग्ध, उप्वर का उपयोग करते हुए, बत्नी के साथ मन्त्रों का उच्च वा मन्द
स्वर से पाठ कर जिन कर्मों के करने का विधान है उन्हें करना चाहिए और
इस कारण उनके विवरीत आचरण का निर्देश करने वाले नियमों को वेदज्ञ
ब्रह्मण नहीं मानते है³ । गृहस्थाश्रम के महत्व के विषय में आबस्तम्ब ने कहा

1. तदतिशये विधाकर्म नि स्त्रवीति ब्रह्म सहावत्त्वादेतस्मात् । कर्तव्यमनाबुध्यं
व ॥

- आ०ध०सू० 1/2/5/2-3

2. चत्वार आश्रमा गार्हस्थ्यम्, आचार्यकुलं मौनं, वानप्रस्थमिति ॥

है कि गृहस्थ जी सन्तान को अमृत बताकर वेद ने कहा है, "हे मरणधर्मा मनुष्यों, तुम अपनी सन्तान में पुन उत्पन्न होते हो, अतः सन्तान ही तुम्हारे लिये अमरत्व है।" । पिता ही पुत्र के रश्मि में उत्पन्न होता है, दोनों में सारूप्य होता है यह भी सामान्यतः देखा जाता है । वस्तुतः पिता प्रजापति का रश्मि होता है² । उक्त के प्रतिरिक्त आश्वस्तम्ब ने गृहस्थाश्रम की प्रशंसा में प्रजापति के दूसरे बचन का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो तीनो वेदों का अध्ययन, ब्रह्मवर्ष, सन्तानोत्पत्ति, यज्ञ, तप, दान तथा दान इन कर्मों को करता है वह मेरे साथ निवास करता है । जो इनके विपरीत कर्म करता है वह धूल में मिल जाता है³ ।

1. अध्याप्यस्य प्रजापतिममृतमाम्नात्र आह- प्रजापनु प्रजायसे तदु ते
मत्वऽमृतीमिति ॥

-आ०ध०सू० 2/9/24/1

2. अध्यापि स एवाऽत्र विरुद बुधकृत्वक्षेणोत्पन्नवते दृश्यते वा पि
सारूप्यं देहत्वमेवाऽन्वत् ॥

- बही 2/9/24/2

3. पुनस्सर्गे बीजार्था भवन्तीति भविष्यत्पुराणे ॥

- बही 2/9/24/6

ये उद्धरण इस बात के प्रमाण है कि आबस्तम्ब की दृष्टि में गृहस्थ आश्रम अत्यधिक महत्वपूर्ण था तथा इसी कारण आश्रमों के वर्णन में इसका उल्लेख आबस्तम्ब ने सर्वप्रथम किया है ।

गृहस्थाश्रम के कर्म - आबस्तम्ब के अनुसार अग्निहोत्र, अतिथि पूजा तथा अन्न जो कुछ भी उचित कर्तव्य है वे गृहस्थाश्रम में करने होते हैं¹ ।

अग्निहोत्र के दो अर्थ अधि- लोकीय है- §1§ अग्नि के लिए होम करना §अग्ने होत्रमिति कुबिनमि§ §2§ स्वर्गकामना के लिए किया जाना वाला एक कृत्वा §अग्निहोत्र जुहोति स्वर्गकाम , दीर्घ सत्र ह वा एत उषन्ति§।

अग्न्नाधान के पश्चात् जब अग्नि विधिबत् स्थापित कर दी जाती है तब नित्यकर्म के रूप में अग्निहोत्र करना गृहस्थ का वरमभावन कर्तव्य माना जाता है ।

उक्त के अतिरिक्त गृहस्थाश्रम का एक प्रधान कर्तव्य अतिथि सत्कार है । इसका उल्लेख सभी धर्म और गृह्यसूत्रों में है ।

1. अग्निहोत्रमतिथ्यो वचनान्बदेनं युक्तम् ॥

आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में अतिथि सत्कार का विषय वर्णन किया गया है । आश्वस्तम्ब के अनुसार अतिथि बही है जो अपने धर्म में निरत रहने वाले गृहस्था के यहा केवल धर्म के प्रयोजन के आता है¹ तथा ऐसे व्यक्ति का सत्कार करने से उषद्वयों की शान्ति होती है तथा स्वर्ग का व्रत प्राप्त होता है² । रवों जो व्यक्ति अतिथि को एक रात्रि अपने घर में ठहराता है वह बृहवी के सुखों को प्राप्त करता है, जो दूसरी रात्रि ठहराता है वह अन्तरिक्ष लोको को जीतता है, तीसरी रात्रि ठहराने वाला स्वर्गीय लोको को प्राप्त करता है और चौथी रात्रि ठहराने वाला असौम्य आनन्द का लोक जीत लेता है एवं अनेक रात्रियों तक अतिथि को ठहराने से असीम सुख की प्राप्ति होती है ऐसा कहा गया है³ ।

1. स्वधर्मयुक्तं कुकुम्बिनमम्बागच्छति धर्मपुरस्कारो नाऽन्वयप्रयोजन . सोऽतिथि-
र्भवति ॥

- आ०ध०सू० 2/3/6/5

2. तस्य ब्रूवावां शान्ति . स्वर्गश्च ॥

- बही 2/3/6/6

3. एकरात्रं वेदतिथीन्वासवेत्तारिर्वाँल्लोकानभिभवति विदतीववाऽऽन्तरिक्षवाँ-
स्तृतीववा दिव्वाश्चतुर्वा वरावतो लोकानवारीमताभिर्भरिरीमताँत्वो-
कानभिभवतीति विज्ञावते ॥

- बही 2/3/7/16

आश्वस्त्य ने अतिथि सत्कार के नियम में यह निर्देश किया है कि अतिथि के आने पर उठकर उसकी अगवानी करनी चाहिए, उसकी अवस्था के अनुसार उसका आदर करे, उससे मिलें और उसके लिए आसन ले आएं¹ । आश्वस्त्य ने अन्व आवाधों के मतों का उल्लेख करते हुए कहा है कि सम्भव हो तो अतिथि का आसन अनेक बाधों बाला होने² । एक अतिथि के बैरों को दो शूद्र धोवें । कुछ आवाधों का मत है कि अतिथि के लिए मिट्टी के पात्र में जल लाना चाहिए³ । किन्तु जिस अतिथि का समावर्तन न हुआ हो उस अतिथि के लिये स्वर्ण जल न लावे⁴ । अतः इस प्रकार के असमभावित अतिथि के आने पर अन्य अतिथियों की अवस्था अधिक समय तक उसके साथ स्वाध्याय की आवृत्ति करे⁵ । अतिथि को रहने के लिए स्थान दें, शम्भा, वटाई, तकिष्ठा, चादर ,

1. तत्रभिमुखो भ्यागम्य यथावयस्समत्वं तस्वासनमाहारयेत् ॥

- आ०ध०सू० 2/3/6/7

2. शक्तिबध्ने ना बहुमादमासनं भवतीत्येके ॥

- बही 2/3/6/8

3. - बही 2/3/6/9-11

4. - बही 2/3/6/12

5. - बही 2/3/6/13

अ जन आदि अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करें¹ । अतिथि के साथ सौहार्दपूर्ण संभाषण करें, दूध या अन्य घण्टे व दार्थों से उसे सन्तुष्ट करें, स्वाय व दार्थ से तृप्त करें और कम से कम जल ही प्रदान करें² । यदि सभी के भोजन कर लेने के बाद अतिथि आने तो रसोई बनाने वाले को बुलाकर अतिथि का भोजन बनाने के लिए जौ या चावल प्रदान करें³ । यदि अतिथि के आने पर भोजन तैयार हो तो स्वयं भोजन का अंश यह कहते हुए निकालें कि यह अंश अधिक है⁴ । आनन्दस्वामि ने गृहस्थों के लिए अतिथि सत्कार निम्न किंवा जाने वाला ब्राह्मणत्व व्रज कहा है⁵ । अतिथियों के उखर की अग्नि आहवनीय अग्नि है, बनित्र गृह्य

1. आनन्दस्वामि दद्यादुपरिस्त्रयानुवस्तरणानुवधानं सावस्तरणामभ्य जन वेति ॥

- आठधोसो 2/3/6/15

2. सान्त्वयित्वा तर्षेदुसैर्भक्ष्यैरीदम रवराध्वनेति ॥

- बही 2/3/6/14

3.

- बही 2/3/6/16

4

- बही 2/3/6/18-19

5. स एव ब्राह्मणत्व कुटीम्बनो व्रजो नित्यव्रतत. ॥

- बही 2/3/7/1

अग्नि गार्हपत्य अग्नि है, जिस अग्नि पर भोजन बकाया जाता है वह इक्ष्वा-
ग्नि है। एक अतिथि को दिया गया दूध से युक्त अन्न अग्निष्टोम का फल उत्ब-
न्न उत्बन्न करता है, घृतिमिश्रित भोजन उक्थ का फल ब्रह्मदान करता है। मधु
से युक्त भोजन अतिरात्र यज्ञ का फल देता है। मांस से युक्त भोजन व्दादशाह
यज्ञ का फल देता है अन्न और जल अनेक सन्तानों तथा दीर्घ जीवन को ब्रह्मदान
करता है²। जो प्रातः मध्याह्न तथा सायंकाल भोजन देता है वह अतिथि
सत्कार रूपों द्वारा ब्रह्मदान यज्ञ में तान सन्न होता है³ तथा जो जाने के लिए उठे
हुए अतिथि के पीछे उठता है वह उदयसनीया दृष्टि का श्रुतिक है⁴। यधुर
नाभ्या ही इक्ष्वाग्नि का श्रुतिक है⁵। अतिथि के पीछे चलना विष्णुयज्ञ है,⁶
अतिथि को बटुया कर लौटना ही मानो इस यज्ञ का अन्तिम अवश्य स्नान है⁷।

1. योऽतिथीनामग्नि स आहवनायो य कुटुम्बे स गार्हपत्यो यस्मिन्बध्यते
सोऽन्बाहार्यवचन ॥

- | | | |
|----|----------|----------|
| | -आ०ध०सू० | 2/3/7/2 |
| 2. | -बही | 2/3/7/4 |
| 3. | - बही | 2/3/7/6 |
| 4. | - बही | 2/3/7/7 |
| 5. | - बही | 2/3/7/8 |
| 6. | - बही | 2/3/7/9 |
| 7. | - बही | 2/3/7/10 |

सूत्रकार भावसाम्ब का अतिथि रोग के मर्त्य ने कथन है कि यदि किसी अग्निहोत्री के महा अतिथि आने को - स्था राजी आबानो तरे, आर करे हे तात्त्व तुमने त्यों नितारु शिशा ? फिर हे प्राण्य, पर जात ए, प्राण्य दृश्य लोहए स्था करार क्त दूय रह तादि इमान तरे¹ । यदि अतिथि अग्निहोत्र रोग के समीप उन्मिथत हो तो अग्निहोत्र रोग करने के पहले उसे अग्नि के उत्तर में बठाकर वह इगार जा तरे- प्राण्य बसा ही हो जेसा तुम तरा मन गाल्य है, हे ब्राण्य वैसा ही तो जेसो तुम्हारी इच्छा है, हे प्राण्य, वैसा हा तो जेसा तुम्हारे रिप हे, हे ब्राण्य, यह भूर्णति तुम्हारी इच्छा के अन्तर्र होबे² । यदि अतिथि उह समय आये जब अग्नियाँ रख तो दी गई हो किन्तु उनमें हवन न किया गया हो, तो अग्निहोत्री स्वयं अतिथि की आबानी करे और कहे, हे ब्राण्य, मुझे आज्ञा दीजिये मैं हवन करना चाहता हू, तब अतिथि की आज्ञा ब्राण्य कर हवन करे । यदि वह बिना आज्ञा लिए हवन करता है तो दोष होता है एक ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है³ ।

1. आहिताग्नि वेदातिथिरभ्यागच्छेत्स्वयमेनमभ्युदेत्थ ब्रूयात्-ब्राण्य क्वाऽ
नात्सीरिति, ब्राण्योदकीमिति, ब्राण्य तर्षीस्तर्षीति॥

-आधोसू 2/3/7/13

2. -बही 2/3/7/14

3. -बही 2/3/7/15

रूत्रकार का कथन है कि जीर्णियों को भोजन करने से बाद ही भोजन करें। कार्बोहिक को अपने जीर्णिक से पहले भोजन करना ठीक है जाने उन के कन्न को, स्मृति को, रन्धान को, मृगुओं और लघुमृगों का भक्षण करना है।
आर्यस्तम्ब ने गृहस्थ से अशेषा की है कि घर में रहे हुए दूध जादि रस म्वाधों को समाप्त न करे जीर्णु जीर्णिक के आने को सम्भावना करके ऐसी तस्तुओं को घर में रखे³ और यदि रसात्त बनवाने जनाये तो वह भी अतिथि के लिए रखे केवल आने खाने के लिए सादिष्ट वातानों का निर्माण न करे⁴ ।

आर्यस्तम्ब ने सम्पूर्ण जेद के अधेना अतिथि तो गौ दक्षिणा तथा मधुपर्क का अधिकारी माना है⁵ । मधुपर्क के संबंध में आर्यस्तम्ब का कथन है कि मधुपर्क मधुमिश्रित दधि का हो अथवा मधु से युक्त दूध का हो यदि किन्ही कारणों से दूध या दधि का अभाव हो तो जल का भी मधुपर्क दिया जा

1. शेषभोज्यतिथिनां स्वात् ॥

- आ०ध०सू० 2/4/8/2

2. उर्जं मृष्टिं ब्रजां मशूनि टावूर्तिमिति गृहाणामश्नाति मः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥

- बही 2/3/7/3

3. न रसान् गृहे भुञ्जीता ननशेषमतिथिभ्य ॥

- बही 2/4/8/3

4. - बही 2/4/8/4

5. - बही 2/4/8/6

सक्ता है¹।

अतिथि सत्कार के प्रसंग में आपस्तम्ब का कथन है कि यदि गृहस्थ के पास अतिथि सत्कार हेतु भोजन उपलब्ध न हो तो अतिथि को आसन, पादप्रक्षालनगर्दि के योग्य जल, शयन आसन के योग्य तृण आदि देकर अतिथि का सत्कार करना चाहिए²। ब्राह्मण के यहाँ कोई शुद्र अतिथि के रूप में आये तो ऐसे आये हुए शुद्र को कोई कार्य करने के लिए सौपना चाहिए, अतिथि शुद्र उस कार्य को कर ले तो उसे भोजन प्रदान करें अथवा उस ब्राह्मण के दास राजकुल से अन्न माग कर ले आवे और उसके द्वारा उस अभ्यागत शुद्र का अतिथि के योग्य सत्कार करे³।

1. दधिमधुसंसृष्टं मधुपर्कं पयो वा मधुसंसृष्टम् । अभावं उदकम् ॥

- आ०ध०सू० 2/4/8/8-9

2. अभावे भूमिस्सकं तृणानि कल्याणी बागित्येतानि वै सतोऽगारे न
धीयन्ते कदाचनेति ॥

- वही 2/2/4/14

3. शुद्रमभ्यागतं कर्मिणो नियुञ्ज्यात् । अथाऽस्मै दद्यात् । दासा वा
राजकुलादाहृत्याऽतिथिवच्छुद्रं पूजयेत् ॥

-वही 2/2/4/19-21

इस सम्बन्ध में आनस्तम्ब गृहस्थ तथा उसकी पत्नी से अपेक्षा की है कि मित्रों, सम्बन्धियों एवं नौकरों को खिला कर ही स्वयं खाएँ तथा अतिथियों आदि को खिलाने के लिए नौकरों के भोजन में कटौती नहीं करनी चाहिए ।

अतिथि सत्कार के बर्तन में सूत्रकार कहता है कि यदि अतिथि आतिथ्यकर्त्ता का विन्वेषी है , तो उसे भोजन नहीं कराना चाहिए अथवा जो व्यक्ति अतिथि से शत्रुता रखता हो अथवा जो दोष मढ़ता है या अतिथि पर किसी बात या अपराध की आशंका करता है , तो ऐसे आतिथ्यकर्त्ता का भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे आतिथ्यकर्त्ता का भोजन करता है वह मानने उस आतिथ्यकर्त्ता के वादों का भक्षण करता है²।

1. ये नित्या भाक्तका स्तेषामनुषरोधेन सन्निरागो विहितः ॥

- आ०धु०सू० 2/4/9/10

2. विन्वेषीन्वदधतो वा नान्नग्रहणोच्चाददोषेण वा मीमांसमानस्य

मीमांसितस्य वा । वाप्याहं हि स तस्य भक्ष्यतीति निज्जायते ॥

- बही 2/3/6/19-20

इसने अतिरिक्त आश्वस्त्य धर्मशूत्र का अर्थ है कि अतिथि के लौटने समय आतिथ्यकर्ता को अतिथि का सबारी तक जाना चाहिए, यदि सबारी न लो लो वहाँ तक जाना चाहिए जहा अतिथि लौटने को कह दें, किन्तु यदि अतिथि लौटने को न कहे लो गाँव को लौटा तक जाना चाहिए।

इस प्रकार हम देखते है कि आश्वस्त्य ने अतिथि सत्कार के विषय में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत अतिथि सत्कार के बीछे हमारे शास्त्रकारों की उदात्त भावना छिपी है, दया के द्वारा मानव समाज का सम्बर्धन करने की यह भारतीय परम्परा है। यात्रियों को सब घतियों को इस भारतीय परम्परा से बर्षाप्त आतिथ्य मिलता आ रहा है।

ब्रह्मयज्ञ गृहस्थाश्रम का एक दैनिक कर्म है। शतपथ ब्राह्मण में वेद एवं वैदिक साहित्य के स्वाध्याय को ब्रह्मयज्ञ कहा गया है²। मनु कहते हैं- "अध्यायतं ब्रह्मयज्ञ³। शंखस्मृति कहती है- "स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च" आश्वस्त्य

1. यानवन्तमा यानात् । यान्नाऽनुजानीयादितर ।

अप्रतीभायां सोमनो निवर्तेत ॥

- आश्वस्त्य 2/4/9/2-4

2. शंखा 11/5/6/3-8

3. मनु स्मृ 3/70

ने भा स्वाध्याय को ब्रह्मयज्ञ माना है¹ । आश्वस्तम्ब ने स्वाध्याय को तप माना है² । तथा कहा है कि योह उठे होकर या बठकर स्वाध्याय किया जाय वह तप ही होता है³ एक आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र ने ब्राह्मण का उध्दधारण देने हुए नित्य स्वाध्याय को तप माना है । आश्वस्तम्ब का मथन है कि "वाजसनेयि ब्राह्मण में कहा गया है स्वाध्याय एक प्रकार का दैनिक यज्ञ है, जिसमें ब्रह्म ही यज्ञ का साधन है, जिस प्रकार दर्शपूर्णमास आदि में बुरोडाश साधन होता है जो मेघगर्जन होती है, जो विबधुत की प्रसक्त होती है, जब बज्रपाट होगा है तो वही सब का स्वाध्याय यज्ञ का बघटकार शब्द है⁴ ।

बैश्वदेव कर्म भी गृहस्थाश्रम के धर्मों का एक अनिवार्य अंग है। बैश्वदेव-देव का अर्थ है देवताओं को बकवान्त देना । बैश्वदेव में सभी देवताओं के लिए भोजन बकाया जाता है । अतः बैश्वदेव के अन्तर्गत देवयज्ञ, भूतयज्ञ एक श्चिंतुयज्ञ तीनों आ जाते हैं । आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र के मत से तीन उच्च वर्णों के आर्चजन

1. आश्वस्तम्ब 1/4/13/1

2. तपः स्वाध्याय इति ब्राह्मणम् ॥

-आश्वस्तम्ब 1/4/12/1

3. तत्र श्रूयते च यदि तिष्ठन्नासीन शयानो वा स्वाध्यायमधीते तप एव तत्तच्छ्रूयते तपो ही स्वाध्याय इति ॥

आश्वस्तम्ब 1/4/12/2

4.

- आश्वस्तम्ब 1/4/12/3

घनित्र होकर बैश्व देवार्थ में गृहस्थ के लिए अन्न बकाबे, भोजन बनाने वाले का मुँह जब तक अन्न को ओर हो, तब तक बट न तोले न खासे और न धुके। तथा बैश्वदेव बलि को रसोई की अग्नि में डाले अथवा घनित्र गृह अग्नि में अर्पित करे। इत्येक नारायणीय उच्यते इत्येक इत्येक स्वाहा सोमाय स्वाहा, निरुबेभ्यो देवेभ्य स्वाहा, श्रवाय भौभाय स्वाहा, धृवीक्षितये स्वाहा, अच्युत-क्षितये स्वाहा, मन्त्रो द्वारा इत्येक मन्त्र हर अपने हाथ से हवन करे² ।

आवस्तम्ब के मत से क्षार एव लवण का हवन नहीं किया जाता है तथा बिगड़े हुए अन्न के साथ मिले हुए भोजन का हवन नहीं किया जाता है³ । यदि हवन न करने योग्य अन्न का हवन करना ही बड़े तो अग्नि के उत्तरी भाग से गरम भस्म लेकर उसी में अन्न को होम करे⁴ । इसके अतिरिक्त आवस्तम्ब के अनुसार जिस बालक का उद्वहनन सस्कार नहीं हुआ है वह तथा स्त्री अन्न का अग्नि में हवन न करे⁵ । आवस्तम्ब के मत से बैश्वदेव कर्म की समाप्ति

1. आर्था ब्रह्मता बैश्वदेवेऽन्नसस्कर्तारि स्तु । भाषां कास क्षबहुमित्यभिमुखो -
ऽन्नं वर्तयेत् ॥

-आ०ध०सू० 2/2/3/1-2

2.

-वही 2/2/3/16

3. न क्षार लवणहोमो विधते । तथाऽवरान्तससृष्टस्य च ॥

-वही 2/6/15/14-15

4. अहीनश्यस्य होम उदीचीनमुष्ण भस्माऽबोध तस्मिन्नुहुत्वा-न्तदघृतमघुत
वाग्ना भवति ॥

-वही 2/6/15/16

5. ना स्त्री जुहुवात् । नाऽनुवेतः ॥

-वही 2/6/15/17-18

हर जो भी अन्न की याचना करने हुए आये उन्हें कुछ अन्न प्रदान करे, कुत्तों और वाण्डालों के भी उचित होने पर उन्हें भोजन अन्न प्रदान करे¹ एवं आश्वस्तम्ब ने बशबदेब मन्त्र सीखने वाले गृहस्थ को बारह दिन भूमि पर शयन करने, मैथुन न करने, मसालेदार तथा नमकीन भोजन के त्याग का निर्देश दिया है²। आश्वस्तम्ब का कथन है कि बेशबदेब कर्म स्वर्ग का सुख तथा प्रसन्न समृद्धि प्रदान करता है³ ।

बलिहरण के विषय में भी आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में नियमोल्लेख प्राप्त होता है । बलिहरण में जीबों को बलि दी जाती है इसे भूतबलि की सजा भी दी जाती है । भूतबलि में बलि अग्नि में न देकर पृथिवी पर दी जाती है । इस सम्बन्ध में आश्वस्तम्ब का कथन है कि प्रत्येक बलि के लिए अलग-अलग स्थान हाथ से साफ कर, हाथ को नीचे किए हुए जल छिड़ककर बलिबों को रखे और उसके बाद भी उसके चारों ओर जल छिड़के⁴ । बलिबों को अर्पित करने से पहले

1. सर्वान्बेशबदेबे भागिन • कुर्वाता शबवण्डालेभ्यः ॥

-आ०ध०सू० 2/4/9/5

2. तेषां मन्त्राणामुद्योगे व्वादशाहमधश्शम्वा ब्रह्मचर्म क्षारलवणवर्जं च ॥

-बही 2/2/3/13

3. गृहप्रोक्षितो बदक्षनीपं तस्म होमा बलभश्च स्वर्गमुचिष्टसमुक्ताः ॥

-बही 2/2/3/12

4. बलीनपं तस्म तस्म देशे संस्कारो हस्तेन वारिमृज्या बोद्धव न्बुध्वा
वश्वात्वारिधेवनम् ॥

- बही 2/2/3/15

तथा उसके बाद में भा. बहले की तरह ही चारों ओर जल छिड़कें । इसी प्रकार अलग-अलग अर्चित की जाने वाली बलियों के एक साथ एक ही स्थान पर अर्चित करने पर केवल एक ही बार अन्त में जल का परिषेचन किया जाता है² एक अग्नि के पीछे सातों और आठवें मन्त्रों से दो बलियां रखी जाय दूसरी बलि को बहली बलि के उत्तर में अर्चित किया जाय³ । यहा यह ध्यातव्य है कि इधम छ बलिया अग्नि में अर्चित की जाती है तथा देवयजन बलि कहलाती है । जहा तक मातवीं इधमि स्वाहा⁴ एव आठवीं इधमि स्वाहे⁵ बलि का अन्त है ये तथा उसके बाद ही बलिया भूमि पर अर्चित की जाती है । उक्त के अतिरिक्त आश्वस्तम्ब का मत है कि नवें मन्त्र से "अद्म-बुध स्वाहे" जल के लिए दो जाने वाली बलि उस मात्र के निकट अर्चित की जाय जिस मात्र गृह्य कार्य के लिए जल रखा जाता है⁴ । दशवे तथा अक्षरहवें मन्त्रों से ओषधीवनस्वीतम्भ . स्वाहा , रक्षोदेवजनेभ्य स्वाहा⁵

1. उभयतः परिषेचनं कथा पुरस्तात् ॥

-आ०ध०सू० 2/2/3/17

2. एव बलीनां देशे देशे समवेताना सकृत्सकृदन्ते परिषेचनम् ॥

-बही 2/2/3/18

3. अक्षरेणाऽऽग्निं सप्तमोऽष्टमाश्चामुदगणवर्गम् ॥

-बही 2/2/3/20

4. उदधानसन्निधौ नवमेन ॥

- बही 2/2/3/21

घर के मध्य में दो बलिया अर्पित की जाय जिनमें दूररी की बरनी से पूर्व की ओर रखा जाय¹ । उक्त के अतिरिक्त आ० स्तम्भ के अनुसार चार मन्त्रों से ऋगुदाभ्य. स्वाहा, अबलानेभ्य स्वाहा, अबलानयतिभ्य स्वाहा, मर्षभूतेभ्य स्वाहा। घर के उत्तर पूर्व भाग में बलिया अर्पित की जाती है, जिनमें दूररी बलि अपने से पूर्ववर्ती बलि के पूर्व में रखी जाती है । शय्या के निकट एक बलि "कामाय स्वाहा" मन्त्र से अर्पित की जाय। "अन्तरिक्षाय स्वाहा" मन्त्र से देवरी के ऊपर एक बलि दी जाय। उसके आगे के ऋ"अदेजति जगति यच्च वेष्टति नाम्नो भागो यत्तामने स्वाहा"। मन्त्र से एक बलि द्वार के किनाड़े के पास अर्पित की जाय । आगे के दस मन्त्रों ऋ"भृधिव्यै स्वाहा, अन्तरिक्षाय स्वाहा, दिवे स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, चन्द्रमसे स्वाहा, नक्षत्रेभ्य स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, बृहस्पतये स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा"। से घर के ब्रह्मसदन नामक स्थान पर बलियाँ अर्पित करें, जिनमें प्रत्येक बलि अपने से पहले की बलि के पूर्व रखी जाय² तथा

1. मध्येऽगारस्य दशमैकादशाभ्या ऋगबर्गम् ॥

-आ०ध०सू० 2/2/3/22

2. उत्तरपूर्वे देशेऽगारस्योत्तरैश्चतुर्भिः । शय्यादेशे कामासिड.गेन ।

देहल्लामन्तरिक्षसिड.गेन । उत्तरेणाऽऽभिधान्बाम् । उत्तरैर्ब्रह्मसदने ॥

-बही

2/2/3/23 एवं 2/2/4/1-4

दक्षिण की ओर "स्वधा षितृ-म" मन्त्र से ब्राचीनाबीती होकर अर्धात् यज्ञोक्ता-
बीत को दाहिने कंधे के उबर से तथा बायें बक्ष के नाचे से धारण कर तथा दाहि-
हिनी हथेली को उबर की ओर उठाये हुए बलि अर्पित की जाय। षितृबलि के
उत्तर में इनको स्ट्राय वशुतये स्वाहा मन्त्र से रद्र के लिए उनी विधि से बलि
अर्पित की जाय, जिस विधि से दूसरे देवों के लिए की जाय इसका तात्पर्य यह
है कि ब्राचीन बीती न होवे और न दाहिने हाथ की हथेली को उत्तान
करे और इन बलियों के लिए आरम्भ तथा अन्न का जल से वरिभेवन का कर्म
अलग-अलग करे सब रात्रि को अन्तिम मन्त्र का वाठ करते हुए आकाश में भूतों
के लिए बलि केके। ।

इस प्रकार आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में बलिहरण का विस्तृत उल्लेख प्राप्त
होता है। मनु स्मृति में भी बलि वैश्वदेव वज्र का वर्णन मिलता है² ।

इस प्रसंग में आश्वस्तम्ब का कथन है कि बलिहरण के बाद भोजन से
कुछ अंश भिक्षुक को देना चाहिए तथा गृहस्वामी तथा गृहस्वामिनी से भोजन
की वाचना करने वाले को लौटाना नहीं चाहिए अर्थात् उसे कुछ न कुछ भोजन

1. दक्षिणातः षितृलिङ्गैः प्राचीनाबीत्वनाचीनवाणिणः कुर्वात् । रौद्र उत्तरी
कथा देवताभ्यः । तयोर्नाना वरिभेवतं धर्मभेदात् । नक्तमेवोत्तमेन वैहावसम् ॥

अन्न देना चाहिए ।

इस प्रकार आश्वस्तम्ब ने बलिबैश्वदेव यज्ञ का विस्तृत वर्णन किया है अब उनकी दृष्टि में बलिबैश्वदेव यज्ञ गृहस्थ के लिए स्वर्ग तथा समृद्धि का हेतु है² ।

उक्त के अतिरिक्त गृहस्थाश्रम के व्रत का भी धर्मसूत्र में विस्तार से विचार किया गया है । आश्वस्तम्ब के अनुसार ऋषिणाग्रह के बाद व्रत और व्रती दोनों गृहस्थाश्रम के कर्मों का सम्पादन करें, केवल दो सप्ताहों में भोजन करें, तृप्तवर्षन्त अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, व्रतों पर व्रत और व्रती दोनों ही उभवास रखें । केवल एक बार दिन में भोजन करना भी उभवास आश्वस्तम्ब ने माना है तथा एक बार भोजन करके उभवास करने पर व्रत और व्रती को आतृप्त भोजन की तथा जो अन्न शेष हो उसका इस दिन भोजन करने की अनुमति दी है तथा उस रात्रि को दोनों को भूमि पर शयन करने एवं मैथुन कर्म को न करने का निर्देश दिया है तथा अश्वेत्थी की है कि दूसरे दिन

1. अग्निं च देवम् । काले स्वाग्निनावन्नार्थिनां न व्रत्यावशीयाताम् ॥

-आश्वस्तम्ब 2/2/4/10 एवं 13

2. न एतानव्यग्रो व्योमदेशं कुस्तो नित्यः स्वर्गं मुच्यते ॥

स्थालीबाक तैयार करना चाहिए¹ । आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में स्थालीबाक की विधि का वर्णन नहीं मिलता है । अतः आश्वस्तम्ब गृह्यसूत्र में इसके निर्माण की विधि, स्थालीबाक के देवता, धार्ष्ट्य स्थालीबाक का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है² । इसके अतिरिक्त आश्वस्तम्ब के अनुसार घर में जो जल के बात्र हो वे कभी खाली न रहें, दिन में गृहस्थ मैथुन न करें, ऋतुपाल में शास्त्र के नियम के अनुसार बत्नी के साथ मैथुन कर्म में प्रवृत्त होने, मैथुन के समय स्त्रीबास ही धारण करें, केवल मैथुन के समय ही बति-बत्नी साथ एक शय्या पर सोने उसके बाद में अलग हो जाय, उसके बाद दोनों ही स्नान करें अथवा जहा कहीं बोर्र या रज लग गया हो उसे मिट्टी या जल से स्वच्छ करके वे आसन करें और अपने शरीरों पर जल छिड़के³ ।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गृहस्थ के लिए जो नियम और कर्तव्य आश्वस्तम्ब ने निर्दिष्ट किये वे निश्चय ही गृहस्थ के त्याग और आध्यत्मिक जीवन की ओर अधिक झुके थे । यद्यपि उन्होंने गृहस्थ के लिए भौतिक

1. धार्ष्ट्यगृहणादधि गृहमेधिनोर्ब्रतम् । कालमोर्भोजनम् । अतृप्तिश्चाऽन्नस्य ।
वर्षसु चोभयोरवबासः । औषवस्तमेव कालान्तरे भोजनम् । तृप्तिश्चाऽन्नस्य ।
प्रच्येनयो विभ्रं स्वात्तदेतस्मिन्नहनि भुवि जघाताम् । अधश्च शयोघाताम् ।
मैथुनवर्जित च । इतो भूते स्थालीबाकः ॥

2. आ०गृ०सू० तृतीय बटल, सप्तम खण्ड

और सामाजिक सुधारों को लागू कर दिया फिर भी भारतीय सुधारों का तुलना में
असफल रहा, जिनका अर्थ है कि वे अधिक ज़ोर दिए।

बान,स्थाश्रम - बान,स्थ होने का नाम धर्मशास्त्रों में दो प्रकार से माना है
१।१ - वेदों के अन्तर्गत बान,स्थ के अर्थ में उल्लेख है। २।१ या गृहस्थ रहने में कुछ धर्म व्य-
पन्न कर देने से उन्नत बान,स्थ हो सकता है। ननु १६/२१ के अनुसार जब
गृहस्थ अपने शरीर पर कुरियाँ देवे, उसके बाल झूठे और जब उसके पुत्रों के
पुत्र हो जाय तो उसे जन्म लेनी चाहिए। जहाँ तक आश्रमधर्मशास्त्र
का प्रश्न है उनके अनुसार बान,स्थाश्रम में पूरी कृति प्रवेश कर सकता है जो
ब्रह्मचारी के नियमों का मान्य करता हो।^१। इससे यह स्पष्ट होता है कि
बान,स्थ ब्रह्मचर्याश्रम के बाद ही ग्रहण किया जा सकता है किन्तु आश्रमधर्म
ने २/१/२२/६ में जन्म आचार्यों के मतों का उल्लेख किया है कि बान,स्थ के
लिए अन्य आश्रमों के कर्मों को क्रमानुसार करना चाहिए^२।

१. अतएव ब्रह्मचर्याश्रमं प्रवृत्तम् ॥

-आ०ध०सू० २/१/२१/१९

२. अथ बान,स्थस्यैवाऽऽनुब्रुव्यमेक उपादेशान्त ॥

- बही २/१/२२/६

गान्धारी के निषेध - गान्धारी ने गान्धारी के लिए निम्न निषेधों का
निषेध किया है - तब एक जीव जन्म ले, घर में न रहे, भोजन का
भोग न करे, किसी शरण में न रहे, भोजन रहे तब पितृक उपासना के समय
चोले ।

बन में प्राण्य शृंगार्य या बल्कतः बस्त्र ही धारण करें, कूलों,
भूलों, बत्तों और तिनकों आदि से वाच्यता निर्वाह करते हुए भ्रमण करे, फिर
स्वयं गिरे हुए कूलों बत्तों आदि का ही भ्रमण करके रहे। तब कुछ दिन तक
केवल जल पीकर जीवन धारण करे, फिर कुछ समय तक केवल वायु का सेवन
करके रहे और फिर केवल आकाश का ही सेवन करे । इनमें से प्रत्येक उत्तरवर्ती
वदार्थों का सेवन करके जीविका निर्वाह करने का अधिकाधिक गुण्यफल होता है²।

1. तस्माद्दिशन्त्वेकाग्निरेतस्त्वादशमर्शिशरणो मुनि स्नाध्याय

एवोत्सृजमानो वातम् ॥

-आ०ध०सू० 2/9/21/20

2. तस्माद्दरणमाच्छादनं निहितम् । ततो मूले क्लै वणोस्तुणौरिति वर्तमंश्चरेत् ।
अन्ततः प्रवृत्तानि । ततोऽग्रे वायुमाकाशमित्वाग्निश्चरेत् । तेषामुत्तर उत्तर-
संबन्धोः क्लततो निशिष्ट ॥

- बही

2/9/22/1-5

उक्त के अतिरिक्त आशुस्त्वब के मत से बान्द्रस्थ गाँव से बाहर बन में एक घर बनाकर बटाँ बत्ती, मुत्र, मुत्रियों तथा औषध के साथ निवार करे अथवा अकेले ही रहें । खेतों में गिरे हुए अन्न बानकर अन्नने जानन का बोझण करे, किसी भी प्रकार का दान न ग्रहण करे स्नान करने के बाद हवन करे एवं स्नान बिना बेग के शनै जल में प्रवेश कर और जल को हाथ से छोटे बिना सूर्य की ओर मुख करके स्नान करे । कुछ आचार्यों के अनुसार गृहस्थ को चाहिए कि भोजन बनाने तथा खाने के पात्रों तथा काटने के औजार, करसा हंसिया तथा काज नाम के लक्ष्मणों में द्रव्येक के जोड़े बनवाये तथा इन पात्रों और औजारों के जोड़ों में से एक लेकर दूसरे को अपनी बत्ती को देकर बन को प्रस्थान करे । उसके बाद बन की वस्तुओं से ही दोग कर्म करे, अपना जीवन निर्वह करे , अतिथियों का सत्कार करे तथा शरार का आच्छादन करे एवं दिन कर्मों के लिए बुरोडाश का विधान किया गया है उन कर्मों में बुरोडाश के स्थान पर वरु का प्रयोग करे । सभी मन्त्रों का तथा दैनिक स्वाध्याय का पाठ इस प्रकार करे कि वह दूसरों को न सुनाई बडे एवं बन के निवासियों को अपने मन्त्रों का पाठ न सुनावे एवं केवल औषध की रक्षा के लिए ही एक गृह बनावे, स्वयं उले हुए स्थान में ही रहें, शम्बा और आसन पर किसी प्रकार का आच्छादन न होवे तथा नया अन्न प्राप्त करने पर पुराने संवित अन्न का परित्याग करे ।

उक्त के अनिर्दिष्ट आशस्तम्ब के अन्वयार्थ और अनिर्दिष्ट और अधिक कठोर नियम का शासन करना चाहें तो जन्म का सन्धान न करे अर्थात् इतिहास साय तथा शासन काल केवल अपने विभवावा में खाने भर का भोजन एकत्र करे ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वान प्रस्थाश्रम में व्यक्ति कठोर व्यवस्थाओं और नियमबद्ध कर्तव्यों द्वारा अपने धीरत्र और व्यक्तित्व को तब-ता था। तथा वह अपने धार्मिक और भावनात्मक सम्बन्ध को विच्छिन्न कर एकांत और निर्जनता का जीवन तपतीत करता था तथा वह अपने तब शील श्रमाशील, दानशील आचरणशील और सत्यशील व्यक्तित्व का निर्माण करता था जो उसके निवृत्तिमूलक व्यक्तित्व को उत्कृष्ट करते हुए उसे मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसरित करता था । आशस्तम्ब का वृत्तान्त से प्र श्लोक² को उद्धृत करते हुए वासुदेव की वृत्तान्त की है तथा कहा है कि ऐसे व्यक्ति की इच्छाओं उनके संकल्प से ही सिद्ध हो जाती है जैसे वर्षा कराने, पुत्रोत्पत्ति का अग्रोघ आशीर्वाद, किसी भी प्रकार की वस्तु का दान, दूर तक देखने की

1. भूवांसं वा नियमविच्छिन्नबहमेव मात्रेण सांभ्रान्तर्थाहरेत् ॥

-आ०ध०सू० 2/9/23/1

2. अष्टाशीतिसहस्राणि मे वृक्षां नैविर वृक्षः । उत्तरेणाऽर्बुम्णः ।

वन्धाज्ञ तेऽमृतत्वं हि कल्पते ॥

द्वी ट, इन के समान वेग से विचारणा करने से शक्ति तथा रसो इतर ती
दूतरा रचटाओं की सिद्धि¹ ।

संन्यास - आशस्तम्ब के अनुसार ब्रह्म तार्थिक के नियमों का ज्ञान करने वाला
वर्ग ही संन्यास ग्रहण कर सकता है² । आशस्तम्ब ने संन्यासियों के लिए
निम्न नियमों का विधान किया है कि वे बिना अग्नि के रहे अर्थात् उसे श्रोता-
गिर्जा, गूर्याग्नि एवं लौकिक अग्नि श्रमोजन बनाने के निमित्त नहीं जलानी
चाहिए, सुखों तथा शरण का परित्याग करे, भौत रहे केवल पैतृक अध्वजसाग
के समय बोलें, ग्राम में केवल इतने ही अन्न की भिक्षा मांगे जितने से उसकी जी-
विका चल सके तथा इस सत्तार की अधवा करलोक की विवन्ता किसे बिना चारों
ओर घमता रहे³ । तथा संन्यासी दूतरों के द्वारा केंके गये बस्त्रों को बहने⁴ ।

1. आशुषि सड. कल्पासिद्धयो भवन्ति । यथा बर्ष इजा दान दूरेदर्शितं मनोजबता
य च्याऽन्वदेवयुक्तम् ॥

-आशुषु 2/9/23/6-7

2. अतएव ब्रह्मवर्षवान् ब्रज्जति ॥

- बही 2/9/21/8

3. अनौगरीनकेतस्खादशमशरणो मुनि. स्वाध्याय एवोत्सुजमानो वाच
ग्रामे प्राणवृत्त प्रतिलम्बा निहोऽनमुत्र घरेत् ॥

- बही 2/9/21/10

4. तस्य मुक्तमाच्छादनं विहितम् ॥

-बही 2/9/21/11

गणस्तम्भ ने अन्य धर्मियों के प्रति उल्लेख करने हुए कहा है कि सभी वस्तुओं का परित्याग कर नग्न होकर दूँ। तथा गणस्तम्भ का मानना है कि सत्य और असत्य का सुख और दुःख का, जेदों का तथा इस लोक और परलोक का परित्याग करने सन्तानों को चाहिए कि वह परमात्मा का विन्तन करें²। क्योंकि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने पर संशोक श्रम कल्याणः प्राप्त करना है³। इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्तानों का जोहन अत्यन्त तपस्वी और कठोरता का था। परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह समस्त भौतिक और सांसारिक बंधनों के प्रति अनासक्त होकर मनोनिवेश पूर्णक साधनारत रहता था।

1. सर्वत परिमोक्षमेके ॥

-आधोसू 2/9/21/12

2. सत्वानृते सुखदुःखे वेदान्त लोकात्म च परित्यज्वाऽऽत्मानम-
निच्छेत् ॥

- बही 2/9/21/13

3. बुध्दे क्षेमप्राप्त्याम् ॥

- बही 2/9/21/14

उक्तचिन्तन से स्पष्ट है कि आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के ज्ञान और व्यक्तित्व के उत्थान में एक महत्वपूर्ण साधक था। आरम्भ से लेकर अन्त तक मनष्य का सम्पूर्ण जीवन इसी के माध्यम से समग्रता और गतिशीलता प्राप्त करता था।

श्राद्ध

"श्राद्ध" शब्द शब्दा के निष्पन्न होने है जिसके अन्तर विश्वास, श्रित और आदर के भाव निहित हैं। इसीसे "श्राद्ध" वह क्रिया है, जो विश्वास तथा आदर के द्वारा संतान को दी जाती है। संस्कृत की दृष्टि से श्राद्ध शब्द ज्ञान और वा धातुओं से निष्पन्न है। इससे इस बात का अर्थ निकलता है कि हम सत्य अपना विश्वास को धारण करें। उन श्राद्ध करने वालों की स्मृतियों में दी गई श्रद्धाजाल, श्रितरो को दिया गया भोजन और मृत व्यक्ति का श्रित भोजन है। इसको श्रितप्रसन्न कहा जाता है। श्राद्ध में तीन कर्म अनिवार्यरूपेण करने होते हैं - दोज, प्राणभोजन और श्रितदान।

श्राद्ध की उत्पत्ति एवं प्रणाली - श्राद्ध की उत्पत्ति के सम्बन्ध में महाभारत
का कथन है कि प्राचीन काल में देवता और मनुष्य इसी संसार में एक साथ निवास करते थे कालान्तर में उस सहवास को अमीष्ट न समझते हुए देवताओं ने श्रित, स्मार्त और गृह्य कर्मों का अभाव अनुष्ठान किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे स्वर्ग को चले गये और मनुष्य देवताओं के समान उन श्रित, स्मार्त और गृह्य कर्मों को अभाव सम्बन्ध न करने के कारण इसी संसार में रह गये। इस प्रकार की कर्मों की सामर्थ्य को देखकर आज भी जो मनुष्य उन कर्मों को देवताओं के समान अभाव सम्बन्ध करते हैं वे देवताओं और ब्रह्मा के

राध स्पर्श में अनन्द प्राप्त करते हैं । देवताओं का उद्देश्य तीन मनुष्यों को वैवस्वत मनु ने "श्राद्ध" नाम से शिष्टि-रहित होने वाले कर्म का उद्देश्य प्रजाओं के दिन श्रेष्ठ के लिए ही था¹ ।

जादुस्तम्ब ने अनुहार श्राद्ध इत्येक नाम में करना चाहिए² तथा श्राद्ध का कोई कर्म रात्रि को न करे³ । मास में भी पूर्ववक्ष्य और अक्षयवक्ष्य में से अक्षयवक्ष्य को तथा इन अक्षयवक्ष्य के दिनों में भी आश्विनमास को जादुस्तम्ब ने श्राद्ध कर्म के लिए श्रेष्ठ माना है⁴ । इसके अतिरिक्त जादुस्तम्ब ने अनुहार मास के दूसरे वक्ष्य के अन्तिम दिन अधिक श्रेष्ठकर है । तथात्रिमास के उपर मास में किसी भी दिन को अर्चित किया गया श्राद्ध शिष्टियों को सन्तुष्ट करता है और

1. सह देवमनुष्या अस्मिन्लोकेशु राधम् । अथ देवा कर्माभिर्दिवं जग्मुर्होमन्त
मनुष्या । तेषां मे तथा कर्माण्यारभन्ते सह देवैर्ब्रह्मणा वाऽमुषीन् लोके
भवन्ति । अथैतन्मनुः श्राद्धशब्दं कर्म प्रोवाच । प्रजानिःश्रेयसाय च ॥

-आधोसू 2/7/16/1

2. मासि मासि कार्बम् ॥

- बही 2/7/16/3

3. न च नक्तं श्राद्धं कुर्वीत ॥

- बही 2/7/17/23

4. अक्षयवक्ष्यस्याऽपरार्हण . श्रेयान् ॥

- बही 2/7/16/5

करने वाले को वा शिशुओं का जी प्राप्ति होती है। यदि अगर बच्चे के प्रथम दिन को श्राद्ध किया जाता है तो श्राद्धकर्ता की रक्तान प्राय उत्त्रिया होगी, यदि दूसरे दिन को श्राद्ध किया जाता है तो पुत्र प्राप्त होर होते हैं, यदि तीसरे दिन श्राद्धकर्म किया जाता है तो जो पुत्र उत्पन्न हों वे बेदा-
 ध्ययन के घृत का राज करने वाले, ग्रहण के सुक्त होंगे, चौथे दिन श्राद्ध कर्म करने वाले छोटे बच्चों से सम्बन्ध होते हैं, पाँचवें दिन श्राद्धकर्म करने वाले को पुत्र ही उत्पन्न होते हैं वह अनेक पुत्रों का पिता होता है तथा पुत्रहीन बनकर नहीं करता, छठे दिन श्राद्ध करने वाले प्राय देशाटन करने वाले तथा जुआरी होते हैं, सातवें दिन श्राद्ध कर्म करने से कृषि में वृद्धि होती है, आठवें दिन श्राद्ध कर्म करने से समृद्ध होती है, नवें दिन श्राद्ध कर्म करने से समृद्ध होती है, दसवें दिन श्राद्ध करने से एक खुर वाले बच्चों यथा छोटे आदि की वृद्धि होती है, दसवें दिन श्राद्ध करने से व्यापार में उन्नति होती है, ग्यारहवें दिन श्राद्ध करने से लोहे और तमबुस की सम्पत्ति बढ़ती है, बारहवें दिन श्राद्ध करने वाला अनेक बच्चों का स्वामी होता है, तेरहवें दिन श्राद्ध करने से अनेक पुत्र तथा अनेक मित्र मिलते हैं। श्राद्धकर्ता के पुत्र सुन्दर होते हैं, किन्तु उसके पुत्र अल्पायु में ही मर जाते हैं तथा चौदहवें दिन श्राद्ध करने पर बुद्ध में सफलता मिलती एवं पन्द्रहवें दिन श्राद्ध करने पर बुद्ध में सफलता मिलती

1. तथाऽपरावक्षस्व जघन्वान्बहानि । सर्वेऽनेनाऽपरवक्षस्वाऽहस्तु क्रियमाणे
 भित्तुन ग्रीणाति । कर्तुस्तु कालाभिनिषमात्कलीकोष ॥

है। 1. जास्त्वम के जुहार जात्रा करे देने के एक दिन को भोजन कराने के लिए द्वापणों को निम्नत्रय सेना त्रिपुर को देकर दो तथा विवाह सम्बन्ध, रक्त-सम्बन्ध, पत्रान्तुरोहित सम्बन्ध का पुर विवाह सम्बन्ध से सम्बन्धित न हो²। यदि दूसरे आत्मीय विवाह, रक्त, मन्त्र, विवाहसपन के सम्बन्ध में न जाते जाते द्वापणों से गुणों का अभाव हो तो गुणवान् सहोदर भाई को भी भोजन कराना या रचना है। अतएव इस निमित्त हे सत्ते र भाई के साथ ही साथ दूसरे सम्बन्धी और अन्नेवासी भी भोजन कराये जाने योग्य होते हैं³। जास्त्वम ने भोजन कराने वाले से सम्बन्ध व्यक्तियों के भोजन न कराये जाने के सम्बन्ध में

1. अथमे हनि क्रियमाणो स्त्रीप्रापयत्ये जायते । विद्यायां स्तेना । तृतीये ब्रह्मवर्षीसु । चतुर्थे क्षुद्रशुमान् । अथमे शुमानो बदनवत्तो न वा नवत्युमीपते । षष्ठेऽध्वशीलोऽक्षीलक्ष्य । सप्तमे कर्षे राण्ये । अष्टमे हुण्ठि । नवमे एकलुहा । दशमे च्चनारारे राण्ये । एकादशे कृष्णायस त्रमुसीसम् । द्वादशे शुमान् । त्रयोदशे बहुभुत्रो बहुमित्रो दर्शनीयावत्यो सुन्मारिणास्तु भवन्ति । चतुर्दशे आयुधे राण्ये । पञ्चदशे हुण्ठि ॥

-अधोऽधो 2/7/16/7-21

2. एतन् प्रसन्नमनास्युष्टो भोजयेद्ब्राह्मणान् ब्रह्मीवदो षोडशोत्तमन्त्रा-न्तेजासासम्बन्धान् ॥

-बही 2/7/17/4

3. गुणहान्त्वां तु वरेषां समुदेत सोदयोऽपि भोजयित्वा । एतेनाऽन्तेजा-सिनो व्वाहवाता ॥

एक वक्ता उद्धृत किया है कि यदि मनुष्य में भोजन कराने वाले से सम्बन्ध व्य-
क्तियों को जो भोजन कराया जाता है वह भोजन विशाकों को ही मिलता
है । वह अन्न न तो वितरों के पास पहुँचता है और न देवताओं के पास । वह
भोजन सुप्यक्त से मिलीन होकर इसी लोक में उसी प्रकार भटकता है जिस प्रकार
बछड़े के डो पाने पर गौ गोशाले के भीतर ही टूटती हुई दूधती है अर्थात् वा-
हर नहीं जा पाती है¹ तथा सम्बन्धियों को दिया गया भोजन तथा दान इसी
लोक में एक कुल से दूसरे कुल में जाकर नष्ट होता है² ।

आश्वस्त्य ने निम्नित्रत ब्राह्मणों में से उन ब्राह्मणों को जो
अवस्था की दृष्टि से वृद्ध तथा निर्धन और भोजन करने के इच्छुक हों उन्हें
भोजन के लिए बुलाने के लिए कहा है । यदि निम्नित्रत लोगों में सभी के गुण
समान हों³ ।

1. सम्भोजनी ताम विशाकीभक्षा नैवा विवृन् गच्छति नोऽथ देवान् ।

इहैव सा चरति क्षीणानुष्णा शालान्तरे गौरिव नष्टवत्सा ॥

-आ०ध०सू० 2/7/17/8

2. इहैव सम्भुञ्जतीति दीक्षिणा कुलात्कुलं विनश्यतीति ॥

-बही 2/7/17/9

3. तुल्यगुणेषु बभोवृद्धः श्रेयान्द्रव्यकृशवेप्सन् ॥

-बही 2/7/17/10

एक दिन बड़े भोजन के लिये ब्राह्मणों को निमन्त्रण देने के
द्वारा, दूसरे दिन दुबारा निमन्त्रण दिया जाता है। उसके तुरन्त उस
दिन भोजन होकर लो जाने पर भोजन के समय यासरा निमन्त्रण दिया जाता
था।

श्राद्ध में होम अनिजर्घस्येण किया जाता है होम प्राश्नणो को
भोजन कराने से ठाक बड़ते किया जाता है। होम के सम्बन्ध में आषस्तम्ब का
व्यक्त है कि होम के समय "उद्भिद्यतामनौ य क्रियताम्" मन्त्र से ब्राह्मणों
को अभिमन्त्रित किया जाता है मन्त्र का अर्थ है कि इस सिद्ध अन्न से अश
निकालने की तथा अग्नि में टहन करने की आज लोग ब्राह्मण अनुमति प्रदान
करें तत्पश्चात् ब्राह्मण "कान्हुद्भिद्यतां काममग्नी य क्रियताम्" अर्थात् अपनी
इच्छा से अन्न को निकाल कर उसका टहन करके इस प्रकार की अनुमति देते
हैं। तदनन्तर अन्न को अलग निकाल कर टहन किया जाता है। तत्पश्चात्
ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था। आषस्तम्ब धर्म सूत्र में ऐसे ब्राह्मणों
की सूचियाँ हैं जो शीकृत वाहन एवं शीकृतदूषक कहे जाते हैं। जो ब्राह्मण अपनी
उपस्थिति से शीकृत में बैठने बातों को शीकृत करते हैं, उन्हें शीकृतवाहन कहा

1. ब्रूयेद्युर्निवेदनम् । अग्नेद्युर्ध्वतीयम् । तृतीयमामन्त्रणम् ॥

आश्वस्तम्ब के अनुसार श्राद्ध के अर्पित हो जाना वाली वस्तुएं हैं तिल, माष, वारिह, जौ, जल, मूल और दाल¹ । उक्त के अतिरिक्त चिकने ग्दा-
 र्थों से युक्त अन्न वितृणाओं/अर्पित किता जाता था । सूत्रकार के अनुसार यह दीर्घकाल तक सतुष्टि प्रदान करने वाला है । इसी प्रकार यदि धर्म पूर्वक उपा-
 र्पित धन योग्य व्यक्ति को दान में दिया जाता है तो वह दीर्घकाल तक सतुष्टि देने वाला है ।

आश्वस्तम्ब ने गऊ मांस एवं भैंस के मांस को भी शितरों को अर्पित करने का उल्लेख किया है जो क्रमशः एक वर्ष तक एवं उससे भी अधिक समय तक सतुष्टि दायक है । उक्त गऊ मांस एवं भैंस मांस के अतिरिक्त आश्वस्तम्ब अन्य शालू तथा जगली वशुओं का मांस शितरों को अर्पित करने की अनुमति देते हैं तथा इसे अत्यधिक सतुष्टि दायक मानते हैं² ।

1. तत्र द्रव्याणि तिलभाषा व्रीहियवा आषो मूलकलानि च ॥

-आ०ध०सू० 2/7/16/22

2. स्नेहनीत त्वेवाऽन्ने तीव्रतरा वितृणां प्रीतिद्राधीवासं च कालम् ।
 तथा धर्माहृतेन द्रव्येण तीर्थे व्रतितन्नेन । संबत्सरं गव्येन प्रीतिः ।
 भूमांसमतो माह्वेण । एतेन ग्रामभारणानां वशुनां मांसं मेधं
 व्वाह्यातम् ॥

- बही

2/7/16/23-27

आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में वार्षिक श्राद्ध के साथ साथ नित्य श्राद्ध विधि का भी वर्णन प्राप्त होता है । सूत्रकार आश्वस्तम्ब ने नित्य श्राद्ध विधि का वर्णन करते हुए कहा है कि गाव से बाहर जिही वृद्धि स्थान पर व्यक्ति वृद्धि होकर श्राद्ध के प्रयोजन से अन्न बकाये । नित्य श्राद्ध में नौ द्रव्य ग्रहण किए जाते हैं उनमें से अन्न तैयार किया जाय और उन्हीं ब्राह्मणों ने अन्न खाया जाय । भोजन करने के पश्चात् उन ब्राह्मणों को उत्तम गुणों से युक्त भोजन करने वाले ब्राह्मणों को दे देना चाहिए तथा उस अन्न का जो उश ब्राह्मणों में शेष बचा हो उसे किसी ऐसे ब्राह्मण को न खिलावे जो गुणों में उन ब्राह्मणों से हीन हो । इस प्रकार उक्त विधि से आश्वस्तम्ब ने एक वर्ष तक प्रतिदिन श्राद्ध करने का उल्लेख किया है । इनमें अतिम श्राद्ध लाल रंग की बलि के साथ करने का विधान किया । इस वार्षिक श्राद्ध के पश्चात् आश्वस्तम्ब के अनुसार श्राद्ध प्रत्येक मास में किया जाय अथवा बिल्कुल न किया जाय ।

उक्त कथित वार्षिक श्राद्ध के सम्बन्ध में आश्वस्तम्ब का विचार है कि इसमें विकृताईयुक्त भोजन देना चाहिए । यद्यपि घी तथा मास से युक्त भोजन सर्वोत्तम है तथापि इन वस्तुओं का अभाव हो तो तैल और शाक भोजन में दिया जाय । इसके अतिरिक्त सूत्रकार प्रत्येक वार्षिक श्राद्ध पर एक द्रौण तिल तिल उपाय से सम्भव हो सके उस उपाय से खर्च करने का निर्देश करते हैं । वार्षिक श्राद्ध में ही प्रतिदिन किये जाने वाले श्राद्ध के समान ब्राह्मण को भोजन

आवस्तम्ब के अनुसार श्रुद्धि करने वाला श्राद्धकर्त्ता उत्तरायण में तिष्य नक्षत्र होने पर प्रथम वर्ष में कम से कम एक दिन और एक रात उबवास करके स्थालीय वाक बकजाणे और इताराज कुबेर के लिये परिषित करे, घृत पिता कर उस अन्न से एक द्राक्षा को भोजन करादे और शुद्धि अर्थ वाले मन्त्र का घाठ करा कर श्रुद्धि की शुभाशंसा करावे। आवस्तम्ब ने इस विधान को अगले तिष्य नक्षत्र के आने तक प्रतिदिन करने का उल्लेख किया है एवं दूसरे तिष्य दिन को दूसरे मांस में दो ब्राह्मणों को भोजन कराने, तीसरे तिष्य दिन को तीसरे मांस में तीन ब्राह्मणों को भोजन कराने का उल्लेख किया है। इस प्रकार उक्त कर्म एक वर्ष तक किया जाता है और इत्येक मास में एक एक ब्राह्मण की संख्या बढ़ायी जाती है। इस श्राद्ध के संदर्भ में आवस्तम्ब ने आगे कहा है कि उबवास केवल प्रथम दिन ही किया जाय। उन वस्तुओं के भोजन का श्राद्धकर्त्ता बरहेज करे जिनमें तेज होता है जैसे तक्र, दूध आदि। मस्य के उमर या भूसे के उमर न बले। श्राद्धकर्त्ता एक बैर से दूसरे बैर को न धोवे और एक बैर के उमर दूसरा बैर न रखे दोनों बैरो को न हिलावे, एक घुंटे के उमर दूसरी जंघा को न स्थापित करे, नखों से नखों ~~पर न रखे~~ को

1. एवमहरह्यारस्मात्तिष्वात् । द्वौ विद्वतीभे । त्रीस्तृतीभे । एव
 त्रिंशत्सरमभ्युच्चवेन ।

न रगडे। बिना कारण के अगुलियो से आताज न करे, उन कर्मों को न करे
जिना निषेज किया गया है, धर्म के अनुसार द्रव्य का उपार्जन करने में सतग्न
होने ।

योग्य वस्तियों या वस्तुओं के ऊपर धन व्यय करे एवं किसी अयो-
ग्य वस्तु को कोई वस्तु न दे, जिससे उसे भय न हो । तथा अर्प देकर तथा
प्रिय बचन से मनष्यों से मित्रता रहे । उन सुग्रो का भोग करे जो धर्म के वदारा
निषिध्द नहीं है । आश्वस्तम्ब का मन्तव्य है कि यदि उक्त जावरणों का
भालन करते हुए व्यक्ति श्राध्द करेगा तो वह दोनों लोकों को प्राप्त करता
है² ।

इस प्रकार आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में श्राध्द का विस्तृत एवं सारगर्भित
विबेचन विस्तृत किया गया है ।

-
1. आदित एवोपवास । आत्ततेजसां भोजनं बर्जयेत् । भस्मतुषाधिष्ठानम् ।
मदा मदास्य ब्रह्मालनमीधिष्ठानं च बर्जयेत् । वेङ्ग. खेतैर्लेनं च मादयो ।
जानुनि वाऽत्वाधानं जडं घाया । नखैश्च नखदादन ॥

-आधध०सू० 2/8/20/9-15

2. बोक्ता च धर्मवृक्तेषु द्रव्यपरिग्रहेषु च । प्रतिपादयिता च तीर्थे । जन्ता
वा तीर्थे गतो न भक्ष्य इत्यात्संगृहीता च मनुष्यान् । गोक्ता च धर्मानि-
प्रतिषिध्दान् भोगान् । एवमुभौ लोकानीभजति ॥

-बही

2/8/20/18-23

शाश्वत्

धर्मसूत्रों में निश्चित और प्रतिक्रमणों को करने से नया
डिन् द्रव्यों को नष्ट करने से उत्पन्न होने वाले प्राणों से व्यक्ति का
आत्मसंज्ञित हेतु प्राणशिवत्त का विधान किया गया है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र के आधार पर प्राणों को मुख्यतः निम्न भागों
में विभक्त किया जा सकता है जिनके च्युत होने पर प्राणशिवत्त का विधान
किया गया था-

१। १। १। १। १। १। सुवर्ण की चोरी, ब्राह्मण को हत्या, बुरुष का
बध, बेदाध्ययन का त्याग, गर्भ को हत्या, माता और पिता के योनिसम्बन्ध
बाती स्त्रियों तथा उनकी पुत्रियों के साथ मैथुन, सुरादान तथा उन लोगों के
साथ संयोग जिनसे संयोग करना निषिद्ध है² ।

1. निश्चित्य तदसौ तुच्छानं प्रायश्चित्तम् - हरदत्त श्रुतौ 22/1 ॥

2. स्तेयभाभिः शस्तयं बुरुषबधो ब्रह्मोक्त्य गर्भशातन मातुः पितुरीरित

योनिसम्बन्धे सहायत्ये स्त्रीगमनं सुरादानसंयोग- संयोगः ॥

§2§ अशुचिकर कर्म- उच्च वर्ण की स्त्रियों का घृष्टों के साथ यौन सम्बन्ध निषिद्ध मांस वा भक्षण, आपों का अपवात्र स्त्रियों से मेलन ।

§3§ प्रकाण्ड- ब्रह्मर्षी का भग, पशुबध, समय जात जाने पर भी उपनयन सस्कार न लेना ।

अभिशास्त श्रायशिवन्त - आशस्तम्ब के अनुसार ब्राह्मण पुरुष को हन्या करने वाला, आत्रेयी स्त्री का बध करने वाला पुरुषों का अथवा इन दोनों बर्णों के सोमयाग में दक्षिण पुरुष का पध करने वाला तथा जो अपना या दूसरे का जीवन लेता है अभिशास्त होता है ¹ ।

जहा तक आत्रेयी का लक्षण है मनु² के अनुसार जन्म से लेकर सब सस्कारों से अन्तर्पूर्वक सस्कृत अथवा गर्भिणी स्त्री आत्रेयी स्त्री है । दरदन्त ने बसिष्ठ को उद्धृत करते हुए हत्स्नाता स्त्री को आत्रेयी कहा तथा कुछ अन्यो के मत का उल्लेख करते हुए अत्रिगोत्र में उत्पन्न स्त्री को आत्रेयी कहा है³ ।

1. पूर्वयोर्बर्णयोर्बेदाध्यायं हत्वा सबनगतं बाऽभिशास्त । ब्राह्मणमात्रं च ।
गर्भं च तस्याऽऽबिज्ञातम् । आत्रेयीं च स्त्रियम् ॥

-आ०ध०सू० 1/9/24/6-9

2. मनु० स्मृ० 11/87

3. आशस्तम्ब धर्मसूत्र 1/9/24/9 बरहस्पति की टिप्पणी

आपस्तम्ब ने अभिशस्त व्यक्ति के लिए प्रायश्चित्त का विधान करत हुए उसे आदेशित किया है कि बन में वह एक कुटी बनाकर, वाणी को रोक कर, डण्डे के ऊपर मनुष्य की छोपड़ी रख कर तथा शरीर का नाभि से घुटने तक का भाग सन के वस्त्र के चौथाई भाग से आच्छादित कर रहे तथा ग्राम में प्रवेश करते समय गाड़ी इत्यादि की दोनों लीको के बीच के भाग से, घटिया किस्म की धातु के पात्र का उर्पर लेकर प्रविष्ट हो एवं दूसरे व्यक्ति को देख कर मार्ग छोडकर हट जाय । तथा मुझ अभिशप्त को कौन भिक्षा देगा ऐसी पुकार लगाते हुए सात घरों में भिक्षा लन करे एवं जो कुछ प्राप्त हो उसी से जीविका का निर्वाह करे यदि उसे कुछ भी प्राप्त न हो तो उपवास करे¹ एवं जब गाधे गाव से निकलती है और प्रवेश करती वह भिक्षार्थ ग्राम में दुबारा प्रवेश कर सकता है । इस प्रकार प्रायश्चित्त करते हुए वह बारह वर्ष तक प्रायश्चित्त करे तत्पश्चात् शास्त्रोक्त शिष्टाचार को करे जिसके द्वारा वह पुनः सज्जनों के समाज में प्रवेश योग्य हो जाय² अथवा बारह वर्ष तक उपर्युक्त प्रायश्चित्त

-
1. अरण्ये कुटि कृत्वा वा ग्यतः श्वशिरध्वजोऽर्धशाणोपक्षमधोनाभ्युपरिजान्वाच्छाय।
तस्य पन्था अन्तरा वर्त्मनी । दृष्टवा चा न्यमुत्क्रामेत्। खण्डेन लोहितकेन
शरावेण ग्रामे प्रतितष्ठेत्। को भिशस्ताया भिक्षामिति सप्ता गारं चरेत्।
सा वृत्तिः। अलब्धवोपवासः॥

-आ०ध०सू० 1/9/24/11-17

2. वही 1/9/24/19-20

करने के बाद दोरों के मार्ग में लुटों जनाए और दोरों से ब्राह्मणों का आहुत गात्रों को छुड़ाने का प्रयत्न रखा रहे, तब बार परास्त होने पर अथवा उन पर विजय काने पर वह काम से मुक्त होता है। अथवा अश्वमेध का अग्रयन स्नान करने पर तब दूर होगा है² ।

उक्त के अनिर्दिष्ट आश्वमेध ने अभिरास्त्र के भाति हा प्रायश्चित्त गुरु, वेद के विद्वान तथा सोमयज्ञ का जन्मि कर्म रखा पन कर लेने वाले अतिक्रम का बध करने वाले व्यक्ति के हेतु विदित किया है परन्तु उसके लिए यह प्रायश्चित्त जीवन भर करने की बात कही है जो कि आश्वमेध के अनुसार ऐसे कृत्य करने वाले की मुक्ति इस संसार में नहीं हो सकती अथवा मृत्यु के बाद ही उसकी मुक्ति सम्भव है³ ।

1. भाग्यधन वा मुक्ति कृत्वा ब्राह्मणागव्यो विजगीषमाणा बसेत्त्र

प्रतिराध्वोऽविजित्य वा मुक्त ॥

-अथर्वसू 1/9/24/21

2. आश्वमेधकं वाऽवभृथमेत्य बुधाते ॥

- बही 1/9/24/22

3.

- बही 1/9/24/24-26

दूसरे स्थल पर आषस्तम्ब ने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति को छोड़कर यदि किसी अन्य वर्ण के व्यक्ति के द्वारा ब्राह्मण की हत्या का जात है तो ऐसा व्यक्ति युद्ध में जाकर दोनों पक्षों के बीच खड़ा हो जाय जहाँ सेनाएँ यदि उरुण चय करे तो वह मरने पर पाप से मुक्त हो जायेगा अथवा अपने शरीर से रोम, त्वचा, मांस निकलवा कर अग्नि से हवन करायें और स्वयं को अग्नि में शोक दें।

उक्त से स्पष्ट है कि आषस्तम्ब ने ब्रह्महत्या के प्रसंग में दो प्रकार के प्रायश्चित्त का विधान किया है। प्रथम प्रायश्चित्त ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मण की हत्या करने पर तथा दूसरा प्रकार अन्य वर्ण के व्यक्तियों द्वारा ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति की हत्या के लिए विहित किया है।

गुरुतल्पग या प्रायश्चित्त - आषस्तम्ब ने गुरुतल्पग के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है उन्होंने 'तल्प' या लाक्षणाक अर्ध वृत्ती से लिया है अतएव इस आधार पर उन्होंने गुरु वृत्ती गमन के बाद के लिए मृत्युदण्ड का विधान

1. प्रथम वर्ण धरिहाप्य प्रथमं वर्णं हत्वा सः ग्रामं गत्वाऽवतिष्ठेत्

तत्रैनं हन्युः । अग्निं वा लोमानि त्वचं प्रासीमिति हावयि

त्वाऽग्निं प्रविशेत् ।।

किया है तथा उनके अनुसार मृत्यु के उपरान्त ही गुरुयन्त्रा गमन का पाप दूर होता है¹ । प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में आश्वस्तम्ब का कथन है कि ऐसा पाप करने वाला अण्डकोज सहित जननेन्द्रिय को हाटकर अपनी अञ्जलि में रखकर बिना रूने दक्षिण दिशा को तब तक चलता जाय जब तक गिरकर मृत्यु नहीं प्राप्त कर लेता² अथवा जलतो हुई स्ना प्रतिभा या अतिदृग्गन करके जीवन को समाप्त करे³ किन्तु आश्वस्तम्ब ने हारांत के मत का उल्लेख करते हुए इस प्रायश्चित्त का निबेध किया है ।

1. एतेनैव विलीधनोत्तमाद्दुष्कृतसचवरेन्ना साऽस्मिन्नलोके

ग्रन्थाकर्त्तृर्बद्धते कल्पे तु निर्हण्यते ॥

-अ०ध०सू० 1/10/28/18

2. गुरुन्वागाभी सवृषणं शिश्नं परिबास्याऽञ्जलाना

धाय दक्षिणा दिशमनावृत्तिं ब्रजेत् ॥

- बही 1/9/25/1

3. गुस्तलगाभी तु सुषिरां सूर्मि प्रविश्योभयत

आदीष्याऽभिदहेदात्मानम् ॥

- बही 1/9/28/15

सुरापान का प्रायश्चित्त - भाषस्त्रम्ब ने सभी पादक जस्तुओं को अपेय¹ घोषित किया है तथा इसे पतनाय कर्म माना है² तथा प्रायश्चित्त हेतु अग्नि पर उल्लेखी गई सुरा पीने का विधान किया है³ ।

स्तेन का प्रायश्चित्त - भाषस्त्रम्ब ने कौत्स, हारीत वाण्व तथा दुष्करसादी के मत का उल्लेख करते हुए किसी भी अवस्था में दूसरे को सम्पत्ति को प्राप्त करने का लोभ करने वाले व्यक्ति को स्तेन बताया है⁴ एवं ऐसे व्यक्ति के प्रायश्चित्त के लिए 4 प्रकार के प्रायश्चित्तों का विधान किया है- 1। स्तेन अपने जेबे बिछोरे हुए कंधे पर मूसल रखकर राजा के पास जाये और उससे अपना कर्म जतावे । राजा उस मूसल से स्तेन के ऊपर डूँट करे, उससे यदि उसका बंध हो जाय तो स्तेन के पाप से मुक्ति दी जाती है⁵ 2। अथवा स्वयं को अग्नि में झोंक दे या कठोर तप का बार-बार आचरण करे⁶ 3। अथवा भोजन में

-
- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | -अतोथोसू० | 1/5/17/21 |
| 2. | - बही | 1/7/21/8 |
| 3. | सुरापानोऽनिस्पर्शा सुरा पिबेत् ॥ | |
| | -बही | 1/9/25/3 |
| 4 | -बही | 1/10/28/1 |
| 5. | स्तेन प्रकोणकेशोऽसे मूसलमाधाय राजानं गत्वा कर्माऽऽचक्षीत।
तेनैव हन्यादूधे मोक्षा ॥ | |
| | -बही | 1/9/25/4 |
| 6. | -बही | 1/9/25/6-7 |

प्रतिदिन द्रास करते हुए अपना जोतन समाप्त कर दे¹। 1/9/48 अथवा एक वर्ष तक
निरन्तर कृच्छ्र रीति करे²।

शुद्धय प्रायश्चित्त - शुद्धय प्रायश्चित्त के लिए आपस्तम्ब ने 10 गाँवों तथा
एक बैत के दान करने का विधान रिया है³ किन्तु आपस्तम्ब धर्मसूत्र ने यह
स्पष्ट नहीं किया है कि ये गाँव किसको दान जायेगी सम्भवतः ये गाँव ब्राह्मणों
को ही दान गाने होंगे क्योंकि आपस्तम्ब धर्मसूत्र में केवल ब्राह्मण को ही दान
न गृहण का अधिकार था।

शुद्धयध्वत् प्रायश्चित्त - आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार कौवा, गिरगिट, मोरे,
वृत्ताक, हस, भास, मेष्क, नेबला, गन्धबूषिका ईच्छून्दर, कुत्ता तथा दूध
देने वाली गो या बैत को अकारण मारने पर शुद्ध के बध के समान प्रायश्चित्त
करने का विधान है⁴। इस प्रकार के विधान जो देखकर दो प्रकार के

1. भक्ताध्वयेन बड्डत्थानं समाप्नुयात्॥

-आठोधोसू 1/9/25/8

2. कृच्छ्रसबत्सर वा चरेत्॥

-बही 1/9/25/9

3. दश शूदे । ऋषभश्याऽत्राधिक सर्वत्र प्रायश्चित्तार्थः॥

-बही 1/9/24/3-4

4.

-बही 1/9/25/14

निष्कर्ष निकाले जा सके हैं कि १।१ या तो यह माना जा सकता है कि धर्मशास्त्रकार ने शूद्र के जीवन में इन ग्राहियों के जान दे तुल्य स्वीकार किया है अथवा १।२ यह माना जा सकता है कि आपस्तम्ब ने तुच्छ से तुच्छ जीव जन्तु के प्राणों को भी वतना महत्त्व दिया है कि उनको मारने पर वही प्रायश्चित्त अमोघ होता है जो प्रायश्चित्त दुर्लभ मनुष्यों में अवस्थित शूद्र को मारने पर करना पड़ता है ।

उपर्युक्त शूद्राधिवत् प्रायश्चित्त के अन्तर्गत आपस्तम्ब ने उन जानवरों के लिए क्षमिण्ये अस्थिया नहीं होती है १ शूद्र के वध के प्रायश्चित्त के बराबर प्रायश्चित्त का उल्लेख किया है । इसके अतिरिक्त जिन बुराबों को हत्या करने पर हत्या करने वाला अभिशस्त हो जाता है, उन व्यक्तियों के शरीर का एक अंग काटने पर यदि उनका प्राण संकटावन्न नहीं होता तो आपस्तम्ब सूत्र में शूद्राधिवत् प्रायश्चित्त का विधान आपस्तम्ब ने किया है^१ ।

अबकीर्णी का प्रायश्चित्त - स्त्री सम्पर्क करने वाला ब्रह्मचारी

ब्रह्मचारी अबकीर्णी कहलाता है^३ । ऐसे ब्रह्मचर्य को भंग करने वाले ब्रह्मचारी के लिए आपस्तम्ब ने शाक्यज्ञ की विधि से गर्दभ की बलि देने का

1.

-आधोसू

1/9/26/2

2. वेदवाभिंशस्त्य तेभामेकाइ.ग विहत्वाऽप्राणिहसायाम् ।।

-बही

1/9/26/6

निधान लिया है तथा आदेशित किया है कि उस गर्भ की बलि का हवन करने के उद्देश्य से शूद्र पुरुष को भक्षण करावे। यदि उक्तार्थी गृहमचारो उक्त नियम का अनुसरण करना है तो उसे 3- वर्ष तक पुत्राद्य गुरु को सेवा करे और केवल, निन्दन के स्वाध्याय के समय जाकार्य, जाकार्य मन्त्रों से केवल किसी आवश्यक कार्य का निवेदन करने समय और भिक्षाचरण के समय ही बोले। अथवा काम और मन्यु के लिए "कामो कार्भीत्" मन्युस्कार्भीत् कहते हुए हवन करे अथवा काम और मन्यु के मन्त्र का केवल जप करे 2।

उक्त के अतिरिक्त आश्वस्तम्ब ने उक्त सभी प्रायश्चित्तों के लिए वर्णित प्रायश्चित्त के अतिरिक्त निम्न प्रायश्चित्त करना अत्यावश्यक माना है। उनका कथन है कि पर्वों पर तिल का भक्षण करके अथवा उबवास करके, दूसरे दिन स्नान करे, प्राणायाम करके गायत्री मन्त्र का एक हजार बार जप अथवा बिना प्राणायाम किये ही गायत्री मन्त्र का एक हजार बार जप करे 3।

1. गर्भेनाऽबकीर्णी निर्द्धीति वाक्येन यजेत। तस्य शूद्रः प्राश्नीयात्।

मिथ्याघातप्रायश्चित्तम्। सबत्सरमाचार्यहिते वर्तमानो नाचं वच्छेत्स्वा-
ध्याय एवोत्सृजमानो नाचमाचार्य आचार्यदारे वा भिक्षार्थे च॥

-आ०ध०सू० 1/9/26/8-11

2. काममन्युभ्यां वा हुहुवात्कामोऽकार्भीन्मन्युर कार्भीदीति। जवेब्दा॥

-बही 1/9/26/13-14

3. बर्बीणा वा तिलमक्ष उषोऽय वा शबोभूत उदकमुनस्मृश्य सावित्री
प्राणायामशस्त्रहस्त्रकृत्व आबर्तयेदप्राणायामशो वा॥

-बही 1/9/26/15

अथवा श्रावण महीने को बौर्णमासी को तिल का भक्षण करके या उत्रवास करके दूसरे दिन किसी बड़ी नदी में स्नान करे और एक सहस्र यात्रिक बृक्ष की समिधाएँ गायत्री मन्त्र का जप करते हुए अग्नि घर रखे अथवा एक सहस्र बार गायत्री मन्त्र का जप करे¹।

अभक्ष्यभक्षण प्रायश्चित्त.— अभक्ष्यभक्षण करने पर आनस्तम्ब ने प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है उनका मत है कि - §1§ निषिद्ध भोजन का भक्षण करने वाला तब तक उत्रवास करे जब तक घेठ मत रहित नहीं हो जाता । उनकी दृष्टि में घेठ मलरहित सामान्यतः सात रात्रियों में होता है । अतएव निषिद्ध भोजन का भक्षण करने पर सात दिन तक के उत्रवास का उन्होंने विधान किया है² । §2§ अथवा हेमन्त जाँ - शिशिर ऋतुओं में श्रात और साय ठण्डे जल से स्नान करे³ । §3§ अथवा बारह दिन का कृच्छ्रव्रत करे⁴ ।

1. श्रावण्यां वा बौर्णमास्यां तिलभक्ष्यं प्रोक्ष्य वा शनो भूते माहानदमुदकमुषस्वृश्य सावि या समित्सहस्रमादध्याज्जवेधदा ॥

—आ०ध०सू० 1/9/27/1

2. अभोज्यं युक्त्वा नैऋतीष्यम्* तत्सप्तरात्रणाऽवाप्यते ॥

—बही 1/9/27/3-4

3. हेमन्तशिशिरयोर्बोभयोस्सन्ध्योर्बोदकमुषस्वृशेत् ॥

—बही 1/9/27/5

4. कृच्छ्रव्दादशरात्रं वा चरेत् ॥

—बही 1/9/27/6

पतितसावित्रीक का प्रागर्षित - जिसका उचनयन संस्कार न हुआ हो, अर्थात् जिन्हें सावित्री का उचनयन न कराया गया हो और इस प्रकार जो प्राणी हैं तथा आर्य समाज से जड़भूत हैं उन्हें पतितसावित्रीक की उपाधि दी गई है। आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वन वैश्य के लिए क्रम से 16वें, 22वें तथा 24वें वर्ष तक उचनयन संस्कार ही अवधि रहता है, किन्तु इन सोमाओं के उपरान्त उचनयन न करने पर वे सावित्री उचनयन के अयोग्य हो जाते हैं और उन्हें वेदाध्ययन करना निषिद्ध था एवं उनके यज्ञों में जाना एवं उनसे सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करना वर्ज्य था¹ ।

आश्वस्तम्ब पतितसावित्रीक के लिए प्रागर्षित का विधान करते हुए लिखते हैं कि "उचनयन की अवधि बीस वर्षों के दो मास, तीन बेटों का अध्ययन करने वालों को तरह ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने पर उचनयन करके प्रतिदिन तीन बार वर्ष भर स्नान करते हुए वेद का अध्ययन किया जा सकता है² । इसके अतिरिक्त आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र का कहना है कि यदि जिसके पिता

1. तेषामभ्यागमनं भोजनं विवाहमिति व वर्जयेत् ॥

-अ TOध0सू0 1/1/1/33

2. अतिक्रान्ते सावित्र्या यत् त्रैविद्यकं ब्रह्मचर्यं चरेत्। अधोचनयनम् ।

ततस्सबत्सरमुदकोऽस्वर्जनम् ।+ अधाऽध्याप्य ॥

और प्रितामह का उगनान न लिया गया हो तो ऐसे व्यक्ति 'ब्रह्महर्षा' कहे जाते हैं तथा इनके साथ सामाजिक सम्बन्ध भोजन, विवाह आदि नहीं करना चाहिए किन्तु यदि वे चाहे तो उनका प्राथमिक उद्देश्य ही वे दो मास तीन चार या अधिक अध्ययन करने जायें जो तरह ब्रह्महर्ष का व्रत धारण करने के बाद उगनान करके प्रतिदिन तीन बार वर्ष भर स्नान करते हुए वेद का अध्ययन कर सकते हैं। आगे आबस्तम्ब ने लिखा है कि जितने ब्रह्महर्ष अनुष्ठित हो उनमें प्रत्येक के लिए एक-एक वर्ष जोड़ कर उतने वर्ष तक ब्रह्महर्ष व्रत का प्राथमिक उद्देश्य करें। तथा प्रतिदिन प्रजुष्टीव्रत के अतिरिक्त यज्व दूरक आदि सात वर्तमान मन्त्रों द्वारा सामवेदिक तथा अग्नि-गण्ड्य आदि मन्त्रों से अञ्जलि से जल लेकर सिर पर सिञ्चन करें²।

उक्त के अतिरिक्त आबस्तम्ब ने उन व्यक्तियों को जिनकी चार पीढ़ियों में अर्थात् प्रितामह, प्रितामह, प्रिता और स्वयं का उगनान होने का स्मरण नहीं है उन्हें शमशान कहा है इससे यह ध्वनित होता है कि आबस्तम्ब की दृष्टि में ऐसे व्यक्ति मृत हैं। जिस प्रकार शमशान के समीप वेदाध्ययन नहीं किया जा सकता उसी प्रकार ऐसे उक्त मृत लोगों के समीप वेदाध्ययन नहीं किया जाता था। आबस्तम्ब ने ऐसे लोगों के लिए भी

1.

-अध्याय 1/1/1/32-37

2.

-वही 1/1/2/2

प्रागश्चित्त का विधान किया है । प्रागश्चित्त का विधान करने हुए सूत्रकार का कथन है कि यदि ऐसे व्यक्ति पाएँ तो उनका प्रागश्चित्त सम्भव है । प्रागश्चित्त स्वरूप ऐसे व्यक्ति बारह वर्ष या तीन वेदों के अध्ययन प्रथमवारी के तत्त का पान्न करके, उन्नयन करके तन्मान यदि मन्त्रों से स्नान करने के बाद गृहस्थ के नियमों से उत्पिष्ट किसे पा सकते हैं परन्तु उन हे सम्पूर्ण वेद की शिक्षा न दो जाय तत्पश्चात् गृह्यमन्त्रों का अध्ययन समाप्त होने पर उनका उन्नयन प्रथम पितृम के सम्बन्ध में किया गया था, उस प्रकार किया जाय¹ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कथितसांख्यिक, विहित प्रागश्चित्त को करके पुन उन्नयन के योग्य किसी भी अवस्था में हो सकता है ।

अन्य प्रागश्चित्त - आश्वस्तम्ब ने अनार्य आचरण के दोषों, दूसरों पर दोष लगाने वाले, निबिध्द आचरण का अनुसरण करने वाले, निर्जित वस्तु का भक्षण करने वाले, योनि के अतिरिक्त अन्यत्र अस्वाभाविक^१ बीर्ष सुखन करने वाले, दोषयुक्त जान बूझकर अथवा अनजान ही अभिवारिक कर्म करने वाले, स्नान करके तथा अशुद्ध और बरुण के मन्त्रों का पाठ करने पर शुद्ध होते हैं² ।

1. -अ०ध०सू० 1/1/2/5-10

2. -बही 1/9/26/7

उक्त के अतिरिक्त शूद्रा से सम्भोग करने वाले, ब्याज पर धन देने वाले, मादक द्रव्य का दान करने वाले, सबको ब्राह्मण का तरह पन्दना करने वाले के लिए आश्वस्त्य ने प्राणशिवत्त स्वरय घास धर बैठकर अपनी पीठ तथाने का विधान किया है। तथा आश्वस्त्य उर्मयूत्र कहता है कि यदि कोई ब्राह्मण अपनी जाजोतिका के लिए एकरात्रि शूद्र को सेवा करता है तो ब्राह्मण जर्ण का धूस्य प्रति यतुर्थ समय में स्नान कर तीन वर्षों में उस पाप को दूर कर पाता है 2।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

षष्ठ अध्याय
दार्शनिक विचार

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

षष्ठ अध्याय

आपस्तम्ब धर्मसूत्र तथा सभी धर्मसूत्रों का वर्ण्य विषय मूलतः आचार, विचार, विधि, निबेध, नियम आदि का सम्यक् व्याख्यान करना है। धर्मसूत्र नाम से ही सर्वप्रथम धर्म की प्रधानता बोधित होती है। भारतीय मनीषियों ने मानव जीवन की नियोजना के अन्तर्गत पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार तत्वों को स्वीकार किया है। मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है और भौतिक जीवन के लक्ष्य के रूप में काम को स्वीकार किया गया है। अर्थात् पुरुषार्थों की अवधारणा के मूल में भौतिक जीवन के लक्ष्य को काम के स्वरूप में मानते हुए उसके साधन के रूप में अर्थ को स्वीकार किया गया है और मानव जीवन के परम लक्ष्य जिसको अध्यात्म जगत् मोक्ष के रूप में स्वीकार करता है, की प्राप्ति में सहायक मार्ग के रूप में धर्म को मान्यता दी गई है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र का मूल प्रतिपाद्य धर्म है। आपस्तम्ब ने अपने धर्मसूत्र का प्रारम्भ जिस सूत्र से किया है उसमें धर्म को ग्रन्थ का मूल प्रतिषाद्य माना¹ है। ग्रन्थकार के द्वारा अनुमन्य धर्म की परिधि संकीर्ण नहीं है अपितु धर्मशास्त्र के समस्त व्याख्याकारों को अपने धर्म के अन्तर्गत अधिगृहीत करते हुए

उन्हें प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है¹।

आपस्तम्ब ने वर्णाश्रम व्यवस्था को भी बहुत अधिक महत्व दिया है। वर्णाश्रम व्यवस्था को वैदिक दर्शन के अन्तर्गत मूल आधार माना गया है। ग्रन्थकार ने आश्रम व्यवस्था के विश्लेषण के सन्दर्भ में चारों आश्रमों का विस्तृत उल्लेख किया है। आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास के स्वरूप के सन्दर्भ में शोध प्रबन्ध में पर्याप्त उल्लेख किया गया है। आश्रमों के पारस्परिक क्रम के विषय में भी आपस्तम्ब के मत की समीक्षा की गयी है। संन्यास आश्रम का निरूपण करते हुए आपस्तम्ब ने उसी तथ्य का उल्लेख किया है कि व्यक्ति में जगत् के प्रति उदासीनता और आत्मतत्त्व के प्रति जिज्ञासा का प्रावृत्त्य हो उठता है। ग्रन्थकार की यह अवधारणा वेदान्त दर्शन के अनुरूप है। अतः यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि आपस्तम्ब धर्म सूत्र की आध्यात्मिक अवधारणा वेदान्त दर्शन के पर्याप्त निकट है।

ग्रन्थ के अन्तर्गत अनेक स्थलों पर स्वर्ग का उल्लेख आया है। स्वर्ग के उद्धार के रूप में ओंकार का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि ओंकार स्वर्ग का उद्धार है अतः वेद का अध्ययन इस ओंकार शब्द से आरम्भ करना चाहिए²। स्वर्ग की मान्यता सम्बन्धी अवधारणाएं पूर्वमीमांसा दर्शन के अन्तर्गत पर्याप्त दृढ़ता से ग्रहण की गयी है। स्वर्ग कामो यजेत्। अर्थात् स्वर्ग की प्राप्ति की कामना से यज्ञादि करना चाहिए।

ग्रन्थकार को भी स्वर्ग की धारणा अभिप्रेत है अतः वेदान्त दर्शन के साथ ही साथ पूर्वमीमांसा का वह सिध्दान्त भी सूत्रकार को मान्य है जिसके अन्तर्गत यज्ञादि के द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है । स्वर्ग का कथन सूत्रकार ने अनेक स्थलों¹ पर किया है, जिससे इस धारणा को पर्याप्त बल मिलता है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के अन्तर्गत अनुमन्य यज्ञादि कर्मकाण्डों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले स्वर्ग को उसी रूप में स्वीकार किया है ।

आश्वस्तम्ब ने पुनर्जन्म के सिध्दान्त को भी स्वीकार किया है ।

सूत्रकार का कथन है कि पुनर्जन्म के पुण्यफल के शेष होने से कुछ लोग पुनर्जन्म लेने पर अपने वेद के ज्ञान के द्वारा ऋषियों के समान होते हैं² । इसी सन्दर्भ में आश्वस्तम्ब का कथन है कि श्वेतकेतु ने बहुत अल्प अवस्था में चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था क्योंकि पूर्वजन्म के सस्कारों के कारण अगले जन्म में पर्याप्त फल दृष्टिगत होते हैं³ ।

1. आ०ध०सू० 1/2/5/15, 2/2/4/9, 2/3/7/5, 2/8/18/4, 2/9/24/5

2. श्रुतर्षयस्तु भवन्ति केचित्कर्मफलशेषेण पुनस्सम्भवे ॥

-आ०ध०सू० 1/2/5/5

3. यथा श्वेतकेतुः ॥

-वही 1/2/5/6

कहने का तात्पर्य यह कि पुनर्जन्म का सिद्धान्त जो भारतीय दर्शन के मूल तत्त्वों में से एक है उसको भी आपस्तम्ब स्वीकार करते हैं। यदि यह प्रश्न है कि पुनर्जन्म को दर्शन का मूल तत्त्व कैसे कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर भारतीय दर्शन की वह अवधारणा है जिसके अन्तर्गत आत्मतत्त्व ही परम सत्य एवं त्रिकालाबाधित स्वीकार किया गया है जिसमें माया, अविद्या आदि दोषों के कारण दुःख और जन्मजन्मान्तर की परिकल्पना की गई है। ग्रन्थकार ने आपस्तम्ब धर्मसूत्र में ही इन समस्त तथ्यों का निरूपण किया है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में अन्य आध्यात्मिक तथ्यों का निरूपण अध्यात्म पटल के अन्तर्गत किया गया है जिसका मुख्य प्रतिपाद्य बाह्य जगत के विषयों से पराङ्मुख करके नित्य सत्य आत्मतत्त्व में इन्द्रियों या चित्त को लगाना है¹।

आत्मतत्त्व का स्वरूप— आपस्तम्ब ने इस विषय में उपनिषदों को प्रमाण माना है। सूत्रकार का सुस्पष्ट कथन है कि आत्मतत्त्व के विषय में उपनिषदों को अनुमन्य जो भी सिद्धान्त है, वही स्वीकार्य है²। इसी कारण अध्यात्म पटल को बड़े ही सीमित सिद्धान्तों से युक्त किया क्योंकि जब सूत्रकार यह स्पष्टतः स्वीकार कर लेते हैं कि आत्मतत्त्व के विषय में आत्मज्ञान की प्राप्ति के महत्त्व के

1. अध्यात्मिकानु योगाननुतिष्ठेन्न्यायसंहिताननैश्चारिकान।।

—आ०ध०सू० 1/8/22/1

2. तत्राऽऽत्मलाभीयाऽच्छ्लोकानुदाहरिष्यामः।।

—वही 1/8/22/3

विषय में वही सिधदान्त प्रतिपादित किये जायेंगे, जो उपनिषदों को स्वीकार्य है।

अतएव आचार विचार एवं कर्मकाण्ड के इस ग्रन्थ में आत्मतत्त्व का विशेष विवेचन नहीं किया गया है परन्तु किसी को यह सन्देह न उत्पन्न हो कि आपस्तम्ब के अध्यात्म सम्बन्धी कोई विचार ही न थे तथा अध्यात्म जगत् के सिधदान्तों को उन्होंने अंगीकार नहीं किया है इसीलिए उन्होंने अपने ग्रन्थ में अध्यात्म पटल के अन्तर्गत कुछ मुख्य सिधदान्तों का विवेचन करके अपना मन्तव्य स्पष्ट कर दिया है ।

आत्मा के स्वरूप का विवेचन करते हुए सूत्रकार ने उल्लेख किया है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, कमलनाल के बिसतन्तु से भी सूक्ष्म है, सम्पूर्ण विश्व को अपने में समाविष्ट किए हुए स्थित है । पृथ्वी से अधिक चारी है और नित्य है, सत्य है । वह परमात्मा उत्पन्न होने वाले इस संसार के स्वरूप से भिन्न है¹ । इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि आत्मा एव परमात्मा में सूत्रकार को कोई भेद अभिप्रेत नहीं है क्योंकि एक ही अर्थ में दोनों पद प्रयुक्त हैं और यही सिधदान्त उपनिषदों को भी अभिप्रेत है । यदि इस सन्दर्भ में कोई मतभेद होता तो सूत्रकार निश्चय ही यहां उसका स्पष्ट उल्लेख करते । बल्कि विना भिन्नार्थक प्रयोग के एक

1. निपुणोऽणियान् बिसोणायिा यस्सर्वमावृत्य तिष्ठति। वर्षीयांश्च पृथिव्या ध्रुवः सर्वमारभ्य तिष्ठति। स इन्द्रिष्वैर्जगतोऽस्य ज्ञानादन्योऽनन्यस्य यज्ञात्परमेष्ठो विभाजः। तस्मात्कायाः प्रभवन्ति सर्वे स मूलं शाश्वतिकं स नित्यः।।

ही अर्थ में दोनों पदों का प्रयोग हुआ है । यही सिध्दान्त उपनिषदों को भी अभिप्रेत है । शंकराचार्य को भी यही सिध्दान्त अभिप्रेत है, आचार्य शंकर की विवरण नामक व्याख्या अध्यात्म पटल पर उपलब्ध है। जहां सुस्पष्टता कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान के लाभ से बटकर कोई अन्य लाभ नहीं है¹।

इसी सिध्दान्त को आचार्य शङ्कर ने विस्तार से बृहदारण्यक उपनिषद् के अन्तर्गत विचार्य बनाया है जहा जगत् की पुत्रवित्तादि समस्त वस्तुओं को अनित्य एवं मिथ्या घोषित करके आत्मज्ञान को ही सर्वोत्कृष्ट लाभ बताया है² और यह आत्मज्ञान कुछ और नहीं अपितु अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान मात्र है । छान्दोग्य उपनिषद् में भी आत्मतत्त्व के इसी स्वरूप का वर्णन किया गया है । इसके अन्तर्गत नित्य निर्मल, एकरस, अद्वैत आत्मतत्त्व का स्वरूप बताया गया है, जो त्रिकाला वाधित है ।

आपस्तम्ब ने श्वेतकेतु को अपने ग्रन्थ में ग्रहण करके और उनकी मान्यता को स्वीकार करके यह सुस्पष्ट संकेत कर दिया है कि छान्दोग्योपनिषद् में वर्णित अध्यात्म का पूरी तरह से समर्थन करते हैं ।

1. आत्मलाभाद् आत्मनः परस्य स्वस्मप्रतिपत्तेः न परं लाभान्तरं विद्यते ।।

-आ०ध०सू० 1/8/22/2 पर शङ्करभाष्य

2. तदेतत् प्रेयः पुत्राद् ।।

-बृह०उ० 1/4/8

आत्मतत्त्व की व्यापकता - सूत्रकार के मतानुसार आत्मतत्त्व बुद्धि स्त्री गुहा
में शयन करता है¹ ।

सूत्रकार के अनुसार आत्मा सभी प्राणियों में नित्य अर्थात् अनश्वर शाश्वत रूप में विद्यमान है, अमर है, ध्रुव अर्थात् विकाररहित है, ज्ञानस्वरूप है, अंगहीन तथा शब्द और स्पर्श गुण से परे है। सूक्ष्म शरीर से भी वर्णित है। अत्यन्त शुद्ध है वही सम्पूर्ण विश्व है, परम लक्ष्य है । शरीर के भीतर उसी प्रकार से अवस्थित है जिस प्रकार सत्र यज्ञ में विषुवत नाम का दिन मध्य में होता है। आत्मा उसी प्रकार सभी लोगों द्वारा प्राप्य है जैसे अनेक मार्गों से युक्त नगर में सभी लोग आते हैं² ।

इस प्रकार सूत्रकार ने आत्मतत्त्व की नित्यता एवं पवित्रता को व्याख्यायित किया तथा उसकी सर्व व्यापकता पर विशेष बल दिया है। बृहदारण्यक उपनिषद्³ का भी कथन है "इदं सर्वं यदयमात्मे"।

आत्मतत्त्व के लक्षण - आत्मतत्त्व के लक्षण पर प्रकाश डालते हुए सूत्रकार ने उपनिषदों में वर्णित आत्मा के लक्षण को उसी रूप में ग्रहणा कर लिया है। ब्रह्मसूत्र में भी आत्मतत्त्व के उन्ही लक्षणों का कथन है जिसे सूत्रकार स्वीकार करते हैं ।

1. कविरेतदनुतिष्ठेद्गुदाशयम्॥

-आ०ध०सू० 1/8/22/5

2. सर्वभूतेषु यो नित्यो विपश्चिदमृतो ध्रुवः। अनह. गोऽशब्दोऽशरीरोऽस्पर्शश्च-
महाच्छुचिः॥

-वही 1/8/22/7

3. वृ०उ० 4/5/7

सूत्रकार का कथन है कि आत्मा सृष्टि का मूल कारण है नित्य है विकार रहित है और उसी परमात्मा से ही शरीर उत्पन्न होते हैं¹।

इसी लक्षण को उषनिषदों में आत्मा के तटस्थ लक्षण के रूप में अनेकधा उद्धृत किया गया है²।

अतः इस सन्दर्भ में इस तथ्य का स्पष्टतः उल्लेख किया जा सकता है कि उषनिषदों में अनुमन्य आत्मतत्त्व या ब्रह्मतत्त्व के जिन दो लक्षणों का उल्लेख मिलता है उन्हीं का अक्षरशः समर्थन सूत्रकार भी करते हैं। ये दोनों लक्षण स्वरूप लक्षण एवं तटस्थ लक्षण के रूप में कहे गये हैं। सूत्रकार के द्वारा उद्धृत आत्मतत्त्व का स्वरूप लक्षण हम उसे मानते हैं, जिन सूत्रों में आत्मा को ज्ञानरूप, नित्य, अमर इत्यादि शब्दों से बोधित किया गया है और तटस्थ लक्षण उषर्युक्त कथन के द्वारा लिखे जा चुके हैं जिसमें आत्मतत्त्व से ही समग्र शरीरों की उत्पत्ति का कथन हुआ है।

1. आ०ध०सू० 1/8/23/2

2. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ॥

आत्मतत्त्व के ज्ञान का महत्त्व - सूत्रकार ने आत्मा के ज्ञान के महत्त्व का मुक्तकण्ठ से गुणागान किया है। आपस्तम्ब का मत है कि जो व्यक्ति शरीर में विद्यमान और चल प्राण में अविस्थित उस अचल आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वह अमर हो जाता है¹। अन्यत्र आत्मज्ञान के महत्त्व का उल्लेख करते हुए सूत्रकार का कथन है कि जो व्यक्ति आत्मा का सतत् चिन्तन करता है, सर्वत्र और सभी अवस्थाओं में उसके अनुकूल आचरण करता है तथा संशयरहित होकर सूक्ष्मातिसूक्ष्म आत्मा का दर्शन करता है, वह परलोक में समस्त दुःखों से मुक्त होकर निरन्तर सुख का अनुभव करता है²।

स्वर्ग एवं मोक्ष की अवधारणा - इसी सन्दर्भ में सूत्रकार का कथन है कि जो सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में तथा आत्मा का दर्शन समग्र सृष्टि में करता है व ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मविद् स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित और देदीप्यमान होता है³।

1. पू प्राणिान् सर्व एव गुहाशयस्या हन्यमानस्य विकल्मषस्या चल चलनिकेत्तं ये नृतिष्ठन्ति ते मृता ॥

- अ००ध०सू० 1/8/22/4

2. तं यो नृतिष्ठेत्सर्वत्र प्राध्व वा स्य सदा वरेत्। दुर्दर्शं निपुणं युक्तो य पश्येत्स मोदेत विष्टपे ॥

- वही 1/8/22/8

3. आत्मन् पश्यन् सर्वभूतानि न मुह्येच्चित्तयन्कविः। आत्मानं चैव सर्वत्र य पश्यत्स वै ब्रह्मा वाकृपठे विराजाति ॥

- वही 1/8/23/1

सूत्रकार के उक्त कथन से यह शंका उठनी स्वाभाविक है कि क्या आत्मा का दर्शन करने से जिस अमरता का उल्लेख पूर्व में सूत्रकार ने किया है और सर्वत्र आत्मदर्शन करने से ब्रह्मविद स्वर्ग लोक में देदीप्यमान होता है, इस प्रकृत कथन से अमरता और स्वर्गलोक की अवधारणा के विषय में सूत्रकार को क्या कोई भेद अभिप्रेत है १

समीक्षा .-

इस सन्दर्भ में यही मानना उचित होगा कि जब सूत्रकार ने आत्मा के विषय में उन्हीं समग्र मान्यताओं को स्वीकार किया है जो उपनिषदों में वर्णित हैं तो स्वर्गलोक का उल्लेख और अमरता की स्थिति के उल्लेख में किसी भी तरह का द्वैत अथवा इन दोनों पदों द्वारा उल्लिखित अवस्था के विषय में सशय करना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सूत्रकार इस तथ्य से भलीभाँति अवबुधद हैं कि स्वर्ग लोक की स्थिति का जो कथन श्रुतियों में पर्याप्त रूप से पाया जाता है, वह पुण्यकर्म जन्म है और पुण्यकर्म के प्रभाव पर्यन्त ही स्वर्गलोक की कल्पना की जा सकती है । इसमें यह हेतु है कि जब स्वर्ग पुण्यकर्मों के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाली स्थिति है चाहे वे पुण्यकर्म स्वर्ग की कामना से किये गये यज्ञों से उत्पन्न हुए हों अथवा तप दण्डनादि कर्मों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुये हों तो जब तक इनके प्रभाव की सत्ता रहेगी तभी तक स्वर्ग लोक की भी स्थिति सम्भव है, क्योंकि यह कार्यकारण अथवा जन्यजनकत्व की परम्परा लोक में भी देखने को मिलती है ।

गीता में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुण्यकर्मों के क्षीण होने पर जीव स्वर्गलोक से पुनः मृत्युलोक में प्रविष्ट हो जाता है⁽¹⁾। समस्त उषनिषदों में अमरता की स्थिति को आत्मस्वरूप का बोध कहा गया है। इसे ही अपवर्ग, अमृतत्व तथा मोक्ष कहा गया है और इस स्थिति की परिकल्पना नित्य, आत्मतत्त्व के ज्ञान के परिणामस्वरूप की गयी है।

अतः अमरता में नित्य आत्मतत्त्व का ज्ञान हेतु है फलस्वरूप अमरता त्रिकाला वाधित एवं नित्य अवस्था का वाचक है और स्वर्गलोक अनित्य-कर्म जन्य है। दोनों में भेद स्पष्ट है।

परन्तु सूत्रकार के वद्वारा किये गये वर्णन में स्वर्गलोक के सुख का कथन तथा अमरता की स्थिति का कथन एक ही अर्थ में हुआ है और वह अर्थ मोक्ष या मुक्ति है। इस अवस्था को भारतीय दर्शन के अन्तर्गत अनेक षदों से अभिहित किया गया है- सङ्ख्य योग एवं जैन दार्शनिक सम्प्रदाय में इसको कैवल्य कहा गया है।

वैशेषिक में इस अवस्था को अबवर्ग के नाम से समझा जाता है ।

वेदान्त में इस अवस्था को मोक्ष या मुक्ति के रम में अनेकशः कहा गया है । बौद्ध दर्शन इस अवस्था को निर्वाण के नाम से अभिहित किया है । संक्षेप में ये समस्त पद चाहे जिस सम्प्रदाय के द्वारा अधिगृहीत किये गये हैं अन्ततः इन सभी पदों का मन्तव्य एक ऐसी अवस्था से है, जिसको प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति या साधक पुनः इस जागतिक दुःख से रहित हो जाता है । इसी स्थिति को सूत्रकार स्वीकार करते हैं और अपने ग्रन्थ में इसी का उल्लेख करते हैं । अतः यहाँ स्वर्गलोक या अमृतत्व की स्थिति में भ्रम करना कथमपि न्यायसंगत नहीं है । प्रमाण के रम में सूत्रकार के इस कथन को उद्धृत किया जा सकता है— जहाँ वह कहते हैं कि प्राणियों को जलाने वाले अर्थात्— समस्त प्राणियों को दुःखी करने वाले काम क्रौधादि दोषों को नष्ट करके शण्डित अर्थात् ब्रह्मविद् क्षेम को प्राप्त करता है², यहाँ स्पष्ट है कि क्षेम आत्मबोध के द्वारा प्राप्य नित्य अवस्था है । हरदत्त ने क्षेम शब्द का सुस्पष्ट अर्थ मोक्ष किया है³ जो समस्त दुःखमय रहित अवस्था है।

1. आत्मन् षश्यन् सर्वभूतानि न मुह्येच्चिन्तयन्कवि । आत्मानं चैव सर्वत्र य षश्यत्स वै ब्रह्मा नाकृष्टे विराजति ॥

—आ०ध०सू० 1/8/23/1

2. दोषाणां तु निर्घातो योगमूल इह जीविते । निर्द्वैत्य भूतदाहीयान् क्षेम गच्छति ॥

—वही 1/8/23/3

3. क्षेमं अमयं मोक्षम् अमयं वै जनकं प्राप्तो सीति बृहदुदण्यकम् ॥

सूत्र 1/8/23/3 पर हरदत्त की टिप्पणी

मोक्ष का स्वरूप:- मोक्ष के स्वरूप का उल्लेख करते हुए सूत्रकार ने अपना यह अभिमत व्यक्त किया है कि जो व्यक्ति निरन्तर आत्मा का चिन्तन करता है सदैव सभी अवस्थाओं में आत्ममय विचार रखता है और तर्क वितर्कों के द्वारा सुनिश्चित रूप से, आत्मतत्त्व के स्वरूप के विषय में निर्भ्रान्त होकर अर्थात् आत्मतत्त्व के स्वरूप के विषय में उसे किसी भी तरह की शंका नहीं उठती, उसकी सभी जिज्ञासायें समाप्त हो जाती हैं या आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में उठने वाले सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता है। ऐसी सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करके साधक ब्रह्मलोक में सभी दुःखों से मुक्त होकर निरन्तर सुख का अनुभव करता है¹। श्रुतियों से उद्धृत इस कारिका में सूत्रकार का मोक्ष के विषय में यही सुस्पष्ट मत प्राप्त होता है।

आचार्य शङ्कर ने अपने भाष्य में इस कथन को और भी सुस्पष्ट करते हुए उक्त कारिका की प्रतिषद व्याख्या की है जिसके अन्तर्गत उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है कि अविद्या के कारण जीववध होता है, अतः संसार को ही सब कुछ मानकर उसमें आचरण करता है और आत्मतत्त्व के यथार्थ ज्ञान या अनुभव से अभिज्ञ रहता है किन्तु आत्मतत्त्व के विषय में जिज्ञासा होने पर चिन्तन

करते- करते इस सूक्ष्मातिसूक्ष्म आत्मतत्त्व का दर्शन करने में सक्षम हो जाता है ।

अन्ततः अध्यात्म शास्त्र के सतत्चिन्तन से समग्र उठने वाले सभी तर्कों का समाधान करके में ही आत्मतत्त्व हूँ ऐसा अनुभव करके आनन्दित होता है और यह आनन्द सार्वकालिक होता है ।

मोक्ष की स्थिति का वर्णन करते हुए सूत्रकार का यही मत है कि आत्मतत्त्व का ज्ञान ही मोक्ष है, यह आत्मतत्त्व का ज्ञान किस स्वरूप का है इस विषय में स्पष्ट करते हुए सूत्रकार का मत है कि निरन्तर आत्मतत्त्व का चिन्तन करता हुआ विद्वान् अर्थात् आत्मज्ञानी आत्मतत्त्व में समग्र ब्राह्मण को देखता हुआ कभी मोहित नहीं होता अर्थात् उसे आत्मज्ञान हो जाने पर पुनः कभी किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं होता । कहने का तात्पर्य यह है कि सदैव आत्मानुभव होना ही अथवा जीव और आत्मतत्त्व का एकाकार हो जाना ही मोक्ष का स्वरूप है । इसका भाष्य करते हुए शं.कराचार्य ने इसी कथन को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि आत्मा में एकत्व दर्शन हो जाने पर पुनः अज्ञान उत्पन्न नहीं होता² श्रुतियों को उद्धृत करते हुए इस तथ्य की और भी पुष्टि की है³ । वृहदारण्यक उषनिषद् में भी मोक्ष के स्वरूप का कथन करते हुए, अविद्या

1. अहमात्मेति, समोदेत एवं दृष्ट्वा हर्षमानन्द लक्षणं प्राप्नुयात् ।।

-आ०ध०सू० 1/8/22/8 पर शा.करभा.

2. न ह्यात्मैकत्वदर्शिनो मोहावतारः ।।

-वही 1/8/23/1 पर शा.करभा.

विनाश को ही मोक्ष कहा है एवं जिस अवस्था को प्राप्त होकर पुनः इस जन्म और मृत्यु के बन्धन से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूत्रकार ने उपनिषदों में वर्णित मोक्ष के स्वरूप को ही अंगीकार किया है । इस सन्दर्भ में सूत्रकार ने अपना कोई नया विचार प्रस्तुत नहीं किया है, न ही उसके स्वरूप में किसी तरह की विप्रतिपत्ति नहीं की । शङ्कर भाष्य के अनुशीलन से इस मत ही हम और भी पुष्टि कर सकते हैं कि यदि सूत्रकार को आत्मा के स्वरूप में अथवा मोक्ष के स्वरूप में कुछ अन्य अभिप्रेत होता तो शङ्कराचार्य की तीक्ष्ण तर्क शक्ति द्वारा अवश्य ही विदीर्ण किया गया होता किन्तु उपनिषद् भाष्यों की ही भाँति अद्वैतमत की प्रतिष्ठापना करते हुए आचार्य ने सूत्रकार के अभिमत को भलीभाँति व्याख्यात किया है ।

मोक्ष प्राप्ति के उपाय :- आत्मतत्त्व के ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति के लिए सूत्रकार ने आध्यात्मिक योग का उल्लेख किया है । अध्यात्म षट्पल को प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम सूत्रकार ने इसी आध्यात्मिक योग का उपदेश किया है, जिसके द्वारा मुमुक्षु इन्द्रियों की विषयों के प्रति आसक्ति अथवा विषयों के प्रति इन्द्रियों की उन्मुखता को परावर्तित करके आत्मतत्त्व में एकनिष्ठ करता है । इस उल्लेख में

आध्यात्मिक योग का क्या स्वस्म होना चाहिए १ उसके अनुपालन की पध्दति क्या है १ कौन- कौन से इसके अंग है १ क्या षातञ्जलि योग आपस्तम्ब के आध्यात्मिक योग से अभिन्न है अथवा भगवान कृष्ण द्वारा उषदिष्ट गीता का योग है या गीता में कहे गये योग के विभिन्न स्वस्मों कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग में से कोई एक है १ इस तरह के अनेक प्रश्न उठाये जा सकते हैं । सूत्रकार का सूत्र शैली में वर्णन उक्त आशंकाओं का उत्प्रेरक है ।

आध्यात्मिक योग के सन्दर्भ में उक्त जितनी भी शंकायें हैं उनका उत्तर शङ्कराचार्य के मत के आधार पर दिया जा सकता है- शङ्कर के अनुसार वाह्य जगत से इन्द्रियों को पराह.मुख करके तथा क्रोध, मोह इत्यादि दोषों से रहित होकर अर्थात् चित्त के वाह्य निमित्तों के प्रति अनपेक्ष हो जाना एवं आत्मतत्त्व के विषय में सर्वथा शंकारहित होना ही आध्यात्मिक योग है ।

अतः शङ्कराचार्य को ही इस विषय में प्रमाण मानना चाहिए। षातञ्जलि योग के विषय में उठायी गयी शङ्का का निराकरण तो कालक्रम के आधार पर ही हो जाता है क्योंकि सूत्रकार आपस्तम्ब, षातञ्जलि से पर्याप्त पूर्ववर्ती है । अतः यह मान लेना कि सूत्रकार का प्रभाव षातञ्जलि पर भले ही पड गया हो, षातञ्जलि योगशास्त्र का प्रभाव उक्त आध्यात्मिक योग पर पडने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

इस प्रकार आध्यात्मिक योग के स्वप्न के विषय में सूत्रकार का यह कथन कि चित्त की वाह्य विषयों के प्रति होने वाली प्रवृत्ति को शून्य करके आत्मा के प्रति सतत् चिन्तन ही आध्यात्मिक योग है , तर्कसंगत एवं समीचीन है। अब यहां प्रश्न उठता है कि चित्त को वाह्य विषयों से किस प्रकार पराङ्मुख किया जाय । इसके उपाय के स्वप्न में सूत्रकार का कथन है कि क्रोधहीनता, हर्ष का अभाव, रोष न करना, लोभ का न होना, मोह का अभाव, दम्भ रहित होना, द्रोह न करना, सत्यसम्भाषण, आहार विहार में समय, प्राणि मात्र के प्रति प्रेत, आत्म-चिन्तन के प्रति मन को समाहित करना, विश्वआत्मा प्राप्ति में सहायक है । क्योंकि इन समग्र दोषों में प्रवृत्त होकर जीव निरन्तर सासारिक कर्मों में विवेकरहित होकर प्रवृत्त होता रहता है । अनेक उक्ति अनुचित कामनाओं को करके उसकी प्राप्ति हेतु विवेकरहित आचरणकर्त्ता है । फलतः कामनाओं की प्राप्ति में हर्षातिरेक अप्राप्ति में दुःखातिरेक जन्म सभी प्रवृत्तियां होती रहती हैं ।

परिणामस्वरूप जीव इसी अज्ञान में सतत् निरत रहते हुए जन्म और मृत्यु के महादुःख में भटकता रहता है ।

इस प्रकार आध्यात्मिक योग के स्वप्न पर विचार करते हुए और उसकी प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं का उल्लेख करते हुए सूत्रकार ने

जो अपना अभिमत व्यक्त किया है। उससे यही सुस्पष्ट है कि वेदान्त के अन्तर्गत आत्मतत्त्व के चिन्तन एवं आत्मदर्शन के प्रति हो उपदेश हुआ है उसी स्वरूप को इन्होंने भी स्वीकार कर लिया। उपनिषदों में भी आत्मतत्त्व की प्राप्ति के लिए श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन का उल्लेख आया है¹।

इसी सन्दर्भ में उक्त इन्द्रिय सम्बन्धी दोषों को नष्ट करने का भी कथन किया गया है।

आध्यात्मिक योग के साधन - आध्यात्मिक योग के प्राप्ति के लिए किये जाने वाले कर्मों का पर्याप्त उल्लेख सूत्रकार ने सन्यासी के लिए उपदिष्ट कर्तव्यों के अन्तर्गत किया है। जिसका उल्लेख मैंने शोध प्रबन्ध के अन्तर्गत उसी प्रकरण में विस्तार से किया है।

आध्यात्मिक योग का मुख्य लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है क्योंकि ज्ञान से ही मानव जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है²।

1. आत्मावाअरे द्रष्टव्यः श्रोतव्य. मन्तव्यो निदिध्याशितव्यश्चेति।।

-वृ०उ० 2/4/5

2. बुध्दे क्षमप्रापणाम्।।

-आ०ध०सू० 2/9/21/14

अतएव अब यहां प्रश्न उठता है कि किन कर्तव्यों के द्वारा उक्त ज्ञान की प्राप्ति होगी इस सम्बन्ध में सूत्रकार का कथन है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए- सत्य और असत्य का, सुख और दुःख का, वेदों का तथा लोक और परलोक का परित्याग करके व्यक्ति परमात्मा का ही चिन्तन करे¹।

ज्ञान प्राप्ति के लिए सूत्रकार ने शम दम इत्यादि का उल्लेख किया है। इन्द्रियों को वश में करके क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि सभी दोषों का परित्याग करके जितेन्द्रिय होकर परम साधक के रूप में सन्यासी होकर आत्म चिन्तन करना चाहिए। आत्म तत्व का श्रवण, मनन, निदिध्यासन करते-करते अन्ततः आत्मतत्त्व के वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है।

कहने का तात्पर्य यह कि शम दम यक नियमादि के द्वारा साधक गीता में कहे हुए स्थितप्रज्ञ की अवस्थाबाला होकर सदैव आत्म चिन्तन करता है तो ज्ञान की वह पराकाष्ठा उसे प्राप्त हो जाती है जिसमें पहुँच कर पुनः अज्ञान की मायाजाल में नहीं फँसता है। फलतः आत्मतत्त्व का अपरोक्ष अनुभव

1. सत्यानृते सुखदुःखे वेदानिमं लोकममु च परित्यज्या त्मानमन्विच्छेत्॥

हो उठता है । शंकराचार्य ने अपने विचारों में मोक्ष के जिन साधनों को स्वीकार किये हैं उनका मूल सूत्रकार के ग्रन्थ में उपलब्ध है । यह मूल और विशेष कोई सिद्धान्त नहीं है अपितु उपनिषदों में वर्णित सिद्धान्तों पर आधारित ही है ।

अतः एवं संक्षेप में दार्शनिक चिन्तन के इस अध्याय के अन्तर्गत सूत्रकार ने जिन विचारों को प्रस्तुत किया है उसका निष्कर्ष हम यही मानते हैं कि दार्शनिक विचार पूर्णतया उपनिषदों से प्रमाणित हैं । सूत्रकार का अपना पृथक कोई सिद्धान्त विकसित होकर प्रकाश में नहीं आ सका है । दूसरे शब्दों में ग्रन्थ के अन्तर्गत उपनिषदों से भिन्न कोई अन्य मान्यता का उल्लेख नहीं हुआ है ।

XX

सप्तम अध्याय

राजनीतिक एवं आर्थिक विचार

XX

अति प्राचीन काल से ही धर्मशास्त्र के अन्तर्गत राजधर्म की चर्चा होती रही है क्योंकि संस्कृत साहित्य में धर्म शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में नहीं किया गया है। धर्म शब्द "धृ" धातु से निर्मित है। धृ धातु का अर्थ धारणा करना है। अतएव किसी भी वस्तु की धारणा करने की शक्ति को धर्म कहा जायेगा। धारणा शक्ति का अभिप्राय वस्तु के उस गुण से है जो वस्तु को अपने स्वरूप में स्थिर रखती है, जिसके न रहने पर वस्तु अपने स्वरूप से च्युत हो जाती है। यह ज्ञातव्य है कि मनुष्य बनाये रखने वाले गुण मानव धर्म कहे जायेंगे, तथा मनुष्यों में जो व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के उत्तरदायित्व से युक्त होगा उसका सामान्य धर्म भी उस साधारण से भिन्न होगा। धर्मसूत्र राजा और राज्य को उसके इसी धर्म के स्वरूप में चित्रित करती हैं तथा उसके इसी धर्म को निरूपित करने के लिये इन धर्मसूत्रों में राजधर्म शब्द का प्रयोग किया है। राजा तथा उसके धर्म से सम्बन्धित नियमों को राजधर्म की संज्ञा प्रदत्त करके वर्णित करने का यही एक मात्र अभिप्राय है। इसलिये धर्मसूत्र धर्मप्रधान होते हुए भी राज धर्म के सिद्धान्तों का विस्तार के साथ उल्लेख करते हैं। परन्तु भिन्न-भिन्न दृष्टि-निष्पेक्ष के अंतर के कारण इन धर्मसूत्रों में किसी में अधिक विस्तार तथा किसी में संकेत मात्र ही मिलता है। जहाँ तक आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र का प्रश्न है, उसमें राजधर्म विषयक बातों का उल्लेख संक्षिप्त ढंग से किया गया है।

धर्मग्रन्थ मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति बतलाते हैं । इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ तथा काम ये तीन साधन माने गये हैं । इन तीनों का अपना अलग महत्व होते हुए भी अन्योन्याश्रित स्वरूप है तथा मनुष्य के अन्य आनुषंगिक प्रयत्न चाहे वे इन तीनों में से किसी एक साधन के उपर आधारित हों अथवा इन तीनों पर ही आधारित हों उसके अंतिम लक्ष्य की *विधि* में सहायक कहे जा सकते हैं । मनुष्यों के इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम राज्य है । अतः राज्य भी चतुर्वर्ग *मोक्ष* की प्राप्ति के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण साधन है । इस महत्व को दृष्टि में रख कर ही धर्मसूत्रों ने उसके विभिन्न अंगों के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला है ।

राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्त्व *१।१* स्वामी *१.२* शासन व्यवस्था *१.३* निश्चित भूमि एवं जनसंख्या माने गये । आशस्तम्ब को भी ये चारों तत्त्व विदित थे ।

राजा :- सूत्र युग में राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का ही षटा चलता है ।

1. *बेमकूद्राजा यस्य विषये ग्रामे रण्ये वा तस्करभयं न विद्यते ।।*

-आ०ध०सू० 2/10/25/15

गुस्तमात्प्राञ्च नातिजीवेत् ।।

-वही 2/10/25/10

राजा वंश परम्परानुसार होता था और राजपद वशानुगत था । सम्भवतः, राजा के किसी प्रकार के निर्वाचन से सूत्र लेखक अनभिज्ञ थे । आपस्तम्ब धर्मसूत्र भी इस सम्बन्ध में मौन है । उसमें केवल राजा के गुण, कर्तव्य और शक्ति के बारे में ही बात चलता है ।

ऋग्वेद में राजा को देव माना गया है¹। यजुर्वेद में राजा को दिवसूनुः कहा गया है तथा साथ ही इसमें अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनके द्वारा राजा [राज्य] की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त की स्थापना की गई है²। इसी प्रकार का उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों में भी प्राप्त होता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार इन्द्र प्रजापति के द्वारा ही देवताओं के अधिपति बनाये गये³। मनुस्मृति, महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी राजा की दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत के प्राचीन साहित्य में राजा के दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था।

1. ऋ0 4/1/2

2. यजु0 21/9, 28/10, 30/10, 24/10

3. ते0ब्रा0 10/2

जहाँ तक आपस्तम्ब धर्मसूत्र का प्रश्न है वह राजा की देवी उत्पत्ति के सम्बन्ध में मूक है किन्तु आपस्तम्ब का यह कहना कि देवताओं तथा राजा के विषय में कोई निन्दापरक वचन न कहे¹ से यह स्पष्ट होता है कि आपस्तम्ब राजा के देवी स्वस्म और दैवतुल्यता को स्वीकार करते हैं। यही बात दूसरे ऋषि से गौतम §11/32§ एवं मनु 7/4-5, मत्स्य 0 226/9-12 में भी कही गयी है।

सामान्य रूप से प्राचीन भारत का राजतन्त्र वशानुक्रम पर आधारित था तथा ज्येष्ठ पुत्र को ही गद्दी मिलती थी। शतपथ ब्राह्मण §12/9/3/1 एवं 3§ ने दस षीटियों तक चले आते हुए राजत्व का उल्लेख किया है। ऋग्वेद §1/5/6, 3/50/3§ ने इन्द्र के ज्येष्ठ्य षद की ओर संकेत किया है। आपस्तम्ब ने ज्येष्ठ पुत्र के महत्त्व का उल्लेख अनेक स्थलों पर किया है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना असंगत नहीं होगा कि आपस्तम्ब भी ज्येष्ठ पुत्र के राज्यारोहण के पक्षधर थे।

1. षरुषं चोभयोर्देवतानां राज्श्व ॥

प्राचीन भारत के राजनीतिक ग्रन्थों में राजा के गुणों तथा उनमें अपेक्षित योग्यता का विशेष प्रश्न दिया गया है। ब्राह्मण ग्रन्थों में इस विषय में बर्णित सामग्री उबलकैद्य होती है। महाभारत में भी अनेक स्थलों पर राजा के अभीष्ट गुणों का उल्लेख मिलता है। शान्तिपूर्वक §70§ ने राजा के 36 गुणों की सूचना दी है यथा- उसे बरुष वचन नहीं बोलना चाहिए, उसे धर्मनिष्ठ होना चाहिए, दुष्टता से दूर होना चाहिए, हठी न हो, प्रिय वचन बोले आदि, कामन्दक §1/21-22§, मानसोल्लास §2/1/2-7§, अग्निपुराण §239/2-5§ ने भी गुणों का वर्णन किया है। जहां तक आषस्तम्ब का प्रश्न है वे इस सम्बन्ध में मौन हैं।

सभी ग्रन्थकारों ने स्वीकार किया है कि राजा का प्रधान कर्तव्य है ब्रजा रक्षण। गौतम¹ का कहना है कि राजा का विशिष्ट उत्तरदायित्व है सबको सुरक्षा प्रदान करना, वर्णाश्रम को सुरक्षित रखना, उचित दंड प्रदान करना। आषस्तम्ब धर्मसूत्र² ने भी राजा को ब्रजा रक्षार्थ युद्ध करने के

1. गो०ध०सू० 10/7-8, 11/9-10

2. ब्राह्मणस्वान्यवर्जिषगीमाणो राजा यो हन्यते तमाहुरात्मयूषो यज्ञोऽनन्तदीक्षणा इति। एतेनाऽन्ये शूरा व्याख्याताः प्रयोजने युध्यमाना-स्तनुत्यजः।।

लिये प्रेरित किया है एवं आपस्तम्ब ने अपेक्षा की है कि उक्त कर्त्तव्य के अतिरिक्त राजा को चाहिए कि वह अतिथियों विशेषकर वेदज्ञाताओं की सेवा शुश्रूषा करे¹। अत्यधिक भोग विलास का जीवन व्यतीत न करे² तथा प्रजा की सेवा में तत्पर रहे एवं प्रजा की अभाव के कारण भूख, शीत, ताप आदि से रक्षा करे अर्थात् प्रजा की उन्नति एवं कल्याण में विशेष ध्यान दे³।

उक्त के अतिरिक्त सूत्रकार ने राजा से अपेक्षा की है कि वह प्रजा को चोरों के भय से मुक्त करे⁴।

1. तेषां यथागुणमावसगाः शय्या न्नवानं च विदेयम् ॥

-आ०ध०सू० 2/10/25/9

2. गुस्तमात्यांश्च नातिजीवेत् ॥

- वही 2/10/25/10

3. न चास्य विषये बुधा रोगेण हिमातषाभ्यां वा वसीदेदभावा-
दबुध्दपूर्व वा कश्चित् ॥

- वही 2/10/25/11

4. क्षेमकृद् राजा यस्य विषये ग्रामेऽरण्ये वा तस्करभयं न विद्यते ॥

- वही 2/10/25/15

ग्रामेषु नगरेषु चाऽऽर्याञ्छुचीन् सत्यशीलान् प्रजागुप्तये निदध्यात् ॥

-वही 2/10/26/4

अतएव आपस्तम्ब व्दारा वर्णित कर्त्तव्यो के आधार पर कहा जा सकता है कि राजा को वेद का अध्ययन करने वाला, वृध्दसेवी, योग्य मन्त्रियों की नियुक्ति करने वाला, उचित दंड प्रदान करने वाला होना चाहिए¹। इतना ही नहीं आपस्तम्ब ने नैतिक नियमों की रक्षा तथा धर्म का उल्लंघन करने वालों को दण्ड देना राजा का परम कर्त्तव्य माना है। आपस्तम्ब के अनुसार राजा ऐसे पुरुष को दण्ड दे जो युवती स्त्रियों पर दुर्भावनापूर्ण दृष्टि डालता है एवं राजा को अधिकार दिया है कि वह व्यभिचार में प्रवृत्त होने वाले पुरुष की प्रजननेन्द्रिय को कटवा दे²।

इसके अतिरिक्त आपस्तम्ब ने व्यभिचारी व्दारा दूषित की गयी कन्या का भरण पोषाण भी राजा का कर्त्तव्य माना है³।

1. आ०ध०सू० 2/10/26/4, 2/5/10/7, 2/5/10/3

2. सन्निषाते वृत्ते शिशुनच्छेदं सवृषणस्य ॥

-आ०ध०सू० 2/10/26/20

3. आ०ध०सू० 2/10/26/24

आवस्तम्ब ने ऐसे राजा को कल्याणकारी माना है जिस राजा के राज्य में ग्राम में अथवा वन में चोरों का भय नहीं होता ¹।

अमात्य :- राज्य के सात अंगों में दूसरा अमात्य है । आवस्तम्ब धर्मसूत्र² में अमात्य शब्द मन्त्री के अर्थ में प्रयुक्त हुआ । धर्मसूत्र का कथन है कि राजा को अपने गुरुओं एवं अमात्यों से बट कर सुखपूर्वक नही जीना या रहना चाहिए³ । अमात्य शब्द ऋग्वेद⁴ में भी आया है किन्तु वहा यह विशेषण है जिसका अर्थ है "स्वयं हमारा" या "हमारे घर में रहने वाला" बोधायन धर्मसूत्र १.12/7 में अमात्य शब्द घर में पुरुष सम्बन्धियों के पास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है परन्तु

1. आ०ध०सू० 2/10/25/15

2. "अमात्या मन्त्रिणाः" आ०ध०सू० 2/10/25/10 पर हरदत्त की टिप्पणी

3. गुरुमात्यश्च नातिजीवेत् ।।

-वही 2/10/25/10

4. ऋ० 7/15/3

आषस्तम्ब ने जो अमात्य शब्द मन्त्री के अर्थ में प्रयुक्त किया है वह वस्तुतः लोक प्रचलित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । अमरकोष §2§ में आया है कि अमात्य जो धी सचिव है मन्त्री कहलाता है । रामायण §1/7/3§ में भी सुमन्त्र को अमात्य एवं सर्वश्रेष्ठ मन्त्री कहा गया है ।

आषस्तम्ब ने अमात्य का नामोल्लेख के अतिरिक्त उसके अधिकार एवं कर्तव्य के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख नहीं किया है ।

पुरोहित:- आषस्तम्ब. धर्मसूत्र में पुरोहित के गुणों की तालिका उषस्थित की गयी है । पुरोहित का षड ऋग्वेद काल से अस्तित्व में था । वह राजा के आत्मा का अर्ध भाग समझा जाता था । महाभारत शांतिपर्व §74§ का वर्णन पुरोहित की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि जो राजा पुरोहित विहीन होता है वह अणुवित्र के समान है । इसलिए राजा को चाहिए कि धर्म को अच्छी तरह समझने वाले विद्वान् को नियुक्त करें । यदि वह अपनी उन्नति चाहता है, तो ऐसे निस्वार्थी और विद्वान् ब्राह्मण को जो भी भूमि वह विजय में प्राप्त करता है, उसे सौंप दे । अकेले राजा के लिये यह सम्भव नहीं कि वह अपनी शक्ति का धर्मानुकूल प्रयोग कर सके राजशक्ति के निरपेक्ष भाव से प्रयुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि कोई निरपेक्ष व्यक्ति राजशक्ति

का मार्ग प्रदर्शन करें, इसीलिए निरपेक्ष पुरोहित राजा के प्रमुख सलाहकारों में आता है ।

आश्वस्तम्ब ने पुरोहित को धर्म एवं अर्थ में पारंगत होना आवश्यक माना है¹ । कामन्दक² के अनुसार पुरोहित को वेदों, इतिहास, धर्मशास्त्र का दण्डनीति, ज्योतिष एवं भविष्यवाणी शास्त्र तथा अथर्ववेद में पाये जाने वाले शान्तिक संस्कारों में पारंगत होना चाहिए, उच्चकुल का होना चाहिए, शास्त्रों में वर्णित विधाओं एवं शुभ कर्मों में प्रवीण एवं तपः पूत हो ।

आश्वस्तम्ब³ ने पुरोहित को नियम का अतिक्रमण करने वाले ब्राह्मणों के लिये प्रायश्चित्त व्यवस्था देने का अधिकार दिया है ।

सभा-समिति:- आश्वस्तम्ब के समय तक पूर्वप्रथित दो प्रकार की राज्य संस्थाये विद्यमान थीं- सभा और समिति⁴ इनको नरिष्ठा भी कहा जाता था। प्रतीत होता है कि सभा तो राजसभा या संसद के तुल्य थी और समिति और सदस्यों

1. राजा पुरोहितं धर्मार्थकुशलम् ॥

-आ०ध०सू० 2/5/10/15

2. का० नि० 4/32

3. आ०ध०सू० 2/5/10/16

4. सभा च या समितिश्चावतां ब्रजापतेर्दुहितरौ सविदाने ऋध्व 7/2/1३
विद्वन् ते सभे नाम नरिष्ठा नाम वा अभि ऋध्व 7/12/2३

की लोकसभा थी जो राजकाज में राजा की सहायता करती थी ।

आषस्तम्ब धर्मसूत्र में सभा, सभाभवन के लिये प्रयुक्त हुआ है¹। द्यूत खेलने का भवन भी आषस्तम्ब धर्मसूत्र में "सभा" कहा गया है² तथा आषस्तम्ब ने छात्रों एवं स्नातकों का इन स्थलों पर प्रवेश वर्जित माना है³। इससे यह स्पष्ट होता है कि आषस्तम्ब के समय में सभा का पूर्ण स्वरूप वर्तमान नहीं रहा एवं उसकी कोई राजनैतिक उपयोगिता न रह गयी ।

1. दक्षिणेन पुरं सभा दक्षिणोदग्वदारा यथोभयं सन्दृश्येत बहिरन्तरं वेति ॥

-आ०ध०सू० 2/10/25/5

समाया मध्येऽधिदेवनमुध्दत्या वोद्ध्या क्षान्तिनवषेद्युग्मान् वैमीत कान् यथार्थान्* ।

आर्याः शुचष २२२शीला दीवितारस्सुः॥

-वही 2/10/25/12-13

2. सभाः समाजंश्चाऽगन्ता ॥

-वही 1/1/3/12

न्याय व्यवस्था.- प्राचीन काल से ही भारत में न्याय की प्रधानता रही है ।

समाज में काम-क्रोध-लोभ-मोह आदि जो मनुष्य के प्रबल शत्रु हैं उनके वशीभूत होकर, मनुष्य अपने धर्म का उल्लंघन कर अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचाते हैं जिससे समाज में कलह तथा वैभ्र भावना की वृद्धि होती है । उसी कलह को रोकने के लिये प्राचीन काल में न्याय व्यवस्था का विधान किया गया था ।

धर्मसूत्रकारों ने अपने आपको विधि-निर्माता नहीं किया अतः उन्होंने ऋषि, ऋषि, आचार्यों, व्यक्तियों के कार्यों आदि पर आधारित धर्म की व्याख्या प्रस्तुत की है । गौतम धर्मसूत्र में कहा गया है कि वेद तथा उन वेदों के ज्ञाताओं की स्मृति तथा उनके धर्मानुकूल आचरण धर्म का मूल है¹ ।

आश्वस्त्यधर्मसूत्र² में धर्म को जानने वाले वेद का मर्म समझने वाले व्यक्तियों का मत ही वेद का प्रमाण माना गया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्मसूत्रों में जो कुछ कहा गया है उसका आधार वेद ही है ।

1. वेदो धर्ममूलम् । तद्विददां च स्मृतिशीले ॥

-गो०ध०सू० 1/1-2

2. धर्मज्ञसमयः प्रमाणम् ॥

-आ०ध०सू० 1/1/1/2

इसी प्रकार धार्मिक ग्रन्थों, परम्परा तथा आचरण भी न्याय के श्रोत माने गये हैं। गौतम धर्मसूत्र के अनुसार¹ राजा के व्यवहार के साधक हैं वेद धर्मशास्त्र, वेदांग, उपवेद और बुराण वेदाद्वि के अनुकूल देश, जाति, कुल के धर्म प्रमाण है एवं अपने अपने वर्ग कृषक व्यापारी, गोपालक, महाजन और शिल्पी भी प्रमाण होते हैं अतएव राजा को चाहिए कि उन वर्गों के अधिकार के अनुकूल नियमों को समझ कर धर्म की व्यवस्था करे।

आश्वस्तम्ब ने भी देश धर्म एवं कुल धर्म के आधार पर धर्म की व्याख्या का निर्देश दिया है²।

दण्ड व्यवस्था :-

अपराध की प्रकृति के आधार पर दण्ड की व्यवस्था थी। निष्पक्ष न्याय करना एवं अपराधी को दण्ड देना राजा का कार्य था³। यदि राजा किसी अपराधी को दण्ड नहीं देता तो आश्वस्तम्ब के अनुसार वह पाप उसी को मिलता था⁴।

-
- | | |
|-------------|-------------------------------|
| 1. गो०ध०सू० | 11/19-21 |
| 2. आ०ध०सू० | 2/6/15/1 |
| 3. वही | 2/10/26/4, 1/5/10/7, 1/5/11/3 |
| 4. वही | 2/11/28/14 |

कार्याधिक्य के कारण राजा अन्य निणार्थिकों को नियुक्ति कर सकता था ।
इस सम्बन्ध में आशस्तम्ब का कथन है कि अर्धी षृत्यधी के विवाद में विद्या से
सम्बन्ध, कुलीन, वृद्ध ,वृद्धिमान तथा धर्मपालन में सावधान पुरुष निणार्थिक होवें ।

न्यायालय के सम्भवतः उस युग में भी असत्य वक्तव्य देने वालों
की कभी नहीं रही होगी। यही कारण है कि जिन लोगों की सत्यवादिता के
सम्बन्ध में समाज को सन्देह नहीं होता था, उन्हीं को साक्षी बनने के योग्य
माना जाता था । साक्षी किस प्रकार के हों इसका उल्लेख आशस्तम्ब ने नहीं
किया है । साक्षी किस प्रकार के होने चाहिए इस सम्बन्ध में साधारण नियम इस
प्रकार मिलते हैं कि- वे गृहस्थ हों, पुत्रवान् हों, कुल परम्बरा से वहाँ के वासी
हों धनी हों वरिष्ठवान् हों² एवं कौटिल्य 3/11 कात्यायन [348] ने व्यवस्था
दी है कि सामान्यतः साक्षी को ब्रह्म के वर्ण या जाति का होना चाहिए ,
स्त्रियों के विवाद में स्त्रियों को ही साक्ष्य देना चाहिए अन्त्यजों के विवाद
में अन्त्यजों को साक्ष्य देना चाहिए ।

1. विवादे विद्याभिजनसम्बन्ना वृद्धा मेधाविनो धर्मविविनिषातिनः॥

-आ०ध०सू०

2X11/29/E

2. मनु० सू० 8/61-63, गौ०ध०सू० 13/2

गौतम [9/21] का कथन है कि सेतिहरों, व्यापारियों, चरवा-
हों, महाजनों, शिल्पकारों के वर्गों के सदस्यों के बीच विवादों में उसी वृत्ति
वाले सदस्य होते हैं एवं वे ही मध्यस्थता का कार्य कर सकते हैं ।

कुछ कोटियों के व्यक्ति साक्षी बनने के योग्य नहीं माने जाते
थे - अर्थ से सम्बन्धित लोग मित्र, साथी, जिसने पहले झूठी गवाही दी हो बाबी,
दास, छिद्रान्वेषी, अधार्मिक, अल्पवयस्क, शराबी, पागल, असावधान व्य-
क्त, दुःखित व्यक्ति, नपुंसक, अभिनेता, नास्तिक, ब्राह्मण, पूर्व शत्रु, गुप्तचर,
नर्तक, कीनाश, उषणातकी आदि ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि साक्षी के वक्तव्य देने के पहले उसकी
योग्यता विचारणीय होती थी तथा साक्षी सभी पक्षों को स्वीकृत हो ।

आश्वस्तम्ब के अनुसार इस प्रकार सबके द्वारा स्वीकृत साक्षी को
अथवा वक्तव्य किसी निश्चित दिन प्रातःकाल, जलती हुई अग्नि के समक्ष, जल के

1. कौ० अर्थ० 3/11 , मनु० स्मृ० 8/64,67 , कात्यायन 360-364

निकट राजा या न्यायाधीश की उपस्थिति में और सत्यासत्य का परिणाम सुन कर देना पड़ता था¹।

साक्ष्य ग्रहण के उपरान्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य लोग साक्षियों पर विचार विमर्श करते हैं। न्यायालय को इसका पता चलाना पड़ता है कि किन साक्षियों पर विश्वास करना चाहिए और कौन से साक्षी कूट या कबूटी है। आबस्तम्ब ने निर्देश दिया है कि यदि साक्षी असत्य भाषण करे तो उसे दण्डित किया जाय तथा कहा है कि यदि साक्षी असत्य भाषण करता है तो उसे मृत्यु के बाद नरक प्राप्त होता है तथा सत्य भाषण करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं²। इतना होने पर भी आबस्तम्ब को विश्वास न था कि साक्षी सत्य बोलेगा ही अतएव उन्होंने

1. बुण्याहे ब्रातरन्नाविधेऽपामन्ते राजवत्युभयतस्समाख्याय्य सर्वानुमते मुख्यस्सत्यं प्रश्नं ब्रूयात् ॥

-आ०ध०सू० 2/11/29/7

2. अनुते राजा दण्डं ब्रूयायेत् । नरकश्चात्राधिकः साम्बराये । सत्ये स्वर्गस्सर्वमृतप्रशंसा च ॥

-वही 2/11/29/8-10

उन्होंने निर्णायकों को निर्देश दिया कि वे जो विषय सन्देहास्पद हो उन विषयों में अनुमान, दैव परीक्षण आदि साधनों से तथ्य का निर्धारण करें¹। एक अन्य स्थान पर आपस्तम्ब ने कहा है कि दिव्य प्रमाण से एव साक्षियों से प्रश्न करके राजा को दण्ड देना चाहिए²।

अब यहाँ प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि दिव्य किसे कहते हैं ? स्मृतिकारों के अनुसार दिव्य उसे कहते हैं जिसमें दैवी शक्तियों के द्वारा सत्य का अन्वेषण किया जाय उदाहरणार्थ अग्नि में प्रवेश करने पर अग्नि यदि जलाती नहीं है तब अग्नि में प्रविष्ट होने वाले का कथन सत्य माना जाता है । दिव्य में दोनों पक्ष वादी तथा प्रतिवादी सम्मिलित रहते हैं, एक पक्ष दिव्य का आश्रय लेता है तथा दूसरा उसके निर्णय को मानने का वचन देता है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र 2/11/29/7 के आधार पर दो प्रकार के दिव्यों का उल्लेख प्राप्त होता है । यथा अग्नि का दिव्य एवं जल का दिव्य ।

1. सन्देहे लिङ्.गतो देवेनेति विचित्य ॥

- आ०ध०सू० 2/11/29/6

2. सुविचित विचित्या दैवप्रश्नेभ्यो राजा दण्डाय प्रतिपद्यत ॥

-वही 2/5/11/3

याज्ञ० ॥2/95॥, विष्णु धर्मसूत्र ॥9/14॥ एवं नारद 4/252

ने षाँच प्रकार के दिव्य कथा तुला, अग्नि, जल, विष एवं कौश एवं वृहस्पति तथा षितामह ने नौ प्रकार के दिव्यों का उल्लेख किया है । प्रमुख दिव्यों का विवरण निम्नवत् है :-

तुला का दिव्य .- तुला बरीक्षा में दण्ड के सिरों से रस्सी या श्रृंखला से बंधे हुए बलड़े लटक्ते थे एक ब बलड़े पर शोध्य को बैठाकर उसे मिट्टी, ईंटों तथा प्रस्तर खण्डों से तोला जाता था। फिर शोध्य को उतार दिया जाता था और उसके द्वारा तुला की इन शब्दों में प्रार्थना की जाती थी- हे तुले तुम सत्य की प्रतिष्ठा हो, देवताओं ने इसीलिए तुम्हारी रचना की है । सत्य की घोषणा करो । इस सन्देह से मुझे मुक्त करो माँ । यदि मैं पापी हूँ तो मुझे नीचे ले जाओ । यदि मैं शुद्ध हूँ तो मुझे ऊपर ले जाओ । फिर वह दूसरी बार बलड़े पर रखा जाता था । एक ज्योतिषी षाँच बलों की गणना करता था। उसकी दूसरी बार की तोल ले ली जाती है । यदि वह दूसरी बार पहली बार की तुलना में कम ठहरता है तो उसे निरबराधी घोषित कर दिया जाता है । किन्तु यदि वह ज्यों का त्यों अथवा कुछ भारी ठहरता है तो, अबराधी माना जाता है ।

अग्नि का दिव्य :- अग्नि परीक्षा में अग्नि वरुण वायु आदि के नाम पर 16 अंगुल व्यास के 9 वृत्त गोबर से बनाकर उस पर कुश रख दिये जाते हैं और प्रत्येक में शोध्य को अपना बाँव रखना बहता था फिर अग्नि में 108 बार घृत की आहुतियाँ दी जाती थी । एक लोहार जाति का व्यक्ति आठ अंगुल लम्बा और 50 बल भारी लोहे को अग्नि में इतना तप्त करता था कि उससे चिनगारियाँ निकलने लगे फिर न्यायाधीश सेत में अश्वत्थ की सात लकड़ियों, चावल तथा दही को बाँधकर शोध्य के हाथों पर रख कर तप्त लोहे के चमटे को रख देता था। उसे लेकर शोध्य बहले वृत्त से लेकर आठवें वृत्त तक मन्द गति से चलता था और नवें वृत्त वृत्त में उस लोहे को गिरा देता था। यदि शोध्य ऐसा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं करता तथा उसका हाथ अक्षुण्य रहता तो वह निरबराधी घोषित हो जाता था यदि लोहखण्ड आठवें वृत्त तक पहुँचने से पूर्व ही गिर जाता या कहीं सन्देह उत्पन्न हो जाता था कि उसका हाथ जला कि नहीं तो उसकी पुनः परीक्षा होती थी ।

जल का दिव्य .- जल के दिव्य में न्यायाधीश एक तोरण कि, शोध्य के कान तक उंचा किसी जलाशय में खड़ा करता था। उस जलाशय में एक स्तम्भ-150 हाथ गाड़ कर किसी अभिजात और सच्चरित्र व्यक्ति खड़ा कर दिया जाता था । न्यायाधीश वरुण, धनुष और तीन बाणों की अर्चना चन्दन लेब आदि से

करता था । तब न्यायाधीश शोध्य को भी स्तम्भ के निकट खड़े व्यक्ति के पास स्थित कर देता था। इसके उपरान्त धनुर्धर तोरण से लक्ष्य तक तीन बाण फेंकता था। जहाँ दूसरा बाण गिरता था, वहीं एक व्यक्ति उसे लेकर बैठ जाता था। न्यायाधीश तीन बर बार ताली बजाता था । तीसरी ताली के साथ ही शोध्य जल में खड़े व्यक्ति की जाँघ बकड़ कर डुबकी मारता था और न्यायाधीश के समीप खड़ा व्यक्ति तेजी से दूसरे बाण वाले व्यक्ति के पास दौड़ता था और उसके वहाँ पहुँचते ही बाण वाला व्यक्ति न्यायाधीश के पास दौड़ आता था। वहाँ आने पर यदि शोध्य दिखाई नहीं देता था या केवल उसके सिर का ऊपरी भाग मात्र दिखता था तो शोध्य निर्दोष सिद्ध हो जाता था यदि कहीं वह उसके कान या नाक देख लेता था या उसे अन्यत्र बहतु हुए देखता था तो शोध्य अपराधी सिद्ध हो जाता था।

विष का दिव्य:- विष के दिव्य में धूम आदि से महेश्वर की अर्चना कर उनके समक्ष रखे हुए विष को शोध्य खाता था । यदि उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था तो उसे निर्दोष प्रमाणित किया जाता था ।

कोष का दिव्य.- कोष के दिव्य में शोध्य के उग्र देवताओं इन्द्र, दुर्गा, आदित्य की चन्दन पुष्प आदि से पूजा एवं उनकी मूर्ति को जल से

अभिषिक्त किया जाता था और अभिषिक्त जल को शोध्य को बिलाकर 14

दिनों तक उसका परिणाम देखा जाता था कि उस वर कोई विषत्ति बड़ी की नहीं यदि उस वर कोई असाधारण विषत्ति बडती तो उसे अषराधी माना जाता था, अन्यथा वह निर्दोष प्रमाणित होता था।

तण्डुल का दिव्य:- तण्डुल के दिव्य में शोध्य को सूर्य की मूर्ति के अभिषिक्त जल से धुला हुआ तण्डुल *द्रिया* जाता था । उसे बीबल या मूर्ज की पत्ती पर धूकना बडता है । यदि उसके धूक में रक्त बाया जाता था तो उसे अषराधी घोषित किया जाता था।

तत्त्वमाष का दिव्य.- तत्त्व माष के दिव्य में सोलह अंगुल व्यास वाले तथा चार अंगुल गहरे ताम्र, लोहे या मिट्टी के पात्र में घृत या तेल डाल कर उसे खौलाया जाता था फिर उसमें सोने का एक मासा तौल कर टुकड़ा डाल दिया जाता था । शोध्य को अंगूठे एवं तर्जनी तथा मध्यमा की सहायता से उसे निकालना होता था । यदि शोध्य की अंगुलियों में जलन नहीं होती थी तो शोध्य निर्दोष सिद्ध हो जाता था ।

तत्त्वमाष की एक दूसरी विधि में गाय के घी को तबाया जाता था और उसमें एक अंगूठी डाल कर घी से प्रार्थना की जाती थी हे घृत, आष

यज्ञों में पवित्रतम वस्तु हैं। आष अमृत है । शोध्य यदि बाधी है तो उसे जलाइये, अन्यथा हिम की शीतलता प्रदर्शित कीजिये तब शोध्य अंगूठी को निकालता था यदि वह जल जाता था तो अपराधी अन्यथा निर्दोष सिद्ध होता था।

काल का दिव्य :- काल के दिव्य में हल का काल इतना तपाया जाता था कि वह ताल हो जाता था फिर अपराधी को उसे अपनी जीभ से चाटना पड़ता था। जल जाने पर वह अपराधी और न जलने पर निर्दोष सिद्ध होता था ।

धर्म का दिव्य .- धर्म के दिव्य में धर्म और अधर्म के चित्र क्रमशः श्वेत एवं कृष्ण वर्ण के भोजपत्र या वस्त्र खण्ड पर बनाये जाते थे उनको गोबर या मिट्टी के पिण्डों में रखा जाता था फिर उन पिण्डों को मिट्टी के नये वरतन में रखा जाता था तब शोध्य कहता था-“यदि मैं निरपराधी हूँ तो धर्म की मूर्ति या चित्र मेरे हाथों में आये”१ । वह उसमें से एक पिण्ड निकालता था । धर्माधर्म के अनुसार उसके दोषी होने या निर्दोष होने का प्रमाणा माना जाता था¹।

1. द्रष्टव्य- डा० काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास भाग-2 , पृ० 747-756

दण्ड निर्णय:- आषस्तम्ब के अनुसार राजा साक्षियों के आधार पर प्रश्न करके तथा शपथ दिलाकर अपराध पर विचार करके दण्ड देता था¹। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपराधी को दण्ड देने का अधिकार केवल राजा को प्राप्त था। संदेह का लाभ हमेशा अपराधी को दिया जाता था यही कारण है कि आषस्तम्ब ने कहा है कि संदेह होने पर राजा दण्ड न दे²। धर्मसूत्र से यह भी भासित होता है कि तत्समय न्यायाधीश अपराधी को दण्ड देते समय अपराधी की शारीरिक स्थिति, अपराध की प्रकृति, अपराधी के वर्ण एवं अपराध की संख्या का ध्यान रखते थे³।

आषस्तम्ब ने अपराधी को क्षमा करने का भी उल्लेख किया है किन्तु मृत्यु दण्ड प्राप्त अपराधी को क्षमा नहीं किया जाता था। इतना ही नहीं आचार्य, ऋत्विज, स्नातक और राजा किसी अपराधी को जिसे मृत्यु दण्ड को छोड़ कर कोई अन्य दण्ड मिला हो क्षमा कर सकते थे⁴।

1. अथर्वसू 2/5/11/3

2. वही 2/5/11/2

3. वही 1/9/24/1-4, 2/10/27/11-13

4. आचार्य ऋत्विक्स्नातको राजेति त्राणं स्युरन्यत्र वध्यात्॥

-वही 2/10/27/21

आषराधिक विधि .- आषस्तम्ब धर्मसूत्र में आषराध एव उनके लिए दिये जाने वाले दण्डों का विवरण निम्नवत् है ।

§क§ बलात्कार एव व्यभिचार:- समाज में बलात्कार एवं व्यभिचार को घृणित आषराध माना गया है । अतएव इसके लिये मृत्यु, निष्कासन, सम्पत्ति का हरण आवा जननेन्द्रिय को काटने का दण्ड दिया जाता था ।

आषस्तम्ब का कथन है कि यदि आभूषणों आदि से अलंकृत युवक जनजान में ऐसे स्थान पर प्रवेश करता है जहाँ एक विवाहित स्त्री या विवाह योग्य कन्या हो तो उसे डाँट कर रोकना चाहिए । यदि वह ऐसा बुरी नियत से जान बूझकर करता है तो उसे दण्ड देना चाहिए¹ । इससे यह भावित होता है कि आषस्तम्ब की दृष्टि में आषराधिक मनःस्थिति का होना दण्ड के लिए अत्यावश्यक है । अर्थात् कोई कार्य तब तक आषराध नहीं होता जब तक कि उस आषराधी व्यक्ति का आशय आषराध करना न रहा हो ।

आषस्तम्ब के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पर स्त्री से मैथुन करता है तो उसकी जननेन्द्रिय कटवा देनी चाहिए । किन्तु यदि उसने कुमारी कन्या

1. अबुधिदूर्वमलह.कृतो युवा षरदारमनुष्विश्नु कुमारी वा वावा बाध्यः।।

के साथ मैथुन किया हो तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति का अग्रहरण कर उसे देश से निकालकर देना चाहिए। उसके बाद ऐसी पुरस्त्री तथा कुमारी कन्या का मैथुन किये जाने से ब्रह्म रक्षा तथा उनका भरण पोषण राजा का कर्तव्य है।

उक्त के अतिरिक्त आश्वस्तम्ब का मत है कि यदि प्रथम तीन उच्च वर्णों का पुरुष शूद्र वर्ण की स्त्री से मैथुन करे तो उसे देश से निकाल देना चाहिए। एवं यदि शूद्र वर्ण का पुरुष प्रथम तीन उच्च वर्णों की स्त्री से मैथुन करता है, तो वह मृत्युदण्ड का भागी होता है।¹

इस सम्बन्ध में हरदत्त का मानना है कि यह दण्ड उस शूद्र को दिया जाता है जो उच्चवर्ण की स्त्री का रक्षक बनाकर भेजा जाय और अवसर पाकर उसके साथ मैथुन करे, अन्यथा पुरस्त्री संभोग के लिये जननेन्द्रियों के कटवा लेने का दण्ड पहले उल्लिखित है ही क्योंकि गौतम के अनुसार विदजाति स्त्री के साथ सम्भोग करने पर शूद्र की जननेन्द्रिय कटवाकर उसकी सारी सम्पत्ति छीन ले। यदि वह शूद्र उस विदजाति स्त्री का रक्षक हो तो पूर्वोक्त दण्डों के अतिरिक्त उसे वध का दण्ड भी दे²।

1. नाशय आर्यशूद्रायाम्। वध्यशूद्र आययाम्।।

-आ०ध०सू० 2/10/27/8-9

2. आ०ध०सू० 2/10/27/9 पर हरदत्त की टिप्पणी

आषस्तम्ब द्वारा ब्राह्मण के लिए बरस्त्री से मैथुन करने पर तीन वर्ष तक षतित के लिए विहित प्रायश्चित्त के सदृश ,प्रायश्चित्त करने का उल्लेख किया है¹।

उक्त के अतिरिक्त आषस्तम्ब ने गुरु षत्नी के साथ मैथुन करने वाले को अण्डकोष सहित जननेन्द्रिय को काटकर अपनी अ जल में रखकर बिना रुके दक्षिण दिशा को तब तक चलते रहने का निर्देश किया है जब तक वह गिर का मृत्यु को नहीं प्राप्त कर लेता²। उक्त प्रायश्चित्त के अतिरिक्त ऐसे अष- राध करने वाले व्यक्ति के लिए जलती हुयी स्त्री प्रत्तिमा का आलिङ्गन करके जीवन समाप्त करने का विधान किया है³।

1. सवर्णायामन्यबुवार्थिः सकृत्सन्निधाते षादः षततीत्युषदिशन्ति।।

-आ०ध०सू० 2/10/27/11

2. गुस्तल्पगामी सवृषणं शिहनं परिवास्याऽज्जलावा धाय दक्षिणां दिशमनावृत्तिं व्रजेत्।।

-वही 1/9/25/1

3. ज्वलिता वा सूर्मिं षारिष्वज्य समाप्नुयात्।।

-वही 1/9/25/2

शुद्ध हत्या :- आषस्तम्ब के अनुसार क्षत्रिय की हत्या करने वाले अपराधी को अपना पाप दूर करने के लिए एक सहस्र गाये एवं एक बैल दान करना चाहिए उसी प्रकार वैश्य एवं शूद्र का वध करने पर क्रमशः सौ गायों एवं एक बैल तथा दस गायों एवं एक बैल का दान करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब ने क्षत्रिय एवं वैश्य वर्णों के वेदज्ञ विद्वान्, ब्राह्मण आत्रेयी स्त्री के हत्यारे के लिये प्रायश्चित्त स्वस्व बन में एक कुटी बनाकर वाणी को रोककर, कुण्डे के ऊपर मनुष्य की खोबडी रखकर तथा शरीर का नाभि से घुटने तक का भाग सन के वस्त्र के चौथाई भाग से आच्छादित कर रहने का एवं भिक्षा पर जीविका निर्वाह करने का विधान किया है²। आषस्तम्ब के अनुसार उक्त प्रायश्चित्त को बारह वर्ष तक करने के बाद यदि अपराधी चोरों के मार्ग में कुटी बनाकर रहता है और चोरों से ब्राह्मणों की अर्घ्य गायों को छुड़ाने का प्रयत्न कर विजय पाने पर वह पाप से मुक्त हो

1. क्षत्रियं हत्वा गवां सहस्रं वैरयातनार्थं दद्यात् । शतं वैश्ये । दश शूद्रे ।

ऋषभश्रवा त्राधिकः सर्वत्र प्रायश्चित्तार्थः ॥

- आ०ध०सू० 1/9/24/1-4

2. अरण्ये कुटिं कृत्वा वाग्यतः श्वशिरध्वजो रक्षाणोऽभ्रमधोनाभ्युपरिजा-
न्वाच्छाद्य । सा वृत्तिः ॥

जाता है अथवा अश्वमेध का अवभृघ स्नान करने पर पाप दूर होता है¹। परन्तु आपस्तम्ब ने गुरु वेदज्ञ तथा सोमयज्ञ का अन्तिम कर्म समाप्त कर लेने वाले श्रोत्रिय का वध करने वाले व्यक्ति के लिये उक्त प्रायश्चित्त को आचरण अन्तिमश्वास तक करने का विधान किया है क्योंकि उसकी मुक्ति मृत्यु से पूर्व सम्भव नहीं है²।

सूत्रकार के अनुसार शूद्र वदारा किसी पुरुष की हत्या करने पर शूद्र की सम्पूर्ण सम्पत्ति का अहरण कर उसकी हत्या करने का निर्देश देते हैं तथा यदि ब्राह्मण इस अहरण को करते हैं तो उसके लिए विधान किया है कि उसकी आँखों को बटखन्ध आदि से इस प्रकार बन्द करा देना चाहिए कि वह जीवन भर देख न सके³।

मानहानि :- इस सम्बन्ध में आपस्तम्ब का कथन है कि यदि शूद्र, बध्म तीन वर्णों के गुणवान् व्यक्ति की निन्दा करता है या उसको अपशब्द कहता है तो शूद्र की जीभ काट लेनी चाहिए⁴।

1. आजिषधे वा कुटिं कृत्वा ब्राह्मणागव्यो षजिगीषमाणो वसेत्त्रः

प्रतिराधदो षजित्य वा मुक्तः। आश्वमेधिकं वा वभृधमवेत्य मुच्यते।।

-आ०ध०सू० 1/9/24/21-22

2. गुरु हत्वा श्रोत्रियं वा कर्मसमाप्तमेतेनैव विधिनोत्तमादुच्छ्वासाच्चरेत्।

नास्या स्मिल्लोके प्रत्य षत्तिविधते। क्लमर्षं तु निर्हण्यते।।

-वही

1/9/24/24-26

3. आ०ध०सू० - 2/10/27/16-17

4. जिह्वाच्छेदनं शूद्रस्याऽऽर्यं धार्मिकमाक्रोशतः।

चोरी :- आषस्तम्ब धर्मसूत्र में चोरी के अपराध के लिये निम्न दण्ड की व्यवस्था की है। चोर अपने केश विखरे हुए तथा कंधे पर मूसल रखकर राजा के पास जावे और उससे अपना कर्म बतावे। राजा उस मूसल से चोर के अपराध प्रहार करे, उससे यदि उसका वध हो जाय तो चोरी के बाह्य से मुक्ति हो जाती है यदि राजा उसे क्षमा कर दे तो उसका पाप क्षमा करने वाले राजा को ही लग जाता है। इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब का कथन है कि चोर स्वयं को अग्नि में झोंक दे अथवा भोजन में रुतितान्न प्राप्त करके हास करते हुए अपना जीवन समाप्त कर दे।

फसल को नुकसान :- इस अपराध के सम्बन्ध में आषस्तम्ब का कथन है कि गोशाले में बंधे हुए पशु यदि तुड़ाकर या गोशाले से निकलकर किसी की फसल आदि छाने लें तो उन पशुओं को घेरकर, फसल का स्वामी अथवा राजा के पशुओं को बचा दे किन्तु पशुओं को अत्यधिक कष्ट नहीं देना चाहिए¹।

उक्त के अतिरिक्त आषस्तम्ब ने उन व्यक्तियों के वस्त्र के अपहरण का उल्लेख किया है जो व्यक्ति ईन्धन, जल, मूल, फूल, फल, घास, शाक आदि जानबूझ

1. हिहत्वा व्रजमादिनः कश्यित्बभून् । नाऽतिषातयेत् ।।

नुकसान पहुंचाता है।

वर्णागत नियमों का उल्लंघन.— वर्णागत नियमों एवं कर्तव्यों का उल्लंघन अपराध माना गया है और इस अपराध के लिए सूत्रकार ने दण्ड की व्यवस्था की है। आपस्तम्ब का कथन है कि यदि शूद्र प्रथम तीन वर्णों के बुराओं के साथ वार्तालाप में मार्ग में चलने में, शय्या, पर, बैठने के आसन पर तथा अन्य कर्मों में समानता का व्यवहार करे तो उसे छण्डे से पीटने का दण्ड दिया जाना चाहिए।²

उक्त सन्दर्भ में आपस्तम्ब का मत है कि राजा इस प्रकार की व्यवस्था करे कि नियमों का उल्लंघन न हो यदि कोई व्यक्ति वर्णागत नियमों का उल्लंघन करता है तो राजा को चाहिए, कि वह उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एकान्त में बन्धन में रखे तथा जब तक वह अपराधी यह प्रतीक्षा न करे कि मैं नियम का बालक करूंगा तथा निषिद्ध कर्मों से दूर रहूंगा तब तक उसे बन्धन में रखे। यदि वह अपराधी इस प्रकार की प्रतीक्षा नहीं करता है तो उसे देश से निकाल देना चाहिए।³

1. आ०ध०सू० 2/11/28/11-12

2. वाचि षधि शय्यायामासन इति समोभवतो दण्डताडनम्।।

-वही 2/11/28/15

3. नियमातिक्रमिणामन्त्रं वा रहसि बन्धयेत्। असमावृत्तेः। असमावृत्तो नाशयः।।

व्यावहारिक विधि -

व्यावहारिक विधि के अन्तर्गत आपस्तम्ब ने दाय भाग एवं संविदा भग से सम्बन्धित विधि का निरूपण किया है ।

दाय भाग.--

आपस्तम्ब धर्मसूत्र के विद्वतीय पटल में दाय भाग का विवेचन किया गया है । दाय शब्द का अर्थ आपस्तम्ब धर्मसूत्र में पैतृक सम्पत्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है¹ । आपस्तम्ब धर्मसूत्र से विदित होता है कि पिता जीवन काल में ही पुत्रों में सम्पत्ति विभाजित करता था² । तथा सम्पत्ति का विभाजन शास्त्रोक्त विधि से किये गये विवाह से उत्पन्न पुत्रों के मध्य ही किया जा सकता था³ । पुत्र न होने पर दाय का भाग सपिण्ड को प्राप्त होता था । इससे यह भासित होता है कि पुत्रहीन व्यक्ति की विधवा पत्नी सम्पत्ति की अधिकारिणी नहीं होती थी किन्तु आपस्तम्ब ने पुत्री को दाय का उत्तराधिकारिणी माना है⁴ ।

1. अथोसू 2/6/2/11

2. वही 2/6/14/1

3. सवर्णापूर्वशास्त्रविहितायां यधर्तु गच्छत पुत्रास्तेषां कर्मभिस्सम्बन्धः ।

दायेन वा यतिक्रमश्चोभयोः ॥

-वही 2/6/13/1-2

4. पुत्राभावे य. प्रत्यासन्नः सपिण्डः । दुहिता वा ॥

-वही 2/6/14/2,4

आपस्तम्ब के मतानुसार यदि सपिण्ड का अभाव हो तो दाय का अधिकारी आचार्य होता है, आचार्य के भी न होने पर उसका शिष्य उस दाय को ग्रहण कर मृतव्यक्ति के नाम से धार्मिक कर्मों में उस धन को लगावे अथवा स्वयं ही उस धन का उपयोग करे¹।

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब का कथन है कि यदि दाय के अधिकारी सपिण्ड और आचार्य आदि सब का अभाव होता है, तो सम्पत्ति राजा की हो जाती है²।

आपस्तम्ब ने अथर्व आचार्यों के मत का उल्लेख किया है जिनके अनुसार सभी पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र ही दाय का उत्तराधिकारी होता है³। आपस्तम्ब कुछ देशों के नियम का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र को कुछ विशेष अंश प्राप्त होता था यथा स्वर्ण, काले रंग के गाय बैल तथा पृथ्वी से

1. तदभाव आचार्य आचार्यभावे न्तेवासी हृत्वा तदर्धेषु धर्मकृत्येषु वोपयोजयेत् ॥

-आ०ध०सू० 2/6/14/3

2. सर्वाभावे राजा दाग्नं हरेत् ॥

- वही 2/6/14/5

3. ज्येष्ठो दायाद इत्येके ॥

-वही 2/6/14/6

उत्पन्न काले रग के अनाज । इसी प्रकार रथ और काष्ठोपकरण पिता के अधिकार में ही रहते थे तथा आभूषण तथा अपने बन्धुबान्धवों से प्राप्त धन पत्नी का अंश होता था¹ ।

आपस्तम्ब को यह विचार मान्य नहीं है कि केवल ज्येष्ठ पुत्र ही दाय का अधिकारी हो । आपस्तम्ब ने वैवस्वत मनु के दाय विभाजन का उदाहरण देकर यही मत पुष्ट किया है कि उसने सभी पुत्रों में समान दाय भाग बाँटा² ।

सविदा-भंग आपस्तम्ब धर्मसूत्र में सविदा भंग के परिणामस्वरूप होने वाली हानि के लिये परितोष का उल्लेख प्राप्त होता है। सूत्रकार के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दूसरे की भूमि कृषि कार्य हेतु लेकर उसमें कृषि कर्म नहीं करता, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि में फसल नहीं उत्पन्न होती तो यदि वह पुरुष धनी हो तो उससे सभावित फसल का मूल्य लेकर खेत के स्वामी को दिलाया जाय³ ।

1. देशविशेषे सुवर्णं कृष्णा गावः । कृष्णां भौमं ज्येष्ठस्य । रथःपितुः

परिभाण्डं च गृहे ॥

-आ०ध०सू० 2/6/14/7,8

2. "मनु . पुत्रेभ्योदायं व्यभजः" इत्यविशेषेण श्रूयते ॥

-वही 2/6/14/12

3. क्षेत्र परिगृह्योत्थानाभावात्फलाभावे यस्समृद्धस्स भावि तदपहार्यः ॥

-वही 2/11/28/1

आपस्तम्ब के अनुसार यदि मजदूर अपना कार्य बीच में ही छोड़ दे तो उसे दण्ड स्वरूप प्रताडित करना चाहिए । आपस्तम्ब ने यही दण्ड उस चरवाहे के लिए भी कहा है जो बीच में ही कार्य छोड़ देता है । ।

उक्त के अतिरिक्त यदि चरवाहा बीच में ही कार्य छोड़ दे तो आपस्तम्ब ने दण्ड स्वरूप उससे दिये गये पशुओं को छीन कर दूसरे को देने का उल्लेख किया है । यदि पशुओं का रखवाला पशुओं को निगरानी करने के लिए लेकर उन्हें मर जाने दे या चोरों आदि से अपहृत हो जाने दे तो आपस्तम्ब ने दण्ड स्वरूप पशुओं का मूल्य स्वामी को देने का निर्देश किया है ² । इससे स्पष्ट होता है कि आपस्तम्ब की दृष्टि में किसी कार्य को बीच में ही छोड़ देना अपराध है और सविदा भंग के लिए उन्होंने परितोष की व्यवस्था की है ।

1. अवशिनः कीनाशस्य कर्मन्यासे दण्डताडनम् । तथा पशुपस्य ॥

-आ०ध०सू० 2/11/28/2,3

2. अवरोधनं चाऽस्य पशूनाम् । पशून्मारणे नाशने वा स्वामिभ्योऽवसृजेत् ॥

- वही 2/11/28/4,7

आर्थिक विचार

धर्मसूत्रों का वर्ण्य विषय मूलतः आधार, विधि, निषेध, नियम आदि का सम्यक् व्याख्यान करना ही है। धर्मसूत्र नाम से ही सर्वप्रथम धर्म की प्रधानता बोधित होती है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी इन्हीं आचार, विधि, नियमों का ही वर्णन प्राप्त होता है किन्तु इनके निरूपण में आर्थिक तत्त्वों का भी यत्र तत्र उल्लेख प्राप्त होता है, इन्हीं को सकलित करके तत्कालीन आर्थिक विचारों को प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है जो निम्नवत् है।

व्यवसाय:- आपस्तम्ब धर्मसूत्र से विदित होता है कि व्यवसाय वर्ण आधारीत था। यदि कोई व्यक्ति अपने वर्ण विशेष के लिए विहित व्यवसाय से इतर व्यवसाय करते थे तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। समाज में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। साथ ही आपस्तम्ब धर्मसूत्र §1/6/18/18§ में प्रयुक्त शिल्पजीव शब्द से स्पष्ट है कि तत्समय कला एवं शिल्प लोग्णों का एक व्यवसाय था। साथ ही आपस्तम्ब धर्मसूत्र §1/6/18/21§ से व्रीकत्सा व्यवसाय का भी उल्लेख प्राप्त होता है।

कृषि.- मत्सरत भूमि कृषि के लिए उत्तम रही है। यहा की जलवायु कृषि की उन्नति में विशेष रूप से साधक हुई है। यही कारण है कि यह देश कृषि प्रधान होकर रहा है। सूत्र युग में कृषि एक लोकीप्रिय जीविकोपार्जन का साधन

था । यद्यपि कृषि वैश्य का साधारणतः कर्म माना गया है फिर भी अन्य वर्णों के व्यक्तियों को भी कृषि कर्म की अनुमति थी । यद्यपि आपस्तम्ब ने कृषि पशुपालन तथा व्यापार को वैश्य का कर्म बताया है परन्तु उन्होंने ब्राह्मण को स्वयं उत्पादित मूँज, बल्व, घास, मूल और फल के विक्रय की अनुमति दी है इससे स्पष्ट होता है कि तत्समय अन्य वर्णों को भी कृषि कर्म की कुछ प्रतिबन्धों के साथ अनुमति थी ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में निम्न प्रकार के पौधों, वृक्षों एवं पुष्पों के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है ।

- | | |
|-------------------------|--|
| ॥1॥ बल्बज ॥1/7/21/1॥ | हरदत्त ने इसको तृण विशेष कहा है |
| ॥2॥ करञ्ज ॥1/5/17/26॥ | हरदत्त के अनुसार यह रक्तलहसुन ॥प्याज॥ है |
| ॥3॥ पलण्डु ॥1/5/17/26॥ | हरदत्त के अनुसार पलण्डु लहसुन है |
| ॥4॥ परारीक ॥1/5/17/26॥ | शलजम |
| ॥5॥ पिप्पली ॥1/7/20/12॥ | |
| ॥6॥ मरिच ॥1/7/20/12॥ | |
| ॥7॥ तिल ॥2/7/16/22॥ | |
| ॥8॥ माष ॥2/7/16/22॥ | |
| ॥9॥ व्रीहि ॥2/7/16/22॥ | |
| ॥10॥ यव ॥2/7/16/22॥ | |

॥11॥ मुञ्ज ॥1/1/2/33,35॥

॥12॥ न्यग्रोध ॥1/1/2/38॥

॥13॥ पलाश ॥1/1/2/38॥

॥14॥ तमाल ॥1/1/2/37॥

॥15॥ तण्डुल ॥1/7/20/13॥

॥16॥ शाण्णी ॥1/1/2/40॥ शण्णस्य विकार शाण्णी- हरदत्त

॥17॥ क्षौम् ॥7×2×2/40॥ क्षुमा अतसी तस्या विकार क्षौमम्- हरदत्त

॥18॥ तोक्म् ॥1/7/20/12॥ तोक्म ईषदकुरितानि ब्रीह्यादीनि - हरदत्त

॥19॥ अदिम्बुर ॥1/1/2/38॥

॥20॥ विभीतक ॥2/10/25/12॥

भूमि व्यवस्था -

आपस्तम्ब धर्मसूत्र के विवेचन से तत्कालीन भूमि व्यवस्था का

परिज्ञान होता है । धर्मसूत्र में भूमि को उत्पादन क्षेत्र के रूप में माना गया है ।

गृह्य सूत्रों में भूमि के दो प्रकार - उवर्गा एवं अनुपजाऊ भूमि का उल्लेख

प्राप्त होता है परन्तु आपस्तम्ब धर्मसूत्र में इस प्रकार का कोई उल्लेख दृष्टि-

गोचर नहीं होता ।

॥11॥ मुञ्ज ॥1/1/2/33,35॥

॥12॥ न्यग्रोध ॥1/1/2/38॥

॥13॥ पलाश ॥1/1/2/38॥

॥14॥ तमाल ॥1/1/2/37॥

॥15॥ तण्डुल ॥1/7/20/13॥

॥16॥ शाण्ठी ॥1/1/2/40॥ शण्णस्य विकार शाण्ठी- हरदत्त

॥17॥ क्षौम् ॥7x2x2/40॥ क्षुमा अतसी तस्या विकार क्षौमम्- हरदत्त

॥18॥ तोक्म् ॥1/7/20/12॥ तोक्म ईषदकुरितानि ब्रीह्यादीनि - हरदत्त

॥19॥ औदम्बुर ॥1/1/2/38॥

॥20॥ विभीतक ॥2/10/25/12॥

भूमि व्यवस्था .-

आपस्तम्ब धर्मसूत्र के विवेचन से तत्कालीन भूमि व्यवस्था का परिज्ञान होता है । धर्मसूत्र में भूमि को उत्पादन क्षेत्र के रूप में माना गया है । गृह्य सूत्रों में भूमि के दो प्रकार - उवर्गा एवं अनुपजाऊ भूमि का उल्लेख प्राप्त होता है परन्तु आपस्तम्ब धर्मसूत्र में इस प्रकार का कोई उल्लेख दृष्टि-गोचर नहीं होता ।

सूत्र साहित्य से स्पष्ट होता है कि भूमि पर व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होता है तथा उसे भूमि को दान देने, बेचने और पट्टे पर देने का अधिकार था। आपस्तम्ब भूमि को पट्टे पर देने के सम्बन्ध में भी वर्णन करने से नहीं चूके उन्होंने उल्लेख किया है कि यदि कोई व्यक्ति कृषि हेतु दूसरे का खेत लेकर उसमें खेती करने का न तो कोई यत्न करता है, उसके परिश्रम के अभाव में उस खेत से संभावित फसल नहीं प्राप्त होती तो वह पुरुष यदि धनी हो तो उससे संभावित फसल का मूल्य खेत के स्वामी को दिलाया जाय¹। इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्समय भूमि कुछ निर्धारित शुल्क लेकर पट्टे पर दी जाती थी।

पशुपालन:- पशुपालन सूत्र युग में एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार पशुपालन वैश्य का प्रमुख कर्म है²। आपस्तम्ब धर्मसूत्र से ज्ञात होता है कि कुछ व्यक्ति धन लेकर चरवाहे का कर्म करते थे। इस सम्बन्ध में आपस्तम्ब धर्मसूत्र ने निम्न नियम विहित किया है। यदि चरवाह बीच में काम छोड़ दे तो ऐसे चरवाहे को पीटना चाहिए अथवा उसे रक्षार्थ जो पशु दिये गये हों उनका अपहरण करके उन्हें दूसरे चरवाहे को दे देना चाहिये एवं यदि चरवाह

1. ~~अत्र~~ परिगृह्योत्थानाभावात्फलाभावे यत्समुद्धत्स भावि तदपहार्यः॥

-आ०ध०सू० 2/11/28/1

2. अत्रियवधदेश्यस्य दण्ड्युद्धवर्ज कृषिगोरक्ष्यवणिज्याऽधिकम्॥

-वही 2/5/10/8

पशुओं को मर जाने दे या चोरों आदि से अपहृत हो जाने दे तो वह उनका मूल्य स्वामी को दे।

आय के साधन:- राष्ट्र के सम्बर्धन हेतु आवश्यक होता था कि राजा अपने कोश में वृद्धि करे। उत्पादित वस्तुओं से कर प्राप्त करना आय का प्रमुख श्रोत था। धर्मशास्त्रों में भाति- भांति के करों का उल्लेख हुआ है। प्रायः सभी सूत्रकारों ने कर प्राप्ति का उल्लेख अपने सूत्र ग्रन्थों में किया है। वौधापन ने उत्पादन का 1/6 भाग राज्य कोश के रूप में देने का आग्रह किया है²। इसी प्रकार वसिष्ठ ने भी उत्पादन का 1/6 भाग राज्यकोश में करके के रूप में देने का आग्रह किया।

सामान्यतः सभी उत्पादन वस्तुओं पर कर लगाया जाता था और सभी वर्ग के लोगों को उसका भुगतान करना पड़ता था, किन्तु कुछ लोग कर से मुक्त भी कर दिये जाते थे। आपस्तम्ब के अनुसार श्रोत्रिय, ब्राह्मण, स्त्रिया, बालक उस समय तक जब तक उनमें युवावस्था के किन्ह प्रकट नहीं हो जाते तथा अध्ययनार्थ गुरुकुल में निवास करने वाले, धर्म के आचरण में संलग्न तपस्वी, शूद्र, नौकर, अन्धे, मूंगे, बहरे, रोगी तथा जिन लोगों के लिये धन ग्रहण करना शास्त्र

1. तथा पशुपस्य। अवरोधं वा स्य पशूनाम्। पशून्मारणो नाश्ने वा स्वामिभ्योऽवसृजेत्।।

-आ०ध०सू० 2/11/28/3-4, 7

2. बौ०ध०सू० 1/10/1

से निषिद्ध है वे सन्यासी कर से मुक्त होते हैं¹ ।

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब धर्मसूत्र से विदित होता है कि कर ग्रहण के लिए तीन उच्च वर्णों के व्यक्ति ही नियुक्त किये जाते थे । इनकी योग्यता के सम्बन्ध में आपस्तम्ब का कथन है कि ये पवित्र आचरण वाले तथा सत्यवादी पुरुष होंगे² ।

व्यापार:- सूत्रकाल में व्यापार निःसन्देह महत्त्वपूर्ण व्यवसाय था । धर्मसूत्रों में तीनों उच्च वर्णों के व्यक्तियों को कुछ प्रतिबन्ध के साथ व्यापार की अनुमति दी गई है । आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार ब्राह्मण आपत्ति के समय उन वस्तुओं का व्यापार कर सकता है जिनका विक्रय करना विहित है । आपस्तम्ब के अनुसार मनुष्य रस, रंग, सुगन्धि, अन्न, चमड़ा, गौ, लाख, जल, हरा अन्न, सुरा की तरह के पदार्थ, पीपर, मरिच, अनाज, मांस, हथियार और अपने पुण्यफल का विक्रय, ब्राह्मण के लिये वर्ज्य है³ । उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब ने तिल और चावल का क्रय विक्रय ब्राह्मण के लिये विशेषरूप से वर्जित किया है⁴ । इस सम्बन्ध

1. अकर. श्रोत्रिय । सर्ववर्णानां च स्त्रियः । कुमारश्च प्राक् व्यञ्जनेभ्यः ।
ये च विद्यार्थी वसन्ति । तपस्विनश्च ये धर्मपराः । शूद्रश्च पादावनेक्ता ।
अध्मूकबधिररोगाविष्टाश्च । ये व्यर्था द्रव्यपरिग्रहः ॥

-आ०ध०सू० 2/10/26/10-17

2. वही 2/10/26/4 एव 9

3. वही 1/7/20/12

हरदत्त का कथन है कि स्वयं उगाये गये तिल और चावल के विषय में प्रतिबेध का नियम नहीं है¹।

आपस्तम्ब ने जिन वस्तुओं को खरीदा न गया हो, जो स्वयं उत्पादित हैं - मृज, बल्वज घास मूल और फल एवं तृणां काठ का जिनसे काट छाट कर कोई उपयोगी वस्तु न बनायी गयी है विक्रय की अनुमति दी है²।

विनियम:- आपस्तम्ब धर्मसूत्र से वस्तु के विनियम सम्बन्धी नियमों का भी पता चलता है। आपस्तम्ब ने ब्राह्मणों के लिये जिन वस्तुओं का विक्रय वर्ज्य बताया था उनके विनियम का निषेध किया है परन्तु उन्होंने अन्न से अन्न का मनुष्यों से मनुष्यों का, रसों से रसों का, ग्रन्थों से ग्रन्थों का तथा विद्या से विद्या के विनियम की अनुमति दी है³।

1. स्वयमुत्पादितेषु नाऽयं प्रतिबेध ॥

-आ०ध०सू० 1/7/20/13 पर हरदत्त की टिप्पणी

2. अक्रीतपण्यैर्व्यवहरेत्। मु जबल्बजैर्मूलफलैः। तृणाकाष्ठैराविकृतैः ॥

-आ०ध०सू० 1/7/20*16 सूत्रं 1/7/21/1

3. अन्नेन चाऽन्नस्य मनुष्याणां च मनुष्ये रसानां च रसैर्गन्धानां च गन्धैर्विषया च विधानाम् ॥

-वही 1/7/20/15

व्याज.- सूत्र ग्रन्थों में व्याज के लेन देन तथा उसके दर निर्धारण के सम्बन्ध में पर्याप्त विवेचन किया गया है । आपस्तम्ब धर्म §1/6/8/12§ में वार्धुषिक शब्द का और 1/9/27/10 में वृद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है । वौधायन धर्मसूत्र 1/3/93-94 के अनुसार वार्धुषिक वह है जो सस्ते भाव में खरीदा हुआ अन्न देकर बदले में अधिक मूल्य वाला अन्न ग्रहण करता है ।

रहन, बन्धक.- आपस्तम्ब धर्मसूत्र 1/6/8/20 में आधि शब्द का प्रयोग हुआ है । आधि का तात्पर्य है चल सम्पत्ति के विषय में न्यास या अचल सम्पत्ति के विषय में बन्धक ।

इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आपस्तम्ब धर्मसूत्र तत्कालीन आर्थिक विचारों को कुछ अंशों में व्यक्त करता है ।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
अष्टम अध्याय
उपसंहार
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

अष्टम अध्याय

उपसंहार

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में विवेचित धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक विचारों एवं व्यक्त दार्शनिक तत्त्वों का समग्ररूप से निरूपण के पश्चात् सम्प्रति सिंहावलोकन के रूप में निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जा रहा है-

प्रारम्भ के अध्याय में सूत्र साहित्य पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि सूत्रकाल अध्ययन और चिन्तन की परम्परा का प्रतिनिधि है। भारतीय मनीषियों के लिए अपनी समृद्ध परम्परा, आचार, व्यवहार एवं कर्मकाण्ड से सम्बन्धित ज्ञान को सतत् रखना एक समस्या थी, क्योंकि लेखन के अभाव में लुप्त होने की सम्भावना अधिक थी तथा वृहद् मन्त्रों को कण्ठस्थ रखना एवं शुद्धता को बनाये रखना असम्भव था। फलतः इन कठिनाइयों के निराकरण हेतु सूत्र साहित्य की रचना की गई।

सूत्र साहित्य के सन्दर्भ में यह आलोचना करना कि इन रचनाओं में अन्विति या अर्थ के विकास की कोई सम्भावनाये नहीं है, रचना की जटिलता इसकी सरलता को लुप्त कर देती है तथा ये अत्यधिक नीरस हैं तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सूत्रों की इस विशिष्ट शैली के कारण ज्ञान निरन्तर अब तक अक्षुण्ण बना है।

कल्पसूत्रों के विवेचन से स्पष्ट है कि जहाँ श्रौतसूत्रों का स्वरूप कर्मकाण्डीय है वहाँ गृह्यसूत्रों में गृहस्थारम में गृहस्थ के व्यक्तिगत जीवन के करणीय कर्तव्यों का विवेचन मुख्य रूप से हुआ है । साथ ही मासिक पर्वों पर किये जाने वाले कर्मों, वार्षिक कर्मों, आभिचारिक कर्मों का भी उल्लेख है । शुल्बसूत्रों में ज्यामिति का सम्पूर्ण विषय बोध रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज वृत्त, प्रमेय आदि का वर्णन उपलब्ध होता है ।

धर्मसूत्रों की विवेचना से स्पष्ट होता है कि धर्मसूत्र, भारतीय धर्म के परिज्ञान के लिए अत्यावश्यक है । इतना ही नहीं धर्मसूत्र मनुष्य की प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक स्थिति के आचरण का प्रतिपादन करता है । व्यक्ति के सामा-जिक, पारिवारिक, वैयक्तिक और पारिलौकिक सभी पक्षों पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप से विचार करता है । व्यक्ति के लिए कर्तव्यों की दिशा देता है, जीवन के लक्ष्यों को प्रदर्शित करता है ।

कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध आपस्तम्ब धर्मसूत्र भी तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन को प्रतिबिम्बित करता है जिसका काल 600 ई० पू० से 300 ई० पू० के मध्य माना गया है । आपस्तम्ब के नाम से श्रौत तथा गृह्य सूत्र भी उपलब्ध होते हैं परन्तु पाश्चात्य लेखकों का मत है कि आपस्तम्ब धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र, श्रौतसूत्र के रचयिता पृथक-पृथक आचार्य हैं । पाश्चात्यों के

ये मत स्वीकार्य एवं विश्वसनीय नहीं है क्योंकि धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र तथा श्रौतसूत्रों के आन्तरिक साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण कल्पसूत्र के रचयिता आपस्तम्ब ही हैं ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र तथा सभी धर्मसूत्रों का वर्ण्य विषय मूलतः आचार, विचार, विधि, निषेध, नियम आदि का सम्यक् व्याख्यान करना है । धर्मसूत्र नाम से ही सर्वप्रथम धर्म की प्रधानता बोधित होती है । आपस्तम्ब धर्मसूत्र भी आरम्भ में सामयाचारिक धर्मों को मुख्य प्रतिपाद्य विषय बताता है । धर्म के ज्ञाताओं की सहमति से व्यवस्थापित दैनिक आचार को सामयाचारिक धर्म कहा जाता है ।

धर्म के सम्बन्ध में आपस्तम्ब का विचार अधिक आधुनिक और व्यावहारिक है । उन्होंने धर्म का मूल प्रमाण वेद को ही माना है, तथापि उसके साथ ही धर्मज्ञों की सविदा या सहमति द्वारा की गयी आचारव्यवस्था को मुख्य स्म से प्रमाण माना है परन्तु आचार के सम्बन्ध में आपस्तम्ब ने सदैव विवेक से काम लेने की सलाह दी है क्योंकि महान पुरुषों में भी कई दुर्बलताएँ होती हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि आपस्तम्ब की दृष्टि में वेद, स्मृति का अन्धानुकरण मात्र धर्म नहीं अपितु स्वविवेक का आश्रय लेकर उसके पक्ष एवं विपक्ष

पर सम्यक्स्मरेण विचार कर आचरण क्या धर्म है १ इतना ही नहीं उन्होंने धर्म का आडम्बर करने वालों से सतर्क और सावधान किया है । उनका कथन है कि "दुष्टों शठों, नास्तिक, वेदज्ञानहीन व्यक्तियों के वचनों से कुपित नहीं होना चाहिए और उनके धोखे में नहीं पडना चाहिए " ।

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब का मत है कि सदाचारी व्यक्ति जो आचरण करता है वह विश्वात्मा को प्राप्त करता है । वस्तुतः आपस्तम्ब ने प्रत्येक प्रसंग में आचरण की शुद्धता पर जोर दिया है जैसा कि आश्रम व्यवस्था के वर्णन एवं वर्णों के कर्तव्यों के प्रसंग में स्पष्ट किया जा चुका है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आपस्तम्ब धर्मसूत्र में धर्म का स्वरूप कोरा आदर्शवादी नहीं है बल्कि नैतिकता, सदाचारिता, ज्ञानता और बौद्धिकता का समन्वय है ।

प्राचीन भारतीय धर्म, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था पर वर्णव्यवस्था इतनी अधिक छापी हुई है कि जीवन के प्रायः सभी विषयों पर वर्ण के आधार पर ही विचार किया गया है । छोटे-छोटे कर्मों में भी वर्ण-व्यवस्था के आधार पर पार्थक्य स्थापित किया गया है, जिसका कोई औचित्य

नहीं दिखायी पड़ता है । उदाहरण के लिए यज्ञोपवीत के समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को आयु, दण्ड, आदि के अलावा भिक्षाचरण के लिए सबोधन का भी अलग-अलग निश्चय बताया गया है । और प्रायश्चित्त, अपराध और दण्ड, मृत्यु या जन्म-विषयक अज्ञौच भी वर्णानुसार निर्धारित किया गया है । वर्ण का विचार नैतिक भावना के ऊपर भी हावी होता दिखाई पड़ता है । भोजन और संभाषण के शिष्टाचार आदि में भी वर्ण के विचार को प्राथमिकता दी गयी है । वर्ण - व्यवस्था की इस कठोरता के बावजूद प्राणरक्षा और जीविका निर्वाह के लिए इसके उल्लंघन की भी अनुमति दी गयी है, किन्तु इस बात की चेतावनी दी गयी है कि दूसरे वर्ण के कर्म करते हुए भी उस वर्ण के निन्दित आचरण न अपनाये जाय । धर्मसूत्रों के काल में वर्णव्यवस्था पूर्णवस्था पर थी । आपस्तम्ब धर्मसूत्र में तो समायाचिक धर्म की व्याख्या की प्रतिज्ञा कर पहला विवेच्य विषय वर्ण ही है ।

आपस्तम्ब ने वर्ण का आधार जन्म को माना है । इससे स्पष्ट होता है कि आपस्तम्ब युग में जाति व्यवस्था सुदृढ़ हो गयी थी तथा गुण कर्मों के अनुसार वरण किये जाने वाला वर्ण क्रमशः जन्मना जाति के रूप में परिणत हो गया था । इसी चिन्तना पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों एवं अधिकारों का वर्णानुसार आपस्तम्ब धर्मसूत्र में प्राप्त होता है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र के विवेचन से स्पष्ट होता है कि समाज में

ब्राह्मण को सर्वप्रमुख स्थान प्राप्त था तथा अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। इतना सब होते हुए भी आपस्तम्ब की दृष्टि में उक्त विशेषाधिकार केवल योग्य ब्राह्मण के लिये ही है क्योंकि उनका कथन है कि "जो ब्राह्मण वेदाध्ययन से सम्पन्न न हो उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित न किया जाय " ।

धर्मसूत्रों का अवलोकन करते समय वर्णव्यवस्था के सम्बन्ध में सबसे अधिक चिन्ताजनक बिन्दु शूद्रों के प्रति उसका अन्याय और भर्त्सना से भरा हुआ दृष्टिकोण है/यद्यपि आपस्तम्ब धर्मसूत्र में शूद्रवर्ण की निम्न स्थिति का भ्रान होता है तथापि आपस्तम्ब की दृष्टि में शूद्र उतना घृणित न था जितना की परवर्ती युग में होता गया । आपस्तम्ब धर्मसूत्र में अनेक स्थलों पर शूद्र के प्रति उदारता एवं मानवता के दर्शन होते हैं । आपस्तम्ब ने शूद्र का अन्न भोज्य बताया है यदि वह धार्मिक हो । इतना ही नहीं शूद्रों की विद्या को अथर्ववेद के ज्ञान का परिशिष्ट अंश माना है तथा कहा है कि इसका ज्ञान प्राप्त करने पर ही सभी विद्याओं का ज्ञान पूरा होता है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में नारी की समाज में स्थिति अत्यन्त विचित्र थी एक तरफ उसे सर्वशक्तिमान, विद्या, शील, ममता, यश और सम्पत्ति का प्रतीक समझा गया वहीं दूसरी तरफ उसको हेय दृष्टि से देखा गया उसको अनेक मामलों

में आश्रित एवं परतन्त्र माना गया है । इतना सब होते हुए भी कुछ विषयों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक अधिकार एवं स्वत्व रखती थी । स्त्रियों की हत्या नहीं की जा सकती थी और न वे व्यभिचार में पकड़े जाने पर त्याज्य थीं । मार्ग में उन्हें पहले आगे निकल जाने का अधिकार प्राप्त था । वे वेदज्ञ ब्राह्मणों की भाँति कर से मुक्त थी । परिवार की सम्पत्ति पर पत्नी को समान अधिकार प्राप्त था तथा स्त्रियों के ज्ञान को विद्या की अन्तिम सीमा माना गया है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में स्वतन्त्र रूप से केवल उपनयन, समावर्तन एवं विवाह संस्कारों का ही उल्लेख किया गया है । आपस्तम्ब ने उपनयन संस्कार के लिए आयु, काल इत्यादि में वर्ण के आधार पर भिन्नता स्पष्ट की है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में विवाह संस्कार का विवेक विस्तृत एवं सार-गर्भित किया गया है । आपस्तम्ब की दृष्टि में विवाह का उद्देश्य है कि पत्नी, पति को धार्मिक कृत्यों के योग्य बनाती है तथा सन्तानोद्भूति द्वारा पति की नरक से रक्षा करती है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में विवाह के छ भेदों का ही उल्लेख किया गया है, जब कि सामान्यतः आठ भेद धर्मसूत्रों में वर्णित हैं । ये छ भेद हैं— ब्राह्म, आर्ष, दैव, गान्धर्व, आसुर और राक्षस । प्राजापत्य तथा पैशाचविवा

के विषय में यह धर्मसूत्र मौन है । इसका कारण सम्भवतः पेशाव विवाह का धर्मशास्त्र ग्रन्थों में अत्यन्त निन्दनीय माना जाना है । जहाँ तक प्राजापत्य विवाह प्रकार का प्रश्न है ब्राह्म विवाह प्रणाली और प्राजापत्य विवाह प्रणाली में कोई विशेष अन्तर नहीं था । यही कारण है जिससे आपस्तम्ब ने प्राजापत्य विवाह प्रणाली का उल्लेख नहीं किया है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में विवाह की पवित्रता पर जिस कारण से अत्यधिक जोर दिया गया है वह स्पष्टतः यही है कि जैसा विवाह होता है, वैसा ही पुत्र होता है- "यथायुक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा भवति" 2/4/12/4 । आपस्तम्ब धर्मसूत्र में एक पत्नीत्व की प्रवृत्ति को प्रमुखता प्राप्त हुई है -"धर्मप्रजासम्पन्ने दारे नाऽन्यां कुर्वीत" 2/3/11/12

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में नियोग को हेय ठहराया गया है जब कि गौतम, बौधायन §2/2/17/62§ और वसिष्ठ नियोग को प्रशस्त मानते हैं ।

समाज के उत्थान, विकास एवं पतन शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर आधारित रहता है । सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा वैज्ञानिक प्रगति शिक्षा की समुचित व्यवस्था अभाव में सम्भव नहीं । इसी कारण भारतीय मनीषियों ने शिक्षा की व्यापकता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखकर उसे महत्त्व प्रदान किया है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी शिक्षा के प्रत्येक आयाम पर सम्यक्स्मरण विचार किया गया है ।

अध्ययन एक तप है अतः इसके लिए वातावरण की अनुकूलता, मानसिक शान्ति एकाग्रता, पवित्रता तथा आचरण के नियमों का पालन अत्यावश्यक है इसीलिए धर्मसूत्र में विद्यार्थी के तपोमय जीवन की स्पष्टरेखा स्पष्ट की गयी है ।

आचार्य के लिए भी उसका आचरण प्रधान होता है । अतएव आपस्तम्ब ने आचार्य के लिए अनेक नियमों की व्यवस्था की है । आचार्य के धर्मभ्रष्ट होने पर आपस्तम्ब ने उसके त्याग का विधान किया है । इसके अतिरिक्त आपस्तम्ब ने शिष्य को स्विके से कार्य करने की सलाह दी है तथा इस प्रसंग में निर्देश दिया है यदि गुरु की आज्ञा का पालन करने से पतनीय कर्म का दोष होता है तो उस आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए ।

आपस्तम्ब ने शिष्य के प्रति गुरु के कर्तव्य को महत्त्वपूर्ण माना है उनका कथन है कि गुरुशिष्य को पुत्रवत् माने, हृदय से उसकी उन्नति की कामना करे और ईमानदारी के साथ विद्या प्रदान करे । गुरु शिष्य का किसी प्रकार से शोषण न करे । गुरु जब शिष्य को विद्या प्रदान करने में प्रमाद करता

है तो वह गुरु नहीं रह जाना और शिष्य को चाहिए ऐसे गुरु का त्याग कर दे।

वस्तुतः आपस्तम्ब धर्मसूत्र में गुरु शिष्य सम्बन्ध जोवन के प्रमुख लक्ष्य की सिद्धि की ओर उन्मुख है। यह केवल जोविका या औपचारिकता का सम्बन्ध नहीं है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भोजन सम्बन्धी नियमों एवं प्रतिबन्धों के विषय में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। धर्मसूत्र में भोजन की शुद्धता पर पर्याप्त जोर दिया है। इस काल तक शूद्र वदारा स्पृष्ट भोजन अभोज्य माना जाने लगा। शिल्पियों, चिकित्सा एवं व्याज देकर जिविका निर्वाह करने वाले व्यक्तियों का अन्न भी अभोज्य था। आपस्तम्ब के अनुसार गाय तथा बैल का मास भक्ष्य था।

आश्रम व्यवस्था हिन्दू संस्कृति का मुख्य स्तम्भ है। आश्रमों की कल्पना हमारे ऋषियों ने मान, जीवन को नियमित, संयमित एवं आध्यात्मिक बनाने के लिए की है। आश्रम व्यवस्था पर आपस्तम्ब धर्मसूत्र में पर्याप्त जोर दिया गया है। आश्रमों की व्यवस्था संस्कारों की आधारभूमि पर की गई है। आपस्तम्ब का कथन है कि जिस प्रकार उत्तम और अच्छी प्रकार जोते हुए खेत

में पौधों और वनस्पतियों के बीज अनेक प्रकार के फल उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार गर्भाधानादि संस्कारों से युक्त व्यक्ति भी फल का भागी होता है । इसी पृष्ठभूमि पर आपस्तम्ब धर्मसूत्र में चार आश्रमों का निम्नक्रम में उल्लेख प्राप्त होता है- गार्हस्थ्य, आचार्य कुल में निवास, मौन अर्थात् सन्यास, वानप्रस्थ ।

इस प्रकार आपस्तम्ब द्वारा गृहस्थाश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है । वस्तुतः गृहस्थ आश्रम की महत्ता के कारण ही गृहस्थ आश्रम का प्रथम उल्लेख किया गया है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र से ज्ञात होता है कि व्यक्ति को क्रम से चारों आश्रमों में निवास करना अनिवार्य नहीं था अपितु आपस्तम्ब की धारणा थी कि कोई व्यक्ति जिस आश्रम में रहना चाहे उसमें रह सकता था परन्तु ब्रह्मचर्याश्रम में निवास सबके लिये अनिवार्य था ।

ब्रह्मचर्याश्रम उपनयन संस्कार से आरम्भ होता है । उपनयन का मुख्य प्रयोजन विद्याग्रहण है एतद्धि ब्रह्मचर्याविस्था का मुख्य लक्ष्य अध्ययन है । अध्ययन एक तप है अतएव इसके लिए उचित स्थान, एकाग्रता का होना अत्यावश्यक है इसी कारण से ब्रह्मचारी के जीवन को अत्यन्त व्यवस्थित, संयमित और नियमबद्ध करने के लिये आपस्तम्ब ने अनेक नियम विहित किये हैं ।

गृहस्थाश्रम के वर्णन में आपस्तम्ब ने गृहस्थ के धर्मों एवं कर्तव्यों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की है । इसी प्रसंग में अतिथि सत्कार को गृहस्थाश्रम का एक प्रधान कर्तव्य कहा है तथा अतिथि की पूजा को शान्ति और स्वर्ग की प्राप्ति का साधन माना है । अतिथि सत्कार के नियम में यह निर्देश किया गया है कि अतिथि के आने पर उठकर उसकी अगवानी करनी चाहिए और अवस्था के अनुसार उसका आदर करना चाहिए । वस्तुतः अतिथि सत्कार के पीछे हमारे शास्त्रकारों की उदात्त भावना छिपी है, दया के द्वारा मनुवसमाज का सम्बर्धन करने की यह भारतीय परम्परा है । इसी भारतीय परम्परा से यात्रियों को एव यतियों को पर्याप्त आतिथ्य मिलता आ रहा है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में सन्यास एवं वानप्रस्थ आश्रमों की भी विस्तृत चर्चा प्राप्त होती है । सन्यास आश्रम को महत्त्वपूर्ण माना गया है । वानप्रस्थ को केवल गृहस्थ और सन्यास आश्रमों के बीच की कड़ी कहा जा सकता है । जिस प्रकार गृहस्थाश्रम के लिए ब्रह्मचर्याश्रम विशेष तैयारी का समय है उसी प्रकार सन्यास के लिए तैयारी और दीक्षा का समय है वानप्रस्थ । सन्यास नितान्त आध्यात्मिक उद्देश्य का आश्रम है । जिसका लक्ष्य है भौतिक जगत के ऐन्द्रिक सुखों से विमुक्त होकर इन्द्रियों और मन को वश में करके अंतिम लक्ष्य **ऽमोक्षः** की प्राप्ति ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में सर्वत्र सदाचरणों पर जोर दिया गया है ।

पाप और प्रायश्चित्त की धारणा के पीछे भी आचार के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? जब तक व्यक्ति आचार का पालन करता है तब तक समाज में वह महत्त्वपूर्ण है, यदि वह आचार का उल्लंघन करता है तो उसे जीने का अधिकार नहीं, उसे पाप से तभी मुक्ति मिल सकता है जब वह प्रायश्चित्त करे, अर्थात् पाप यदि गम्भीर हो तो जीवन का अन्त कर दे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज के अन्य लोगों के लिए एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत करेगा । उसके अतिरिक्त प्रायश्चित्त का उद्देश्य पाप से विरक्ति उत्पन्न करना है । अर्थात् प्रायश्चित्त का भय दिखाकर पाप से दूर करने का उपाय किया जाय। परन्तु प्रायश्चित्त के विषय में सूत्रकार की धारणाएँ कुछ असंगतिपूर्ण हैं प्रायश्चित्त के अपराध भी वर्ण का विचार हावी है । ब्राह्मण की हत्या करने वाला मृत्यु का भागी होता है । किन्तु शूद्र का वध करने वाला 10 गायें तथा एक बैल का दान करके मुक्त हो जाता है ।

धर्मसूत्रों का अनिवार्य विषय राजधर्म भी आपस्तम्ब का विवेच्य विषय रहा है । उन्होंने राजा के कर्तव्यों एवं अधिकारों की विस्तृत समीक्षा की है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र से लोकव्यवस्था जनतांत्रिक प्रतीत होती है ।

राजा निरंकुश नहीं है, अपितु वह धर्म के लिए ब्राह्मण पर या योग्य विधि-वेत्ताओं पर निर्भर है। न्याय-व्यवहार की व्यवस्था और प्रक्रिया तो बहुत ही जनतात्रिक है और दण्ड देने के प्रत्येक पहलू पर विचार किया गया है। न्याय ही अन्याय न हो यही दण्डव्यवहार का लक्ष्य बार-बार दुहराया गया लगता है। साक्षी के सत्यभाषण पर बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब ने नैतिक नियमों की रक्षा तथा धर्म का उल्लंघन करने वालों को दण्ड देना राजा का धर्म माना है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में अपराध एवं उनके लिए दिये जाने वाले दण्डों का सुविस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। उक्त के अतिरिक्त दायभाग का विवेक भी आपस्तम्ब ने किया है। आपस्तम्ब के अनुसार, पिता अपने जीवन-काल में ही पुत्रों को समान दाय भाग दे देवे, परन्तु क्लृप्त और पतित पुत्र को दाय अज्ञ नहीं देना चाहिए। पुत्र के अभाव में सपिण्ड दाय का अधिकारी होता था अथवा पुत्राभाव में पुत्री दाय की अधिकारिणी होती थी। आपस्तम्ब ने वैवस्वत मनु के दाय विभाजन का उदाहरण देकर यही मत पुष्ट किया है कि उसने सभी पुत्रों में समान भाग बाँटा है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्रों का वर्ण्य विषय मूलतः आचार, विधि निषेध

नियम आदि का सम्यक् व्याख्यान करना ही है किन्तु इनके निरूपण में आर्थिक तत्त्वों का भी यत्र तत्र उल्लेख प्राप्त होता है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र से विदित होता है कि व्यवसाय वर्ण आधारित था । यदि कोई व्यक्ति अपने वर्ण विशेष के लिए विहित व्यवसाय से इतर व्यवसाय करते थे तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था । समाज में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था । आपस्तम्ब धर्मसूत्र काल में कृषि को प्रचुर महत्त्व प्राप्त था । कृषि कार्य हेतु पट्टे पर भूमि देने का उल्लेख प्राप्त होता है जिससे स्पष्ट होता है भूमि पर स्वामित्व एवं काश्तकारी रम बहुत कुछ स्थिर हो गया था । इसी प्रकार मजदूरों की या चरवाहों को दी गयी प्रताडना से यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज में सामन्तवादी व्यवस्था का बीजारोपण हो गया था ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में अनेक दार्शनिक विचारों को यथा-आत्मतत्त्व का स्वरूप, आत्मतत्त्व की व्यापकता, आत्मतत्त्व के लक्षण, स्वर्ग एवं मोक्ष का स्वरूप इत्यादि को प्रथम प्रश्न के आठवें पटल में अभिव्यक्त किया गया है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में जिन उक्त दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत किया गया है वे पूर्णतया उपनिषदों से प्रभावित हैं । सूत्रकार का अपना कोई पृथक

सिध्दान्त विकसित होकर प्रकाश में नहीं आ सका । दूसरे शब्दों में ग्रन्थ के अन्तर्गत उपनिषद्दों से भिन्न कोई अन्य मान्यता का उल्लेख नहीं हुआ है ।

इस प्रकार उक्त के आलोक में यह कहना असंगत नहीं होगा कि आपस्तम्ब धर्मसूत्र की उपादेयता वर्तमान युग में भी प्रासंगिक है । यह भौतिकवादी दृष्टिकोण से संतुष्ट मानवता के लिए आत्मिक शान्ति और सुख का बोध कराने में समर्थ है । इसके वर्णित नैतिक मूल्य बदलते परिवेश तथा बदलते- हुई युगधारा में भी मनुष्य की अस्मिता के अवबोध में समर्थ हैं ।

सहायक ग्रन्थ सूची

=====

- 1- अथर्ववेद संहिता - संपादक - श्रीषाद दामोदर सातवलेकर हिन्दी भाष्य 1950
- 2- आदर्श संस्कृत हिन्दी कोश- डा० राम स्वस्म रसिकेश, चौखम्भा विद्याभवन
वाराणसी ।
- 3- आपस्तम्ब श्रौतसूत्र- रुद्रदत्त [भाष्य सहित] चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन
वाराणसी 1971
- 4- आपस्तम्ब गृह्य सूत्र- श्री हरदत्त मिश्र प्रणीत अनाकुला वृत्ति-श्री सुदर्शनाचार्य
प्रणीत तात्पर्य दर्शन व्याख्या सहित-
चौखम्भा संस्कृत संस्थान वाराणसी 1971
- 5- आपस्तम्ब धर्मसूत्र- श्री हरदत्त प्रणीत उज्ज्वला वृत्ति सहित चौखम्भा संस्कृत
संस्थान वाराणसी 1983
- 6- ऋग्वेद संहिता- सम्पादक पं० राम गोविन्द शुक्ल बनारस 1990
- 7- ऋग्वेद संहिता- रामगोविन्द त्रिवेदी कृत हिन्दी भाष्य चौखम्भा विद्या
भवन वाराणसी
- 8- काशिका वृत्ति- सम्पादक- आर्येन्द्र शर्मा चौखम्भा विद्या भवन ग्रन्थमाला
बनारस 1988
- 9- कृत्य कल्पतरु- गृहस्थ काण्डम्- लक्ष्मीधर भट्ट ओरियण्टल इंस्टी ट्यूट बड़ौदा
- 10- कृष्णायजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता- सायण भाष्य आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावली

- 11- गौतम धर्मसूत्र- गोविन्द स्वामी प्रणीत विवरण सहित-चौखम्भा संस्कृत संस्थान 1983
- 12- चतुर्वर्ग चिन्तामणि- काशी संस्कृत ग्रन्थमाला सं० 235 वाराणसी 1986
- 13- छान्दोग्य ऽ उपनिषद्- गीताप्रेस गोरखपुर
- 14- धर्मशास्त्र का इतिहास भाग 1 से 5- डा० पी०वी०काणे अनुवादक-अर्जुन चौबे काश्यप हिन्दी समिति लखनऊ
- 15- धर्मकोश- लक्ष्मण शास्त्री जोशी- चौखम्भा संस्कृत संस्थान वाराणसी 1971
- 16- धर्मद्रुम- राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय- चौखम्भा विश्व भारती वाराणसी 1989
- 17- निरुक्त- भगीरथ शास्त्री हिन्दी भाष्य दिल्ली 1963
- 18- पाणिनिकालीन भारतवर्ष - डा० वासुदेव शरण अग्रवाल मोती लाल बनारसीदास
- 19- प्राचीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की एक झलक- नारायण प्रसाद बलुनी
- 20- प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास- डा०जयशंकर मिश्र-बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी 1980
- 21- प्रमुख स्मृतियों का अध्ययन- डा० लक्ष्मी दत्त ठाकुर, हिन्दी समिति लखनऊ 1965
- 22- बृहदारण्यक उपनिषद्- गीताप्रेस गोरखपुर
- 23- बोधायन श्रौत सूत्र- डा० गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ-इलाहाबाद
- 24- बोधायन धर्मसूत्र- गोविन्द स्वामी प्रणीत विवरण सहित, चौखम्भा संस्कृत संस्थान वाराणसी 1971

- 25- बीस स्मृतियां- भाग 1 एवं 2- सं० मंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, संस्कृति
संस्थान खवाजा कुतुब बरेली 1968
- 26- ब्रह्मसूत्र शाह. करभाष्य, सत्यानन्दी दीपिका सहित-गोविन्द मठ टेढ़ी
नीम वाराणसी- सम्वत् 2040
- 27- भारतीय दर्शन- आचार्य बलदेव उपाध्याय- द्वार चौखम्भा ओरियन्टलिया
1979
- 28- मनुस्मृति- सार्वदेशिक प्रेस दरियागंज दिल्ली- सम्वत् 2016
- 29- याज्ञवल्क्य स्मृति- मिताक्षरा टीका नाग पब्लिकेशन दिल्ली 1985
- 30- वेदों का यथार्थस्वरूप- 40 धर्मदेव विद्यावाचस्पति विद्या मार्तण्ड गु० कां० वि०
विद्यालय 1960
- 31- वेद रहस्य- श्री अरविन्द- अनुवादक आचार्य अभयदेव विद्यालंकार 1960
- 32- वैदिक साहित्य का इतिहास- आचार्य बलदेव उपाध्याय- 1970
- 33- वासिष्ठ धर्मसूत्र- ए० ए० फ्लूरर बम्बई संस्कृत सीरीज पूना 1930
- 34- वैदिक साहित्य एवं संस्कृति- आचार्य बलदेव उपाध्याय, शाहदा मन्दिर,
वाराणसी 1967
- 35- श्रीमद्भगवत् गीता- गीताप्रेस गोरखपुर
- 36- शतषथ ब्राह्मण- अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय वाराणसी सं० 1994
- 37- षड्दर्शन रहस्य- 40 रड. गनाथ पाटक, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्-
पटना 1958
- 38- स्मृतीनां समुच्चय - आनन्दाश्रम 1905

- 39- सर्वदर्शन समन्वय- डा० गोपाल शास्त्री- लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली
- 40- सामवेद संहिता- सं० पं० रामस्वरूप शर्मा हिन्दी भाष्य बनारस 1962
- 41- संस्कार पद्धति- भास्कर शास्त्री आनन्दाश्रम 1924
- 42- संस्कार प्रकाश- चौखम्भा संस्कृत सीरीज वाराणसी 1971
- 43- संस्कृत साहित्य का इतिहास- बलदेव उपाध्याय, शारदा निकेतन रवीन्द्रपुरी दुर्गाकुण्ड, वाराणसी 1972
- 44- संस्कृत हिन्दी कोश- वामन शिवराम आष्टे, मोती लाल बनारसीदास, वाराणसी
- 45- संस्कृत भाषा एवं साहित्य का संक्षिप्त इतिहास- डॉ० टी० जी० माईणाकर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
- 46- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- डा० कपिलदेव, विवेक वेदी, साहित्य संस्थान, इलाहाबाद
- 47- इण्डिया ऑफ वैदिक कल्च सूत्राज- राम गोपाल, मोतीलाल बनारसीदास 198
- 48- सम ऑस्पेक्ट्स ऑफ इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर 1974
- 49- हिस्ट्री ऑफ एन्शियन्ट संस्कृत लिटरेचर, इलाहाबाद 1912
- 50- दि सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट भाग-2, मोतीलाल बनारसीदास 1986
- 51- धर्मसूत्राज- स्टडी इन देयर ओरीजन एण्ड डेवलपमेन्ट, सुरेश चन्द्र बनर्जी
पन्थी पुस्तक कलकत्ता 1962